लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

6th Lok Sabha

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

अंक 46, शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1978/8 वैशाख, 1900 (शक)
No. 46, Friday, April 28, 1978/Vaisakha 8, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS .	1—30
*तारांकित प्रश्न संख्या 904,905 और 911 से 914	*Starred Questions Nos. 904, 905 and 911 to 914	1—18
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के बारे में	*Re.* Short Notice Question No. 6 .	18—30
प्रश्नो के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	31—174
तारांकित प्रश्न संख्या 906 से 910 और 915 से 924	Starred Questions Nos. 906 to 910 and 915 to 924	31—39
तारांकित प्रश्न संख्या 8465 से 8575, 8577 से 8635 और 8637 से 8664	Unstarred Questions Nos. 8465 to 8575 8577 to 8635 and 8637 to 8664 .	40—174
(एक) अतारांकित प्रश्न संख्या 6028 दिनांक 7-4-1978 और (दो) अतारांकित प्रश्न संख्या 6161 दिनाक 7-4-1978 में शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting satements to (i) USQ No. 6028 dt. 7-4-1978 and (ii) USQ No. 6161 dt. 7-4-78	174
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377— —	
(एक) आणविक परीक्षा के बाद पोखनर में 1974 में दबाये गये विस्फोटक यंत्र से खतरे का समाचार डा० वसन्त कुमार पडित	(i) Reported danger from explosive device buried at Pokharan in 1974 after nuclear test . . . . Dr. Vasant Kumar Pandit	175
(दो) तमिलनाडु में "मस्तिष्क ज्वर" के भयंकर प्रकोप का समाचार श्री के० टी० कोसलराम	(ii) Reported incidence of "Brain Fever" in virulent form in Tirunelveli district of Tamil Nadu . . . Shri K.T. Kosalram.	175
(तीन) आप्रवास विभाग के अधिकारियों और उनके एजेन्टों द्वारा बम्बई हवाई अडडे पर आप्रवासियों को तंग किये जाने का समाचार श्री वयालार रवि	(iii) Reported harassment of immigrants at Bomaby Airport by Immigration Department Officers and their agents . . . . . Shri Vayalar Ravi	175

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(चार) 27 अप्रैल, 1978 को हुए राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह में संसद सदस्यों की उपेक्षा का समाचार श्री एन० श्री कान्तन नायर	(iv) Reported disregard shown to Members of Parliamanet in National Film Award Function held on 27-4-78 . . . . . Shri N. Sreekantan Nair	176
(पांच) नियोजकों द्वारा पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन बोर्डों की सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने का समाचार श्री दीनेन भट्टाचार्य	(v) Reported non-acceptance of the recommendations of the Wage Boards for journalist and non-journalist and non-journalist employees by the employers . . Shri Dinen Bhattacharyya	177
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper laid on the Table . .	177
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति-कार्यवाही सारांश	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes— Minutes	179
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	180
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
79वां, 80वां और 82वां प्रतिवेदन	Seventy-nitnh, Eightieth and Eighty-second Reports	180
प्राक्कलन समिति	Estimates Commitee	
20वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Twentieth Report and Minutes	180
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings	
ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Eleventh Report and Minutes. .	181
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Secheduled Tribes . .	
22 वां प्रतिवेदन	Twenty second Report .	181
माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के बारे में याचिका	Petition re. Denands of Madhyamik Shikshak Sangh	181
वित्त विधेयक, 1978	Finance Bill, 1978	
विचार के लिए प्रस्ताव	Motion to consider . . .	181—191
श्री रामनरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha . .	181
श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला	Shri Parmanand Govindjiwala .	182
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Smt. Parvathi Krishnan .	183
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash . .	184
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshvrao Dhondge .	185
श्री सरत कार	Shri Sarat Kar . . .	186
श्री इस्माइल हुसैन खां	Shri Ismail Hossain Khan .	186
श्री सुरेन्द्र झा सुमन	Shri Surendra Jha Suman . .	188
श्री के० एस० वीरभद्रप्पा	Shri K.S. Veerabhadrappa . .	189
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	Shri Narendra P. Nathwani . .	190
श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा	Shri Mritunjay Prasad Varma	191

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 18वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions Eighteenth Report	191
नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के बारे में संकल्प	Resolution re. Setting up of Netaji National Academy–Negatived . .	191—196 199-200
श्री अमर रायप्रधान	Shri Amar Roy Pradhan	192
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh .	193
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan .	193
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	194
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty .	194
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena	194
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge .	194
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder .	194
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy .	199
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H. L. Patwari	200
प्रो० समर गुह	Prof. Samar Guha . . .	200
दिल्ली में मेडिकल कालेज के छात्रों की मांगों के बारे में वक्तव्य	Statement re. Demands of Medical Students of Delhi	196—198
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	196
विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में संकल्प	Resolution re. Abolition of Legislative Council	205—206
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman .	205
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H. L. Patwary .	206
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty .	206
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	206

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 28 अप्रैल 1978/बैशाख 8, 1900 (शक)

Friday, April 28 1978/*Vaisakha* 8, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधा व्यापार

*904. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम सीधा व्यापार करके बिचौलियों को हटाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सीधे या सहकारी समितियों की मार्फत् खरीदारी करके प्राथमिक उत्पादकों और लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निगम का अपने प्रत्यक्ष व्यापारिक कार्यों का विस्तार करने का विचार है ।

(ख) इस दिशा में राज्य व्यापार निगम द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) निर्यात बढ़ाने के लिये विश्वसनीय सप्लाई आधार के रूप में लघु उद्योग क्षेत्र के एककों के समूह का संगठन करके निगम सार्थसंघ दृष्टिकोण अपनाता रहा है ।

(2) मशीनों आदि के आयात के आधार पर निर्यात उत्पादों की सप्लाई के लिये विदेशी संगठनों/खरीदारों के साथ सहयोग प्रबन्ध किये जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में विनिर्मित समस्त उत्पादन का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा संबंधित देशों को किया जायेगा ।

(3) पश्चिमी यूरोप और सं० रा० अमरीका के कुछ फैशन वाले बाजारों का लाभ उठाने के लिए विदेशों के डिजाइनर भारतीय डिजाइनरों की कुशलता बढ़ाने के काम में लगाये गये हैं।

(4) चुने हुए लघु एककों के लिये मशीनों का आयात करके और चमड़ा उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित कर के चमड़ा उद्योग के विकास के लिये अवस्थापना में काफी वृद्धि की गई है ।

(5) सप्लाई आधार विकसित करने के लिये विकास कमिश्नर, लघु उद्योग की सहायता से लघु उद्योग क्षेत्र की कई मदों का पता लगाया गया है ।

(6) निगम चुनी हुई वस्तुओं के संबंध में उपजकर्ताओं, उसकी सहकारी समितियों और छोटे विनिर्माताओं से सीधे खरीदारी करता रहा है । राज्य व्यापार निगम के निर्यातों में भाग लेने वाले छोटे एककों की संख्या जो 1976-77 में 335 थी वह बढ़कर 1977-78 में 442 हो गई है । निगम ने ऐसे अधिक से अधिक छोटे एककों के नाम दर्ज करने की योजना बनायी है जो राज्य व्यापार निगम को सीधे अपने उत्पाद दे सकते हैं ताकि वह आगामी वर्षों में अधिक मदों को शामिल करने के लिये इस प्रकार के प्रत्यक्ष खरीदारी कार्यों का विस्तार कर सके।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैंने विवरण को पढ़ा है और इस बात से मुझे बहुत निराशा हुई है कि इसमें विभिन्न अन्य वस्तुओं के नामों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिन पर विचार किया जा रहा है । इस में केवल इतना बताया गया है कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं के संबंध में आदि-आदि में अतः मैं यह जानना चाहूंगी कि प्रथमतः हथकरघा उद्योग की सहायता करने के लिये क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं जो इस देश का बहुत पुराना उद्योग है ? हथकरघा कपड़े की जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, विदेशों में बहुत मांग है और इस समय स्थिति यह है कि हथकरघा बुनकरों के पास बहुत भंडार जमा है और वे उसको विदेशों में बेचने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । यदि राज्य व्यापार निगम ने प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता न की तो उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । अतः सरकार हथकरघा कपड़े के निर्यात के बारे में क्या कार्यवाही कर रही हैं ? दूसरे इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि हथकरघा बुनकरों को ऐसी दरों पर सूत मिले जो उनके उद्योग के अनुरूप हो । क्योंकि आखिरकार उनका अन्य मंत्रालय के साथ समन्वय होना चाहिये अन्यथा बुनकर दुखी हो जायेंगे ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : माननीय सदस्य ने अधिकांशतः ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो उद्योग मंत्रालय से संबंधित हैं । जहां तक हथकरघा को धागे की सप्लाई का संबंध है, यह मामला उद्योग मंत्रालय के पास है । परन्तु गत वर्ष से, जैसाकि सभा को पता है · · ·

श्रीमती पार्वती कृष्णन : बात यह है कि राज्य व्यापार निगम निर्यात का काम करने वाला है और वे निर्यात आदेश इनके मंत्रालय में जायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि इनके मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय के बीच किस प्रकार का समन्वय है । मुझे पता है कि यह मामला दूसरे मंत्रालय के पास है ।

श्री मोहन धारिया : हमारे विभाग एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और उन में उचित समन्वय रहेगा । उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । जहां तक सूत की सप्लाई का संबंध है, वह सीधे कताई मिलों से प्राप्त किया जाता है और विभिन्न राज्य सरकारों की सर्वोच्च सोसाइटियों को सप्लाई किया जाता है जिनके माध्यम से वह वितरित किया जाता है जिससे बिचौलियों को लाभ मिलना बन्द हो जाये और सूत उपलब्ध किया जा सके।

माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई पहली बात मेरी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है—राज्य व्यापार ने अपने कार्य का विस्तार करने का और हथकरघों सहित सभी लघु उद्योगों को हर प्रकार की सम्भव सहायता देने का निर्णय किया है। इसी संदर्भ में हम उद्योग मंत्रालय से समन्वय कर रहे हैं, हम हथकरघा उत्पादों कि निर्यात को और बढ़ावा देने के विचार से इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कठिनाइयों पर विचार किया जाये और बेहतर विपणन के लिऐ जिन प्रयत्नों की आवश्यकता होगी वे राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जायेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं पूछना चाहती हूं कि पहले से जमा हथकरघा उत्पादों के जमा भंडार के बारे में राज्य व्यापार निगम क्या कार्यवाही कर रहा है। उत्तर में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है।

दूसरे 'होजरी' उद्योग जैसे अन्य कई लघु उद्योग है जिन्हें विपणन के मामले में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन उद्योगों के लिये राज्य व्यापार निगम की सहायता के बिना (विदेशी मंड़ियों तक पहुंचना कठिन है। ऐसे उद्योगों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि निर्यात की क्षमता रखने वाले लघु उद्योग कौन से हैं, उनके बारे में प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी और क्या संबंधित उद्योगों को भी जानकारी दी जायेगी कि वे उस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिस पर राज्य व्यापार निगम विचार कर रहा है।

क्या राज्य व्यापार निगम विद्यमान वस्तु बोर्डों और भारतीय पटसन निगम जैसे निगमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का काम कर रहे हैं। क्या वे उनको मिला देना चाहेंगे या वे उनकी सहायता करेंगे?

श्री मोहन धारिया : राज्य व्यापार निगम ने पहले ही विभिन्न क्षेत्रों का पता लगा लिया है—कपड़ा, इंजीनियरी उत्पाद, रबड़ उत्पाद, पटसन उत्पाद, जो कुछ भी लघु उद्योगों में तैयार किया जा रहा है। इन सब का पता लगा लिया गया है। सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 1977-78 के दौरान सरकारी एजेंसियों से निर्यात न की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात लगभग 247 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जो गत वर्ष के दौरान 160 करोड़ रुपये था। ये सभी उत्पाद लघु उद्योगों के थे। इससे पता चलेगा कि एक वर्ष में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह अब विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग निगमों और लघु उद्योग ऐसोसिएशनों के बीच अधिक समन्वय के विचार से हमने जून के मास में दो दिन के लिये एक वर्कशाप की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। राज्य व्यापार निगम इसका नेतृत्व करेगा। हम विभिन्न राज्य सरकारों से इन सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे। इस वर्कशाप में उद्योग और वित्त मंत्रालयों का भी योगदान रहेगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लघु उद्योग ऐसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा। एक-एक मद का अध्ययन किया जायेगा कि उनकी क्या कठिनाइयां है, नये डिज़ाइन क्या हैं जो इस देश में लाये जायें और क्या विपणन सुविधाएं दी जा सकती है, आदि आदि। बेहतर समन्वय की दृष्टि से कुछ रक्षित भंडार, परिवहन जैसी कुछ बातों की व्यवस्था करनी होगी ताकि राज्य व्यापार निगम देश के आर्थिक सामाजिक कायापलट के लिये और विशेषकर लघु उद्योगों के संबंध में, एक प्रभावशाली साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सरकार द्वारा सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने होजरी उद्योग के बारे में पूछा था। उसका क्या हुआ?

श्री मोहन धारिया : उसमें 'होजरी' भी शामिल है ।

Shri Hukam Deo Narain Yadav : Mr. Speaker, Sir State Trading Corporation Prepares a Scheme to eliminate middlemen so that they may not earn more profit. But in the transaction made through S.T.C. profit is taken in the same manner as earned by middlemen. A large part of the profit thus earned so spent on the tours and luxurious facilities of officers as a result of which S.T.C. is to incur losses. I would like to know from the honourable Minister whether Government have any plan to take certain measures to curb this profit motive and reduce the expenditure on luxuries comperes of the officers.

Shri Mohan Dhariya : I am aware of such complaints and keeping in view this thing we had asked the Institute of Management, Ahmedabad to make a study on S.T.C and M.M. T.C., we have received their report in the first week of April. We do not want to earn profit like middlemen but we want to give our cooperation to the poor and particularly persons belonging to backward classes. The House will be happy to note that I have set up a net Cell in Calcutta who will assist our North Eastern Sector. We want to appoint an officer of S.T.C. wherever Export Promotion Officer is posted to curb any undue profit and whichever profit is earned, the same may be utlilised for small industries throughout the Country.

श्री वसन्त साठे : जैसाकि मंत्री महोदय को पता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार ही उपलब्ध नहीं करा सकता बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायता करता है । इस लिये निर्यात के लिये वस्तुएं बढ़ाने वाले लघु औद्योगिक एककों को कच्चे माल की सप्लाई का समन्वय करने के लिये वे क्या प्रयत्न कर रहे हैं? जहां तक धन का संबंध है, यह एक बड़ी भारी रुकावट है और वित्त मंत्री उनके पास ही बैठे हैं । उन्हें समस्या का पता है । मैं पूछना चाहूंगा कि इस वर्कशाप में किन बातों पर विचार विमर्श किया जायेगा, क्या वे सभी पहलुओं पर विचार करेंगे जिससे वस्तुएं बढ़ाने वाले लघु एककों की समस्याओं का पूरी तरह समाधान किया जा सके और वह सिले-सिलाये वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं के अधिकतम निर्यात के लिये समय-बद्ध कार्यक्रम बना सकें जितना विश्व में विश्व की प्रतियोगी मंडी के लिये सम्भव हो सकता है?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विभिन्न मामलों पर इस वर्कशाप में अवश्य विचार किया जायेगा । जहां तक वित्त मंत्री या मंत्रालय का संबंध है, वे इन सभी प्रयत्नों में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं और वित्त मंत्री ऐसे व्यक्ति है जो इन सभी कार्यों को प्रोत्साहित करते रहते हैं ।

बोइंग 737 विमानों में सीटों का खाली रहना

*905. **श्री सरत कार** :

श्री रेण पद दास :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भागों पर जिन पर बोइंग 737 विमानों की उड़ानें होती हैं, विमानों में अनेक सीटें खाली रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्गों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक उड़ान में जितनी सीटें खाली रहती हैं उनकी औसत संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे विमानों की उपलब्ध भारवाहन क्षमता का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purshottam Kaushik) : (a), (b) and (c) : A statement indicating the average passengers carried per flight and average vacant seats per filight in Boeing 737 operations of Indian Airlines during December, 1977 is laid on the table of the Sabha.

(d) : All services are continuously examined and the capacity offered on any route is periodically adjusted to match the demand. Simultaneously, efforts are made to promote traffic on such of the services as are capable of aceepting its Booking charts of high density flights are carefully checked and Passengers are issued tickets on chance basis, to be accepted against last minute cancellations.

STATEMENT

Sl. No.	Sector	Service No.	Seat Factor %	Average passen-gers per flight	Average vacant seats per flight
(i)	Seat factor more than 50% :—				
1.	Bombay-Hyderabad	117-118	69.5	88	38
2.	Bombay-Hyderabad	119-120	66.4	84	42
3.	Bombay-Bhavnagar	135-136	87.4	110	16
4.	Bombay-Mangalore	159-160	78.4	99	27
5.	Bombay-Dabolim	163-164	90.7	114	12
6.	Bombay-Trivandrum	167-168	77.4	98	28
7.	Bombay-Dabolim	169-170	90.4	114	12
8.	Bombay-Nagpur-Calcutta	175-176	74.9	94	32
9.	Bombay-Delhi	185-186	86.0	108	18
10.	Calcutta-Gauhati-M'Bari	209-210	84.0	106	20
11.	Calcutta-Jorhat-M'Bari	213-214	76.8	97	29
12.	Calcutta-Gauhati-Imphal	217-218	86.1	108	18
13.	Calcutta-Bagdogra	221-222	60.4	76	50
14.	Calcutta-Gauhati	229-230	94.8	119	7
15.	Calcutta-Agarthala	235-236	81.3	102	24
16.	Calcutta-Delhi	263-264	84.9	107	19
17.	Calcutta-Madras	265-266	76.6	97	29
18.	Calcutta-Hyderabad-Bangalore	269-270	59.6	75	51
19.	Delhi-Bangalore	403-404	87.9	111	15
20.	Delhi-Bombay	405-406	89.6	113	13
21.	Delhi-Agra-Khajuraho-Varanasi	407-408	63.8	80	46
22.	Delhi-Lucknow-Patna-Ranchi-Calcutta	409-410	64.8	82	44
23.	Delhi-Amritsar-Srinagar	423-424	77.9	98	28
24.	Delhi-Srinagar	425-426	52.4	66	60
25.	Delhi-Madras	439-440	79.3	100	26
26.	Amritsar-Kabul	453-454	50.4	64	62
27.	Delhi-Ahmedabad-Bombay	461-462	81.6	103	23
28.	Delhi-Jaipur-Udaipur-Aurangabad-Bombay	491-492	74.9	94	32
29.	Hyderabad-Nagpur-Delhi	515-516	50.1	63	63
30.	Bangalore-Dabolim-Bombay	523-524	66.0	83	43
31.	Trivandrum-Bombay	531-532	70.2	88	38
32.	Madras-Hyderabad-Delhi	539-540	87.0	110	16
33.	Madras-Colombo	573-574	61.7	78	48

Sl. No.	Sector	Service No.	Seat Factor % flights	Average passen-gers per flight	Average vacant Seats per flights
(ii)	Seat factor less than 50% :—				
1.	Bombay-Karachi. . . .	131-132	48.1	61	65
2.	Kathmandu-Varanasi . .	251-252	34.8	44	82
*3.	Calcutta-Port Blair . . .	285-286	45.6	55	45
4.	Delhi-Kathmandu . . .	413-414	31.7	40	86
5.	Delhi-Karachi	441-442	47.5	60	66
6.	Delhi-Kabul	451-452	45.8	58	68
7.	Delhi-Amritsar	455-456	15.6	20	106
8.	Trivandrum-Colombo . .	507-508	47.0	59	67
9.	Madras-Trivandrum	529-530	49.4	62	64

* Saleable Seats on Calcutta-Port Blair Sector are only 100 because of airfield constraints at Port-Blair.

श्री सरत कार : यद्यपि मैंने प्रश्न की सूचना अंग्रेजी में भेजी थी, उत्तर हिन्दी में दिया गया है। निःसन्देह में हिन्दी जानता हूं और इस लिये मुझे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं करनी है। परन्तु दुर्भाग्य से विवरण में प्रश्न को कोई सीधा उत्तर नहीं दिया गया। जहां तक मैं इसको समझ सका हूं, नौ मार्गों पर 50–60 प्रतिशत सीटें खाली रहती हैं, तीन या चार मार्गों पर लगभग 70 प्रतिशत सीटें खाली रहती है। 120 सीटों में से खाली सीटें 50 या 60 अथवा 70 हैं। इसके सही कारण क्या हैं ? फिर उन्होंने केवल दिसम्बर 1977 का ब्यौरा दिया है। क्या निरन्तर ऐसी खराब स्थिति चल रही है या उसमें कुछ सुधार है ?

श्री वसन्त साठे : कोई शराब उपलब्ध नहीं की जाती।

Shri Purushottam Kaushik : Drinks were never available in Indian Airlines. I would like to tell the hon'ble Member that there is no deterioration in this regard but there is continuous improvement and our profit is increasing. In so far as the question of utilisation of seats are concerned, if 70 per cent seats are occupied in an aeroplane according to international standard, it is regarded as very good. These are two or three reasons for lesser occupancy. Firstly there are certain routes where length of Run-way is not sufficient and therefore load of passengers has to be kept low. Secondly, more fuel is to be kept for longer distance because there is no arrangement for refuelling in between. In view of this lesser number of passengers are taken. Thirdly, the season also affects the number of passengers. The capacity can be increased in winter but it has to be decreased in summer in high temperature (Interruptions). These figures are upto December but it is an average of the whole year.

Fourthly, if cargo is more, the number of passengers are less. Many a time it happens that the passengers get the seats reserved but do not turn up and the seats are cancelled In this manner the member is reduced. In case the number of seats is 126, it is not possible to have 126 passengers. As already stated by it 70 per cent seats are occupied, it is regarded as full utilisation of the Aircraft.

Shri Sharat Kar : May I know whether there are some other reasons for non occupancy of seats such as Time-Schedule of flights is not convenient, there is delay and there are many defects and perhaps the fare of Indian Airlines is also on the high side and in view of this they get their seats cancelled. Besides is it also not a fact that after the destruction of 'Emperor Ashoka' people do not like to travel by the aeroplanes of Indian Airlines out of fear. The hon'ble Minister has stated that routes are uneconomic. But in spite of this aeroplanes of private Airlines go by these very routes. Aeroplanes of many Airlines go upto Bhuvaneshwar, which are also crowded. But the boeing is not put on service on this route by saying that the said route is uneconomic. Is it a fact? Is it a fact that the said route has been declared uneconomic and Boeing is not operated on it ?

Shri Purushottam Kaushik : If we want to promote international tourism we have to operate flight on such routes which are not profitable at present. Later on when traffic is developed we may earn profits on such routes.

Hon. member has referred to Bhuvaneshwar. I have been conducting survey of this route It has been found, according to report of survey, that if we provide direct link from Bhuvaneshwar to Delhi, then minimum required traffic will not be available. Even then we are trying to link Bhuvaneshwar... (Interruptions) Runway is not complete.

An hon. Member : Will it be completed by you or us ?

Shri Purushottam Kaushik : Run-way belongs to us but we do not do that. I have asked the Ministry of Works and Housing and they have promised to do it by next March. Now I can not say anything about that. But I have asked them to complete the work so that we may be able to provide some facilities demanded by the hon. members.

अध्यक्ष महोदय : श्री दास की ओर से श्री ज्योतिर्मय बसु प्रश्न पूछेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ मार्गों पर सीटों की प्रतिशतता को देखते हुए अर्थात् अमृतसर-काबूल पर 50.4, हैदराबाद–नागपुर-दिल्ली पर 50.1, बम्बई-करांची पर 48.1, काठमाण्डू–वाराणसी 34.8 दिल्ली-करांची 47.5, दिल्ली-काबुल 45.8, दिल्ली-अमृतसर 50.6, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितनी प्रतिशत सीटों की व्यवस्था से न लाभ, न हानि की स्थिति रहती है तथा उड़ान की लागत वसूल हो जाती है तथा इन मार्गों पर हमें कित ी हानि हो रही है। इन मार्गों को जाहिर रखने के क्या कारण हैं?

Shri Purushottam Kasushik : The break-even in 60 per cent in 1977. It is fact that on the sectors referred to by the hon. Member shortage of average number of passengers is less than 50 per cent. But as I have already mentioned—as in the case of Calcutta to Port Blair—demand of people has been continuously increasing. So far the qustion of Delhi Amritsar route is concerned, we have to operate international flights from India to Kabul. Therefore it is operated via Amritsar. We are doing this just to adjust international flights. It is done for this purpose. Similary, with regard to Madras Colombo it has just started and it is under the gestation period and I think this traffic will soon pick up. In most of the cases it is done either to feed internationl Traffic or to meet the shortage because they have been started newly and are under gestation period. I hope the position will certainly improve.

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोग प्रत्येक चीज के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है। आप दो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह मेरा दूसरा प्रश्न है ? मैं आपको नाराज नहीं करूंगा।

Shri Mritunjay Prasad Verma : There was a time when air service was available at Gaya. If air service is operated from tourists point of view then will the hon. Minister consider the need of operating small aeroplanes not only at Gaya but other places also to serve tourist traffic ? As I have quoted the case of Gaya, on Delhi-Amritsar sector also these small aeroplanes can be operated by the time recruitment of 15 per cent is completed.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Mritunjay Prasad Verma : I am asking about Amritsar. If Amritsar is covered then whole country will be taken into account. Therefore, it is not irrelevant.

Shri Purushottam Kaushik : Bodhgaya is important from international toursim point of view.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में सूची में पृथक प्रश्न है।

अगला प्रश्नः श्री विनायक प्रसाद यादव –अनुपस्थित

श्री आर० एल० सुशील––अनुपस्थित

श्री निर्मल चन्द जैन––अनुपस्थित

श्री राजशेखर सिंह––अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 910––श्री धर्मवीर वशिष्ट भी अनुपस्थित हैं।

प्रश्न संख्या 911––श्री समरगुह ।

श्री समर गुह : प्रश्न संख्या पढ़ने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत साधारण प्रश्न है तथा मैंने उसके लिये प्राथमिकता भी नहीं दी थी । मैंने कई अन्य प्रश्न भी दिये हैं । यूनाइटिड कार्मशियल बैंक के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके संबंध में मेरे पास सामग्री भी बहुत है तथा मैंने उसके लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । एक अन्य प्रश्न को मैंने दूसरी या तीसरी प्राथमिकता दी थी । इस प्रश्न को तीसरे, चौथी या पांचवीं प्राथमिकता दी थी । ज्ञात नहीं इसे सर्वोच्च प्राथमिकता किस प्रकार मिल गई । मुझे इस बारे में संदेह हैं क्योंकि यूनाइटिड कार्मशियल बैंक के चेयरमैन के बारे में बहुत सामग्री है जिसकी सेवा अवधि को बढ़ाया गया है । यह मामला बहुत गम्भीर है । गत वर्ष के वित्त विधेयक के समय भी मैंने यह मामला उठाया था । यह कैसे ...

अध्यक्ष महोदय: आप आकर इस मामले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री समर गुह: यह अवसर समाप्त हो गया है । मुझे अवसर मिलता ही नहीं है।

मैंने इस मामले को कई अवसरों पर उठाने का प्रयत्न किया । मैंने वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा था । गत वर्ष मैंने यह मामला उठाया । मुझे इस बारे में काफी सामग्री भी मिल गई । अब क्या होगा ? मुझे उस सामग्री का उपयोग करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा । आप जब तक उस प्रश्न के बारे में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति नहीं देंगे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा । इसके विरोध में मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। (व्यवधान) मेरे प्रश्न की प्राथमिकता क्यों समाप्त हुई । आप कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता ...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जाँच करूंगा । आप मेरे पास आकर इस बारे में बात-चीत कर सकते हैं।

कलकत्ता से दिल्ली तक उड़ानों के समय में परिवर्तन

*911. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता से दिल्ली तक की उड़ानों के समय, दोनों प्रातः और सायं, यात्रियों के लिये बहुत असुविधाजनक हैं;

(ख) क्या आसाम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा और उड़ीसा को जाने वाले विमानों के लिये कलकत्ता मुख्य सम्पर्क स्थल हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या पूर्वी प्रदेशों के यात्रियों की सुविधा के लियें कलकत्ता से दिल्ली तक की उड़ानों के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिये ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir

(b) Yes, Sir.

(c) The timings of the evening flights from Calcutta to Delhi are so arranged as to ensure same day connections at Calcutta for passengers travelling from Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Orissa and North Bengal to Delhi.

श्री समर गुह : कलकत्ता से विमान द्वारा यात्रा करने के लिए प्रातः 6 बजे विमान मिलता है मंत्री महोदय कहते हैं—प्रातः काल 6 बजे पूर्वी क्षेत्र के किसी स्थान से मेल कराने वाली कोई उड़ान नहीं है न उड़ीसा से, न त्रिपुरा से और मेघालय या आसाम से कहीं से भी नहीं । प्रातः काल केवल एक उड़ान है । यदि कोई व्यक्ति पूर्वी क्षेत्र से यात्रा करना चाहे तो वह दिल्ली के लिये इस प्रातःकालीन उड़ान का लाभ नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि कलकत्ता में बीच शहर के 15 मील दूर से आने वाले व्यक्ति भी, इस उड़ान का लाभ नहीं उठा सकते । किसी को टैक्सी नहीं मिलती । यह एक समस्या है । हमें चार-या चार बजकर तीस मिनट पर चलना पड़ता है और उस समय कोई टैक्सी नहीं मिलती । अतः यदि किसी को 6 बजे वाली यह उड़ान पकड़नी हो तो वह रात भर हवाई अड्डे पर ही आकर रहे, तभी वह उसे पकड़ सकता है । जिन लोगों के पास कार है वे तो अवश्य इसका लाभ उठा सकते हैं । प्रातःकालीन उड़ान के बारे में एक समस्या तो यह है ।

संध्या कालीन उड़ान का समय 8.15 है, उससे हम दिल्ली एक या दो बजे पहुंचते हैं । यदि अगले दिन संसद आना हो तो बहुत सुस्ती रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह भली भांति जानते हैं कि यह प्रश्नकाल है न कि वाद-विवाद का समय। कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री समर गुह : जी । क्या प्रातःकालीन उड़ान का समय 6 बजे और संध्याकालीन उड़ान का समय 8.15 निर्धारित करते समय भारत के पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों की असुविधाओं को ध्यान में रखा गया है ?

Shri Purushottam Kaushik : The hon. Member knows that the position in respect of our aeroplanes is so tight one aeroplane has to operate on four routes. If we change the timings of flight on one route then it will cause disturbances on all other routes. If the time of flight of one aeroplane is changed from 6 O'clock to 7O'clock then it will affect the timings of it on the other routes also. An aeroplane flying to calcutta has to return Delhi in the evening. The same problem will arise at the time of its coming back. Therefore, there may be some inconvenience, no doubt, but the timings of the flights have been fixed after taking into account so many aspects. Therefore, to make any changes in the timings of flights, specially on a particular route.. is not possible at present. For that matter timings of flights will have to adjusted throughout India. The hon. Member has correctly stated that no morning flight is available for Assam region or north eastern region but all the evening flights.....

Shri Samar Guha : Passengers have to wait for four-five hours.

Shri Purushottam Kaushik : Except Jorhat, where our airport is under construction only those passengers, who directly come from Jorhat have to wait for air bus operation for four five hours before 11.30 O'clock. Rest of the passengers have to wait for two-three hours only.

Four Ten which flies from Calcutta at 11.45 reaches Delhi at four O'clock. It is hoping service and naturally it takes some more time. But it may reach Delhi at about four O'clock after departing at 11.45 O'clock. It is also a popping flight.

श्री समर गुह: महोदय, इसके बावजूद कि प्रातःकाल कलकत्ता से पहले दो से अधिक उड़ाने थीं । उन उड़ानों को रद क्यों किया गया ? मंत्री महोदय का कहना है कि ऐसा उड़ानों में मेल कराने के लिए उनकी सुविधा के लिए किया गया । यह सच नहीं है । यह भी उन्होंने स्वीकार किया है । होता यह है कि यात्रियों को चार या पांच घंटों तक इंतजार करना पड़ता है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि कलत्ता का ही यह दुर्भाग्य क्यों है ? यह दिल्ली जाने वाले या दिल्ली से आने वाले यात्रियों का सवाल नहीं है । वे सुविधाजनक समय पर यात्रा कर रहे हैं । उनके लिए बहुत सी उड़ानें हैं । कलकत्ता के मामले में ही ऐसा क्यों है जोकि सारे पूर्वी क्षेत्र से सम्पर्क जोड़ता है । इस उड़ान

का समय 6 बजे है जो अनुकूल नहीं है। रात को भी उड़ान का समय 8.15 है और यह भी असुविधाजनक है। अतः मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर विचार किया जायेगा तथा इस असुविधा को दूर किया जाएगा।

Shri Purushottam Kaushik : I will consider the suggestion made by the hon. Member

श्री कृष्ण चन्द्र हातदर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्र प्रो० समर गुह के प्रश्न से सहमत हूं। पहले प्रश्न संख्या 905 में हमें ज्ञात हुआ कि एक कारण यह भी है। उड़ानों के समय उपयुक्त नहीं है। इसमें भी यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। प्रश्न संख्या 905 में मंत्री महोदय ने बताया है कि कलकत्ता जाने वाले बहुत से विमान खाली जा रहे हैं तथा कलकत्ता से राँची आदि होकर दिल्ली आने वाले विमान भी खाली जा रहे हैं। अन्य कारण यह है कि कलकत्ता को भारत के पर्यटन खाके में स्थान नहीं दिया गया। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली को उड़ानों के समय में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कलकत्ता को पर्यटन खाके में स्थान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि कलकत्ता को भारतीय पर्यटन खाके में स्थान पहले ही प्राप्त है।

जहाँ तक उड़ानों का संबंध है उस बारे में कई मुद्दों को देखना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। इसमें कोई परिवर्तन करने पर बहुत से स्थानों पर उड़ानों के समय में सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसीलिये ऐसा किया गया।

श्री एल० के० डोले : यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय मित्र प्रो० समर गुह को धन्यवाद देता हूं। यह प्रश्न मूलतः भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिये विमान सेवाओं से संबंधित है।

महोदय, दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से गोहाटी तक विमान यात्रा के बारे में हमारा कटु अनुभव है। हमारा अनुभव है कि गोहाटी में डिब्रूगढ़ तक यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है क्योंकि डिब्रूगढ़ के लिये दैनिक बोइंग उड़ानों को नियमित नहीं रखा जा रहा है।

अतः मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार डिब्रूगढ़ तक बोइंग सेवा को प्रति दिन नियमित रखे जाने की सम्भावनाओं का पता लगायेगी जिससे उन यात्रियों की इस असुविधा को दूर किया जा सके क्योंकि गोहाटी से डिब्रूगढ़ जाने वाले बड़ी संख्या के यात्रियों को दैनिक बोइंग सेवा के अभाव में बड़ी असुविधा हो रही है। क्या इस सेवा को बढ़ाया जायेगा और नियमित किया जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इस समय यह नहीं किया जा सकता। हम एयर बस चलाने के लिये गोहाटी में व्यवस्था कर रहे हैं। एयर बस सेवा को डिब्रूगढ़ में नहीं रखा जा सकता। अतः एयर बस चलने के बाद जो भी प्रबंध करने की आवश्यकता होगी उन पर विचार किया जायेगा।

श्री एल० के० डोले: मैं बोइंग विमान सेवा के बारे में पूछ रहा हूं। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोइंग विमान सेवा उपलब्ध करा सकेंगे।

श्री पुरुशोत्तम कौशिक : हम गोहाटी हवाई अड्डे को एयर बस विमान के लिए तैयार कर रहे हैं। जब एयर बस विमान सेवा आरम्भ की जाएगी तब हम देखेंगे कि क्या बोइंग विमान की आवश्यकता

है या नहीं और यदि इसकी आवश्यकता होगी तो उस क्षेत्र के सर्वोत्तम हित के लिए कुछ अन्य व्यवस्था की जाएगी

श्री एल० के० डोले: मैं दुबारा पूछ रहा हूं। मैं एयर बस विमान सेवा के लिए नहीं पूछ रहा हूं। मैं बोइंग विमान सेवा के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय का कहना है कि वह एयर बस विमान सेवा आरम्भ करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह संभव पाया गया तो इस पर विचार किया जायेगा। उन्होंने ऐसा कहा है।

Shri H.L. Patwari : As the hon. Member Shri Guha has stated that Assam, Manipur Nagaland, Tripura, Orissa and Arunachal, Meghalaya are linked with Calcutta. In the morning when we start from there.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नही उठना है।

Shri H.L. Patwari : Due to non availability of connection of flight from Calcutta with Delhi in the morning, we have to stay at Calcutta for 6-7 hours continuously. We come in the night at 8 O'clock and there is no arrangement of stay. The flight at 11.45 p.m. can not be connected with flight no. 229. It reaches at 12 O'clock. So such arrangement may be made as to psassengers coming from Gauhati may catch flight no. 410 or this may be connected with flight no. 211 which comes via Varanasi.

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही करने के लिए केवल सुझाव है जिस पर आम विचार कर सकते हैं।

उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क कलक्कटी में नियुक्तियां और पदोन्नतियां

*912 **श्री यशवन्त बोरोले:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क की सब कलक्टरियों में नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामलों में समान प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं होता और कुछ स्थानों पर कर्मचारी अधिकांश लाभ प्राप्त करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विभिन्न स्थानों पर कुछ कर्मचारियों को प्राप्त न हो रहे लाभ रूपी कमी को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल : (क) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों में समूह 'क' के पद एक ही सेवा के अधिकारियों से भरे जाते हैं, जिनमें से कुछ सीधी भर्ती द्वारा और कुछ इन विभागों के समूह 'ख' के अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं। समूह 'क' के अधिकारियों की एक सम्मिलित वरिष्ठता सूची है, जिनकी तैनाती भारत भर में कहीं भी की जा सकती है और इस लिये जहाँ तक उनके पदोन्नति के अवसर और तैनातियों का संबंध है, वे सब समान स्थिति में हैं;

समूह ख, ग और घ के पदों के अलग-अलग संवर्ग हैं, जो अधिकांश मामलों में, एक अथवा कहीं कहीं एक से अधिक सीमाशुल्क गृहों/समाहर्तालयों को मिला कर बनाये गये हैं। इन समूहों के अन्दर और इन समूहों के परस्पर की पदोन्नति के सामान्य नियम और मानदण्ड एक समान है। परन्तु, देश के विभिन्न भागों में विकास और औद्योगिक विस्तार भिन्न-भिन्न प्रकार का होने के विभिन्न स्थानों पर सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क संबंधी कार्य के स्वरूप को तथा संगठनात्मक और पर्यवेक्षी पद्धतियों में परिणामी भिन्नताओं को देखते हुए, संवर्गों का किन्हीं सीमाशुल्क गृहों/समाहर्तालयों में अन्य सीमा शुल्क गृहों/समाहर्तालयों की अपेक्षा अधिक विस्तार हुआ है, जिसके परिणामतः विभिन्न समाहर्तालयों में पदोन्नति की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती।

जहाँ तक समूह ख, ग और घ के अधिकारियों की तैनातियों का संबंध है, ये एक ही संवर्ग वाले समाहर्तालय अथवा समाहर्तालयों के क्षेत्राधिकार के अन्दर ही की जाती हैं। एवं उन्हीं सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाता है। परन्तु विभिन्न समाहर्तालियों के क्षेत्राधिकार, विभिन्न प्रशासनिक कारणों, खास कर शुल्क निर्धारितियों की संख्या और वसूल हुई राजस्व की रकम, के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये हैं, इसलिए विभिन्न संवर्गों के प्रभाव-क्षेत्र में पर्याप्त भिन्नता है। इसका परिणाम यह है कि किन्हीं समाहर्तालयों में कर्मचारियों के तबादले अन्य समाहर्तालयों के मुकाबले विस्तृत इलाके में किये जा सकते हैं। परन्तु रह कर प्रशासन के व्यवहार्य समाहर्तालयों में विभाजन की पद्धति के लिए स्वाभाविक ही है।

(ख) पदोन्नति के सिद्धान्तों का प्रवर्तन, और पालन तो सामान रूप से किया जाता है परन्तु समूह क, ख, के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में एकदम समानता लाना सम्भव नहीं होगा, जब तक ऐसे पदों के लिए सम्मिलित अखिल भारतीय संवर्ग नहीं अपना लिया जाता, जो व्यवहार्य नहीं समझा जाता क्योंकि इसमें भारत भर में अपेक्षाकृत कम वतन वेपा वालें कर्मचारियों के तबादलों के रूप में बड़ी खामियाँ ग्रस्त हैं। फिर भी, कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्तावों की छान-बीन करते समय या मंजूरी देते समय पर्यावेक्षी पदों के निचले पदों के साथ अनुपात में कोई एक-रूपता लाने की कोशिश की जाती है, जिससे विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में विषमताएं कम करने में सहायता मिलेगी।

श्री यशवन्त बोरोले : कर्मचारियों तथा विशेषकर ख, ग, और क समूहों में भारी असंतोष व्याप्त है। उन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि उनकी पदोन्नति कलक्टरी पर निर्भर करती है और यदि भाग्य से उन्हें कोई विशेष कलक्ररी नहीं मिली तो उन्हें उच्च ग्रेड में कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी।

अतएव कलक्टरी का विभाजन और उसके क्षेत्राधिकार का निर्धारण, जो बहुत ही अधिक दोषपूर्ण है, मैं सुधार दिया जाना चाहियें। यह न तो कर दाताओं की संख्या और न ही वसूल किए जाने वाले राजस्व को राशि पर आधारित है मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए कलक्टरी का पुनर्गठन करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : देश में उत्पादन शुल्क कलक्टरी की कुल संख्या 23 है। कुछ राज्यों में एक से अधिक कलक्टरी है जबकि चंडीगढ़ कलक्टरी के अंतर्गत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर आदि आते हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में दो कलक्टरी है। जहाँ तक 'क' समूह के अधिकारियों का संबंध हैं, उन्हें अखिल भारतीय आधार पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। उनकी नियुक्ति तथा स्थानान्तरण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। 'ख' और 'ग' के श्रेणियों के अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां राज्य संवर्गो के अनुसार की जाती है। सारे देश में दो अपवाद हैं। एक महाराष्ट्र है जहाँ तीन कलक्टरी हैं—बम्बई, पूना और नागपुर। नागपुर इन्दौर के साथ सम्बद्ध है। पूना का पृथक संवर्ग है। बम्बई का पृथक संवर्ग है। चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर का इन सभी राज्यों के लिए एक संवर्ग है। इनके कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि चंडीगढ़ और जयपुर संवर्ग पृथक होने चाहिए, सरकार ने पृथक संसर्ग बनाने के बारे में निर्णय किया है। महाराष्ट्र के मामले में कठिनाई यह है कि एक ही राज्य में दो संवर्ग है—पूना और बम्बई। समूचे देश में केवल यही एक ऐसा राज्य है जहाँ ऐसी कठिनाई है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन तीन संवर्गों को मिला दिया जाये इस मामले में मैं महाराष्ट्र के सभी सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर एक समान संवर्ग के होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह बिना उनके सहयोग के नहीं हो सकता है।

श्री यशवन्त बोरोले : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन तीन कलक्टरी के लिए एक समान कलक्टरी बनाने में, कोई कठिनाई है तथा क्या तीन पृथक कलक्टरी बनाए रखते हुए भी इन कलक्टरी के लिए संवर्ग एक हो सकता है ताकि उच्च पदों पर पदोन्नति के मामले में समानता हो ?

श्री सतीश अग्रवाल : जहाँ तक संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए एक कलक्टरी बनाने का संबंध है, बम्बई कलक्टरी में होने वाले काम की मात्रा को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है । वहाँ राजस्व की वसूली 1,000 करोड़ रुपया होती है जबकि पूना कलक्टरी की राशि केवल 24 करोड़ रुपये है । अतएव बम्बई को पूना से कैसे मिलाया जाये जहाँ तक एक संवर्ग की बात है, जैसा कि मैंने पहिले ही कहा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी जैसा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामले में है । परन्तु बम्बई और पूना के लोगों को इस पर आपत्ति है । यदि माननीय सदस्य सम्पूर्ण महाराष्ट्र के लिए एक संवर्ग बदाने के लिए राजी कर सक तो मुजे कोई आपत्ति नही हं ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि 'क' समूह के कुछ ऐसे अधिकारी है जो दिल्ली में रहना चाहते है और वे इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते हैं कि स्थानान्तरित होने पर भी वे अपना निवास स्थान दिल्ली में बनाए रखते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसे आदेश पहले ही जारी कर किए गए हैं । कि 'क' समूह के ऐसे किसी अधिकारी को, जो एक स्थान पर पांच वष से अधिक समय से रह रहा है स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Member has replied to a question that the work load in the Collectorates has increased. I want to know that taking the increased work load with the consideration, whether arrangement has been made to make new appointments ?

May I know whether you have formulated such policy that officers of class A and B grade should be transferred on usual course or they are transferred only when complaints of corruption against them are made ?

Is it a fact that officers of class A and B grade consume wine in a month worth twice the amount what they get as salary ? Will you get the matter looked into ?

Shri Satish Agarwal : So far the new costs are concerned, 3114 new posts were created in 1977 and 1978. This will help in eliminating the stagnation.

Regarding consuming of wine by the officers worth more than their salary, it is a general allegation. As and when such complaint is made against any officer, this will be looked into.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked whether their transfer is effected in case complaints are made against them. This has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है । अगला प्रश्न 913 ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I request you to get the question replied. The Hon. Minister is prepared to reply.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न संख्या 913 डा० बापू शलदाते ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government wants to reply. Whether these officers are transferred only when complaints are made against them.

अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न नहीं उठता है । अगला प्रश्न सं 913 ।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के विमान चालकों का प्राइवेट होटलों में ठहरना।

*913. **डा० बापु कालदाते** : क्या **पर्यटन और नागरह विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है है कि इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विमान चालक प्राइवेट होटलों में ठहरते हैं ;

(ख) क्या भारत पटर्यन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों में इन विमान चालकों के ठहरने पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(घ) यदि इसका उत्तर स्वीकारात्मक है तो नियमों का उल्लंघन करने वाले विमान चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Subject to suitability of location and tariff being competitive, preference is given to hotels run by the India Tourism Development Corporation. The India Tourism Development Corporation has hotels at Delhi, Calcutta and Trivandrum.

Air-India Pilots stay at India Tourism Development Corporation hotels at Delhi and Trivendrum. They do not have to lay over at Calcutta.

Indian Airlines Pilots stay at India Tourism Development Corporation hotel at Delhi. They do not have regular lay overs at Trivendrum. At Calcutta the Pilots stay in the city and not at the Airport Hotel of India Tourism Development Corporation.

Dr. Bapu Kaldate : Out of three cities—Calcutta, Delhi and Trivendrum as mentioned by the hon. Minister, pilots stay only in one place in I.T.D.C.'s hotel. So far I hnow pilots stay in hotel Oberoi and Taj International in Bombay whether permanent rooms are maintained in those places where pilots stay or what is the difference in the rent of those rooms and I.T.D.C.'s hotels ?

Shri Purushottam Kaushik : They stay in Santoor in Bombay and they stay in Taj also.

Dr. Bapu Kaldate : Whether the accommodation is less in Santoor, that is why the y stay at Taj International or they stay there because of their habit to stay their before ?

Shri Purushottam Kaushik : This habit is already there. Besides there is agreement with the Pilot's Association according to which they are consulted in matter of staying in hotels. In accordance to their wish under the agreement they are provided facility to stay their.

Shri Ugrasen : Are those pilots of Indian Airlines who stay at private hotels and pay more rent, given more allowance ?

Shri Purushottam Kaushik : The rent is not high. They are provided facility of staying at the rent which is payable by them as per rules.

Shri Ugrasen : If they stay at Oberoi or Taj, they will have to pay more, so whe ther there is agreement that the difference is paid to them ?

Shri Purushottam Kaushik : They cannot stay in any hotel the y like. They stay in hotels which have been specified at the time of agreement.

Shri Ugrasen : Whether they have demanded at the time of agreement that the difference of amounts may be paid to them for boarding.

Shri Purushottam Kaushik : No allowance is given separately for boarding. As per rules what so ever the rent of room is fixed, is given to them. The rest they spend from the daily allowance they get.

चाय का निर्यात

914. **श्री बाला साहिब विसें पाटिल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों अर्थात् 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कितनी चाय निर्यात की गई और इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) क्या इस समय भारतीय बाजार में चाय के मूल्य अधिक होने का कारण चाय का अधिक मात्रा में निर्यात किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो चाय के बाजार-भाव में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विगत पांच वर्षों में निर्यात की गई चाय की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण निम्नोक्त प्रकार है :—

	मात्रा दस लाख किग्रा में	अर्जित विदेशी मुद्रा करोड़ रुपयों में
(1)	(2)	(3)
1973-74	190.27	144.85
1974-75	225.06	223.53
1975-76	211.41	238.29
1976-77	242.40	295.26
1977-78 अनन्तिम	219.60	556.00

(ख) तथा (ग) बहुत से कारणों की वजह से 1977 के आरम्भ में चाय की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, यथा 1976 में श्रीलंका में कम उत्पादन होना, काफी की विश्व सप्लाई में तेजी से कमी आना जिसके फलस्वरूप चाय की मांग का बढ़ना, निरन्तर कमी की आशंका, आतंक की स्थिति में खरीदारी आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से घरेलू उपभोक्ताओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अप्रैल, 1977 में चाय पर 5 रु० प्रति किग्रा निर्यात शुल्क लगाया गया तथा इसी के साथ-साथ उत्पादन

शुल्क में छूट तथा चाय के निर्यातों पर शुल्क वापसी को हटा लिया गया। देश के प्रमुख चाय के पैकेट बनाने वालों से भी डिब्बा बन्द चाय की कीमत घटाने के लिए कहा गया। उत्पादकों से भी कहा गया कि वे विभिन्न नीलाम केन्द्रों पर अपनी और अधिक फसल लाएं ताकि नीलामियों पर चाय की समग्र उपलब्धता बढ़ जाए। फलस्वरूप, चालू मौसम 1977-78 (अप्रैल, के पहले सप्ताह तक) के दौरान नीलाम केन्द्रों पर बेची गई कुल मात्रा 3640 लाख किग्रा थी, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 660 लाख किग्रा अधिक थी। हालांकि 1977 में उत्पादन 5600 लाख किग्रा रिकार्ड उत्पादन था अर्थात विगत वर्ष की अपेक्षा 480 लाख किग्रा अधिक था, फिर भी, देश में चाय की और अधिक उपलब्धता बनाए रखने के लिए 1977-78 के लिए निर्यात लक्ष्य 2250 लाख किग्रा रखा गया जबकि विगत वर्ष के दौरान निर्यात लक्ष्य 2420 लाख किग्रा रखा गया था।

चाय के भंडारों की जमाखोरी के अवसरों को रोकने के लिए हाल में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह था चाय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के कार्य क्षेत्र में लाना। सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के के फलस्वरूप मई, 1977 के बाद से चाय की कीमत तेजी से गिर गई और समुचित स्तरों पर स्थिर हो गई है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : विवरण-पत्र में यह उल्लेख है कि श्रीलंका में कम उत्पादन होने की वजह से चाय की कीमतों में बढ़ोत्तरी शुरू हो गई। मेरी समझ नहीं आता की हमारें देश के अन्दर कीमतों में क्यों वृद्धि हो। मैं मंत्री महोदय से यह यह जानना चाहता हू कि क्या विदेशी मूल्यों में अन्तर है और क्या चाय का उत्पादन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है? अगले तीन वर्षों में कितना उत्पादन होगा और कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा। विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि देश के अन्दर चाय के पैकेट बनाने वाली प्रमुख कम्पनियों से पैकेट चाय की कीमत में कमी करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। इस प्रकार के अनुरोध करने से चाय की कीमत में कीतनी कमी हुई है? यह भी कहा कहा गया कि चाय के स्टाक की जमाखोरी को रोकने के लिए चाय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया था। कितना स्टाक खत्म हो गया है और कितनी मात्रा में स्टाक के लिए अनुमति दी गई है?

Shri Arif Beg : Mr. Speaker, Sir, the hon'ble Member has aked as to why prices should increase in our country if there has been low production of tea in Srilanka. I would like to inform the hon'ble Member that Srilanka and India are two major tea producing Countries of the world. If there is low production of tea in Srilanka, the prices of tea would increase in world market and that is why the prices of tea have gone up in the world market and it had its impact in India also. But as a result of the steps taken by us, you would be happy to know that though we have exported less quantity of tea this year than last year, but have realised more money for the same. We have implemented our scheme in the market in such a manner that tea would be made available to the consumer at cheaper prices. When we declared tea as essential commodity, we put our control on the entire trade and declared that all the tea stockists having more than 1000 kgs. of tea would have to display their tea stock from time to time. We have also put this restriction that they should bring their tea for auction and tea is sold through auction in the market. Thus it helps us in controlling the tea market on a large scale.

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैंने अगले तीन वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन के लिए की गई कार्यवाही के बारे में पूछा था जिससे आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए चाय को उपलब्ध किया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप आधा दर्जन प्रश्न पूछेंगे, तो मंत्री महोदय किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सदन की सूचनाएं मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष चाय का उत्पादन 56 करोड़ किलोग्राम हुआ था, जबकि इस वर्ष चाय का उत्पादन बढ़कर 60 करोड़ किलोग्राम हो जायेगा। हमने एक व्यापक योजना बनाई है और सन 2000 के अन्त तक देश के अन्दर हमारा 130 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन करने का इरादा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मांग से ज्यादा उत्पादन मत कीजिए।

श्री मोहन धारिया : काफी मांग है। इसकी चिन्ता मत कीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि सन 2000 तक इतना उत्पादन होगा। हमने एक व्यापक योजना बनाई है। प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन में चाय की पैदावार की जाएगी। हम सभी प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत रहे हैं कि अन्तरिक मांग की पूर्ति हो सके। यही वजह है कि हमने गत वर्ष निर्यात को कम करके 22.5 करोड़ किलोग्राम तक सीमित कर दिया और यही हमारी नीति होगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय देश के अन्दर उचित मूल्य पर उपलब्ध की जाती है। इसके साथ ही हम इस तथ्य से भी पूर्णतया अवगत हैं कि चाय की मांग में वृद्धि हो रही है और इसके अनुरूप ही हमने अनेक कार्यक्रम बनाये हैं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : यह कहा गया है कि चाय की कीमतें एक उचित स्तर पर स्थिर की जाएंगी। परन्तु मैं जहां तक समझता हूं, कीमतें स्थिर नहीं हैं। दूसरे हम काफी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही की है जिससे चाय बागानों में आधुनिक तकनीक का विकास किया जा सके और जिस चाय का उत्पादन किया जाता है, वह अच्छी किस्म की हो, जिससे हम अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

श्री मोहन धारिया: मैंने सदन में यह कहा है कि हम अपेक्षित मशीनरी की सप्लाई करते हैं, आवश्यक ऋण भी देते हैं और कुछ मात्रा में राजसहायता भी दी जाती है, जिसमें पूरे चाय बागान को आधुनिक बनाया जा सके। तीस या चालीस साल के बाद पौधा खराब हो जाता है। इन परिस्थितियों में, हम नये बगान लगा रहे हैं और बागानों का नवीकरण भी किया जाता है और उसके लिए सभी सम्भव आधुनिक मशीनरी की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक चाय की गुणावत्ता का सम्बन्ध है, सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भारत में सबसे बढ़िया किस्म की चाय का उत्पादन करता है और यहां प्रति एकड़ औसत उत्पादन भी सम्पूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ट है।

श्री अमर राय प्रधान : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ष हमने चाय का निर्यात करके रिकार्ड मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह और भी अधिक हो सकती थी। सोवियत संघ के बाजार में दार्जिलिंग 'क्लीन ब्लैक' चाय की भारी मांग है। मगर दूसरी ओर स्थानीय बाजार में, चाय अधिकारियों के इस आशय के अनेक आश्वासनों के बावजूद कि चाय 10 रु० से 12 प्रति किलो की दर से बेची जायगी, चाय की कीमतों में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कीमत में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने (क) चाय का वृहद् भण्डार बनाने (ख) चाय का कोई अधिकतम मूल्य घोषित करने और (ग) तस्करी को रोकने के लिए वायदा बाजार में बिक्री को रोकने के लिए कोई निर्णय किया है।

श्री मोहन धारिया : हमने सभी चाय उत्पादकों से अपने कुल चाय उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत उत्पादन नीलामी केन्द्रों में लाने के लिए कहा है। दूसरे, हमने चाय के निर्यात पर 5 रु० का निर्यात शुल्क लगाया है। तीसरे, हमने भारतीय चाय निगम और अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से चाय की

खरीद करने की और वितरण केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करने की सावधानी बरती है । कीमतों को स्थिर करने के लिए हम सभी सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान: अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में मेरे प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री मोहन धारिया: मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने अनेक उपाय किये हैं और अगर सदन कीमत जानने में रुचि रखता है .....

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। क्या आपने कोई अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है?

श्री मोहन धारिया: जी नहीं। वह आवश्यक नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ: चाय का बहुत ही कम मूल्य पर निर्यात किया जाता है और चाय के पैकेट भी नहीं बनाये जाते और इसी प्रकार की अन्य बहुत सी बातें हैं, परन्तु मैं उन प्रश्नों को नहीं उठाना चाहता। आन्तरिक बाजार में भी, अगर मन्त्री महोदय भारत में विभिन्न चाय कम्पनियों द्वारा जिस कीमत पर बिक्री की जाती है और जो कीमत उपभोक्ता अदा करता है, उसकी तुलना करें, तो पायेंगे कि जिस कीमत पर उपभोक्ता बिक्री कर रहा है, उसकी चार सौ प्रतिशत अथवा पांच सौ प्रतिशत कीमत उपभोक्ता अदा कर रहा है। यह सांठ-गांठ या कुछ अन्य कारणों से हो सकता है, । मैं नहीं समझता कि चाय के मामले में इस प्रकार के सार्वजनिक वितरण के अलावा भी अन्य कोई उपाय हो सकता है।

श्री मोहन धारिया: सौभाग्य वश, सरकार के हाथ में देश के सात बागान हैं और हम मूल्य ढांचे से भली भांति परिचित हैं और मूल्य ढांचे को ध्यान में रखते हुए, सभी उपाय किये जा रहे हैं। इस वर्ष ऐसा हुआ कि लन्दन के बाजार में कीमत पचास प्रतिशत गिर गई । स्वाभाविक रूप से उसका यहां भी प्रभाव पड़ा। मगर मैं माननीय सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि अपनी सहकारी संस्थाओं और भारतीय चाय निगम के माध्यम से हम पर्याप्त मात्रा में खरीद करते हैं ताकि चाय की कीमतें निर्धारित स्तर पर बनाई रखी जा सकें।

श्री वसन्त साठे: इस सदन को आप भ्रमित नहीं कर सकते। प्रश्न यह था कि क्या कारखाना-बाह्य मूल्य और खुदरा कीमत में 400 प्रतिशत का अन्तर है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्या किया गया है ?

श्री मोहन धारिया: मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र ध्यान से सुन रहे थे या नहीं। मैंने यह कहा था कि इस समय हमारे प्रबन्ध के अन्तर्गत 7 बागान हैं और हमें मूल्य ढांचे की जानकारी है। यह सही नहीं है कि मूल्य में 400 प्रतिशत का अन्तर है।

Shri Saeed Murtaza: I would like to know from the hon'ble Minister whether all good quality tea is exported to foreign countries and what are the reasons that good quality tea is not available in the local market? Whether the Minister would make arrangements for making available good quality tea ?

श्री मोहन धारिया: यह आरोप पूर्णतया गलत है। जिस स्तर की चाय की जरूरत है, वह भारतीय बाजार में उपलब्ध है। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के बारे में

RE: SHORT NOTICE QUESTION NO. 6

अध्यक्ष महोदय: अल्प सूचना प्रश्न।

श्री वयालर रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 54 में यह उल्लेख है कि :

"लोक-महत्व के विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है, तो वह निदेश दे सकेगा कि ....." आदि।

इस अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार करने के बारे में आपके विनिर्णय या निर्णय के प्रति मेरी कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रश्न इस प्रकार है :—

"क्या गत तीन महीनों के दौरान बंगलौर स्थित आयकर आधिकारियों ने अभी हाल में कर्नाटक के कुछ उच्च व्यक्तियों के मकानों पर छापे मारे हैं ....."

जब कभी भी हम प्रश्न पूछते हैं, तो आपका कार्यालय इस बात पर जोर देता है कि हमें चाय आदि के बारे में निश्चित जानकारी देनी चाहिए। बंगाल लैम्पस और लिम्का पर बार-बार मारे गये छापों के बारे में मैंने स्वयं प्रश्न पूछे हैं और मन्त्री उन्हें स्वीकार करने में संकोच करते रहे है, जबकि इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया गया है, हालांकि इसमें केवल "उच्च व्यक्ति कहा गया है, जो स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, क्या लोक महत्व है? इसमें केवल राजनैतिक आशय ही होता है। इस प्रश्न को स्वीकार करने के आपके निर्णय के प्रति मैं शंका व्यक्त कर रहा नहीं हूं, परन्तु मैं महससूस करता हूं कि इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री के० लकप्पा : श्रीमान जी मैं आपके निर्णय के बारे में शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मगर जिस प्रकार वित्त मंत्री ने इस प्रश्न को स्वीकार किया है, वह स्पष्ट रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों और निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल है। वस्तुतः एक प्रश्न के अन्तर्गत दो प्रश्न पूछे गये हैं। भाग (क) इस प्रकार है:

"क्या गत तीन महीनों के दौरान बंगलौर स्थित आयकर अधिकारियों ने मकानों पर छापे मारे हैं....."

भाग (ग) इस प्रकार है "गत एक वर्ष के दौरान उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्होंने कर्नाटक में अपने आपके ज्ञात साधनों से अधिक धनराशि अचल सम्पत्तियों में लगाई है।" यह प्रश्न अचल सम्पत्तियों में लगाई है।" यह प्रश्न पूर्णतः अलग प्रश्न है। इसमें "एक वर्ष" कहा गया है। इसके बारे में क्या अविलम्बनीयता है? नियम 54 और अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में आपके अभी हाल के निर्देश के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय और संबन्धित मंत्री की सहमति से, दस स्पष्ट दिनों से कम अवधि की सूचना देकर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को पूछा जा सकता है। मैंने इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के नोटिस दिए हैं जिनमें आर० एस० एस० की सेवाएं प्राप्त करने और देश में से निरक्षरता का उन्मूलन करने आदि जैसे प्रश्न शामिल है। ये सभी अत्यधिक अविलम्बनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या कानूनी आपत्ति है ?

श्री के० लकप्पा : हम भ्रष्टाचार पर अन्य किसी चीज को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, मगर "गत एक वर्ष के दौरान" के बारे में क्या अविलम्बनीय लोक महत्व है ?

इस प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है :

"गत एक वर्ष के दौरान उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। जिन्होंने कर्नाटक में अपनी आय के ज्ञात साधनों से अधिक धनराशि अचल सम्पत्तियों में लगाई है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि जनता पार्टी के सदस्यों और वित्त मंत्रालय द्वारा राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है और निर्धारित मानदंडों और स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध भी उन्होंने चालाकी से इस प्रश्न

को स्वीकार करवा लिया है । इसलिए, यह प्रश्न सामान्य तारांकित प्रश्नों की परिधि में आ सकता है । अगर अब इसे स्वीकार कर लिया गया है । यह आपके विचारार्थ है । आप कृपया अपना विनिर्णय दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे:.मेरी आपत्ति यह है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले के रूप में स्वीकार किया जाता है तो ऐसे प्रश्न का व्यापक क्षेत्र होना चाहिए अर्थात् अगर आयकर के किन्हीं छापों के बारे में जानकारी दी जाती है तो यह बंगलौर तक ही क्यों सीमित रहे? देश भर के सभी राज्यों और सभी ऐसे बड़े व्यक्तियों को उसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए । लेकिन केवल एक राज्य को पृथक करना और फिर प्रश्न को स्वीकार करने से शंकायें उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से तब जबकि राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दल सत्ता में हों। इस प्रकार के प्रश्न को स्वीकार किया जाता है, तो उसके पीछे राजनैतिक आशय प्रतीत होता है । आप इसकी छानबीन करें और यह देखें कि इसका व्यापक क्षेत्र हो—कर्नाटक के बारे में और प्रत्येक अन्य राज्य के बारे में।

(व्यवधान)

श्री कवंर लाल गुप्त: महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विचार में अल्प सूचना प्रश्न गृहीत किये जाने के सम्बन्ध में कुछ नियम है और जहां तक नियमों का संबन्ध है सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय मामले की अविलम्बिता के बारे में निर्णय करते हैं और तत्पश्चात् प्रश्न को मंत्री के पास भेजा जाता है । पहले अध्यक्ष महोदय ने उस पर विचार विमर्श करके अनुमति देनी होती है । यदि वह अनुमति न दे तो मंत्री को भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह एक महत्वपूर्ण और लोक महत्व का प्रश्न है। मेरे विचार में हमारे मित्र चोरबाजारी करने वाले मंत्रियों और राज्य सभा के सदस्यों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहते .....

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी बात सुन ली है।

(व्यवधान)

श्री कवंर लाल गुप्त: यह आशा की जाती है कि वे अपने जीवन के कोई धब्बा नहीं लगाने देंगे और यदि वे निष्कलंक जीवन बितायेंगे .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बोल रहा हूं। दो बातें कही गई है । एक मामले की अवलम्बिता के बारे में और दूसरी, दो प्रश्न होने के बारे में है जो इस में अन्तर्ग्रस्त हैं। जहां तक मामले की अविलम्बिता की बात है, अब तक इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति दी जाती रही है। आय-कर सम्बन्धी छापों के बारे में इस प्रकार के अनेक प्रश्नों की अनुमति दी जाती रही है । इसमें कोई बात नहीं है । परन्तु श्री लकप्पा द्वारा कही गई बात में कुछ सार है । सम्भवतः दो प्रश्न थे जिनकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई प्रश्न आवश्यक है या नहीं और क्या वह लोक महत्व का है या नहीं; इस संबन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है । इस सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। अब श्री ननजेश गौड़ा प्रश्न पूछें।

श्री के० लकप्पा: एक ही प्रश्न में दो बातों के पूछे जाने के बारे में .....

अध्यक्ष महोदय: चूंकि मैंने अनुमति इसे दे दी है इसलिए अब इसको बदला नहीं जा सकता।

श्री के० राममूर्ति : कृपया प्रश्न गृहीत किये जाने के बारे में नियम 41 को देख नियम 41 के उप नियम (17) में लिखा है :

"उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो ।"

आपने इस प्रकार के मामले में शायद ही कभी अल्प सूचना प्रश्न के रूप में अनुमति दी हो। कर्नाटक उच्च न्यायालय में कोई लेख याचिका विचाराधीन पड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने मुझे इस बात की सूचना नहीं दी है ।

श्री के० राममूर्ति : आप वित्त मंत्री से पूछ सकते हैं। उन्हें इसका पता होना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय में वह विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले से सम्बन्धित कोई लेख याचिका विचाराधीन है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री के० राममूर्ति : यदि आपने इसकी अनुमति दी तो यह खतरनाक .....

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : जब कोई सदस्य सभा में कुछ कहता है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । इस प्रश्न को विचाराधीन रखिये। राज्य सरकार से पूछ लीजिए कि क्या यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें राज्य सरकार ने कुछ नहीं करना है ।

श्री कवंर लाल गुप्त : वे नहीं चाहते कि यह मामला यहां उठाया जाये । **(व्यवधान)** वे चोर बाजारी करने वालों का समर्थन करना चाहते हैं।

श्री बसन्त साठे : जनता सरकार के शासनकाल में चोरबाजारी बढ़ी है ।

अध्यक्ष महोदय : लेख याचिका का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न में लिखा है :—

(क) क्या गत तीन महीनों में बंगलौर स्थित आयकर अधिकारियों ने कर्नाटक में कुछ बड़े लोगों के घरों पर छापे मारे थे और लेखा बाह्य धन और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज पकड़े थे ;

यह लेख याचिका का विषय नहीं हो सकता परन्तु 'माल का पकड़ा जाना वैध है या नहीं' : यह विषय बन सकता है। फिर आगे प्रश्न में लिखा है:—

"(ख) यदि हां, तो कितना धन पकड़ा गया था, वे लोग कौन थे, क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई और उसका अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) कर्नाटक में जिन लोगों ने अपने आय के ज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन से अधिक पूंजी अचल संपत्ति में लगाई है, उनके विरुद्ध गत वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण करने और ऐसे मामलों में या कम से कम ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का है जिनके बारे में मंत्री से शिकायतें की गई हैं ?"

इनमें से कोई भी मामला मुकदमे का विषय नहीं बन सकता। श्री ननजेश गौडा, अब आप प्रश्न पूछिये। (**व्यवधान**) डा० पंडित, क्या इस पर वाद-विवाद होना चाहिये। कृपया आप बैठ जाइये। यदि आप कुछ टिप्पणी करेंगे तो फिर और कोई सदस्य उस पर टिप्पणी करेगा।

डा० वसन्त कुमार पंडित: यह अल्प सूचना प्रश्न है। यह सारी बात तारांकित प्रश्न के द्वारा पूछी जा सकती थी।

अध्यक्ष महोदय: मेंने सुन लिया है। इस समय मेरा निर्णय अन्तिम है। अब श्री गौडा

बंगलौर में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

6. **श्री ए० ननजेश गोडा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों में बंगलौर स्थित आयकर अधिकारियों ने कर्नाटक में कुछ बड़े लोगों के घरों पर छापे मारे थे और लेखा बाह्य धन और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो कितना धन पकड़ा गया था, वे लोग कौन थे, क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई और उसका अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में जिन लोगों ने अपने आय के ज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन से अधिक पूंजी अचल संपत्ति में लगाई है, उनके विरुद्ध गत वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण करने और ऐसे मामलों में या कम से कम ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का है जिनके बारे में मंत्री से शिकायत की गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) तथा (ख) फरवरी, 1978 में, बंगलौर स्थित आयकर प्राधिकारियों ने मैसर्स जैमिनी डिस्टीलरीज (प्रा०) लि०, भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, श्री एच० आर० बासवराज, वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, श्री एम० एल० आडवानी तथा कुछ संबन्धित व्यक्तियों के परिसरों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की थी। कम्पनी के परिसरों से लेखा-पुस्तिकाएं तथा कागज की पर्चियां पकड़ी गई थी जिनसे कर-अपवंचन का पता चलता है। श्री वासवराज तथा श्री आडवानी और कम्पनी के एक कर्मचारी के आवासीय परिसरों से भी कम्पनी से संबन्धित कागजात पकड़े गये थे। जवाहिरात और 4.96 लाख रुपये की नकद रकम पायी गयी और उसकी सूची श्री वासवराज के निवास स्थान पर बनायी गयी। श्री आडवानी के निवास स्थान पर पच्चीस पच्चीस हजार रूपये की सावधी जमा की दो रसीदें तथा 10,000 रुपये का एक शेयर प्रमाण पत्र भी पकड़ा गया।

श्री एच० एस० पाकिरप्पा तथा पवन फायनांस कार्पोरेशन बंगलौर के परिसरों की तलासी के परिणामतः 17.22 लाख रुपये से अधिक की सावधी जमा की रसीदों के प्रोनोट तथा कुछ कागजात पकड़े गये। जवाहिरात, 88,000 रुपये से ऊपर के शेयर प्रमाण-पत्र तथा नकदी पायी गयी तथा उनकी सूची बनायी गयी। लगभग 9 लाख रुपये के पूंजी निवेश तथा दान लेखाबाह्य बताये जाते हैं। जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) तथा (घ) आयकर विभाग बाहरी सर्वेक्षण इस ढंग से कर रहा है कि उसमें सभी क्षेत्र पूरी तरह आ जाते हैं; नये इलाकों तथा महत्वपूर्ण बागार-क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि किसी नयी सम्पत्ति का पता चलता है अथवा किसी सम्पत्ति में ऐसे निवेश का पता चलता है, जिसकी घोषणा नहीं की गई है तो जहां कहीं उचित पाया जाता है वहां उपयुक्त कार्यवाही की जाती है, जिसमें अर्थदण्ड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही भी शामिल है।

जिन शिकायतों में कर अपवंचन के आरोप लगाये जाते हैं, उनकी विधिवत छानबीन की जाती है और यथा अपेक्षित कार्यवाही भी की जाती है ।

श्री एस० ननजेश गौडा : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि काला धन बरामद किया गया था। चाहे कोई व्यक्ति कांग्रेस (आई) पार्टी का हो या जनता पार्टी का अथवा दूसरी कांग्रेस का हो, यदि उसके पास काला धन है तो उसके मकान पर छापा मारा जाना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा किया है परन्तु केवल एक आशंका है कि चाहे वह किसी भी पार्टी का हो उसका दर्जा कुछ भी, मंत्री हो या संसद सदस्य अथवा राज्य सभा का सदस्यय हो, उसको किसी की शरण नहीं लेनी चाहिये और लोगों को दबाव नहीं डालना चाहिये और सरकार को ऐसे दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए सरकार को उस व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री एस० ननजेश गौडा : इसी काले धन का हमारे देश की राजनीति में, मंडियों में और व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है । आप प्रश्न पूछिये ।

श्री एस० ननजेश गौडा : हम काले धन की बात करते हैं । अतः हमें इस काले धन को रोकने के काम में सरकार का समर्थन करना चाहिए।

हमें उत्तर से पता चलता है कि बरामद किये गये धन, प्रोनोट और जवाहरात का कुल मल्य लगभग 30 लाख रुपये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह उसमें लिखा है । आपका प्रश्न क्या है ।

श्री एस० ननजेश गौडा : धन और जवाहरात के साथ कुछ दस्तावेज भी पकड़ गये हैं । हमें इस बात की शंका है कि ये दस्तावेज नष्ट न कर दिये जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछेंगे ?

श्री ननजेश गौडा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दस्तावेज सुरक्षित है और उसके बाद क्या कार्यवाही की गई है । मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जायेगी और शीघ्र से शीघ्र की जायेगी। लोग अब महसूस करने लगे हैं कि वे सरकार की दयालुता के कारण कुछ भी कर सकते हैं। हम यह नहीं चाहते, कालाधन रखने वाले व्यक्ति को भय होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं अध्यक्ष महोदय को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले की पूरी जांच की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैं यह आश्वासन देता हूं कि जो दस्तावेज बरामद किये गये हैं उनको सूची बना ली गई है और इस मामले के निपटान तक इनको सुरक्षित रखा जायेगा ।

श्री एस० ननजेश गौडा : प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के संबन्ध में हमें पता चला है कि लोगों ने काला धन को अचल आस्तियों में लगा रखा है । जब हम ऐसे आरोप लगाते हैं तो आप कहते है कि वे बहुत स्पष्ट होने चाहिए । कर्नाटक सरकार में एक मंत्री हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपने इसकी सूचना नहीं दी है ।

श्री एस० ननजेश गौडा : मैंने लिखकर भेजा था ।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी यदि आप किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख करना चाहत है तो आपकी उसके बारे में प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री एस० ननजेश गौडा : इस व्यक्ति के बारे में मंत्री का लिखित उत्तर है, इस मंत्री ने, जो कर्नाटक सरकार में है, झूठे हिसाब दिये है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं ! यह प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ugrasen : He is reading from the answer given by the Minister.

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जब तक आप मुझे प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं देते तब तक आप किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख यहां पर नहीं कर सकते। यह नियम है। (**व्यवधान**)

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : वह मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवरण में से पढ़ रहे हैं।

श्री एस० ननजेश गौडा : मेरे प्रश्न संख्या 6314 के उत्तर मैं मंत्री ने कहा है कि उनकी आस्तियां उनकी आय के हिसाब से ज्यादा है और उनमें बहुत वृद्धि हुई है। उन्होंने यह कहा है, उस बारे में मैंने आपको भी लिखा है, उन्होंने 40 लाख रुपये की पूंजी लगाई है। मौके के गवाह भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है। (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह उसी प्रश्न को दोबारा नहीं पूछ सकते जिसका उत्तर पहले सभा में दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दे दी है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह नियम 353 है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे पहले सूचना भेजी थी। मैं नाम उल्लेख करने की अनुमति न देता परन्तु वित्त मंत्री इन नामों का उल्लेख पहले सभा में कर चुके हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस प्रश्न का विषय और सार नहीं है जो पहले पूछे गये प्रश्न का था तो उसे दोबारा नहीं पूछा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न दोबारा नहीं पूछा गया है। श्री लकप्पा नियमों की पूरी जानकारी रखते हैं।

श्री एस० ननजेश गौडा : इन लोगों ने राज्य मैं बुरा हाल कर रखा है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वे अब ऐसा नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री एस० ननजेश गौडा : सरकार ने क्या कार्यवाही की है। अब 6 महीने व्यतीत हो गये हैं। कब तक कार्यवाही की जायेगी। मैं इस बात का आश्वासन चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने उस प्रश्न का उल्लेख किया है जो अगस्त, 1977 में पूछा गया था, जिसका उत्तर भी दिया गया था। उन्होंने उसका उल्लेख करके उसको इस प्रश्न के साथ जोड़ कर उस मामले में हुई प्रगति पूछी है। यदि मुझे उसमें से पढ़ने की अनुमति दी जाये तो प्रश्न यह था :—

"(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्रस्तुत की गई आयकर विवरणियों में कर्नाटक के वर्तमान सिंचाई मंत्री, श्री एच० सी० श्रीकान्तीह, उनकी पत्नी, पुत्रियों और दामादों द्वारा घोषित की गई आस्तियों और देयताएं क्या हैं ;

(ख) क्या उनके द्वारा घोषित की गई आस्तियां उनकी ज्ञात आय के अनुपात में नहीं थीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?" उत्तर निम्न लिखित था :

"(क) कर्नाटक के सिंचाई मंत्री श्री एच० सी० श्रीकान्तीह ने धनकर विवरणियां प्रस्तुत की है। आस्तियों और देयताओं का ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। उनकी पत्नी, पुत्रियों और दामादों द्वारा आय या धन का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) और (ग) निर्धारण वर्ष 1976-77 में धन में अत्यधिक वृद्धि हुई। चूंकि निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ, इस मामले की मांच की जायेगी कि क्या घोषित आस्तियां उनकी ज्ञात आय के अनुपात से अधिक है या नहीं।"

जांच चल रही हे।

श्री जनार्दन पुजारी : कर्नाटक में 25 फरवरी, 1978 को चुनाव कराये जाने थे और 16 फरवरी 1978 को छापा मारा गया था। उत्तर यह दिया गया है :—

"जवाहिरात और 4.96 लाख रुपये की नकद रकम पायी गयी और उसकी सूची श्री बासवराज के निवासस्थान पर बनायी गयी।"

यह जवाहिरात और नकद रकम हिसाब में दिखाये गये थे। फिर आगे कहा गया है :—

"श्री आडवानी के निवासस्थान पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपये के सावधिक जमा की दो ससीदे और 10,000 रुपये का एक शेयर प्रमाण-पत्र भी पकड़ा गया।"

यह भी हिसाब में दिखाये गये थे ? उसी दिन श्री बासवराज के भतीजे के मकान की भी किसी विशेष प्रयोजन से तलाशी ली गई थी। उत्तर में कहा गया है कि "कुछ कागजात सहित 17.22 लाख रुपये भी पकड़े गये थे।" ये भी हिसाब में दिखाये गये थे।

मुझे सभा से यह निवेदन करना है कि श्री बासवराज कर्नाटक में कांग्रेस के एक सक्रिय नेता हैं और फिर वह राज्य सभा के सदस्य है। यह कार्यवाही राजनैतिक दृष्टि से कांग्रेस (आई) पार्टी को बदनाम करने के लिये और चुनाव के दौरान तोड़फोड़ करने के विचार से की गई है। जनता पार्टी ने सोचा कि श्री बासवराज चुनावों में धन खर्च करेंगे। चुनाव के दौरान तोड़फोड़ की दृष्टि से यह कार्यवाही की गई। कर्नाटक के राज्यपाल ने सिफारिश की और आयकर आयुक्त से विशेष रूप से श्री बासवराज के मकान पर विशेष प्रयोजन को लेकर छापा मारने के लिये कहा था। मुझे विश्वस्त सूत्री से पता चला है ; जनता पार्टी वाले जानबूझ कर बदनाम करने के विचार से ऐसा करना चाहते थे। (व्यवधान)

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस अवधि में जनता पार्टी के नेताओं के कितने मकानों पर छापे मारे गये थे ? यदि इस मामले में आयकर अधिकारी दोषी है, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में माननीय सदस्य स्वयं के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य बार-बार कहते हैं कि यह सरकार माल बरामद करने और तलाशी लेने का काम नहीं कर रही है ।

श्री वसन्त साठे : निष्पक्ष रूप से ।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मूर्खता की बात है ? उनके शासनकाल में निष्पक्ष रूप से, अब निष्पक्ष रूप से नहीं। वे तथ्यों पर ध्यान दें। वे छापे साधारण रूप में मारे गये थे। परन्तु माननीय सदस्य का कहना है कि राजनैतिक दृष्टि से ऐसा किया गया था। यदि इस बात को भी स्वीकार कर लिया जाये तब भी उन्हें तथ्यों पर जो बरामद किये गये थे, ध्यान देना चाहिये । मैंने सभी वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया है जो बरामद की गई थी। मैं अब आपको बताना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

अब ऐसा न करना असंभव है । मुझे इसके लिये मजबूर किया गया है ।

श्री वसन्त साठे : प्रश्न यह था कि केवल बासवराज के मामले में ही ऐसा क्यों ? **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : बात यह है । उदाहरण के लिये जो कागजात दिखाये गये थे..... **(व्यवधान)**

मेरे विचार में आपके लिये शान्ति बनाये रखना आवश्यक है । खन वित्त निगम की पुस्तकों में 16,73,600 रुपये की कुल जमा राशि की जांच भी आवश्यक प्रतीत होती है । सभी सम्बद्ध सावधिक जमा रसीदें, जो कथित जमाकर्ता के पास होनी चाहिये थी वे ऋण देने वाले के परिसर में पाई गई थी। खन वित्त निगम से पता चलता है की जमा धनराशि की रसीदें जाली थी। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। उनकी पत्नी के नाम में 1.25 लाख रुपये के जमा राशि का कोई पता नहीं बताया गया। धन कर के लिये वह निर्धारिती नहीं है । अब ये बातें है जिनका पता चला था। मैं इनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि जब ये वस्तुएं बरामद की गईं थीं तो उनकी जांच की जायेगी और जब तक जांच पूरी न कर ली जाये, कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु जब यह कहा गया कि यह सब कुछ राजनैतिक दृष्टि से किया गया है तो मुझे कहना पड़ा कि साधारण रूप से तलाशी और बरामद करने का काम किया गया था जिसमें 30 लाख रुपये, जमा धनराशि की रसीदे और पर्चियां बरामद की गई थीं। इन सबका हिसाब रखा गया था। यह कहना कि आयकर अधिकारी के पास इस प्रकार की तलाशी लेने और बरामद करने का काम करने के पर्याप्त कारण नहीं थे, वास्तव में बहुत ही गलत बात है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं एक बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछूंगा । फरवरी में छापा मारा गया था और अब अप्रैल का अन्त है । जिन लोगों ने काला धन जमा किया है क्या उनमें से कोई गिरफ्तार किया गया है अथवा जेल में डाला गया है या उसे जमानत पर रिहा किया गया अथवा उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : ऐसे मामलों में गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता है । जांच करनी होती है । परन्तु जो जानकारी तथा जो पर्चियां मिली है उनसे यह अवश्य पता चलता है कि जिन लोगों ने चुनावों में भाग लिया उन्ह दान के रूप में काफी पैसा दिया गया था।

अन्तर्बाधा

श्री क० लक्प्पा: यह प्रश्न कर्नाटक से सम्बन्धित है और मैं अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं कभी किसी दोषी व्यक्ति की हिमायत नहीं

करूंगा (व्यवधान) मैं ऐसे लोगों की हिदायत नहीं कर रहा हूं। देश भर में यह धारणा पैदा हो गई है कि इस सरकार ने कालाबाजारियों, जमाखोरों तथा सट्टेबाजों को आजाद कर रखा है और सरकार का विचार उनके विरुद्ध कोई व्यापक कार्यवाही करने का नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आप तो आपत्ति कर रहे थे....

श्री के० लकप्पा : परन्तु कालाधन रखने वाले अधिकाश लोग स्वयं को बचाने के लिये जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं और उनके घरों पर छापे नहीं मारे गये हैं। (**व्यवधान**)

अन्तर्बाधा

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

के० लकप्पा : प्रश्न यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कालाधन जमा कर रखा है परन्तु वे बिल्कुल आगाह हैं। यदि आप उनके नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा क्योंकि मैंने एक ज्ञापन पेश कर रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं !

श्री के० लकप्पा : निश्चय ही मैं नियमों के विरुद्ध नहीं चलना चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोग जनता पार्टी में शामिल होकर बच निकले है तथा वे सरकार द्वारा चलाये जा रहे कालाधन विरुद्ध अभियान से स्वयं को छिपा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आप भेदभाव करते हैं। क्या आप उन लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे जो कालाधन जमा करने के विरुद्ध सरकार के अभियान से बचने के लिये आपके दल में शामिल हो रहे तथा जो जनता पार्टी में ऊंचे पदों पर आसीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नाम बता दें तो वह जाच करायेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : मैं नहीं जानता कि प्रश्न क्या है । तलाशी लेने तथा जब्त करने के अभियान विभिन्न कानून के विभिन्न उपबन्धों के अधीन होते हैं। इनको आपातस्थिति के दौरान बहुत व्यापक रूप से दिया गया था। हम समझते हैं कि तलाशी लेने तथा जब्त करने की कार्यवाही तभी की जाये जबकि पर्याप्त रूप से विश्वस्त तथा निश्चित जानकारी आयकर अधिकारियों को प्राप्त हो। सरकार इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है । हम यह नहीं कहा करते कि किसके यहां छापा मारो तथा किसके यहां मत मारो, यह सारा दायित्व आय कर विभाग पर छोड़ दिया जाता है । उन्हें केवल यही निर्देश दिये गये हैं कि वह पहले यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी कार्यवाही के लिये पर्याप्त कारण उपलब्ध हैं और इसके पश्चात् तलाशी तथा जब्त करने की कार्यवाही करे। पिछले वर्षो की तुलना में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसी कार्यवाहियां अपेक्षाकृत कम हुई है । जब ये कार्यवाहियां की जाती हैं तो हर मामले में मेरी यह बात सिद्ध होती है कि हम छापा मारने से पूर्व पूरी सावधानी बरतते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये छापे पार्टियों के आधार पर मारे जाते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : बिल्कुल नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : जिनकी जानकारी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दी है उसके संदर्भ में मैं दो बातें जानना चाहूंगा कि वे कुछ सम्बन्धित लोग कौन हैं? दूसरे उन्होंने कहा है कि कर अपवंचन की शिकायतों की पूरी तरह जांच की जाती है और यथोचित कार्यवाही की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि किसने शिकायतें की हैं और वह उनकी कितनी शीघ्रता से जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: यह आप कैसे पूछ सकते हैं? आप यह नहीं पूछ सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वह चाहे जितना उत्तर दें।

श्री एच० एम० पटेल: मैं समझता हूं मेंने कहा था कि 16 फरवरी को मैसर्स जैमिमी डिस्टिलरीज के यहां, और हम कम्पनी के भूतपूर्व चैयरमैन श्री एच० आर० बामनराज, प्रबन्ध निदेशक श्री एम०एल० आडवानी, एक्साइज कांट्रेक्टर श्री एच०एम० पाकिरप्पा, कम्पनी के स्टोर कीपर श्री एम० के० पालानगप्पा प्रशासकीय प्रबन्धक श्री एम०जी० कृष्णा तथा एक अन्य कम्पनी के श्री रमेश वोहरा के निवास स्थानों पर तलाशी तथा जब्त करने की कार्यवाहियां की गई थीं ।

श्री बी० रामैया : आयकर अधिकारी को उस बारे में ठीक-ठीक कब सूचना दी गई थी और क्या जब्त करने तथा छापा मारने के आदेश देने से पूर्व उसने किसी कागज पर रिकार्ड किया था? यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तारीख की तथा किसके द्वारा?

श्री एच० एम० पटेल: मुझे खेद है कि तारीख के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है । मुझे तो यह मालूम है किस तारीख को छापा मारा गया था।

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई रिकार्ड रखा गया था अथवा क्या कोई आदेश दिया गया था।

श्री एच० एम० पटेल: रिकार्ड तो निश्चित रूप से रखा गया होगा तथा तलाशी के आदेश भी जारी किये गये होंगे। परन्तु वे कागजात मैंने नहीं मंगाये और न ही देखे। परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इसका सुनिश्ति करूँ तो मैं ऐसा कर लूंगा। यदि वह तारीख जानना चाहते हैं तो...

श्री बी० रामैया : आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: वह आपके प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा जरूर किया गया होगा और यदि आप चाहे तो वह इसका ब्यौरा मंगवा देंगे।

श्री बी० रामैया: वह तो जब्त करने की हर कार्यवाही के लिये किया जाता है । मैं जानना चाहता था...

अध्यक्ष महोदय: आप उत्तर नहीं समझे: उन्होंने कहा है—"मैंने कागजात नहीं मंगवायें। यदि आप चाहते हैं तो मंगवाकर आपको बता देंगे आय कर अधिनियम के अधीन ऐसा जरूर किया गया होगा।"

श्री बी० रामैया : वह यह जानकारी सभा पटल पर रखें,

अध्यक्ष महोदय: ऐसा वह कह चुके हैं

श्री एच० एम० पटेल: मैं इसे सभा पटल पर तो नहीं रख सकता परन्तु मैं इसका पता लगाकर तारीख की जानकारी उन्हें दे दूंगा ।

श्री कंवरलाल गुप्त: मंत्री महोदय ने कहा है कि काग्रेस (आई) के एक संसद सदस्य श्री बासवराज एक शराब कारखाना तथा शराब की दुकानें चला रहे हैं तथा अन्य व्यापार भी कर रहे हैं और कांग्रेस (आई) के वित्त पोषक हैं तथा देवराज अर्स के निकट सहयोगी हैं। क्या यह सच है कि उन्होंने स्वयं आयकर विभाग के सामने यह स्वीकार किया था कि उनसे जो पांच लाख की राशि बरामद की गई थी वह खाते से बाहर की राशि थी? दूसरे क्या यह भी सच है कि आयकर विभाग को उनके घर से अथवा कम्पनी से एक चिठ मिली थी जिनमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिनको उन्होंने चुनाव

के लिये चन्दा दिया और कि यह चन्दे की राशि लगभग 8 लाख रुपये थी? यदि हां, तो क्या मंत्री से मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह कानूनी कार्यवाही के लिये एक मामला नहीं है और आपने कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की?

श्री दीनेन भट्टाचार्य: किन को चन्दा दिया गया था? उनके नाम क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: चन्दा पाने वालों में आपका नाम नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं आपसे चन्दा पाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री एच० एम० पटेल: 4.72 लाख रुपये के चन्दे के बारे में विवरण पवन फाइनेन्स कार्पोरेशन तथा श्री परिकिरम्पा द्वारा दिया गया था न कि श्री बासवराज द्वारा।

श्री कंवर लाल गुप्त: आपने कहा कि उनके यहां से 5 लाख रुपये बरामद किये गये थे, मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने आयकर अधिकारी के सामने यह स्वीकार किया था कि इसका खातों में उल्लेख नहीं है तथा यह कालाधन है? क्या यह सच है।

श्री एच०एम० पटेल: मैंने यह तो नहीं कहा।

श्री कंवर लाल गुप्त: में तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने आयकर विभाग के सामने यह स्वीकार किया था कि उनके घर से बरामद 5 लाख रुपये का राशि खातों से बाहर की थी।

अध्यक्ष महोदय: जब तक आपके पास निश्चित जानकारी न हो आप उसका उत्तर न दें।

श्री एच०एम० पटेल: मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मेरा पहला प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने कहा कि एक सूची मिली थी जिसमें चन्दों का उल्लेख कथा। क्या वह हमें पूरी सूची देंगे तथा उन लोगों का नाम बतायेंगे जिन्होंने चन्दे वसूल किये, और क्या चन्दा लेने के लिये उसके विरुद्ध कर सम्बन्धी कार्यवाही की गई है?

श्री एच०एम० पटेल: ये मामले अभी जांचाधीन हैं। अतः मैं इनका उत्तर नहीं देना चाहूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: वह इन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? आर्थिक अपराधी देश को बरबाद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जिन्होने चन्दे वसूल किये जिनका उल्लेख उस सूची में है और क्या उनके विरुद्ध कर अपवंचन की कार्यवाही की गई है?

श्री एच० एम० पटेल: जिन लोगों का नाम सूची में पाया गया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्यों नहीं की गई?

श्री एच०एम० पटेल: मैं आपको बता चुका हूं कि जांच अभी चल रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं इस सम्बन्ध मैं कोई राय अथवा निर्णय तो नहीं जानना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं कि वे कौन लोग हैं?

श्री एच०एम० पटेल: मेरे पास नाम नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत बुरी बात है । मुझे बड़ा खेद हुआ है । यह तो अत्यन्त निराशा-जनक बात है । यह क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इस बारे में कोई रिकार्ड नहीं है ।

श्री कंवर लाल गप्त : उनके पास जानकारी है कि आयकर विभाग के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि.....

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु को किसी अभिवक्ता की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह इस देने में इंकार करते हैं (**व्यवधान**) मंत्री महोदय रिकार्ड से देखें । उन्होंने आयकर विभाग के सामने स्वीकार किया था कि यह कालाधन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है कि श्री पटेल कुछ जानकारी दबा रहे हैं। मुझे यह बात खेद से कहनी पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : परस्पर विरोधाभास जो है । वह कहना चाहते हैं कि क्योंकि जांच अभी चल रही है अतः वह नाम नहीं बताना चाहेंगे। उधर उन्होंने कहा है कि उनके पास जानकारी नहीं है। कौन सी बात सत्य है और कौन सी नहीं ? हमें समझाईये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे कहने दीजिए श्रीमन्,

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल क्या आप और आपके जानकारी देने की स्थिति में हैं ?

श्री एच०एम० पटेल : मुझे अभी-अभी कुछ पत्र भेजे गये हैं जिनमें कुछ नाम हैं जिनका विवरण यहां नहीं जा सकता तथा उनके सामने कुछ आंकड़े भी दिये गये हैं। बताया गया है कि इन लोगों को हिसाब किताब से अलग पैसा दिया गया यदि आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं पढ़ सकता हूं । इन लोगों के नाम इस प्रकार हैं :

शिवराम . .	2,00,000 रुपये
कालिबाबा अथवा कालिवाडा	1,07,000 रुपये
के० की० जारिवासप्पा	10,000 रुपये
वेंकटारमन	50,000 रुपये
टी० वेंकटास्वामी	50,000 रुपये
कुम्पु स्वामी	10,000 रुपये

मुझे पढ़ने में कठिनाई हो रही है । ये नाम है ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री उग्रसेन..... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके विरुद्ध कर अपवंचन संबन्धी कार्यवाही आरम्भ क्यों नहीं की गई ?

Shri Ugrasen : I want a clear assurance from the hon. Minister that he would lay all documents and a full report on the Table of the House regarding the investigations made in this connection whether the man involved is an MP or an owner of a Distillery ?

श्री एच० एम० पटेल : कोई चीज सभा पटल पर रखने की जरूरत नहीं हैं। परन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं हम दोषी पाये जाने वाले हर व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । क्या कार्यवाही करनी चाहिये तथा कब की गई इस बारे में यदि सभा चाहेगी तो मैं निश्चय ही जानकारी दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Historical and Mythological places in Saharsa District of Bihar as Tourist Centre

*906. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether historical and mythological places in Saharsa District of Bihar, such as Harhi, Mahishi, Karu Sthan, Samda Gadahi, Dharhara Gadahi (Mahadev Sthan), where ancient forts of Lorik Pahalwan, Maradan Misra, Bharati, Karu Babu and the King Virat and Karma are located and which is the main research centre, will be developed as tourist centre which can yield a lot of income to Government ;

(b) whether Kosi barrage and Sidheshwar Mela, etc. in the above district can also be developed as tourist centres; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above in the affirmative, efforts made by Government to develop above places as tourist centres ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (c) As these centres would be primarily of local or regional importance, their development would be the responsibility of the State Government.

दिल्ली की रियाइशी बस्तियों में लघु उद्योग एककों की आर्थिक स्थिति

†907 **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान राजधानी की विभिन्न रिहायशी बस्तियों में लघु उद्योग एककों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने एककों का आयकर के प्रयोजन से मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली की रिहायशी बस्तियों में चल रहे लघु उद्योग एककों की आय का मूल्यांकन करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरों ने नवम्बर 1977 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आर्थिक इकाइयों की गणना की। इस गणना ने कृषि भिन्न कार्यों में लगे प्रतिष्ठानों के गठन, कार्य के स्वरूप तथा नियोजन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस गणना में केवल ऐसे प्रतिष्ठानों को लिया गया जिनमें एक अथवा अधिक मजदूर नियमित आधार पर लगे हुए हैं। इस गणना में ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें मालिक खुद ही, परिवार के ही श्रम को काम में लेकर चलाते हैं । जो जानकारी इकट्ठी की गई उसमें आयकर आयद करने की संभावना के बारे में सूचना शामिल नहीं है ।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को, कर लगने की निम्नतम सीमा से अधिक आय होने की हालत में, आय कर अधिनियम की धारा 139(1) के अधीन अपनी कुल आय की एक विवरणी स्वेच्छा से दाखिल करनी होती है । आयकर विभाग, दिल्ली स्वयं ही अपने सर्वेक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार चला रहा है कि

उसके सारे ही क्षेत्रों का शीघ्र ही सर्वेक्षण हो जाय। इस सर्वेक्षण में नयी बस्तियों तथा महत्वपूर्ण बाजारों को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण में प्रत्येक करों की दृष्टि से उपयोगी सूचना ही इकट्ठी की जाती है। सर्वेक्षण-रिपोर्टों की छानबीन करने के बाद, जिन मामलों में आवश्यक होता है आयकर अधिनियम के अधीन, आय-कर निर्धारण की कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है फिर चाहे आय औद्योगिक इकाइयों से हुई हो अथवा अन्य स्रोतों से।

पर्यटन केन्द्रों के लिए "फीडर" विमान सेवा हेतु मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

*908 **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के लिये "फीडर" विमान सेवा चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है ;

(ख) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ;

(घ) यदि कोई आपत्ति है तो उसका विवरण क्या है ; और

(ङ) यदि कोई आपत्ति नहीं है तो क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को उनकी इस सराहनीय योजना के लिये कोई वित्तीय सहायता देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जनवरी, 1978 में, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विमान सेवाएं आरम्भ करने के प्रयोजन के लिए एक 18—20 सीटों वाले विमान की उपयुक्तता उसकी लागत आदि के बारे में परामर्श मांगा था। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि चाही थी कि क्या भारत सरकार के लिये इस प्रयोजन के लिये ऋण देना संभव होगा।

(ख) से (ङ) पर्यटन तथा अन्य महत्व के छोटे नगरों तथा शहरों को "थर्ड लेविल" विमान सेवाओं से जोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। एक प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और इस समय इसकी जांच एक समिति द्वारा की जा रही है जिसका गठन इसके परियोजना के ऐसे विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये किया गया है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए "थर्ड लेविल" परिचालनों की स्कीम का क्रमिक चरणों में विभाजन (phasing) विमान का प्रकार, परिचालन करने वाली एजेंसी, प्रशासनिक ढांचा, तंत्र, मार्ग संरचना, वेतन ढांचा, मार्ग पैटर्न आदि तथा ऐसे ही अन्य संबद्ध मामले। आशा है समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई के अंत तक प्रस्तुत कर देगी और सरकार उसके बाद ही इस विषय पर कोई निर्णय लेगी। इस प्रश्न की कि क्या राज्य सरकारों को फीडर सेवाएं परिचालित करने की अनुमति दी जाए, समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उस रिपोर्ट पर कोई निर्णय ले लेने के बाद ही जांच की जाएगी।

अमरीका को बन्दरों का निर्यात

†909. **श्री राज केशर सिंह** क्या **क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को बन्दरों के निर्यात करने पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जैसा कि 2 अप्रैल, 1978 के 'सन्डे' में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जानवरों के प्रति दया भाव रखने तथा उनके विरुद्ध क्रूरता रोकने के उपाय के रूप में सभी गन्तव्यों को, जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल है, बन्दरों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*910. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़, चीनी, तेल और वनस्पति के मूल्य गिर रहे हैं जबकि गेहूं, चावल, चना और दालों के मूल्य बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1970-71 से मूल्य सूचकांक में 88 अंक की वृद्धि के बाद मूल्यों में 4 अंक की कमी से संतुष्ट है ; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिये किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) गुड़, चीनी, खाद्य तेलों और वनस्पति के थोक मूल्य पिछले वर्ष के थोक मूल्यों से कम हैं। वर्ष के दौरान, चावल के थोक मूल्य भी कम हैं, जबकि गेहूं के थोक मूल्य मामूली से अधिक हैं। चने और दालों कि मूल्यों जो काफी ऊंचे थे, में भी अधिकांश किस्मों के बारे में कमी का रुख आया है।

(ख) चने और दालों के मूल्यों में वृद्धि होने का कारण वर्ष 1976-77 में दालों के उत्पादन में उससे पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 20 लाख मीटर टन की कमी होना है। इसके अलावा, पिछले 12 वर्षों के दौरान दालों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है।

(ग) सरकार मूल्यों के वर्तमान रुख से संतुष्ट नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को न केवल स्थिर करने के लिए ही, वरन् उन्हें संभव सीमा तक नीचे लाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) पिछले एक वर्ष में सरकार ने उपभोज्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती के रुख को रोकने और उनकी उपलभ्यता में सुधार करने के लिये बहुत से उपाय किये हैं। इन उपायों में महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :

(1) प्रतिबन्धित मुद्रा तथा ऋण नीति अपनाना ;

(2) आपूर्ति और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का उदारता से आयात करना ;

(3) देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 7.50 रु० प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर आयातित परिष्कृत रेपसीड तेल बेचना। (पहली मई, 1978 से परिष्कृत रेप-सीड तेल का मूल्य घटाकर 7 रु० प्रति किलोग्राम किया जा रहा है) ;

(4) वनस्पति उद्योग को उनकी तेलों की मांग के 75% से 90% के बीच आयातित तेलों की आपूर्ति करना ;

(5) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से 10,000 मीटरीटन मसूर का आयात करना तथा दालों के आयात के लिए उदार नीति अपनाना ;

(6) लगभग 10 लाख मीटरीटन सीमेंट के आयात की व्यवस्था करना ;

(7) दालों, हाथ से चुनी मूंगफली, खाद्य तेलों के निर्यात पर रोक जारी रखना ;

(8) आलू सहित ताजी सब्जियों, जीरे तथा हल्दी के निर्यात पर रोक लगाना ;

(9) 9 अप्रैल, 1977 से चाय के निर्यात पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय क निर्यात पर दी जाने वाली छूट वापिस लेना ;

(10) गेहूं, धान, चने, मूंगफली, सूर्यमुखी के बीच तथा कपास के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना ;

(11) पहली बार सरसों के लिए समर्थन मूल्य नियत करना, जिससे देश के कुल तिलहन उत्पादन के 75% से कुछ अधिक भाग को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत लाना ;

(12) सामाजिक नियंत्रण वाले अभिकरणों के माध्यम से प्रमूख खाद्य तेलों और और दालों का बफर स्टाक बनाने की व्यवस्था करना ;

(13) गेहूं और चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाना ;

(14) लेवी और बिना लेवी की चीनी अधिक मात्रा में देना ,

(15) लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क में कमी करना ; और

(16) मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में सप्लाई करना ।

Air Accidents occurred during last three years

*915. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** to lay a statement showing :

(a) the number of air accidents which occurred during the last three years and the number of people killed therein; and

(b) the time after which compensation was paid to the next of kin of the persons killed in each case and full details in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) During the period April, 1975 to March 1978, there were 48 notifiable accidents, out of which 7 were fatel involving the death of 323 persons (35 crew, 286 passengers and 2 persons on ground). A statement [Placed in Library. See No. L.T.—2214/78] giving the details of fatal accidents, and the compensation paid or payable, in each case, is laid on the Table of the Sabha.

जीवन बीमा निगम द्वारा "पालिसी" की प्रदत्त (पेड अप) अवधि में किया गया परिवर्तन

*916 **श्री अहसान जाफरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने पालिसी की प्रदत्त (पेड अप) अवधि दो वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इतना जबरदस्त परिवर्तन करने के कारण क्या है ; और

(ग) क्या यह परिवर्तन पालिसीधारियों के हित में हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1-4-1973 से पहले जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत उन पालिसियों के प्रदत्त मूल्य की अदायगी की अनुमति दे रखी थी जिनका प्रीमियम दो वर्ष तक लगातार अदा किया जा चुका हो परन्तु 1-4-73 को अथवा उसके बाद जारी की गई पालिसियों के लिए यह अवधि बढ़ा कर 3 वर्ष कर दी गई। इसके बाद 1-1-1976 को अथवा उसके बाद जारी की गई पालिसियों के संबन्ध में प्रदत्त मूल्य देने की शर्तों में फिर संशोधन किया गया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि पालिसी का प्रदत्त मूल्य तभी सुरक्षित होगा यदि उस पालिसी का प्रीमियम 5 वर्ष तक अथवा पालिसी के प्रीमियम दिए जाने की मूल अवधि को एक चौथाई भाग तक इनमें जो भी कम हो दिया गया हो, लेकिन शर्त यह है कि यह प्रीमियम कम से कम 3 वर्षों तक अवश्य अदा किया गया हो।

(ख) और (ग) प्रदत्त मूल्य देने की शर्तों में परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया था कि पालिसियों को थोड़े समय के बाद ही बन्द कर देने की प्रवृत्ति को रोका जा सके और यह परिवर्तन पालिसि-धारकों के हित में है। पालिसियों के शीघ्र ही व्यपगत हो जाने और अपेक्षाकृत बहुत बड़ी संख्या में छोटी रकमों की प्रदत्त पालिसियों के संबन्ध में की जाने वाली कार्यवाई पर अधिक खर्च होने से जीवन बीमा निगम के लाभ में काफी कमी हो रही थी और इस कार्यवाई से इस कमी को कुछ हद तक रोक लिया गया है और जितनी ही यह कमी रोकी जाएगी उतना ही चालू पालिसी धारकों को लाभ होगा।

आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के कारण खाद्य तेल संकट

917. **डा० रामजी सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन आयल एण्ड प्रोड्यूस एक्सपोर्टस एसोसियेशन द्वारा किये गये इस जोरदार प्रचार की जानकारी है कि खाद्य तेल के आयात के लिए दिये गये 540 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस का दुरुपयोग किये जाने के कारण देश में खाद्य तेल संकट पैदा हुआ है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र को वर्ष 1977 में दिये गये आयात लाइसेंस में से उनके द्वारा गत वर्ष, करोड़ रुपयों में, कितने मूल्य का तेल आयात किया गया और यदि लाइसेंस का उपयोग नहीं किया गया तो क्या यह सरकार को दिये गये वचन को तोड़ना नहीं है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी व्यापारियों और सरकारी विभाग की इस प्रकार की गतिविधियां रोकने की सरकार की कोई नीति है ताकि यह अभूतपूर्व और गंभीर खाद्य तेल संकट दूर किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा (बम्बई पत्तन के जरिये जो मुख्य प्रवेश-पत्तन है) लगभग 282 करोड़ रु० के आयात किए गए। लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस द्वारा आयात तो कर सकता है किन्तु उसका उपयोग करने के लिए लाइसेंसधारी पर कोई बाध्यता नहीं हैं।

(ग) सरकार द्वारा खाद्य तेलों के लिए लाइसेंस देने की नीति सुव्यवस्थित बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसका ब्यौरा सभापटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। सरकार द्वारा प्रतिपादित उपायों के कारण ही वर्ष के उत्तरार्द्ध में तेल के आयात बढ़ गए।

विवरण

(1) पहले से दिए जा चुके ऐसे सभी लाइसेंस आयात के लिए अवैध कर दिए गए थे जिनके आधार पर इस प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर रद्द न किए जा सकने वाले साख पत्र खोलकर माल के आयात के लिए कोई पक्की वचनबद्धता या रद्द न की जा सकने वाली अन्य कोई बचनबद्धता नहीं की गई थी।

(2) बाद में खाद्य तेलों तथा तिलहनों के लिए लाइसेंस आवेदन द्वारा विदेशी संभरकों के साथ की गई पक्की वचनबद्धताओं के आधार पर ही प्रदान किए गए ।

(3) लाइसेंसों का मूल्य, आयात की जाने वाली मदें और लाइसेंसों की वैधता अवधि आवेदक द्वारा विदेशी संभरकों के साथ की गई पक्की संविदाओं के हिसाब से रखी गई ।

(4) लाइसेंसधारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे आयात करते ही संबन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(5) जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा उनके काबू से बाहर के कारणों से आयात न किए जा सकने की सूचना संबन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को उस तारीख के 10 दिन के भीतर देने की अपेक्षा की जाती है जिस तारीख को लाइसेंसधारी मूल संविदा के अनुसार आयात न कर सका हो।

जीवन बीमा निगम का व्यक्तिगत जीवन बीमा कारोबार

*918. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के पूर्वार्द्ध के दौरान जीवन बीमा निगम के व्यक्तिगत जीवन बीमा कारोबार में कमी दिखाई गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1977-78 और 1976-77 के पहले छह महीनों में भारत में व्यक्तिगत बीमा के अन्तर्गत किए गए नए कारोबार का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

1-4-77 से 30-9-77 के दौरान		1-4-76 से 30-9-76 के दौरान	
प्रस्तावित राशि	बीमाकृत राशि	प्रस्तावित राशि	बीमाकृत राशि
768.5	630.9	826.1	673.3

सीधा रेल द्वारा निर्यात

919. **श्री दलपत सिंह परस्ते** :

श्री डी० जी० गवई :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार सीधा रेल द्वारा निर्यात करने पर विचार कर रही है :

(ख) क्या इस बारे में कोई समिति गठित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें रेलों द्वारा निर्यात किया जा सकता है; और

(ङ) इस प्रकार का निर्यात महंगा होगा या सस्ता ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) संभवतः माननीय सदस्य रेल द्वारा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी स्थायी समिति (स्कोप-रेल) का उल्लेख कर रहे हैं जो हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रेल परिवहन द्वारा निर्यात कार्गो को ढुलाई से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गठित की गई है। स्कोप-रेल के विचाराथ विषयों के अनुसार उससे निर्यात यातायात के लिए रेल सेवाओं के पर्याप्तता तथा नियमितता, भांडागारण तथा हैंडलिंग सुविधाओं की पर्याप्तता माल डिब्बों तथा कंटेनरों की पर्याप्ति तथा समय पर पूर्ति, संवर्धनात्मक रेल भाड़ा दरें शुरू किए जाने, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा नेपाल को सीधे निर्यातों के लिए रेल परिवहन सुविधाओं में वृद्धि तथा कन्टेनरों की मल्टी माडल मूवमेंट सुकर बनाए जाने आदि के सम्बन्ध में विचार करने की अपेक्षा की जाती है ।

स्कोप रेल ने 20 मार्च, 1978 को नई दिल्ली में हुए अपने पहले-पहले सत्र में समीपवर्ती देशों को रेल द्वारा निर्यातों के संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न उपयुक्त उपायों पर गहराई से चर्चा की । किन्तु इस मामले का सामान्यीकरण करना संभव नहीं है कि क्या अन्य साधनों की अपेक्षा रेल द्वारा निर्यात महंगे रहेंगे या सस्ते पड़ेंगे । वस्तुतः परिवहन की लागत निर्यात की गई वस्तुओं, यातायात के भार तथा अन्य विभिन्न उपादानों पर निर्भर है ।

Regularisation of Daily Wage Employees of I.T.D.C.

*920. **Shri Siv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of grade-wise employees working on daily wages on ad-hoc basis in all the hotels of India Tourism Development Corporation, hotel-wise, and the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees, among them and the time since when they have been working there; and

(b) the action being taken to regularise them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) On the basis of information available presently, there are about 392 employees on daily wages in various hotels of I.T.D.C. Out of them 139 belong to Scheduled Castes and 9 to Scheduled Tribes. Information regarding their number grade-wise and hotel-wise is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(b) The question of regularisation of daily wage employees on the basis of staff requirement and availability of posts is under consideration of the Management of ITDC.

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के एस० ए० एस० पास लेखापालों/अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति

*921. **श्री बैरागी जैना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के एस० ए० एस० पास लेखापालों/अनुभाग अधिकारियों की विदेशों में विभिन्न लेखा परीक्षा कार्यालयों में नियुक्ति करने संबंधी निर्धारित अर्हताएं तथा अन्य अपेक्षाएं क्या हैं; और

(ख) क्या भूतकाल में इस प्रकार का कोई उदाहरण है कि निर्धारित मानदंड पूरा किये बिना ही किसी अधिकारी को विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया हो ?

वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल : (क) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्यालयों के अनुभाग अधिकारियों की लन्दन तथा वाशिंगटन स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों में नियुक्ति करने के संबंध में कोई निर्धारित अर्हताएं तथा पूर्व-अपेक्षाएं नहीं हैं। बहुत अच्छी सेवा के रिकार्ड वाले कार्यरत अनुभाग अधिकारियों के मामलों पर ऐसी नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

(ख) अभी तक ऐसी नियुक्तियां विधिवतरूप से गठित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा तैयार किए गए पेनलों में से की गई हैं।

बम्बई तट से दूर निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

*922. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी-मार्च, 1978 में बम्बई-तट से दूर एक अरब ढ़ो जिसमें 28 लाख रुपये कीमत का निषिद्ध माल था, पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या माल पकड़ा गया ;

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ;

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान बम्बई-तट से दूर कुल कितनी कीमत का और कौन-कौन सा तस्करी का माल पकड़ा गया है; और

(ङ) पकड़े गये माल का निपटान कि प्रकार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल : (क) से (ग) जी हां, 25 फरवरी, 1978 को 2 लाख रुपये मूल्य की एक अरब ढ़ो बम्बई समुद्र-तट से दूर पकड़ी गयी जिसमें 28 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल था। निषिद्ध माल में मुख्य रूप से वस्त्र और घड़ियां थीं। आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पांच पाकिस्तानी और तीन भारतीय राष्ट्रिक थे।

(घ) वर्ष 1977 के दौरान सोना, घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्रों वगैरा के रूप में जो निषिद्ध माल महाराष्ट्र राज्य में सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय बम्बई और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्तालय पुणे में समुद्र-तट से दूर पकड़ा गया उसका कुल मूल्य कोई 18.68 करोड़ रुपये था। उसी अवधि में पश्चिमी समुद्र-तट पर पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य 20.16 करोड़ रुपये था।

(ङ) सरकार, पकड़े हुए तस्करी के माल को न्याय-निर्णय हो चुकने पर जब्त करती है। जब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की व्यवस्था के अनुसार अपील और नजरसानी की सुविधा का लाभ उठाया जा चुकता है, तब जो माल छोड़ा नहीं जाता अथवा दण्ड देकर वापस उठा नहीं लिया जाता है, वह निपटान योग्य हो जाता है।

तब ऐसे माल का निर्दिष्ट आदेशों के अनुसार निपटान कर दिया जाता है। परन्तु इसमें से जल्दी नष्ट या खराब होने वाले माल को पकड़ने के तत्काल बाद, निपटान कर दिया जाता है।

रुपयों में व्यापार करने वाले देशों द्वारा परिष्कृत अभ्रक की खरीद

*923. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपयों में व्यापार करने वाले देश भारत से बड़ी मात्रा में परिष्कृत अभ्रक की खरीद कर रहे हैं ?

(ख) गत तीन वर्षों में इन देशों को तैयार किये गये (फैब्रीकैटैड) अभ्रक घटकों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ग) क्या इन देशों के साथ व्यापार समझौते में तैयार किए गए (फैब्रीकैटैड) अभ्रक घटकों के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत अभ्रक निर्यात करने की कोई व्यवस्था नहीं थी; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं ।

विवरण

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान रुपया मुद्रा क्षेत्र का फैब्रिकैटैड अभ्रक के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुए :

वर्ष	रु० (लाख)
1974-75	86
1975-76	89
1976-77	213
1977-78	उपलब्ध नहीं है क्योंकि ब्यौरेवार आंकड़े अभी तैयार किए जाने हैं ।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि व्यापार योजनाओं में फेब्रिकेटेड अभ्रक को यथासंभव अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाये । तथापि, यह व्यवहार्य नहीं है कि व्यापार योजनाओं में समग्र रूप से अभ्रक के लिए की गई व्यवस्थाओं के मुकाबले फेब्रिकेटेड अभ्रक के लिए कोई विशिष्ट मात्रा निश्चित की जाये ।

लाख विपणन बोर्ड की स्थापना

*924. **श्री राम किशन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाख विपणन बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) स्टिक लैक के उत्पादन, लाख दाने और चपड़े के विपणन विनिर्माण तथा उनके विपणन को विनियमित व नियंत्रित करने के लिए लाख विपणन बोर्ड की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है । इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

सरकारी कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों की लेखा परीक्षा के बारे में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का क्षेत्राधिकार

8465. **श्री समर मखर्जी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों की लेखा परीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का क्षेत्राधिकार समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है और क्या उन्होंने इस बारे में सरकारी उपक्रमों, निगमों और कम्पनियों की राय मांगी है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो उस सीमा तक संसद और राज्य विधान सभाएं राज्यों और केन्द्र पर अपना वित्तीय नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जायेंगीं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उक्त प्रस्तावित कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुरुप होगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) (ख) और (ग) : इस समय सरकारी कंम्पनियों की लेखा-परीक्षा सांविधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की सलाह से नियुक्त किया जाता है । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कम्पनियों के लेखों की अनुपूरक या परीक्षात्मक लेखा-परीक्षा करने के अलावा, इन कम्पनियों की लेखा परीक्षा के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों को निदेश भी जारी करता है । इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तत्वावधान में लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा कार्य-निष्पादन एवं कार्य-कुशलता संबंधी लेखा-परीक्षा भी समय-समय पर की जाती है ।

सरकारी उद्यमों की लेखा-परीक्षा करने के बारे में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए हैं :—

(1) सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए । निदेशक मंडल द्वारा उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा स्वीकृत नामिका में से की जाए ।

(2) सरकारी कम्पनियों की कार्य-कुशलता संबंधी लेखा परीक्षा सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञों के पेनल द्वारा आवधिक रूप से की जाय ।

(3) किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, यदि आवश्यक समझा जाए तो केन्द्रीय सरकार को कदाचित यह अधिकार होगा कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी विशेष मामले में लेखों की जांच करा सकती है ।

ये सुझाव कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों को सरल बनाने संबंधी उपायों के बारे में सिफारिश करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति सच्चर की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति को भेज दिए गए हैं। सरकार द्वारा इन सुझाओं की और अधिक जांच करने का प्रश्न केवल तभी पैदा होगा, जबकि समिति की सिफारिश प्राप्त हो जाएं ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम गैर सरकारी क्षेत्र की सेवा में

8466. **श्री सुखदेश प्रसाद वर्मा**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1978 के "न्यू एज" में "आई. टी. डी. सी. इन द सर्विस आफ प्राइवेट सैक्टर" शीर्षक समाचार की ओर गया है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की आयातित कारें ग्राहकों के अभाव में गैरेजों में निष्प्रयोजन पड़ी हुई हैं क्योंकि यात्रियों से गैर सरकारी कारों के किराये की तुलना में बहुत ऊंचे किराये मांगे जा रहे हैं ;

(घ) निगम के पास कुल कितनी आयतित कारें हैं तथा वे कब आयात की गई, उनसे कितना राजस्व वसूल हुआ और निगम को ये कारें कब मिलीं ।

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान कारों की भौतिक रूप से उपस्थिति तथा स्टोर की वस्तुओं तथा कलपुर्जों की कमी के बारे में भारतीय पर्यटन विकास निगम के लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां क्या कह रहीं हैं; और

(च) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को प्रबंध समस्याओं तथा भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन प्रभाग द्वारा उठायी जाने वाली हानि की जानकारी है।

(ग) जी नहीं । पर्यटक वाहनों के दरों का, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में, अनुमोदन वाहनों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तथा ऐसे वाहनों के सभी मालिकों को उन्हें अनुमोदित दरों पर ही किराए पर देना होता है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I) ।

(ङ) लेखा परीक्षकों ने स्टोर्स तथा पर्यटक वाहनों फालतू पुर्जों में कुछ कमी बेसी (Shortages/ Excesses) निकाली है ।

(च) सरकार ने परिवहन प्रभाग के कार्य-चालन के प्रश्न की जांच करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है जिससे कि विमान बेड़े के अधिकतम उपयोग तथा इसके अधिकतम किफायती परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके ।

विवरण

वर्ष	कारों की संख्या			अर्जित राजस्व	
	आरंभ में वृद्धि की गयी		निकाली गयी अंत में	(लाख रुपयों में)	
1968-69	30	—	—	30 आयतित कारों	
1969-70	30	1	—	31 के आंकड़े अलग	
1970-71	31	54	7	78 से उपलब्ध नहीं हैं ।	
1971-72	78	—	8	70	
1972-73	70	41	4	107	26.92
1973-74	107	2	2	107	42.88
1974-75	107	1	—	108	40.84
1975-76	108	—	—	108	40.77
1976-77	108	—	11	97	43.58
1977-78	97	20	9	108	41·00

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के चैयरमैन के निकट सम्बन्धी का कापड़िया बन्धुओं के साथ कार्य करना

8467. **श्री वयालार रवि** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल बैंक के चेयरमैन के एक निकट सम्बन्धी कापड़िया बन्धुओं के साथ कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या कार्य दिया गया है और वह कापड़िया बन्धुओं के साथ कब से कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री श्री **एच० एम० पटेल** : (क) और (ख) जी हां। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष का भाई फरवरी, 1967 से मेसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी, बम्बई में काम कर रहा है। वह रंगों की क्वालिटी का परीक्षण करने वाला लेबोरेटरी तकनीशियन है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किये गये अध्ययन

8468. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष किन विषयों पर अध्ययन किये हैं; और

(ख) क्या इन अध्ययनों में सूखे की डैजर्टलोकस्ट मेट्रोलोजी और एग्रोक्लाइमेटिक परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने "सिनाप्टिक" मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में अध्ययन किए, जिनमें इनसे संबंधित अध्ययन सम्मिलित हैं— उष्णदेशीय चक्रवात; आंकिक मौसम पूर्वानुमान तथा मध्यम एवं दीर्घ परास पूर्वानुमान सहित मौसम पूर्वानुमान; मौनसून मौसम विज्ञान; सूखे के कृषि मौसम अध्ययन सहित जलवायु विज्ञान; महामारियों तथा बीमारियों की घटनाओं, मरुस्थल टिड्डी मौसम विज्ञान तथा बागनी खेती मौसम विज्ञान सहित कृषि मौसम विज्ञान; राडार मौसम विज्ञान सहित मौसम वैज्ञानिक उपकरण व्यवस्था; उपग्रह मौसम विज्ञान; जल मौसम विज्ञान; वायु प्रदूषण; मौसम विज्ञान दूर-संचार तथा भूकम्प विज्ञान।

(ख) जी, हां ।

सीमाशुल्क अधिनियम में संशोधन

8469. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी गतिविधियों में लगे हुए व्यतियों को कठोर दण्ड देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सीमाशुल्क अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) से (ग) जी, हां। तस्करी में लगे व्यक्तियों के लिए निवारक सजा की व्यवस्था करने की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 में संशोधनकारी विधेयक संसद में पहले ही पेश किया जा चुका है। प्रस्तावित संशोधन का आशय यह है कि किसी माल से संबंधित, जिस पर धारा 123 लागू होती है

और जिसका बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक होता है, धारा 135 के अन्तर्गत अपराध के लिए दंडनीय किसी व्यक्ति के मामले में अथवा धारा 135 के अन्तर्गत किसी अपराध में दोषी पाये गये किसी व्यक्ति के मामले में इस धारा के अन्तर्गत अपराध का फिर से दोषी पाये जाने पर, कैद की न्यूनतम अवधि वर्तमान छः महीने के स्थान पर एक साल होगी।

बिक्री कर का समाप्त किया जाना

8470. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि बिक्री कर समाप्त करने के लिए संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेदों में संशोधन किया जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तीर्थ स्थानों का विकास तथा इसके लिये गुजरात राज्य को नियतन

8471. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान देश में तीर्थ स्थानों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को तथा विशेषकर गुजरात राज्य को इसके लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान तीर्थ स्थानों के विशिष्ट केन्द्रों के विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन एक सोसायटी के गठन करने का प्रस्ताव है जो तीर्थ स्थानों के राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रों पर धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों के सुधार/विस्तार/निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सोसायटी बारी-बारी से केन्द्र तथा राज्य सरकारों, धार्मिक/परोपकारी संस्थाओं, संस्थानों, व्यक्तियों आदि से अनुदान/दान भी प्राप्त करेगी।

पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के बारे में उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव

8472. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षमता का उपयोग करने हेतु केन्द्र सरकार से कम से कम 4 करोड़ रुपये का केन्द्रीय निवेश करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग को उड़ीसा की पर्यटन संभावनाओं के संबंध में एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें पर्यटक रुचि के स्थानों तथा उन स्थानों पर अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं का निर्धारण किया गया है।

स्थानों/स्कीमों के विकास के लिए निम्नलिखित केवल दो स्कीमों/परियोजनाओं के बारे में निधियों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है :—

स्थान का नाम	स्कीम	(लाख रुपयों में) अनुमानित व्यय
(i) पुरी-कोणार्क .	पुरी और कोणार्क को "मैराइन ड्राइव" से जोड़ने के कार्य को पूरा करना	121.00
(ii) रत्नागिरि-उदयगिरि .	लिंक रोड का निर्माण	61.00

क्योंकि इन स्कीमों का संबंध सड़क निर्माण से है, ये कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग और/अथवा जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय के सड़क पक्ष के कार्य क्षेत्र में आते हैं, जो इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या ये मार्ग राज्य के हैं अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसलिए इस व्यय का उत्तरदायित्व पर्यटन सेक्टर पर नहीं होगा।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा अशोक होटल में आयोजित स्टार नाइट

8473. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा अशोक होटल में आयोजित स्टार नाइट के बारे में 9 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3334 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा उक्त स्टार नाईट के लिए एकत्रित धनराशि तथा तत्संबंधी लेखों के स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र में जमा कराये जाने की पुष्टि कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच का कार्य अंतिम चरण में है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र में रखे गए "स्टार नाइट" से संबंधित लेखे तथा दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सचिव की रिपोर्ट की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कर ली गयी है। यह पता चला है कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा 15,78,727 रुपए एकत्रित किए गये तथा "स्टार नाइट" के आयोजन पर 2,99,517.69 रुपए की राशि व्यय की गयी। 12,79,209.31 रुपए की शेष राशि स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र में जमा है।

Hope Textile Mill, Indore

8474. **Shri Kukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of excise duty paid by Hope Textile Mill, Indore since its inception to date in different years and the amount that remains to be paid and whether it is a fact that with a view to evade excise duty half and quarter metre pieces are made from the cloth sold by the Mill; and

(b) whether it is fact that the Mill takes money generally from banks by showing wrong and bogus figures in regard to its cotton and cloth stock and if so, the names of the banks from which money has been taken during the last three years and the amount of money taken from each of banks and the limit upto which the mill is permitted by bank to make overdrawal ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) The required information is furnished in the Statement appended.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Statement

The amount of excise duty paid by Hope Textile Mill, Indore on Cotton fabrics and on Cotton Yarn is as under :—

Year	Duty paid on Cotton Fabrics	Duty paid on Cotton Yarn
	Rs.	Rs.
1973-74	7,97,534.43	3,97,414.20
(from 23-10-1973 to 31-3-1974)		
1974-75	20,26,597.02	10,05,351.40
1975-76	17,73,659.52	9,23,685.12
1976-77	11,97,384.59	8,87,470.38
1977-78	16,54,254.21	9,96,314.42

No arrears of Central Excise are outstanding against the Mill. No cases of evasion of excise duty by the mill by cutting cloth into half and quarter metre pieces have come to the notice of the Department.

श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों द्वारा अनशन और प्रदर्शन

8475. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों ने हाल ही में श्रेणी एक और श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों के बीच सरकार द्वारा भेदभाव किये जाने, जबकि दोनों श्रेणी के अधिकारी एक जैसा काम करते हैं, के विरुद्ध अनशन और प्रदर्शन किया;

(ख) श्रेणी दो के इन आयकर अधिकारियों की मांगें क्या थी; और

(ग) क्या सरकार उनकी कठिनाइयों को पूर करेंगी और यदि हां, तो कब और कैसे ?

वित्त नंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) आयकर अधिकारियों (श्रेणी-II) और अन्य अधिकारियों ने भी, जिनका प्रतिनिधित्व बंगाल आयकर (राजपत्रित) सेवा संघ, कलकत्ता करता है, 27-2-1978 और 28-2-1978 को विरोध दिवस मनाया। उन्होंने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी थीं और अपनी कमीजों पर एक छपा हुआ कागज लगा रखा था जिसमें उनकी मांगे दी गयी थीं। उन्होंने 22-2-1978 को 5 बजे सायंकाल से 1-3-1978 की 5 बजे सुबह तक पूरी रात धरना देकर प्रदर्शन भी किया। छपे हुए कागज को, जिसमें उनकी मांगें बतायी गयी थीं, नीचे उद्धृत किया गया है :—

बंगाल आयकर (राजपत्रित) सेवा संघ निम्नलिखित के प्रति विरोध करता है :

*80 प्रतिशत अधिकारियों के प्रति भेदभावपूर्ण और विशिष्ट वर्गीय नीति।

*सर्वोच्च न्यायालय, वेतन आयोग और संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये गलत साक्ष्य और वास्तविक तथ्यों को दबाना

*उच्च अधिकारियों का बाहुल्य और निम्न स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों के अत्यधिक अभाव की स्थिति की उपेक्षा।

मांगें

*समान कार्य के लिए समान वेतन और अवसर दिये जाये।

*वरिष्ठता के काले नियम, 1973, को समाप्त किया जाय और संसदीय समिति की सिफारिशें लागू की जायें।

*जब तक अधिकांश अधिकारियों की मूलभूत समस्याओं को साथ-साथ हल नहीं किया जाता तब तक आयकर आयुक्तों की पदोन्नति स्थगित रखी जाय।

*प्रथम उपाय के रूप में, जब तक पात्र आयकर अधिकारी, श्रेणी-II, श्रेणी-I के पदों में नहीं खपाये जाते तब तक सीधी भर्ती को रोक लिया जाय।

*कार्य के वर्गीकरण के धोखे को समाप्त किया जाय और आयकर अधिकारियों की दोनों श्रेणियों को साथ मिला दिया जाय और उन्हें एक समान कार्य और दायित्व दिये जाएं।

*सीधी भरती से नियुक्त किये गये अधिकारियों की तुलना में पदोन्नत अधिकारियों के संवर्ग ढांचे और पदोन्नति के अवसरों में जो असंतुलन है उसे दूर किया जाये।

*पदोन्नति पर श्रेणी-I के अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान मंजूर किया जाय और की गई समान सेवा के लाभ दिये जायें।

*कार्य प्रतिमान और काम की शर्तों का यथार्थवादी निर्धारण किया जाय।

न्याय करने के लिए न्याय की मांग करते हैं।

विरोध दिवस--27-2-1978 और 28-2-1978।

(ग) सभी अधिकारियों की सेवा में पदोन्नति के अवसरों के प्रश्न की, जिनमें आयकर अधिकारी श्रेणी-II भी शामिल हैं, सतत समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है तो समुचित कार्यवाही की जाती है।

विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिये प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक

8476. **श्री नाथू सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पचवर्षीय योजना के अन्त में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में तथा 1 जनवरी, 1978 को विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिये कुल कितने कितने वाणिज्यिक बैंक प्राधिकृत थे, और

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में तथा दिसम्बर, 1977 के अन्त में (1 जनवरी, 1978 को) देश पर्यन्त बैंकों की कुल कितनी विदेशी मुद्रा के कारोबार में लगी शाखाएं विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिये प्राधिकृत थीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास यथा उपलब्ध सूचना प्राप्त करके सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

गोआ की यात्रा करने वाले भारतीय तथा विदेशी पर्यटक

8477. **श्री एडुआर्डो फैलोरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक कितने भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों ने गोआ की यात्रा की और उस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए गोआ के विकास हेतु सरकार किन नई योजनाओं तथा सुविधाओं पर विचार कर रही है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गोआ में पर्यटकों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) भारत आने वाले अंतराष्ट्रीय पर्यटकों के आकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किये जाते है न कि राज्यवार या स्थान वार आधार पर । केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा देशीय पर्यटकों के आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि अभी तक इस उद्देश्य के लिये किसी वैज्ञानिक प्रणाली का अविष्कार नहीं किया गया है । यह कार्य किया जा रहा है । तथापि, 1976-77 (जुलाई से जून तक) के दौरान किये गये विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि भारत आये कुल विदेशी पर्यटकों में से 7.15 प्रतिशत पर्यटकों ने उस अवधि के दौरान गोवा की यात्रा की ।

जहां तक नयी स्कीमों तथा और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने का संबंध है, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने समुद्रतटों के किनारे विकास करने के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिये गोवा में चुने हुए समुद्र तटों के साथ साथ तटीय क्षेत्र का एक जल-विज्ञान सर्वेक्षण करवाया था पणजी में युवा होस्टल के सहयोग से अपने युवकों के लिये जल-क्रीड़ा पाठ्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव है बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिये उपयुक्त जल क्षेत्र उपलब्ध हो जाते हैं । राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों को खोजने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है । गोवा में किसी एक समुद्र तट के किनारे भारत पर्यटन विकास निगम का भी एक होटल बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा गोवा में पर्यटन से कोई राजस्व नहीं कमाया गया है क्योंकि यह गोवा में किन्हीं भी पर्यटक सुविधाओं का सीधा परिचालन नहीं करता ।

समुद्री बीमा व्यापार करने वाले सरकारी उपक्रम

8478. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की समुद्री बीमा कम्पनियों के बारे में 10 मार्च, 1978 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री बीमा व्यापार करने वाले सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों के नाम क्या हैं और देश में 1 जनवरी, 1978 को प्रत्येक के कितने शाखा कार्यालय थे;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को और पहली पंचवर्षीय योजना और तीसरी योजना के अन्त में ऐसे प्रत्येक उपक्रम के समुद्री बीमा एजेन्टों के रूप में कितने फर्म/लोग काम कर रहे थे; और

(ग) 1 जनवरी, 1978 को और पहली पंचवर्षीय योजना ओर तीसरी योजना के अन्त में इनमें से प्रत्येक उपक्रम के कितने कितने (1) एजेन्ट (दो) शाखा-कार्यालय दिल्ली, बम्बई कलकत्ता और मद्रास में कार्य कर रहे थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) समुद्री बीमा का कारबार करने वाले सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों के नाम जिनमें (तीन राज्य सरकार बीमा विभाग भी शामिल हैं) और 1-1-1978 की स्थिति के अनुसार उन के शाखा कार्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	शाखा कार्यालयों की संख्या
(1) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया (केवल पुर्नबीमा कारबार करता है)	शून्य
(2) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	129
(3) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	249
(4) ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	161
(5) यूनाइटेड इंडिया फायर ऐण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	150
(6) गवर्नमेंट आफ गुजरात बीमा फण्ड	शून्य
(7) केरल स्टेट गर्वनमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट	सूचना इकक्ट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल रख दी जाएगी ।
(8) गर्वनमेंट आफ महाराष्ट्र इंश्योरेंस फण्ड	

(ख) बीमा एजेंट को बीमा कारबार प्राप्त करने और उसके लिए अनुरोध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना अपेक्षित है और जिस व्यक्ति के पास ऐसा लाइसेंस है उसे सभी प्रकार का बीमा कारबार अर्थात् जीवन और साधारण बीमा कारबार प्राप्त करने का अधिकार है । इसलिए इन उपक्रमों में से प्रत्येक के लिए केवल समुद्री बीमा प्राप्त करने वाले फर्मों/व्यक्तियों की संख्या निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) भारत में साधारण बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण 1-1-1973 से किया गया था और उससे पहले अनेक भारतीय और विदेशी कम्पनियां भारत में बीमा कारबार करती थीं । इसलिए इतनी देर के बाद इस समय यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रमशः पहली आयोजना और तीसरी आयोजना के अन्त में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के शह रों में से प्रत्येक में कितने एग्रेंट और कितनी शाखाएं थी ।

फिर भी 1-1-1978 की स्थिति के अनुसार सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रचलन में धनराशि का सही लेखा रखना

8479. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया प्रचलन में धनराशि का सही लेखा नहीं रख रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जाली नोटों को असामान्य घटनाओं के अतिरिक्त एक ही नम्बर के दो या तीन करेंसी नोटों का पता लगाने की अनेक घटनाएं हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक चलनशील नोटों तथा सिक्कों का मूल्यवर्गवार ब्यौरा रखता है तथा जहां तक व्यवहार्य हो इस बात का हर प्रयत्न किया जाता है कि यह ब्यौरा सही हो ।

(ख) नासिक तथा देवास स्थित प्रेसों द्वारा लाखों करेंसी तथा बैंक नोट प्रत्येक वर्ग भारतीय रिजर्व बैंक को सप्लाई किए जाते हैं । उदाहरण के लिए 1977-78 के दौरान 510 करोड़ नोट भारतीय रिजर्व बैंक की सप्लाई किए गए थे । इतने बड़े काम में, करेंसी तथा बैंक नोटों पर गलत तथा बेमेल नम्बर पड़ जाने के इक्के-दुक्के उदाहरण जिनके बारे में मुद्रणालयों में पता न लग सका हो, सामने आते हैं, लेकिन इनकी संख्या हर वर्ष जारी किए गए नए नोटों की कुल मात्रा की तुलना में नगण्य है । उदाहरण के लिए 1977-78 के दौरान एक से नम्बरों वाले नोटों के केवल 7 उदाहरण सरकार के ध्यान में लाए गए जबकि उसकी तुलना में 1976-77 में ऐसे नोटों की संख्या 13 थी।

(ग) गलत नम्बर पड़ जाने की घटना या तो नम्बर लगाने वाली मशीन में कोई यांत्रिकी खराबी अथवा हाथ से गलत नम्बर पड़ जाने के कारण होती है, जिसका बाद में जांच के समय भी पता नहीं लग पाता । प्रत्येक मामले में उस कर्मचारी के खिलाफ हमेशा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे भूल हुई हो ।

पत्तीदार कमानियों (लीफ स्प्रिंग का निर्यात)

8480. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों में काम आने वाली पतीदार कमानियों का विदेशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में वर्षवार, प्रत्येक देश को निर्यात की गई पत्तीदार कमानियों का मूल्य क्या है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के पत्तीदार कमानियों के निर्माताओं से आवेदन पत्र मांगने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मोटर गाड़ियों की पत्तीदार कमानियों का निर्यात, सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम के माध्यम से मार्गीकृत नहीं हैं । निर्यात आदेश लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माता द्वारा स्वयं अथवा व्यापारी निर्यातक या निर्यात सदन द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं । लघु उद्योग क्षेत्र अथवा संगठित क्षेत्र के किसी निर्माता को सहबद्ध करने का निर्णय व्यापारी निर्यातक या निर्यात सदन द्वारा अपनी सामान्य व्यापार पद्धति के अनुसार किया जाता है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

मुख्य आयातक देश	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अफगानिस्तान . .	4.46	4.44	1.50	4.07	10.11
कनाडा . . .	—	—	—	—	6.97

1	2	3	4	5	6
ईरान	0.02	—	—	—	26.09
केन्या	2.91	6.01	10.04	3.35	6.35
कुवैत	—	—	0.67	12.02	24.06
मलयेशिया	1.13	3.40	1.10	1.32	12.57
मारीशस .	0.27	0.66	0.27	1.46	5.32
नाइजीरिया	6.48	3.47	3.98	10.94	4.72
सिंगापुर	3.71	5.76	4.51	11.14	12.33
तंजानिया	2.39	2.53	15.89	14.59	12.80
अमरीका . .	—	—	—	0.42	4.06
जर्मनी संघीय गणराज्य	—	—	—	—	1.61
हालैंड .	—	—	—	—	1.03
फिलीपीन्स	—	2.87	—	—	—
पोलैण्ड	14.00	3.36	—		—
सूडान	0.86	0.74	—	—	—
अन्य .	0.64	0.44	2.39	1.22	3.11
योग . . .	36.87	33.68	40.35	60.53	131.13

देश में विभिन्न ग्रेडों के रिक्त पदों के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में जन शक्ति योजना विभाग का अनुमान

8481. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के जनशक्ति योजना विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि देश में क्लर्क ग्रेड में 1978 में 30,000 रिक्त पद होंगे तथा 1978 में 10,000 अधिकारियों की कमी होगी;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 और 1977 में क्लर्कों के 10,000 पदों को भरा नहीं गया था; और

(ग) ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिये तथा शिक्षित युवकों में भारी बेरोजगारी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1978 वर्ष के लिए अपने कार्यालयों के रिक्त स्थानों का जायजा अभी पूरा नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं । बैंक ने सूचित किया है कि खाली पड़े पद बहुत थोड़े हैं ।

(ग) खाली पड़े पद यथा शीघ्र भर लेने का प्रस्ताव है ।

बिड़ला बन्धुओं से संबंधित प्रत्येक फर्म और उद्योग की ओर आयकर की बकाया राशि

8482. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक बिवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला बन्धुओं से सम्बन्धित प्रत्येक फर्म अथवा उद्योग और इन फर्मों और उद्योगों के प्रत्येक साझीदार की ओर 31 मार्च, 1978 को आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) उनकी ओर आयकर की राशि कब से बकाया थी ;

(ग) आयकर की उस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या बिड़ला बन्धुओं की किसी फर्म या उसके साझीदार के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आयकर अधिनियम के उपबन्धों में आय कर वसूल करने में ऐसी ढील के लिए व्य वस्था है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला :] (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है; इसे एकत्रित किया जा रहा है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पलट पर रख दिया जायेगा।

Assistance from Asian Development Bank

8483. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Asian Development Bank has given a new shape to the programme to advance loan for helping the developing member countries to deal with the situation arising out of the existing energy crisis and World monetary position; and

(b) if so, the details of the assistance received by India under the new schemes prepared by it in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The lending activities of the Asian Development Bank continue broadly to be on established patterns, with some recent innovations such as co-financing and programme lending.

(b) Though India is eligible to do so, as a matter of policy we do not borrow from the Asian Development Bank.

Taxes outstanding against Foreign Companies

8484. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Finance** pleased to state the names of foreign companies against which amount of various types of taxes are outstanding and the total amount outstanding on this account and since when and the steps taken by the Central Government to realise this amount from them and the action taken against each of these companies for economic offences ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarw al) : The infor mation is being collected and will be placed on the Table of the House.

स्टेट बैंक आफ इंडिया का भुवनेश्वर, उड़ीसा में मुख्यालय खोलना

8485. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि स्टेट बैंक आफ इंडिया का भुवनेश्वर, उड़ीसा में मुख्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मुख्यालय खोलने के औत्चित्य के बारे में राज्य के अनुरोध का सारांश क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) 11 अप्रैल, 1978 को हुई पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में अपने भाषण के दौरान, उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि भारतीय स्टेट बैंक को उड़ीसा में एक प्रधान कार्यालय स्थापित करना चाहिये क्योंकि इस राज्य में स्टेट बैंक की शाखायें अधिकतम हैं। यह इस राज्य के 13 जिलों में से 8 में लीड बैंक है। ये 6 जिले तुलनात्मक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं और यह सूचना मिली है कि इस बैंक ने कुछ और राज्यों में अपने क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय खोले हैं जहाँ इनसे भी कम कारोबार है और कम शाखाएं भी हैं।

(ख) स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों की अवस्थिति सहित अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा कर ली है और इस समीक्षा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के विचारों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा।

Demands submitted by Rural Bank Employees Union, Jaipur

8486. **Shri Ram Kanwar Berwa :** Will the Minister of Finance be pleased to state the reaction of Government to the charter of demands submitted by the Rural Bank Employees' Union, Jaipur on the 15th December, 1977 and the progress achieved in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : The said charter of demands submitted by the Rural Bank Employees' Union, Jaipur contains issues like promotion, recruitment rules and various allowances in respect of the staff of the Rural Banks. Policy decisions on various matters including those mentioned in the charter of demands referred to in the Question, will be taken in the light of the recommendations of the Dantwala Committee in its Report submitted to the Reserve Bank on 23-2-78, and the views of the Reserve Bank thereon. However, in urgent matters like medical benefits, leave, annual increments, etc., the Regional Rural Banks have been advised to adopt provisionally the service rules applicable to the comparable levels of employees of the Government of the State in which they are located.

महाराष्ट्र में पर्यटन सुविधायें

8487. **श्री केशवराव फोंडगे : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पर्यटकों के लिए क्या-क्या सुविधायें देने का विचार है;

(ख) क्या पर्यटन स्थलों की दशा के बारे में पर्यटकों से कोई शिकायतें अथवा कोई अन्य जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की महाराष्ट्र में दो लंबी चलने वाली स्कीम हैं अर्थात (1) सेवाग्राम में 14.75 लाख रुपए की अनुमानित राशि से यात्री निवास का निर्माण, जिसके लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है; और (2) अजंता के गिरिपीठ के क्षेत्र का विकास, जिसके लिए 1977-78 में

9,36,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी । भारत पर्यटन विकास निगम का उपयुक्त भूमि तथा संसाधन उपलब्ध होने की अवस्था में बम्बई में एक होटल का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग)अधिकतर शिकायतें पर्यटक स्थलों पर भिखारियों के उत्पात, अपोलो बंदर में सीढ़ियों की खराब हालत जहाँ से कि पर्यटक एलिफेंटा के लिए लौंचों में सवार होते हैं, एलिफेंटा में जेट्टी तथा एलिफेंटा जाने वाले लौंचों की खराब हालत, गुफाओं में प्रवेश करने के लिए अजंता में प्रतीक्षा करने वालों की लम्बी कतारों, अजंता में सस्ते रेस्टोरेंट की कमी आदि से सम्बन्धित थीं। इन शिकायतों को बम्बई के क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय द्वारा विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है । पर्यटन केन्द्रों पर भिखारियों, दलालों, अवारा बच्चों द्वारा उत्पन्न उत्पात की समस्या को अगस्त, 1977 में हुए राज्य मंत्रियों के पर्यटन सम्मेलन में उठाया गया था जिसमें सिफारिश की कि कम से कम स्मारकों, रेलवे स्टेशनों, विमान क्षेत्रों, होटलों आदि से भिखारियों आदि को हटाया जाना चाहिए । यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपनी कानून प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से इस सिफारिश पर उपयुक्त कार्यवाही करें ।

Development of Kandla Free Trade Zone

8488. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of Commerce, **Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether an 11-point memorandum dated the 3rd January, 1978 has been received from the Chairman, Gujarat Exports Corporation Ltd., Ahmedabad, demanding speedy development of Kandla Free Trade Zone and if so, the contents of these 11-point memorandum;

(b) the action taken so far on these demands, demand-wise and the demands on which no action has been taken together with the reasons therefor; and

(c) when and what decision is proposed to be taken on the demands on which no action has been taken ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir. Eleven points mentioned in the memorandum dated 3rd January, 1978, from the Chairman, Gujarat Export Corporation listed in the statement attached.

(b) and (c) The eleven points are under active consideration of the Government in consultation with the concerned Ministries and the Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, and it will take some time to take a final decision in the matter.

Statement

1. The fundamental concept of the zone is "free trading" and, therefore, imports and exports from Kandla Free Trade Zone of raw materials and or any other products should be allowed freely without any procedural restrictions.
2. The raw materials so imported in the Kandla Free Trade Zone may be exported to any other destinations throughout the world. We should not force the importer to utilise it for manufacturing purpose.
3. The importer in the Kandla Free Trade Zone may be allowed to sell imported raw material to any valid import licence holder in India under a streamlined procedures to be adopted by the Customs, the payment of which should be made in foreign currency.
4. The trading corporations may be allotted plots of lands in the zone where they can built up their warehouses, offices with telecommunications and telex facilities including direct dialing to the trading centres of the world like New York, London and Tokyo.

5. The imported raw materials will be very much helpful to the Indian manufacturers in the country who will be able to save a lot of time for importi ng the raw materials and will spare them from the price fluctuations and can get the raw materials immediately say within 24 hours.

6. The most immediate step to be taken is to appoint a powerful statutory body with a Chairman of Cabinet rank Minister who can decide on various problems immediately on the spot. This statutory body may be given all the powers for rapid development of Kandla Free Trade Zone.

7. For establishment of industry in the zone the Chairman should be fully authorised to issue the industrial licences for processing the raw materials and export the products to varius destinations.

8. The taxation pattern should be as per the Singapore Income Tax pattern or the Hong Kong Income Tax Pattern which will attract substantial foreign capital to be invested in the zone.

9. A Government official and a representative of the Trade may be appointed immediately to survey the taxation pattern in Singapore and Hong Kong and submit their recommendations within one month to enable the Government of India to decide on the subject very quickly.

10. The shipping is a very serious problem, which may be attended immediately. We should suggest that a freight subsidy for the next five years may be given to all the shipping companies the vessels of which are touching the port of Kandla. The long standing argument by the shipping companies is that there is no cargo available to fill the ship or that the ship is not available.

1. Interest free loan may be given to private sector shipping companies with a subsidy of 15 to 20% which would start shipping corporation with the Head Office in Kandla and all the steamers would start from the focal point.

Foreign Assistance for Fertilizer Plants

†8489. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance** be please to state :

(a) whether it is a fact that Government are receiving foreign assistance for fertilizer plantr; and

(b) if so, the amount and terms and conditions thereof ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) The details are given in the statment.

Statement

Foreign Assistance being received for Fertilizer Plants

S. No.	Name of the Project	Source	Amount in Donor Currency	Terms and Conditions		
				Maturity including Grace period (Yrs.)	Grace Period (Yrs.)	Rate of Intt. (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited	International Bank for Reconstruction & Development.	US$ 109 million	15-1/2	5	8

1	2	3	4	5	6	7
2.	Sindri Fertilizer Project.	International Development Association.	US$ 91 million	50	10	3/4 of 1% (service charges)
3.	Trombay Fertilizer Project.	Do.	US$ 50 million	-Do-	-Do-	-Do-
4.	Fertilizer Industry Project.	Do.	US$ 105 million	-Do-	-Do-	-Do-
5.	Bhatinda Fertilizer Project of National Fertilizers Ltd.	Japan	Yen 11 billion	25	7	4
6.	Panipat Fertilizer Project of National Fertilizers Ltd.	Do.	Yen 11 billion	25	7	4
7.	Ad-hoc credit for Bhatinda Fertilizers Project & Panipat Fertilizers Project.	Do.	Yen 10.9 billion	25	7	4
8.	The Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd.	Federal Republic of Germany.	DM 130 million	Out of this amount loans amounting to DM 55 million are repayable within a period of 30 years including grace period of 10 years and carry interest @ 2% per annum while loans amounting to DM 75 million are repayable within a period of 50 years including grace period of 10 years and carry interest at the rate of 0.75% per annum.		
9.	Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd. (Fertilizer Project Tuticorin, Tamil Nadu).	United Kingdom	£ 7.740 million	25	7	Interest free
10.	Mangalore Chemicals and Fertilisers Ltd. (Fertilizer Project, Bangalore).	Do.	£ 10.500 million	-Do-	-Do-	-Do-

Loan facilities to Unemployed Graduates and Youths starting Cottage Industries

†8490. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether, keeping in view the backwardness in Bihar and the problem of unemployment there, Government have given directions to the nationalised banks thereto provide more loan facilities to unemployed graduates and youths starting cottage industires; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) Government attaches the highest importance to the creation of employment opportunities in rural areas through small scale and village industries. Towards this end the Ministry of Industry has formulated a Central Scheme which envisages financial assistance to the State Governments including Bihar for provision of margin money to small units in which investment in plant and machinery does not exceed Rs. 1 lakh.

The Government has also instructed the public sector banks to involve themselves actively in the meaningful implementation of the scheme. Besides, the banks have been advised to provide larger credit assistance to economically and industrially backward States.

1978-79 में त्रिपुरा के पर्यटन स्थलों का विकास

8491. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 में त्रिपुरा में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितनी लागत का अनुमान है और इस सम्बन्ध में यदि कोई केन्द्रीय सहायता माँगी गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है और यदि हाँ, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) पर्यटन स्कीमों के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा अपनी 1978-79 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित 12.40 लाख रुपए के परिव्यय की तुलना में, योजना आयोग के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप 10 लाख रुपए के अंतिम परिव्यय पर सहमति हुई।

स्कीमों के ब्यौरे, उनके परिव्यय सहित, संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

वार्षिक योजना 1978-79—त्रिपुरा

स्कीम	स्वीकृत परिव्यय	टिप्पणी
	(लाख रुपयों में,	
(क) **निदेशक तथा प्रशासन** (मुख्यालय में पर्यटन तथा प्रचार विभाग के पर्यटन विंग को सुदृढ़ करना)	0.75	एक उपनिदेशक की नियुक्ति को, जिसमें आशुलिपिक सहायता भी सम्मिलित होगी, प्राथमिकता दी जाती है ।
(ख) **पर्यटक परिवहन सुविधायें** (ट्रक को एक टूरिस्ट कोच में बदलना)	1.00	

स्कीम	स्वीकृत परिव्यय		टिप्पणी
(ग) पर्यटक आवास	लाखरुपयों में		
(1) अगरतला में पर्यटक लॉज तथा अनुषंगी विकास कार्य	2.00		पूरा करने के लिए
(2) अगरतला में अनुषंगी विकास के प्रारम्भिक कार्य	1.50	5.00	अगरतला के भूदृश्यांकन तथा सौन्दर्य-वर्द्धन के लिए
(3) रुद्रसागर झील पर नीर-महल का विकास	1.00		लेक पैलेस के नवीकरण के लिए
(4) उनाकुटि का विकास	5.00		
(घ) पर्यटक सूचना तथा प्रचार	1.50		दिल्ली तथा कलकत्ता में सूचना केन्द्र खोलने तथा पर्यटन साहित्य के लिए ।
(ङ) पर्यटन केन्द्र			
(1) दम्बूर लेक एरिया का विकास	0.50		सर्वेक्षण कार्य के लिए टोकन व्यवस्था
(2) जामपुई पहाड़ियों का विकास	0.25		
(3) सिपाहीजाला में पर्यटक लॉज का निर्माण (प्रारम्भिक कार्य)	0.50	1.75	
(4) माताबाड़ी में तीर्थयात्री विश्राम गृह	0.50		आदिम जातियों के लिए जनता किस्म का आवास ।
कुल पर्यटन	10.00		

सरकारी उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में उम्मीदवार को रोजगार के बारे में सूचना

8493. श्री **अहमद हुसैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न वर्गों से इस आशय की शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न पदों के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में रोजगार के लिये उनके द्वारा दिये ये आवेदन-पत्रों पर की गई कार्यवाही की कोई सूचना उन्हें नही दी जा रही है । हालांकि भारतीय पोस्टल आर्डर/बुक ड्राफ्ट आदि के रूप में अपेक्षित राशि का शुल्क भी आवेदन-पत्र के साथ भेजा जाता है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) पुनः जांच करने पर यह देखा गया है कि हर एक कम्पनी की पद्धति अलग-अलग है । ज्यादातर कम्पनियां ऐसी हैं, जो आवेदन-पत्रों का परिणाम आवेदकों को सूचित कर देती है, हालांकि कुछ मामलों में परिणाम केवल उन उम्मीदवारों को ही सूचित किया जाता है, जो या तो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं या जो विशेष रूप से पूछताछ करते हैं । ऐसी कुछ कम्पनियों ने सूचित किया है कि वे आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को उत्तर इसलिए नहीं दे पाती हैं, क्योंकि आवेदन-पत्रों की अपरिमित संख्या होने के कारण काम बहुत अधिक बढ़ जाता है । इन संगठनो को चाहिए कि वे ऐसे मामलो में समुचित एवं उपयुक्त कार्यविधि अपनायें ।

गलीचों का निर्यात

8493. **श्री सी० एम० विश्वनाथन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री गलीचों की किस्म के बारे में शिकायतों के बारे में 31 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1977 से निर्यात निरीक्षण परिषद् को गलीचों के निर्यात के बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अप्रैल 1977 से मूल्य और मात्रा के रूप में गलीचों के निर्यात (32,000 गांठों से अधिक और कम) सम्बन्धी वास्तविक मासिक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) निर्यात निरीक्षण परिषद् को पश्चिम जर्मनी की एक फर्म से केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो नई दिल्ली की एक फर्म द्वारा उस फर्म को भेजे गये हाथ से बुने ऊनी कालीनों की क्वालिटी के बारे में थी । सम्बन्धित कालीनों में 32,000 गांठें वर्ग मीटर से अधिक थीं, जो अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत नहीं आतीं ।

(ख) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कालीनों के निर्यात क्वालिटी-वार रिकार्ड नहीं किये जाते हैं । तथापि अप्रैल से जुलाई, 1977 के महीनों के लिये कालीनों, दरयों तथा नमदों के निर्यात मूल्य तथा मात्रा दोनों रूप में निम्नोक्त प्रकार हैं:

(आंकड़े लाख में)

महीना	कालीनों, दरियों, नमदों के निर्यात मात्रा (वर्ग मीटर)	मूल्य (रुपये)
अप्रैल, 1977 . . .	2.57	583.10
मई, 1977	2.66	626.07
जून, 1977	1.30	316.09
जुलाई, 1977	2.38	527.10

उड़ीसा में कोणार्क तथा पुरी में पर्यटक होटल

8494. **श्री पद्माचरण सामान्तसिंहेरा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क तथा पुरी में नये पर्यटक होटल चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और उनके लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) 1978—83 की पचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र में कोणार्क अथवा पुरी में किसी नये पर्यटक होटल का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नही है । परन्तु भारत पर्यटन विकास निगम का, उपयुक्त सम्पत्ति तथा निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में, पुरी में एक यात्री लॉज की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

जहाजों द्वारा माल के भेजने अथवा पहुंचने के बाद निर्यात तथा आयात के आंकड़ों के बारे में मुख्य आयात तथा निर्यात नियन्त्रक का प्रतिवेदन

8495. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजों द्वारा माल बाहर भेजने अथवा बाहर से आ जाने के बाद मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक को तत्सम्बन्धी आंकड़े देने में विभिन्न पत्तनों के अधिकारियों को प्रायः कितना समय लगता है;

(ख) तत्सम्बन्धी प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने के बाद मंत्रालय को उनकी सांख्यिकी तैयार करने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या प्रतिवेदन देने तथा आंकड़ों का संकलन करने के बारे में कोई नियम अथवा सामान्य प्रक्रियाएं बनी हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रक्रिया में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि मंत्रालय को तत्सम्बन्धी जानकारी माल के निर्यात होने तथा आयातित माल के आ जाने के एक सप्ताह के भीतर मिल जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) विभिन्न पत्तनों पर स्थित अधिकारी आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक को आंकड़े नहीं भेजते अपितु महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन, कलकत्ता को भेजत हैं जो निर्यातों तथा आयातों से सम्बन्धित आंकड़ा सामग्री प्रकाशित करते हैं । अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(क) सीमा शुल्क गृहों के प्रारम्भिक संकल (जो दैनिक व्यापार विवरणियों के नाम से प्रचलित हैं), जिनमें निर्यात पुनर्निर्यात तथा आयात शामिल होते हैं, महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन को प्रधान पत्तनों से विपुल मात्रा में दैनिक आधार पर तथा छोटे पत्तनों से पाक्षिक और मासिक आधार पर प्राप्त होते हैं । किसी विषेष मास की सभी विवरणियां प्रायः एक मास के समयान्तराल से महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन को प्राप्त होती हैं, अपवाद स्वरूप कुछ मामले ऐसे होते हैं जो संगत जहाजी बिलों/प्रवेश बिलों को अन्तिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब के कारण अटक जाते हैं ।

(ख) महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन को दैनिक व्यापार विवरणियां प्राप्त होने के बाद आंकड़ों का संकलन करने में प्रायः लगभग एक मास लग जाता है ।

(ग) सीमा शुल्क गृहों में प्रतिवेदन करने तथा महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन में संकलन करने के मानदण्ड मौजूद हैं । महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

(1) विवरणियों की संवीक्षा

निर्यात तथा आयात के लिये क्रमशः 200 तथा 150 प्रविष्टियां किन्तु अपवा स्वरूप पालम तथा स्थल सीमा शुल्क चैक प्वाइन्टों की विवरणियों के मामले में कोटा क्रमशः 100 तथा 90 का है ।

(2) योग तथा जांच--1500 मदें

(3) वस्तु देश राशियों वाली कूटबद्ध सूचियों की आडिटिंग--20 पृष्ठ

मिलान--40 पृष्ठ

(4) अन्तिम वर्णक्रम तालिकाएं

आडिटिंग--10 पृष्ठ

मिलान--40 पृष्ठ

(5) पंचिंग तथा कार्डों का सत्यापन

पंचिंग -- निर्यातों के लिये 425

आयातों के लिये 375

सत्यापन -- निर्यातों के लिये 500

आयातों के लिये 400

(घ) प्रविष्टियों की संख्या में वृद्धि, नए व्यापार वर्गीकरण की शुरूआत, मशीनों में बार-बार खराबी आदि जैसी तकनीकी तथा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण आंकड़ों के संकलन में काफी विलम्ब हो जाता है । विलम्ब कम करने के उपाय किये जा रहे हैं । किन्तु प्रतिवेदन तथा संकलन की विद्यमान प्रणाली के अधीन व्यापार आंकड़े निर्यात तथा आयात किये जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध नहीं कराए जा सकते । किसी भी मास के कुल व्यापार के मूल्य के आंकड़े जिस मास से सम्बन्धित होते हैं उन्हें उस मास की समाप्ति से 5 सप्ताह के अन्तराल पर तैयार कर लिया जाता है और प्रेस नोट के रूप में जारी कर दिया जाता है । इस बात के उपाय किये जा रहे हैं कि इसके बाद वस्तु-देश ब्यौरे एक मास में तैयार किये जा सकें ।

खाड़ी के देशों को दो इंजनों वाले जैट विमानों की उड़ान

8496. **श्री डी० अमात** :

श्री सरत कार :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों को उड़ानों के लिये दो इंजनों वाले जैट विमानों का उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच कर ली है जिससे कि इन विमानों की उड़ानें आन्तरिक उड़ानों की तुलना में अधिक लाभप्रद हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयर इण्डिया खाड़ी के देशों की उड़ानों पर इण्डियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए दो इंजन वाले एयरबस विमानों से परिचालन कर रहे हैं । खाड़ी के देशों के लिए एयरबस विमान का परिचालन करना अन्तर्देशीय सैक्टरों पर इनके परिचालन करने की तुलना में अधिक लाभप्रद है । इसका कारण अधिक किराया अर्थात् अन्तर्देशीय किराये से तीन गुना होता है । खाड़ी के देशों तथा ऐसे ही छोटी दूरी वाले अन्य सैक्टरों की उड़ानों पर इस प्रकार के किसी विमान के परिचालन की व्यवहार्यता की अभी जांच नहीं की गयी है ।

आयकर विभाग, तमिलनाडु में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पद

8497. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान आयकर विभाग, तमिलनाडु में आयकर अधिकारियों (ग्रुप बी), आयकर इन्सपेक्टर, सुपरवाइजर ग्रेड़ एक और ग्रेड़ दो, हैड़ क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्कों के सम्बन्ध में, अलग-अलग पदोन्नतियों की संख्या क्या है;

(ख) 40 सूत्री तालिका (रोस्टर) के अनुसार, वर्षवार और संवर्गवार, जसा कि उपरोक्त 'क' में उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित पदों में से कितने पद वर्षवार और संवर्गवार अलग-अलग भरे गए हैं;

(घ) ऐसे कितने पदों को नहीं भरा गया है और उपरोक्त वर्षों में इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले बाकी ऐसे पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा कराई गई राशि का सरकारी कर्मचारियों को भुगतान

8498. **श्री मनोहर लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा कराई गई राशि का सरकारी कर्मचारियों को पूरा और अन्तिम रूप से भुगतान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकार उल्ला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पदा नहीं होता ।

Representation from Shri Mouni Baba regarding smuggling of Rudraksha

8499. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had received a letter containing details of the smuggling of Rudraksha from Shri Mouni Baba, Marwari Sanskrit College, 3005/111, Morghat Varanasi in February, 1978; and

(b) if so, the suggestions made therein in this regard and action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) Yes Sir. A representation from Shri Mouni Baba relating, *inter alia*, to smuggling of Rudraksha beads was forwarded to the Prime Minister by Shri Maniram Bagri, Member of Parliament. This has been referred to Minister of Finance for consideration.

(b) The suggestion made in this representation mainly related to the proposal for allowing import of rudraksha beads from Indonesia and for arranging sale of the imported Rudraksha beads, through Super Bazars, Gandhi Ashrams and Government agencies so that their illegal import could be checked. As the main proposal in the representation concerned allowing of imports of Rudraksha beads, a suitable communication was addressed to the Minister of Commerce for necessary action.

आयकर विभाग द्वारा कर की चोरी का पता लगाना

8500. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने मनीपाल पावर प्रेस, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, एकेड़मी आफ जनरल एजूकेशन, मेड़िकल रिलीफ ट्रस्ट और मनीपाल मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, मलीपाल कर्नाटक द्वारा कर की बड़े पमाने पर की गई चोरी का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला): (क) तथा (ख) इन पार्टियों द्वारा कर अपवंचन किये जाने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों की आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। यदि कोई कर-अपवंचन किया गया है, तो उसकी रकम के बारे में उक्त जांच के पूरा होने पर ही मालूम होगा।

अखिल भारतीय, कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री के० एल० भाटिया और अन्य व्यक्तियों को किया गया भुगतान

8501. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंटी ने श्री के० एल० भाटिया तथा अन्य व्यक्तियों को आम-सभाएं आयोजित करने, लाउड-स्पीकरों आदि के लिये लगभग एक करोड़ रुपये दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त भुगतान की वास्तविकता और उसके वितरण की कोई जांच की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री भाटिया, जिसे कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, की फर्मों ने उचित हिसाब नहीं रखा था;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि समूचा मामला जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला): (क) से (घ) यह पाया गया है कि श्री के० एल० भाटिया के स्वामित्व की एक फर्म, मैसर्स रोमिका इन्टरप्राइजेज को, जनवरी 1977 से मार्च 1977 की अवधि में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से, गाड़ियों के किराये की पेशगी के रूप में, एक करोड़ रूपये की रकम मिली थी। श्री भाटिया के अनुसार, उन्होंने वर्ष 1960 से 1976 के अन्त तक कोई हिसाब-किताब नहीं रखा। इससे बाद की अवधि के लिए भी उन्होंने कोई वही-खाते पेश नहीं किये हैं। उन्होंने कर-निर्धारण वर्ष 1967 68 से 1976-77 तक आय की विवरणियां अनुमान के आधार पर दाखिल की हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 की विवरणी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से एक करोड़ रुपये की प्राप्ति तथा उस रकम के चुकोतरे पर विचार करने के लिये संगत विवरणी होगी, और वह विवरणी अभी दाखिल नहीं की गयी है। उनके मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1972-73 तक के लिये, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरु कर दी गई है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये, विवरणी में दिखायी गयी 30 हजार रुपये की आय के मुकाबले 6 लाख 69 हजार रुपये की आय पर, आयकर अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत, एक तरफा कर-निर्धारण किया गया है।

श्री के० एल० भाटिया ने विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों के लिये अपने आयकर/धन कर के मामलों में समझौते के लिये, आयकर/धनकर समझौता आयोग के समक्ष दरखास्त पेश की है । आयकर/धनकर आयुक्त ने, आयोग द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही किये जाने पर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245घ(1) धन-कर अधिनियम की धारा 22घ(1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन, आपत्ति दायर की है ।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो कुछ ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामले की जांच कर रहा है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिये धन इकट्ठा करने तथा उस धन को ऐसी बेनामी फर्मों में लगाने के लिये अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिनके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उनमें उनके वित्तीय हित निहित हैं। श्री भाटिया पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उन व्यक्तियों की मदद की थी

Seasonal Air Service between Delhi and Pant Nagar

8502. Shri Bharat Bhushan : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) time by which the seasonal air service is likely to be started between Delhi and Pant Nagar;

(b) whether this will be a daily service keeping in view the increasing number of tourists visiting Naini Tal and other tourist sites of Kumaon; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) There is no proposal at present for airlinking Pant Nagar with Delhi.

(b) Does not arise.

(c) Due to severe constraints of fleet capacity, Indian Airlines is unable to consider any new air-links.

Installation of Computers in offices of Insurance Companies

8503. Shri K. Prakash : Will the Minister of **Finance** be pleased to lay a statement showing :

(a) whether there is a scheme for installing computers in the offices of Insurance Companies and if so, the names of the places where computers would be installed;

(b) the number of persons (employees and officers) to be retrenched as a result of the implementation of this scheme; and

(c) the extent to which the policy of present Government of providing employment to more people would go with this scheme ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) Government has appointed an Expert Group to look into computer requirements of the Insurance industry. The matter would be examined in all its aspects when the Report of the Group is received.

Working of branches of Super Bazar in Kidwai Nagar, Vithalbhai Patel House and R. K. Puram

8504. Shri Daya Ram Shakya : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Employees of Kidwainagar, Vithalbhai Patel House, R. K. Puram branches of Super Bazar in Delhi do not keep at counters the cloth supplied for the sale, conceal the same and sell this cloth clandestinely to their own persons on ration cards or on the ration cards of shopkeepers as a result of which poor persons are not getting the proper benefit;

(b) if so, whether Government propose to conduct any secret inquiry into the matter at the branches of Super Bazar; and

(c) whether it is a fact that Government have not taken any steps so far to open branches of Super Bazar in trans-Yamuna area and Tilak Nagar sides and the reasons therefor and when Government will open branches thereof in these areas in future ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) No such irregularities in the sale of controlled cloth have come to the notice of the Management of the Super Bazar and the Delhi Administration.

(b) Does not arise.

(c) A branch of the Super Bazar has been functioning in Khichripur in the trans-Yamuna area since November, 1976. As and when suitable accommodation is provided for opening more branches, in the trans-Yamuna area, opening of new branches will be considered by the Super Bazar Management. In regard to the Tilak Nagar area, the existing branches located at Janakpuri and Rajouri Garden cater to the requirements of the residents to some extent. If suitable accommodation is available in these areas, the question of new branches would also be considered.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के लिए नियुक्त निदेशक

8505. **श्री महमूद हसन खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्ट्रीकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया के निदेशक में बैंकवार कितने निदेशक मनोनीत किये गये हैं ;

(ख) ऐसे निदेशक मंडलों के लिये अलग-अलग और बैंकवार निदेशक के रूप में कितने मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लोग मनोनीत किये गये हैं; और

(ग) बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत करने हेतु चयन का आधार क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सूचना संलग्न विवरण (अनुबंध-I) [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 2215/78] में दी जा रही है ।

(ख) संबंधित सूचना अनुबंध II [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 2215/78], में दी गई है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के लिये अनुपालित मापदण्ड राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खण्ड 3 में दिये गये हैं । (अनुबंध-III) ।

जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का सम्बंध है सरकार द्वारा ये नामांकन, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(1)(घ) और धारा 21(1) (ग) में दिये गये उपबंधों के अनुसार किये जाते हैं। स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों को नामित करते समय कानून यह मापदण्ड निर्धारित करता है, अर्थात् वे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन व्यक्तियों में से नामित किये जायेंगे जो सहकारी संस्थाओं के कार्यचालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान अथवा वाणिज्य, उद्योग बैंकिंग अथवा वित्त में अनुभव रखते हों। स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को नामित करने के लिए कोई ऐसा विशिष्ट मापदण्ड नही रखा गया है । सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इन बोर्डों में सुयोग्य व्यक्ति नामित किये हैं जो किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगों और सहकारिता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और साथ ही साथ वे व्ययसायिक रूप से अनुभवी भी हैं तथा ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखते हैं जो स्टेटबैंक के कार्यचालन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

धनिये का मूल्य

8506. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में धनियें का मूल्य बहुत कम हो गया है जिसके कारण किसानो को धनिया मध्य प्रदेश के गुना, कुम्भराज तथा अन्य उत्पादन केन्द्रों पर उत्पादन लागत से भी बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार धनिये की उत्पादन लागत निकालने पर तथा किसानों को हानि से बचाने के लिये लाभप्रद समर्थन मूल्य द्वारा राहत पहुंचाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त स्थिति सरकार द्वारा धनिये का निर्यात बन्द कर देने के कारण पैदा हुई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) यद्यपि 1978 के हाल के महीनों में धनिया के थोक मूल्य 1977 के किन्हीं महीनों की तुलना में कम हैं, तथापि 1976 के थोक मूल्यों के मुकाबले में आमतौर पर अधिक हैं। हाल के सप्ताहों में धनिया के थोक मूल्यों में बढ़ती का रुख आया है।

(ख) इस समय धनिये की उत्पादन लागत निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० (एन० सी० सी० एफ०) को निदेश दिया है कि वे इसकी अधिक मात्रा में खरीद करें और यह सुनिश्चित करें कि इसके मूल्य अलाभकर स्तरों तक न गिरें।

(ग) धनिया के निर्यात पर रोक नहीं है।

चीनी का निर्यात

8507. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय करार के अधीन इस देश को आवंटित कोटे के अनुसार 1978 और 1979 में 7 लाख टन चीनी का निर्यात करेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह चीनी किस-किस देश को निर्यात की जायेगी;

(ग) चीनी का निर्यात कब से शुरू किया जायेगा; और

(घ) किस दर पर निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) सरकार ने 1978 के दौरान 6.50 लाख मे० टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है। इससे हम अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 और साथ ही भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय करार के अन्तर्गत इस वर्ष के लिये अपने कोटे को पूरा कर सकेंगे। 1979 के दौरान निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा अभी निश्चित नहीं की गई है।

(ख) चीनी किसी भी ऐसे देश को निर्यात की जा सकती है जिसके साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध हों, और यह आफर निर्भर है । इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि किन गन्तव्य स्थानों को वास्तव में चीनी भेजी जायेगी।

(ग) तथा (घ) : निर्यात के लिये रिलीज किये गये चीनी के कोटे में से कुछ चीनी पहले ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात की जा चुकी है । शेष मात्रा विक्रय संविदा के अनुसार भेजी जायेगी।

यह बताना सम्भव नहीं है कि चीनी की बिक्री किन दरों पर की जायेगीं। तथापि, केलेंडर वर्ष के दौरान अपना पूरा कोटा भेजने के लिये सभी प्रयास किये जायेंगे।

सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षाएं

8508. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1977 को शुरु होने वाली सी० ए० आई० आई० बी० की परीक्षाएं इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स ने आखरी मौके पर स्थगित कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसा पता लगा है कि पुन : परीक्षा के लिये बने प्रश्न पत्र समय से पहले ही पुनः मालूम हो गये थे :

(घ) यदि हां, तो प्रश्न पत्रों के समय से पूर्व मालूम हो जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और ऐसे क्या उपाय किये गये हैं जिनसे ऐसी घटना पुनः न घटे;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसी ऐसी अधिक योग्य और सक्षम संस्था को नियुक्त करने का है, जो ऐसी परीक्षाएं लेगी, और

(च) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) जी हां चूंकि अधिकतर स्थानों पर परीक्षा कार्यों का संचालन करने वाले स्टेट बैंक के अधिकारियों ने अपने स्टाफ फैडरेशन के माध्यम से यह सूचित किया था कि वे परीक्षा कार्य में सहयोग नही देगें और चूंकि उस समय कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था, इसलिये परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ीं ।

(ग) प्रश्न पत्रों के पहले से ही मालूम होने के बारे में इंस्टीट्यूट को कोई जानकारी नही है । फिर भी, दो छोटे केन्द्रों पर जिनमें से एक उत्तर प्रदेश तथा दूसरा राजस्थान में है पूर्वनिधारित कार्यक्रमानुसार, 2 व 8 नवम्बर, 1977 के बीच पुनः परीक्षा हुई। यद्यपि यह सत्य है कि वही प्रश्न पत्र बाद में, स्थगित परीक्षा के लिये प्रयोग में लाये गये, लेकिन पुनःपरीक्षा के लिये प्रश्न पत्रों के उक्त दो केन्द्रों से अन्य केन्द्रों को भेजे जाने के बारे में इंस्टीट्यूट को कोई प्रमाण नही मिले हैं।

(घ) से (च) : संस्था (इंस्टीट्यूट) ने परीक्षा की विभिन्न स्तरों की प्रक्रिया को अधिक कड़ा करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से मामले की छानवीन करने के लिए तथा संस्था को उचित सलाह देने के लिये कहा है।

हथकरघा से तैयार माल के निर्यात पर राजसहायता

8509. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा माल के निर्यात के लिये राजसहायता की नीति का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी सहायता देने का कारण क्या है और क्या यह विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से दी जाती है ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के बढ़ते हुए क्षोष के और उसके उपयोग की धीमी गति को देखते हुए सरकार का विचार निर्यात पर सहायता देना बंद करने और ऐसी सहायता आन्तरिक उपयोग के लिये देने का है जिससे कमजोर वर्गों की सहायता की जा सके ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग):– सरकार, हथकरघा माल के निर्यात के लिये हमदाद नहीं देती। तथापि वस्त्र उद्योग द्वारा संचालित एक ऐसी निर्यात सहायता स्कीम है जिसमें समय समय पर सरकार अंशदान करती रहती है । सरकार जो अंशदान करती है, वह साधारणत : ऐसे आन्तरिक करों के जिनमें छूट न दी जा सकती हो, व स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय रुई की किमतों के अन्तर से पड़ने वाले प्रभाव की पूर्ति के लिये होता है । हथकरघा माल के निर्यातों को बढ़ाने में इस प्रकार की सहायता से मदद मिली है। वर्तमान स्कीम 31 मार्च, 1979 तक वैध है और उससे पहले मामले का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रमों के लिये आधिकारिक स्तर पर भारत-ब्रिटिश वार्ता

8510. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन निश्चित परियोजनाओं का निर्धारण करने के लिये, जिन भारत तथा ब्रिटेन द्वारा सहयोग किया जा सकता है तथा तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं की खोज के लिये हाल ह में भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की नई दिल्ली में अधिकारिक स्तर पर बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग): : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के विविध पहलुओं पर बातचीत हुई थी जिनमें वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सहयोग भी शामिल है । जानकारी के आदान-प्रदान तथा औद्योगिक सहयोग और तीसरे देश में संयुक्त उद्यमों के संवर्धन की सम्भावनाओं पर कार्यवाही के लिये केन्द्र बिन्दु अभिज्ञात किये गये।

यह विनिश्चय किया गया है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तथा ब्रिटिश सरकार के व्यापार विभाग पर इस बैठक के निष्कर्षों तथा निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का दायित्व होगा तथा वे एक-दूसरे से लगातार सम्पर्क रखेंगे।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में नीति

8511. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में विभिन्न बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के भाज्य और कार्यकरण के बारे में निश्चित नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का राष्ट्रीय सम्मान तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से इस मामले को किस प्रकार हल करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान 23 दिसंबर, 1977 को तथा पटल पर औद्योगिक नीति के बारे में रखें गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) विदेशी कंपनियों को देश में उन्हीं शर्तों पर कार्य करने की अनुमति पर दी जाती है जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्र के हित में निश्चित की जाती है।

Economic Assistance provided to Sick Industrial Units

8512. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of sick industrial units in the country at present;

(b) the amount of economic assistance provided to them by the Industrial Reconstruction Corporation of India during the last three years; and

(c) the number of such sick units in Uttar Pradesh and amount of economic assistance given to them ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) In the absence of a universally accepted definition of sick units it is not possible to furnish the information sought by the Hon'ble Member.

(b) During the last three calendar years, the amount of reconstruction assistance sanctioned (effective) and disbursed by the Industrial Reconstruction Corporation of India was as follows :

(Rs. in crores)

	1975	1976	1977	Remarks
Sanctions (Effective) . . .	3.60	10.50	8.62	46 units including 17 fresh units.
Disbursements .	5.72	8.04	8.92	69 units including 16 fresh units.

(c) No industrial unit with registered office in Uttar Pradesh has been given reconstruction assistance by the IRCI. However, three of the IRCI assisted units have their factories located in Uttar Pradesh also. The assistance sanctioned and disbursed by the IRCI to these three units as at the end of December, 1977 are Rs. 4.94 crores and Rs. 4.44 crores respectively.

Plan for boosting Coffee Production

8513. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a long term plan for boosting coffee production;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the production of coffee likely to be increased as a result of the plan ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir. A long term perspective plan for coffee development has already been drawn up for boosting coffee production.

(b) The Plan envisages expansion of area under coffee by 1.30 lakhs hectares by 2000 A.D. of which 58000 hectares will be in traditional coffee growing States of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and 72000 hectares in non-traditional area in the States like Andhra Pradesh, Orissa, Assam, Meghalaya, Nagaland Manipur, Tripura, Madhya Pradesh and West Bengal and Union Territories like Mizoram and Arunachal Pradesh.

(c) According to the Plan, the annual coffee production is expected to increase from the present level of approximately one lakh tonne to two lakhs tonnes by 2000 A.D.

Increase in the prices of Pulses

8514. Shri Ganga Bhakt Singh : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the prices of pulses, particularly Arhar, Lential (masoor) and Kabuli gram have registered considerable increase during the current year as compared to that in the previous years;

(b) if so, the extent to which the prices of pulses have increased in January, February and March, 1978, as compared to the corresponding months last year; and

(c) whether Agriculture Prices Commission has made any recommendation for fixation of support price of pulses and if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) and (b) During the last three months in the present calendar year, the wholesale prices of pulses have been ruling less than what they were during the corresponding period in 1977. The percentage variation in the wholesale prices of pulses during January—March, 1978 and 1977 is indicated below :—

	Percentage variation during January-March	
	1978	1977
Pulses	+0.4	+13.2
Gram	+1.5	+5.0
Arhar	+6.9	+34.1
Moong	+1.3	+28.7
Masoor	—21.4	+13.8
Urad	—1.8	+11.4

(c) On the basis of the report of the Agricultural Prices Commission (APC), support price for gram at Rs. 125 a quintal for 1977-78 marketing season has already been announced. The Agricultural Prices Commission hats also made recommendation about the support prices for Arhar (Tur) and Moong and accordingly support prices at the rate of Rs. 155 and Rs. 165 a quintal have been announced by the Government.

तम्बाकू का रंग खराब होना

8515. **श्री राम किशन :**

श्री चतुर्भुज :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू को दोबारा सुखाये बिना अधिक समय तक जमा रखने से उसका रंग खराब होने तथा उसमें गंध उत्पन्न होने के कारण तम्बाकू के मूल्य कम हो गये हैं जिससे तम्बाकू उत्पादकों को निराशा हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) किसानों के कच्चे गोदामों में बंडलों के ढेर लगाए जाने पर तम्बाकू के निचले डंठलों में फूंकी की बू पैदा होना आम बात है और यह इस वर्ष की कोई नई घटना नहीं है । दोर्घकालिक भंडारण की हालत में रंग बदरंग होने की सम्भावना मुख्यत: अपेक्षाकृत अधिक चटख श्रेणियों में रहती है जिनमें से बड़े भाग का पहले ही विपणन किया जा चुका है और मध्यम तथा निम्न श्रेणियों में इसकी सम्भावना नहीं होती। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में फसल की भारी मात्रा, तम्बाकू की चटख श्रेणी का अपक्षाकृत कम अनुपात तथा निर्यात मांग अपेक्षाकृत कुछ हद तक कम होने के संकेत ऐसी बातें हैं जो प्रधानत: कीमतों में मंदी के लिये उत्तरदायी हैं।

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम को सरकारी लेखे पर 10,000 मे० टन वर्जिनिया तम्बाकू खरीदने के निदेश किये जा चुके हैं। यह मात्रा 5000 मे० टन की उस मात्रा के अलावा है जो राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले से ही उनके अपने लेखे तथा जोखिस पर उनका अपनी निर्यात आवश्यकताएं पूरी करने के लिये खरीदी जा रही हैं।

पाकिस्तान को केंदू के पत्तों का निर्यात

8516. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका को कुल कितने मूल्य के केन्दू के पत्तों का निर्यात किया गया;

(ख) इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के केन्दू के पत्ते प्राप्त किये गये; और

(ग) इसके निर्यात को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) केंदु पत्तों की मांग मुख्यत: पड़ौसी देशों यथा श्रीलंका, पाकितास्न नेपाल, अफगानिस्तान आदि में हैं और ये इन देशों को पहले से ही निर्यात किए जा रहे हैं। उड़ीसा वन निगम लि० के पास श्रीलंका को 2400 मे० टन पत्तों के निर्यात के लिए संविदा है जिसके एवज में अंशत: खेपें भेजी जा चुकी

हैं और बाकी मात्रा का अभी निर्यात किया जाना है। उन्होंने 2400 मे० टन की और मात्रा के लिए श्रीलंका के साथ नई संविदा के सम्बन्ध में बातचीत शुरू कर दी है। राज्य व्यापार निगम भी इस मद का पाकिस्तान को निर्यात कर रहा है।

विवरण

(क) भारत से केंदु पत्तों के निर्यात

मात्रा मे० टनों में

मूल्य लाख रु० में

देश का नाम	1974-75		1975-76		1976-77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पाकिस्तान	—	—	250	15.92	632	30.14
श्रीलंका	4365	157.50	967	33.25	842	32.46
योग (अन्य देशों को हुए निर्यात शामिल हैं)	5391	188.84	2580	95 98	4004	142.28

(ख) उड़ीसा से केंदु पत्तो के निर्यात

	1974-75	1975-76	1976-77
मात्रा (मे० टन में)	1500	700	300
मूल्य (लाख रु० में)	47.25	31.50	9.45

टिप्पणी :—उड़ीसा से किए गए निर्यातों से सम्बन्धित जानकारी उस राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

पेंशन में असंगति

8517. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ पेंशनर्ज़ ने सरकार से अपील की है कि पेंशनों में असंगति को समाप्त किया जाए और स्वाधीनता से पूर्व सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों को पेंशन को 1973 के स्तर तक बढ़ाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1 जनवरी, 1973 से पेंशन की वर्धित दर लागू की गई थी। जो व्यक्ति उक्त तारीख से पहले सेवा निवृत्त हो

गए थे उन्हें इस वर्धित दर का लाभ नहीं मिला । तथापि, इन पेंशनभोगियों को समय-समय पर पेंशन में अस्थायी और तदर्थ वृद्धियां और राहत स्वीकृत की जाती रही है । 1-4-1958 से, 100 रुपए तक पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को, पेंशन में 10 रुपए से 12.50 रुपए की दर पर अस्थायी वृद्धि की स्वीकृति दी गई थी। 1-10-1963 से 200 रुपए की पेंशन तक, पेंशन पर 10 रुपए प्रतिमास तक की तदर्थ वृद्धि स्वीकृत की गई थी, 1-9-69 से इसे 10 रुपए प्रतिमाह और बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1-1-1973 से ऐसे पेंशन-भोगियों को पेंशान की राशि पर निर्भर करते हुए, प्रतिमाह 15 से लेकर 35 रुपए तक की तदर्थ राहत की स्वीकृति भी दी गई है । इन सब के अलावा, इन पेंशनभोगियों को पेंशन के 35 प्रतिशत की दर पर ग्रेड बद्ध राहत की स्वीकृति दी गई है, जो कम से कम 35 रुपए और अधिक से अधिक 175/रुपए प्रति माह है।

यद्धपि पेंनधोगियों से निजी तौर पर तथा पेंशनभोगियों की संस्थाओं से अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथापि इस समय 1-1-1973 से पहले सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू की गई पेंशन की वर्धित दर पर पेंशन दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Percentage of S.C. and S.T. Officers and Employees working in Banks

8518. **Shri Phirangi Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of Scheduled Caste and Scheduled Tribe officers and employees to the total number of Class I, Class II, Class III and Class IV employees working in nationalised banks;

(b) whether it is a fact that with a view to not filling the reserved quota of Scheduled Castes in Class IV posts, Bank authorities have been taking persons other than Harijans on casual vacancies to help them gain experience and then appoint them to regular posts on the plea that they are experienced employees;

(c) if so, whether reserved quota will be filled by appointing Harijans only to casual and other vacancies with a view to discontinue this practice; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Employees in the public sector banks are categorised as Officers, Clerks and Subordinate Staff. The percentage of Scheduled Caste/Tribe employees in each category of staff in the 14 nationalised banks and the State Bank of India as on 31-12-1977 are given below :

	Officers	Clerks	Sub. Staff
14 Nationalised Banks . .	1.78	11.72	18.90
State Bank of India . . .	1.10	10.66	21.27

(b) to (d) Recruitment of Subordinate staff in the public sector banks is generally made on local basis. While some banks fill up temporary vacancies by calling candidates from employment exchanges, others fill up temporary vacancies by calling the immediately available candidates. These temporary employees are considered for permanent appointments as and when vacancies arise.

To fill up the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the banks have been advised to recruit candidates even in temporary vacancies from these communities only and the banks have reported that they are accordingly following the Government orders.

जीवन बीमा निगम की बकाया राशि की वसूली

8519. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी:** क्या **वित्त** मंत्री बकाया राशि वसूल करने के लिये उठाये गये कदम के बारे में 17 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने श्री छट्टू राम मडानी से 3,75,000 रुपये की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) बम्बई के उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई वैयक्तिक डिग्री के अनुसार झुमरीतिलैया की सम्पत्ति खरीदने के बाद (31-12-1977 की स्थिति के मुताबिक) श्री छत्तु राम भडानी के 3,75,000 रुपए की बकाया रकम वसूल करनी है । जीवन बीमा निगम के अनुसार बकाया रकम वसूल करने सू लिये निष्पादन, कार्रवाई की गई और न्यायालय द्वारा वैयक्तिक डिग्री के अनुसार श्री छतू राम मडानी को बहुत सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। बिक्री की घोषणा कर दी गई है और उसकी तामील हो जाने तथा विपक्षी की बात सुनने के बाद न्यायालय सम्पत्ति के मूल्यांकन के मामले पर आगे कार्रवाई करेगा ।

Number of Typists and Stenographers trained in Hindi Typing and Stenography

8520. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of Typists and Stenographers trained in Hindi typing and Stenography respectively in the Ministry/Department at present;

(b) the number of Typists and Stenographers among them who are fully utilised for Hindi work:

(c) the reasons for not utilising the services of such Hindi Typists and Stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for their utilisation and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) Typists : 20

Stenographers : 17

(b) Typists : 6

Stenographers : 3

(c) and (d) The services of the remaining Typists and Stenographers trained in Hindi Typing and Stenography respectively are partially utilized for Hindi work, as and when required. There is no need to formulate a scheme for utilizing their services. However, their services will be utilised increasingly with gradual increase in the use of Hindi for official work.

High Grade Assistants for S.C. and S.T. in LIC, Lucknow

8521. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4265 on 16th December, 1977 regarding High Grade Assistants for SC and ST in L.I.C., Lucknow and state :

(a) whether the requisite information has since been collected; and,

(b) if so, when the same will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) Yes, Sir. It will be laid on the Table of the House within 15 days.

परिवार पेंशन पाने वालों के लिए नियम

8522. **डा० बी० एन० सिंह:** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) पेंशन में राहत पाने का अधिकारी होने के लिए परिवार पेंशन पाने वालों के लिये क्या नियम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक सरकारी कर्मचारी, जो पारिवारिक पेंशन पाने वाला भी है पेंशन में कोई राहत नहीं पाता है; और

(ग) यदि हां, तो इससे क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (एच०एम० पटेल) : (क) सभी परिवार पेंशनभोगियों को उनकी परिवार पेंशनों पर, जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि की प्रति-पूर्ति करने के लिये उसी आधार पर तदर्थ/ग्रेडबद्ध राहत दी जा रही है जिस आधार पर पेंशनभोगियों को दी जाती है ।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि जो परिवार पेंशनभोगी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी सेवा आदि में नियोजित है, वे नियोजन के दौरान जो वेतन लेते हैं उन्हें उस पर मंहगाई भत्ता दिया जाता है इसलिये ऐसे पेंशनभोगियों को परिवार पेंशन पर तदर्थ/ग्रेडबद्ध राहत देकर दुबारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती क्योंकि इससे उसी जीवन निर्वाह लागत की दो बार प्रतिपूर्ति हो जाएगी।

विदेशों में भारतीय परियोजना की वृद्धि में ऋण की कड़ी शर्तों से अड़चनें

8523. **श्री जनार्दन पुजारी: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रतिस्पर्धी मूल्य और ऋण की कड़ी शर्तों से विदेशों में भारतीय परियोजना की वृद्धि में अड़चनें आ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख): यद्यपि कई मामलों मे अप्रतियोगी कीमतों के कारण बोलियां नहीं हुई हैं, किन्तु बहुत कम अवसरों पर अधिक कड़ी ऋण शर्तों को बोलियां न दिये जाने का कारण ठहराया गया है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में काम करने वाला कार्यकारी दल आस्थगित भुगतान शर्तों वाली टर्न की परियोजनाओं तथा निर्माण संविदाओं सहित अन्य परियोजनाओं की, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहभागिता चाहते हैं प्रस्थापनाओं को क्लियर करता है । कार्यकारी दल द्वारा ये शर्तें अपने वाणिज्यिक विचार के आधार पर निश्चित की जाती हैं और अन्य देश केवल वाडिज्यिक बातों के आधार पर जो शर्तें रखते हैं, उनके मुकाबले में वे प्रतिकूल नहीं हैं।

परियोजना निर्यातों में सुधार करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्थापनाओं पर केन्द्रीकृत रूप से विचार करना ताकि संबंधित वित्तीय अभिकरणों द्वारा एक साथ क्लियरेंस दी जा सके,

(ख) ऐसी प्रस्थापनाओं पर, जो विद्यमान नीति के उपबंधों में छूट के बारे में हों, विचार करने के लिए परियोजना निर्यात समिति का गठन,

(ग) मात्र सप्लाई संविदाओं से भिन्न परियोजना निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सेवाओं से कमायी जाने वाली निवल विदेशी मुद्रा आय पर आधारित परियोजना सहायता ।

तमिलनाडु के पेन्नाडम में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा गन्ना उत्पादकों को ऋण दिया जाना

8524. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में पेन्नाडम स्थित पंजाब नेशनल बैंक ने अरुणा शुगर्स लिमिटेड को गन्ना सप्लाई करने वाले गन्ना उत्पादकों को ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को प्रति एकड़ कितनी अग्रिम राशि दी गई है और भुगतान आदि का तरीका क्या है;

(ग) क्या बैंक ने उत्पादकों को ऋणों की नकद राशि को बैंक में ही जमा करने के लिये बाध्य किया है, यदि हां, तो ऐसे कितने उत्पादक हैं और उनके द्वारा जमा की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जिस उद्देश्य के लिये राशि मंजूर की गई थी उस उद्देश्य के लिये उत्पादकों को जमा राशि वापस करने के लिये बैंक अधिकारियों से कहने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी हां ।

(ख) बैंक द्वारा वास्तविक मांगों पर आधारित पिछले वर्ष प्रति एकड़, दी गई अग्रिम राशि इस प्रकार थी :—

रुपयों में राशि

गन्ने के अपेक्षित उत्पादन के अनुसार वर्ग	
30 मीट्रीक टन से ऊपर	
बोई हुई फसल .	1600
पेड़ी (रैटून) फसल .	1300
25 से 30 मीट्रीक टन	
बोई फसल . .	1400
पेड़ी (रैटून) फसल .	1100
15 से 25 मीट्रीक टन	
बोई हुई फसल	1200
पेड़ी (रैटून) फसल	900
15 मीट्रीक टन	
बोई हुई फसल . . .	1000
पेड़ी (रैटून) फसल	7000

कृषि संयंत्रों के लिए भुगतान, ऋणकर्ताओं की ओर से उचित प्राधिकरण प्राप्त कर, सीधा ही था वालेस एण्ड कं० को कर दिया गया । बीज की पूर्ति के लिए बीज के बारे में भुगतान ऋणकर्ताओं द्वारा किये गये प्रबन्धों के अनुसार, अरुणा शुगर लि० को किया गया । नकद राशि के मामले में, वे ऋणकर्ता जो शीघ्र ही पैसा नहीं निकलवाना चाहते थे, उन्होंने बैंक में बचत जमा खाते खोल लिए तथा पैसे को बैंक में रखा ताकि इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकलवा सकें ।

(ग) और (घ) बैंक ने किसी भी ऋणकर्ता को ऋणों की नकद राशि बैंक में रखने के लिए बाध्य नहीं किया । अलबता, ऋणकर्ताओं ने स्वेच्छा से ही बैंक में खोले गये बचत खातों में नकद राशि जमा रखी । ऋणकर्ताओं द्वारा 11.70 लाख रुपये की जमाओं के, ऐसे 1161 खाते खोले गये ।

ऋणकर्ताओं द्वारा जमा की गई सारी रकम फसल उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निकलवा ली गई हैं ।

चिट फण्ड कम्पनियां

8525. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिट फण्ड संघ ने यह आशंका व्यक्त की है कि प्रस्तावित कानून के बन जाने के बाद अधिकतर चिट फण्ड कम्पनियों को अपना काम बन्द करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो चिट फण्ड कम्पनियों के भय को सरकार का विचार किस प्रकार से दूर करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित विधेयक का मसौदा बनाने में फैडरेशन के विचारों को यथासम्भव ध्यान में रखा गया है ।

दुर्लभ हीरे और जवाहिरात प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय की स्थापना करना

8526. श्री **यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 अप्रैल, 1978 के 'सण्डे स्टैण्डर्ड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वित्त मंत्रालय दुर्लभ हीरे और जवाहिरात प्रदर्शित करने के लिये संग्रहालय की स्थापना पर प्रस्ताव कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसे किस तारीख से शुरू करने का प्रस्ताव है और संग्रहालय हीरे और जवाहारित किस स्रोत से अर्जित करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐतिहासिक मूल्य के रत्न और जवाहरात, देश के सभी भागों से एकत्र करके, दिल्ली के एक संग्रहालय में प्रदर्शित किये जायेंगे । आशा है इस संग्रह में एक बहुत बड़ा हिस्सा कुलागत वस्तुओं तथा पुराने जवाहरात का होगा । प्रदर्शित की जाने वाली इन वस्तुओं से, हमारे देश के विभिन्न भागों से इतिहास तथा संस्कृति का परिचय मिल सकेगा तथा रत्नों को तराशने और जवाहरात तैयार करने की शिल्पकारिता की खूबियों का भी पता चलेगा । इससे आम जनता को राष्ट्र को परम्परागत सम्पत्ति

को देखने का मौका मिल सकेगा और विद्वानों को अनुसंधान के लिए सामग्री का एक समृद्ध स्रोत सुलभ हो सकेगा। इस प्रक्रिया में शिल्पकारिता तथा पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। सम्भवतः इससे बहुमूल्य रत्नों और जवाहरात का देश से तस्कर निर्यात किये जाने की गुंजाइश भी कम हो जायगी।

(ग) प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के मुख्य स्रोत निजी संग्रह ही होंगे, जिनमें भूतपूर्व राजघरानों और देश के अन्य संग्रहालयों के संग्रह तथा पुरातत्वीय खोजों में प्राप्त हुई वस्तुएं और खजाने शामिल हैं। प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं दान अथवा ऋण के रूप में प्राप्त की जाएंगी। यह बताना सम्भव नहीं है कि संग्रहालय का उद्घाटन वस्तुतः कौन-सी तारीख को किया जायेगा।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालयों में लेखा परीक्षकों/सिलेक्शन ग्रेड के लेखापरीक्षकों के संदर्भ में पदोन्नति संबंधी नीति

8527. **श्री बालक राम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालयों में लेखापरीक्षकों/सिलेक्शन ग्रेड के लेखापरीक्षकों के संवर्ग में पदोन्नति के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त लेखापरीक्षक कार्यालय में अपनाई जा रही नीति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है जो कि भारत सरकार के अन्य विभागों में अपनाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के सिद्धान्त लागू करने के लिये, जो भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में अपनाया जाता है, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) **(1) लेखापरीक्षकों के संवर्ग में पदोन्नति :** लेखा-परीक्षकों के संवर्ग में 25 प्रतिशत पद लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं (20 प्रतिशत पद उन लिपिकों में से जिन्होंने लिपिक ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर ली हो और 5 प्रतिशत पद उनमें से जिन्होंने लिपिक ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा करने के पश्चात् "सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा" पास की हो)। लेखा परीक्षकों के संवर्ग में शेष 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

20 प्रतिशत कोटा में पदोन्नति के लिए उन लिपिकों के मामले पर वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जाता है, जिन्होंने लिपिक के लिए अपेक्षित क्षमता से अपेक्षाकृत उच्चतर क्षमता दिखाई हो।

(2) लेखा-परीक्षकों की सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति : लेखापरीक्षकों, ग्रेड़ में कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होते हैं। पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धार्मिक एवं धर्मार्थ ट्रस्टों के माध्यम से कर की अपवंचन

8528. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्टों को कर अपवंचन के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाता है और बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध बहुत से व्यक्तियों ने भी प्रकट रूप से धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये धार्मिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित किये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कोई पुनरीक्षण किया है कि कराधान नियमों के संशोधित उपबन्धों को उक्त ट्रस्टों के बारे में कैसे कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्रि की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में खण्ड मुख्यालयों में बैंक सुविधाएं

3529. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उड़ीसा के किन-किन खण्ड मुख्यालयों में अभी तक बैंक सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन-किन खण्ड मुख्यालयों में ऐसी बैंक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(ग) बैंकिंग कमीशन के सुझाव के अनुसार चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी कितनी नई शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोलेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) रिज़र्व बैंक ने बताया है कि दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में, 75 और कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के पास लाइसेंस थे । उन जगहों के नाम जिनसे ये लाइसेंस सम्बन्धित हैं, अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं । चालू वर्ष में बैंकों की शाखा विस्तार योजनाएं, भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं ।

विवरण

उड़ीसा राज्य के उन स्थानों के नाम जिनके बारे में बैंकों के पास लाइसेंस आवंटन मौजूद थे

(31-12-1977 की स्थिति)

जिले का नाम	केन्द्र	लाइसेंस रखने वाले बैंक का नाम
1	2	2
बालासोर	1. मोटो	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	2. प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्टल एसटेबलिशमेन्ट कैम्पस, चांदीपुर	भारतीय स्टेट बैंक
बोलनगीर	3. नूंहाद	बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
	4. झरीगांव	–तदैव–
	5. पड़िया	–तदैव–
	6. पटंगी	–तदैव–
	7. कुसुमी	–तदैव–

1	2	3
बौध खोंडमाल्स .	8. बसतिगिया	भारतीय स्टेट बैंक
कटक .	9. परादीप	केनरा बैंक
	10. कटक-तुलसीपुर	भारतीय स्टेट बैंक
	11. कटक—बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन ।	—तदैव—
	12. मालगोदाम (कटक)	—तदैव—
	13. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज कैम्पस कटक ।	—तदैव—
	14. कटक	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	15. कटक—नया बाजार	—तदैव—
	16. राजनगर	कटक ग्राम्य बैंक
	17. इन्दुपुर	—तदैव—
	18. काला पत्थर	—तदैव—
	19. बैद्येश्वर	—तदैव—
	20. पहंगा	—तदैव—
	21. बरचना	—तदैव—
	22. डोलीपुर कोराई	—तदैव—
	23. जेहापुर (काबाठंडा)	—तदैव—
	24. मंगलपुर	—तदैव—
	25. देराबिश	—तदैव—
	26. दिलासाहे	—तदैव—
	27. कुंटयोनी	—तदैव—
	28. बारी	—तदैव—
	29. पटामुंडई	—तदैव—
	30. बरमदरादा	—तदैव—
धेनकनाल	31. तलचेर थर्मल पावर स्टेशन	भारतीय स्टेट बैंक
गांजम .	32. भंजनगर	—तदैव—
	33. मतीखालो (इण्डियन रेयर अर्थस लि० कैम्पस)	—तदैव—
	34. पत्रापुर	केनरा बैंक
	35. सनरवेमंड़ी	सिण्डीकेट बैंक
	36. नौगढ़	—तदैव—
	37. रायगढ़	—तदैव—

जिले का नाम	केन्द्र	लाइसेंस रखने वाले बैंक का नाम
कालाहंडी	38. थूमल रामपुर	भारतीय स्टेट बैंक
	39. लांजीगढ़	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
कियोंझर	40. मोंलंगटोली	भारतीय स्टेट बैंक
कोरापुट	41. नौरंगपुर	–तदैव–
	42. नारायणपटना	कोरापुटपंचवटी ग्रामीय बैंक
	43. बन्दूगांम	–तदैव–
	44. चन्द्रपुर	–तदैव–
	45. कोरक कांड़ा	–तदैव–
	46. देरी गांव	–तदैव–
मयूरगंज	47. बिसोई	बैंक आफ इण्डिया
	48. चित्राडा	–तदैव–
	49. बेसिंगा	–तदैव–
	50. बरिआपाडा	केनरा बैंक
पुरी	51. कोणार्क	–तदैव–
	52. भुवनेश्वर––डाइरेक्टोरेट बिल्डिग	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	53. ओड़ोगांव	पुरी ग्राम्य बैंक
	54. छैताना	–तदैव–
	55. सतपारा	–तदैव–
	56. सुनाखाला	–तदैव–
	57. बालीअंता	–तदैव–
	58. नौगांव	–तदैव–
	59. नयागढ़	–तदैव–
	60. जगन्नाथपुर	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
	61. भुवनेश्वर	देना बैंक
	62. पुरी टेम्पल रोड	भारतीय स्टेट बैंक
सम्बलपुर	63. सम्बलपुर	बैंक आफ इण्डिया
	64. जमनकीरा	बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
	65. खुण्डेहीगोला	–तदैव–
	66. भारबन्ध	–तदैव–
	67. बारगढ़	–तदैव–
	68. कोलाबीरा	–तदैव–

जिले का नाम	केंद्र	लाइसेन्स रखने वाले बैंक का नाम
सुन्दरगढ़	69. ठोइड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
	70. राउरकेला सेक्टर-14	–तदैव–
	71. राउरकेला सेक्टर-1	–तदैव–
	72. भीरपानी	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	73. सुन्दरगढ़	पंजाब नेशनल बैंक
	74. गरुन्डिया	केनरा बैंक
	75. राउरकेला स्टील टाउनशिप	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

भारत तथा सोवियत रूस के पर्यटकों की यात्राओं के बारे में दोनों देशों के बीच समझौते

8530. **श्री केडुमालन्ना**

श्री मनोरंजन भक्त

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमन्डल ने हाल ही में भारतीय ट्रैवल एजेंटों के साथ 1979 के दौरान भारत आने वाले सोवियत रूसी पर्यटकों के लिये दरों एवं कार्यक्रम के बारे में तथा सोवियत रूस को भारतीय पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस बारे में हुए समझौतों सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। 1979 के दौरान यू०एस०एस०आर० से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये यात्रा व्यवस्था का प्रबन्ध करने के लिये मास्को के एक प्रतिनिधि मन्डल "इनटूरिस्ट" ने भारतीय ट्रेवल एजेंटों के साथ अलग-अलग करारनामों (प्रॉटोकोलस) पर हस्ताक्षर किये।

इन करारनामों में प्रत्येक ट्रेवल एजेंट द्वारा सम्भाले जाने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या, पर्यटकों द्वारा भ्रमण किये जाने वाले स्थानों का यात्रा कार्यक्रम तथा इस सम्बन्ध में लिये जाने वाले प्रभारों का विवरण शामिल है। इन करारनामों में सामान्य रूप से इस बात का उल्लेख है कि ट्रेवल एजेंट यू०एस०एस०आर० की यात्रा करने के लिये भारतीय पर्यटकों को प्रोत्साहित करेंगे परन्तु उनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अमरीकी आयातकों द्वारा कार्य के भारतीय निर्यातकों के नाम वाली सूची में रखना

8531. **श्री फकीर अली अंसारी** :

श्री डी० जी० गवई :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहने के कारण काजू के बहुत से भारतीय निर्यातकों के नाम अमरीकी आयातकों द्वारा काली सूची में रखे जाने की सम्भावना है जैसा कि "इकोनामिक टाइम्स" दिनांक 12 मार्च, 1978 में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अमरीकी मध्यस्थों द्वारा भारतीय फर्मों पर कोई जुर्माने भी किये गये हैं;

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं और संक्षेप में उनकी असफलता का रूप क्या है; और

(ङ) सरकार का ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है जो इस प्रकार से भारत के नाम को धब्बा लगाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) सरकार को कतिपय शिकायतें मिली थीं कि कुछ भारतीय निर्यातकों ने सं०रा० अमरीका तथा अन्य देशों के कुछ खरीदारों को काजू गिरियां भेजने के सम्बन्ध में अपनी सविदागत बाध्यताए पूरी नहीं की थीं। तथापि सरकार को अमरीकी आयातकों द्वारा भारतीय काजू निर्यातकों को काली सूची में रखने की किसी प्रस्थापना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमरीकी आयातकों द्वारा निम्नोक्त भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध माध्यस्थम् पचाट प्राप्त किया गया है :—

1. ग्रांड कैशू कारपोरेशन, क्यूलोन।
2. केशव कैशू कं०, क्यूलोन।
3. राजमोहन कैश्यूस लि०, क्यूलोन (तय शुदा)।
4. असुमा कैशू कं०, क्यूलोन।
5. जोहर कैशू एक्सपोर्टिंग कं०, क्यूलोन।
6. यूनुस कैशू इंडस्ट्रीज, क्यूलोन।
7. एम०ए० नासिर कैशू इंडस्ट्रीज, क्यूलोन।
8. नवभारत कैशू ट्रेडर्स, क्यूलोन।
9. इन्टरनेशनल कैशू ट्रेडर्स क्यूलोन (तय शुदा)।

सभी मामलों में माध्यस्थम् के लिए अमरीकी आयातकों के जाने का कारण यह था कि भारतीय निर्यातकों ने संविदा की गई कीमतों पर काजू गिरी सप्लाई करने की संविदाएं अंशतः अथवा पूर्णतः पूरी नहीं की।

(ङ) सरकार का यह विचार है कि दोषी पाई गई फर्मों के विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण नीति के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप दोषी पाए गए कतिपय एककों ने अपने खरीदारों के साथ समझौता कर लिया है और निर्यात कर दिए हैं अथवा तय शुदा राशि भेज दी है।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध

8532. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, विशेषतया राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में राज्यों के कई मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुये, केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्त संबंधों का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनरीक्षण का स्वरूप और दिशा क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 18 और 19 मार्च, 1978 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया था। इस समिति को सांविधानिक उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, गाडगिल फार्मूला और राज्य सरकारों को विकास आयोजना तथा निष्पादन संबंधी सौंपे गए अपेक्षाकृत अधिकमंहत कार्य द्वारा आवश्यक हुए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्षेत्र सहित वित्तीय प्रबन्धों की समीक्षा करनी है। इस समिति का कार्य सभी संबंधित मामलों पर विचार करना है।

रेसस बन्दरों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

8533. **श्री बसन्त साठे**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी निर्यातक रेसस बन्दरों के निर्यात पर 1 अप्रैल से प्रभावी लगे प्रतिबन्ध को उठाने, रुकवाने अथवा उसका संशोधन कराने के लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे चिकित्सा अनुसंधान के नाम पर अमरीकी प्रयोगशालाओं में हजारों की संख्या में इनका कत्ले-आम चलता रहे जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न ताप न्यूकलीय उपकरणों से मानव प्राणियों को मारना होता है जैसा कि 'ब्लिटज़' दिनांक 25 मार्च, 1978 में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामले के तथ्य क्या हैं और पहले किये गये ऋण में क्या संशोधन किया जाना है अथवा किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जी नहीं। रेसस बन्दरों के निर्यात पर लगी रोक को उठवाने, रुकवाने अथवा उसमें संशोधन कराने में गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा किये जाने वाले किन्हीं भी प्रयासों के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है और बन्दरों के निर्यात पर लगी रोक का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परामर्शदात्री फर्मों को उनके संवर्धन प्रयासों में सहायता देना

8534. **श्री उग्रसेन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में परामर्शदात्री फर्मों को विदेशों में बिजली घरों, आवास, अस्पताल परियोजनाओं, रेल लाइनें बिछाने के कार्य आदि के बारे में करार करने में होने वाली कठिनाईयों का पता है;

(ख) सरकार का भारतीय मिशनों के समय पर जानकारी उपलब्ध करने, वित्तीय गारंटी तथा आस्थगित अदायगी सुविधाओं आदि के बारे में योगदान के बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) सरकार का परामर्शदात्री फर्मों को उनके संवर्धन प्रयासों में क्या सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग)

भारत स्थित परामर्शदात्री फर्मों को अपने कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों से संविदाएं प्राप्त करने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें न्यूनतम करने के विचार से सरकार ने समय-समय पर अनेक कदम उठाये हैं। देश में परामर्शदात्री सेवाओं के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय समन्वयकारी निर्यात संवर्धन अभिकरण के रूप में भारतीय निर्यात संगठनों के परिसंघ को नामित किया है। भारतीय परामर्शदात्री संगठनों के संवर्धन को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें विदेशों से संविदाएं प्राप्त कराने में सहायता देने के विचार से सरकार द्वारा निम्नोक्त महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

(1) कम से कम 5 लाख रु० वार्षिक की बिक्री करने वाली परामर्शदात्री फर्मों को सामान्य परमिट की सुविधाओं का पात्र बना दिया गया है जबकि अन्य गैर-परम्परागत निर्यातों के सम्बन्ध में 10 लाख रु० की सीमा है।

(2) व्यापार संबंधी दौरों, विदेशी कमीशन के भुगतान तथा टेंडर संबंधी कागजातों की खरीद करने के लिए विदेशी मुद्रा रिलीज करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की गई है ताकि बाजार संबंधी जानकारी, बोलियों पर अनुवर्ती कार्यवाही तथा संविदाओं का बिना किसी रुकावट निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

(3) निर्यात संवर्धन हेतु विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए परामर्शदात्री संगठनों के अनुरोधों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उदारतापूर्वक विचार किया जाता है।

(4) परियोजना के लिए नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी तथा अन्य स्टाफ के खर्च को पूरा करने और आवश्यक माल खरीदने के वास्ते, तकनीकी परामर्शदात्री तथा प्रबन्ध परामर्शदात्री फर्मों को ब्याज की रियायती दरों पर परामर्शी करारों के आधार पर उपयुक्त पूर्व-लदान ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं।

(5) प्रश्नाधीन सौंपे गये कार्य को हाथ में लेने की क्षमता तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर समुचित रूप से विचार करने के बाद परामर्शी सेवाओं के निर्यातकों को उपयुक्त गारंटियां भी प्रदान की जाती है।

(6) बाजार अध्ययन, विदेशी कार्यालय खोलने, प्रचार अभियान करने तथा विदेशों में संभाव्यता अध्ययन कार्य हाथ में लेने जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए परामर्शदात्री संगठनों को विपणन विकास निधि में से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(7) जहां कोई परामर्शदात्री फर्म किसी विदेशी परियोजना प्राधिकारी के लिए निःशुल्क एक संभाव्यता अध्ययन का कार्य हाथ में लेती है तो उसका 60 प्रतिशत खर्च विपणन विकास निधि से पूरा किया जाता है।

इस समय विदेशों से अधिकांश वाणिज्यिक जानकारी विदेश स्थित हमारे मिशनों और ई०ई० पी०सी० कार्यालयों की मार्फत भेजी जाती है। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के विदेश स्थित कार्यालयों या विदेश स्थित भारतीय मिशनों या कुछ देशों में खरीदार संगठनों से इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् को मिलने वाली जानकारी भारतीय फर्मों की सूचना के लिये बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है या परिचारित की जाती है।

बेरोजगार विमान चालकों के लिये "थर्ड लेवल एयरलाइन"

8335. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बेरोजगार विमानचालकों के लिये "थर्ड-लेबल एयरलाइन" का वचन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और योजना कब से काम करना आरम्भ कर देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम : कौशिक) (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया में विमान चालकों को खपाने के लिए विभिन्न अन्य प्रयत्नों के अतिरिक्त सरकार "थर्ड लेबल" विमान सेवा शुरू करने के लिये भी विचार कर रही है। यह उन पर्यटकों के लिये रुचिकर एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी जहां इंडियन एयरलाइंस परिचालन नहीं करती। इस पहलू पर वाणिज्यिक विमानचालकों के साथ भी बातचीत की गयी थी और उन्हें यह सलाह दी गयी थी कि वे इन सेवाओं को सहकारिता के आधार पर चला लें। सरकार इन्हें अपेक्षित लाइसेंस भी देने को तैयार है। बम्बई में ऐसा एक लाइसेंस दिया भी गया है।

पर्यटकों के लिये रुचिकर एवं अन्य महत्वपूर्ण छोटे कस्बों को, जिनके लिये इंडियन एयरलाइंस अपनी सेवाएं नहीं परिचालित करती, जोड़ने के लिये "थर्ड लेबल" विमान सेवाएं चालू करने के लिये इंडियन एयरलाइंस द्वारा तैयार की गयी परियोजना रिपोर्ट की, नागर विमानन के महानिदेशक की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा जांच की जा रही है जो अपनी सिफारिशें जुलाई 1978 के अंत तक प्रस्तुत कर देगी।

Goods seized from Smugglers and Black Marketeers

8536. **Shri Chhitubhai Gamit :**

Shri Bapusaheb Parulekar :

Will the **Minister** of **Finance** be pleased to state :

(a) the number and names of smugglers and black-marketeers apprehended during he period March, 1977 to March, 1978 State-wise;

(b) the value and kinds of goods recovered from them, state-wise; and

(c) the action taken against them and the details of measures being adopted by Government to check such economic offences in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) Government have launched a three-pronged attack to check smuggling and foreign exchange racketeering by strengthening the preventive and enforcement machinery, resorting to selective use of the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act (COFEPOSA) and by taking appropriate economic measures. The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 is also applied for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators and of their relatives and associates, in order to deprive them of their ill-gotton gains.

Besides changes already introduced in the law relating to direct taxation to facilitate unearthing of blackmoney and prevention of its proliferation by making such provisions as compulsory maintenance of accounts in respect of specified professions and above certain prescribed limits of income/turnover for business and other professions, an integrated approach is now being made to counter tax evasion through collection of intelligence, investigation, scrutiny of accounts and searches.

उन्नत राष्ट्रों की तुलना में भारत के पास सोने की मात्रा

8537. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास तस्करी सोने की अनुमानित मात्रा क्या है और इसकी तस्करी को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या अन्य उन्नत राष्ट्रों की तुलना में भारत के पास सोने की अनुपात से अधिक मात्रा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 1976 से 1978 तक के वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए सोने की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है:—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में) (स्थानीय चालू बाजार भाव पर)
1976	173	83
1977	264	163
1978 (केवल जनवरी और फरवरी)	456	35

सभी प्रकार की वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए, जिसमें सोने की तस्करी भी शामिल है, अनेक तस्करी-विरोधी उपाय किये गये हैं। तस्करी निवारक तथा आसूचना तंत्र को मजबूत बना दिया गया है। समुद्र-तट पर तथा समुद्र में गश्त तेज कर दी गई है। महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों पर भी गश्त तथा अप्रत्याशित जांच पड़ताल की व्यवस्था कर दी गई है। पूरे पश्चिमी समुद्री-तट पर, दक्षिण-पूर्वी समुद्री तट पर, भारत-पाक सीमा पर अमृतसर डिवीजन में सुगमता से पार किए जा सकने योग्य सेक्टर में बेतार-संचार-तंत्र की व्यवस्था कर दी गई है। पूरी भारत-नेपाल सीमा पर और कलकत्ता बन्दरगाह को जाने वाले नदीय मार्ग के कुछ चुने हुए स्थलों पर, इसी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण-तस्करी जैसी बुराई को समाप्त करने के लिये, एक आर्थिक उपाय के रूप में, सरकार ने अपने स्टाक में से सोने की बिक्री आरम्भ करने का निर्णय किया है। सरकार ने, स्वर्ण-आयात की अनुमति देकर अथवा सरकारी स्टाक में से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोना बेचने की व्यवस्था करके, स्वर्ण-जवाहरात का निर्यात करने के लिये एक सरल योजना लागू करने का निर्णय भी किया है।

(ख) जी नहीं।

राजस्थान के सीकर जिले में उत्पादित तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

8538. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीकर जिले (राजस्थान) में उत्पादित तम्बाकू जो बीड़ी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर वही है जो बीडी बनाने के काम आने वाले तम्बाकू पर लगता है ; और

(ख) क्या सरकार इस तम्बाकू पर लगे उत्पादन शुल्क का पुन: मूल्यांकन, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करा कर करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) तम्बाकू पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर, तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, बीड़ियों के निर्माण में प्रयुक्त तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की दर उसी स्तर पर निश्चित की गयी है, जो अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त गैर-धुआंकश शोधित अनिर्मित तम्बाकू के लिए है। परन्तु, इसके अलावा ब्रांड-युक्त बीड़ियों पर शुल्क लगाया गया है। इस प्रकार, बीड़ी-तम्बाकू पर दो चरणों पर शुल्क लगता है—एक जब वह तम्बाकू के रूप में होता है और दूसरे जब वह ब्रांड-युक्त बीड़ियों के रूप में होता है। इन परिस्थितियों में गैर बीड़ी-तम्बाकू पर शुल्क की दरों के पुनर्मुल्यांकन का प्रश्न फिलहाल उपयुक्त नहीं है।

Demand for Tobacco by Foreign Countries

8539. Dr. Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether several countries have made a demand for Indian tobacco; and

(b) if so, the names of the countries with whom trade agreements have been entered into by India in 1977-78 and the main terms and conditions thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Our tobacco is already being exported to more than 60 countries in different parts of the world. As against unmanufactured tobacco valued at Rs. 96.62 crores exported during 1976-77, the value of our exports during April, 77 to February, 1978 is estimated to have been Rs. 105.37 crores.

(b) No trade agreement providing exclusively for export of tobacco was entered into by India with any country during 1977-78. However, apart from inclusion of specific provisions either in terms of quantity or value for export of tobacco to some East European countries such as USSR, Czechoslovakia, Bulgaria, GDR, etc., in the respective annual trade plan finalised with those countries, trade agreements concluded with other countries from time to time also, wherever considered appropriate, indicate tobacco as an item available for export from India. For example, during 1977-78, trade agreements were concluded with Democratic Peoples Republic of Korea and the Mongolian Peoples Republic providing for export of tobacco and tobacco goods from India to those countries, but without mentioning any quantitative limit or any other restriction.

Simplification of the procedure to give cash assistance on export of goods

8540. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the procedure to give cash incentive on export of products has been simplified recently; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir.

(b) With effect from 1st September, 77 a new simplified payment scheme for payment of cash assistance across the counter by the Lincensing Authorities under the CCI&E came into force. Under this new procedure, exporters submit their application for cash assistance at the counter in the morning and receive cheque for the amount found admissible after preliminary scrutiny, in the evening of the same day. The necessity for production of Chartered Accountant Certificate as required under the previous simplified payment scheme, has been dispensed with under the new procedure.

Exporters who made exports during 1976-77 and had earned REP licences and/or cash assistance thereon are eligible for getting cash assistance under this scheme.

Domestic and Foreign Tourists visited Nalanda, Pawapuri and Rajgir Tourist Centres

8541. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of domestic and foreign tourists who visited Nalanda, Pawapuri and Rajgir tourist centres during the last two years and the period of their stay there and the means of transport used by them for visiting these centres;

(b) whether it is a fact that these three important centres have not been linked direct with Delhi and Calcutta by railway line or by air as a result of which passengers face difficulty unnecessarily; and

(c) the steps being taken to provide travel and other facilities at these centres keeping the above fact in view and the seriatim details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Tourist statistics are maintained on an all-India basis and not on State-wise or place-wise basis in the case of foreign tourists. In so far as statistics relating to domestic tourists are concerned, no suitable methodology has so far been devised for their scientific collection, although this lacuna is being rectified. Hence no statistics are available with the Department of Tourism of domestic and foreign tourists visiting Rajgir, Nalanda and Pawapuri.

At present most of tourists make Rajgir their base, and visit Nalanda and Pawapuri on a day's excursion trip by bus. The average period of stay of tourists at Rajgir is about 3 days. Most of the tourists and pilgrims reach Bhaktiarpur by train and then proceed to Rajgir by bus or shuttle trains according to their convenience.

(b) Patna is the nearest airport for Rajgir, Nalanda and Pawapuri. These centres can be conveniently visited from Patna by bus. Due to low volume of passenger traffic it would not be economically viable to air-link these centres directly with Delhi or Calcutta. There is no direct rail service from Rajgir and Nalanda to Delhi and Calcutta, but a branch line from Bhaktiarpur on the Patna-Calcutta main line provides rail access to Rajgir and Nalanda. These centres are also connected by all weather road to Gaya, 69 km. from Rajgir. As the volume of rail traffic to Delhi/Calcutta would be small there would not be sufficient justification in incurring heavy expenditure on rail linking these centres directly with Delhi and Calcutta.

(c) The Central Department of Tourism proposes to develop suitable facilities at Rajgir and Nalanda for the large number of Buddhist pilgrims visiting these centres. A master plan (land-use plan) of these centres has already been prepared, and the development of facilities such as accommodation, camping site, cafeteria, etc. will be taken up during the Five Year Plan 1978-83.

स्टेट बैंक सूरत के खिलाफ शिकायतें

8542. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक हजार रुपये वाले दस दस से कम नोट रखने वाले गरीब आवेदनकर्त्ताओं को भुगतान में विलम्ब करने और उन्हें परेशान किये जाने के बारे में स्टेट, बैंक सूरत, के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भुगतान नहीं किये गये हैं जबकि इससे बड़ी धनराशियों का पहले ही भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन निर्धन आवेदनकर्त्ताओं को परेशान न किया जाये और उनके मामलों का शीघ्र निपटान कर दिया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) से (ग) इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि भारतीय स्टेट बैंक, सूरत कई एक ऐसी घोषणाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है जिनमें घोषणाकर्त्ताओं के हस्ताक्षरों को उन कृत्याधिकारियों के द्वारा तसदीक किया गया है जो उंचे मूल्य वर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम 1978 की धारा 7(3) में विनिर्दिष्ट कृत्याधिकारियों से भिन्न हैं। रिज़र्व बैंक ने अब पक्षों को सलाह दी है कि वे, अपनी घोषणाओं को अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत कृत्याधिकारियों से तसदीक करायें ताकि भारतीय स्टेट बैंक, सूरत उन पर कार्रवाई कर सके। यदि घोषणाएं कायदे के अनुसार हों, तो चाहे कितनी भी रकम का मामला हो अदायगियां वस्तुनिष्टता के आधार पर की जाती है।

विभिन्न संगठनों द्वारा विजया बैंक में जमा की गई धनराशि

8553. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी संगठनों, अर्धसरकारी संगठनों, सरकारी निगमों, सांविधिक निकायों ने अपनी धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों की बजाए विजया बैंक में जमा कराई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संम्बधी पूरा ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एल० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठे करने की उनकी वर्तमान प्रणालियों के अन्तर्गत सरकारी संगठनों की जमाओं विषयक सूचना प्राप्त नहीं की जाती। किन्तु वर्तमान आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों और सांविधिक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ बैंकिंग की व्यवस्था करें। गुणावगुणों के आधार पर उन आदेशों से छूट दी जाती है। सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन वाले सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों आदि इन आदेशों का उल्लंघन करके विजया बैंक लिमिटेड में जमाएं रख रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य में वृद्धि

8544. **श्री डी०बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चाय निर्यात की भूमिका के बारे में ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू बाजार में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रति किलोग्राम कितना निर्यात शुल्क लगाया गया?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) विश्व के चाय निर्यातों में भारत का भाग 29 प्रतिशत से कुछ अधिक है। विगत पांच वर्षों में चाय निर्यातों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	करोड़ रु०
1973-74	144.85
1974-75	223.53
1975-76	238.29
1976-77	295.26
1977-78†	556.00

†अनुमानित

(ग) 1977 के दौरान भारत में चाय का उत्पादन 5598.2 लाख किग्रा हुआ जो एक रिकार्ड है तथा जो 1976 के उत्पादन से 480 लाख किग्रा० अधिक था। 1977 के शुरू में चाय की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अत्यधिक बढ़ गई थी। इस वृद्धि से घरेलू उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए अप्रैल, 1977 से 5 रू० प्रति किग्रा का निर्यात शुल्क लगाया गया।

Loans to Unemployed Graduates and Landless people in Bihar by Natioanlised Banks

†8545. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of unemployed graduates and landless people of Bihar provided loan by the nationalised banks during the period March, 1977 and 1978 together with the amount of loan provided; and

(b) whether these banks have stopped advancing loan for the past two months and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The present reporting system does not provide for collection of data on bank's advances specifically to unemployed graduates and landless persons. However, these categories of borrowers are covered under advances to the neglected sectors.

The latest available data on the outstanding credit of public sector banks to the neglected sectors in the State of Bihar are set out below :

	March, 1977		*December, 1977	
	No. of accounts	Amount outstanding (Rs. crores)	No. of accounts	Amount outstanding (Rs. crores)
1. Agriculture	184776	60.40	209847	69.86
2. S.S.I.	15072	33.70	17267	38.51
3. Road & Water Transport Operators	28814	26.50	28236	27.10
4. Retail Trade & Small business	32302	12.85	36808	13.95
5. Professional & self employed	20821	2.34	22736	2.75
	281785	135.79	314894	154.16

*Data provisional.

(b) No, Sir. On the other hand banks are endeavouring to step up their advances to these categories of borrowers.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति

8546. **श्री एम० रामगोपालरेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या कम से कम दो राष्ट्रीकृत बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति घोषित नहीं की गई है इस तथ्य के बावजूद कि उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख 31 मार्च, 1978 को खत्म हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं और इनके अध्यक्षों के नाम की घोषणा न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) सिंडीकेट बैंक और यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के अध्यक्षों की नियुक्ति की वर्तमान अवधि 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो गई थी। श्री आर० रघुपति को सिंडीकेट बैंक अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने 24 अप्रैल, 1978 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Central Assistance to Madhya Pradesh for Development of Tourism

8547. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance provided to Madhya Pradesh for tourism development during the period from 1970 to 30 June, 1976; and

(b) whether Government have examined those factors which have impeded tourism development in the above State ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Since Centrally sponsored schemes have been abolished with the commencement of the Fourth Five Year Plan, no financial assistance is given to the State Governments by the Central Department of Tourism. However, Rs. 52,11,494 (Department of Tourism—Rs. 22,17,494; I.T.D.C.—Rs. 29,74,000) were spent in the Central sector on tourism schemes taken up in Madhya Pradesh during the period 1970 to 1976-77.

(b) Constraint on resources has been the main impediment in the development of tourism.

जयपुर तथा ग्वालियर के महलों से जब्त किये गये माल के न्याय निर्णय की कार्यवाही

8548. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री आपातकाल के दौरान जयपुर तथा ग्वालियर के महलों से जब्त किए गए माल के बारे में 18 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 888 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपतकाल के दौरान जयपुर तथा ग्वालियर के महलों से जब्त किये गये माल के बारे में न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतोश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) आपातकाल के दौरान जयपुर के भूतपूर्व शासक परिवार द्वारा स्वेच्छा से पेश किये जाने पर, पकड़ी गई, स्टैन्ड पर खड़े तोते की शक्ल की 183 ग्राम वजन की, 10,000 रु० मूल्य की सोने की एक वस्तु के संबंध में स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। सोने की उक्त वस्तु को जब्त कर लिया गया था

परन्तु जब्ती के एवज में 2,000 रु० के दण्ड की अदायगी पर इससे छोड़ दिया गया। आपात काल के दौरान और कोई माल नहीं पड़का गया। आपातकाल से पूर्व स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर के महलों से पकड़े गये माल के सम्बन्ध में न्यायनिर्णय की कार्यवाही की जा चुकी है।

ग्वालियर के महल से पकड़ी गई वस्तुओं के बारे में स्वर्ण नियंत्रण कानून के अनुसार न्यायनिर्णय की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी होने की आशा है।

चाय की तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही

8549. **श्री पूर्णो सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार

को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी भारत अर्थात् आसाम, पश्चिम बंगाल में उत्पन्न चाय की बड़ी मात्रा में सड़क द्वारा प्रायः कारखानों से सीधे अमृतसर, वाजी बन्दर, और सुन्दर नगर को भेजी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन तीनों स्थानों पर जितनी चाय जाती है उसके अनुपात में वहां की खपत न होने से चाय निर्यात शुल्क अदा किये बिना नियमित रूप से भारत से बाहर चोरी-छिपे ले जायी जा रही है ; और

(ग) इस प्रकार की तस्करी रोकने के लिए और निर्यात के काम को नियमित व्यवस्था से करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चला है कि भारी मात्रा में चाय कारखानों के सीधे अमृतसर अथवा अन्य स्थानों को नियमित रूप से सड़क मार्ग से भेजी जा रही है। इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि भारी मात्रा में चाय चोरी- छिपे भारत से बाहर पाकिस्तान ले जायी जा रही है।

(ग) भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल तथा सीमाशुल्क निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को सतर्कता बढ़ाने के लिए सावधान कर दिया गया है जिससे चाय चोरी-छिपे भारत से बाहर जाने के किसी प्रयास को प्रभावी रूप से निष्फल किया जा सके।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

8550. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा प्रायोजित उन परियोजनाओं का मुख्य ब्यौरा क्या है जिनके बारे में हाल में विश्व बैंक से सहायता के लिए बातचीत की जा रही थी अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : निगम ने मार्च, 1978 में कर्नाटक सिंचाई परियोजना के लिये बातचीत की है जिसमें 1260 लाख डालर (70 लाख डालर निगम के माध्यम से दिये जाने हैं) की अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता अंतर्ग्रस्त है। इस समय तीन परियोजनाओं के लिए वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ बातचीत चल रही है। ये परियोजनायें हैं :—

(1) जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजना (2) आंध्र फिशरीज़ प्रोजेक्ट और (3) राष्ट्रीय बीज परियोजना (फेज II)। उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर परियोजना में सेवों के 5000 स्टोरेज एककों, सेब के ग्रेडिंग और पैकिंग के लिये 25 केन्द्र, अखरोट के ग्रेडिंग और परिष्करण

के लिए 20 एकक 2 फल परिष्करण संयंत्र तथा हरयाणा दिल्ली सीमा पर एक लदान केन्द्र के और मशरुम उत्पादन एककों के निर्माण के लिये 21.6 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत का अनुमान है। आंध्र फिशरीज प्रोजेक्ट का विशाखापटनम और निजामपत्तन में मछली विकास कार्यक्रम शुरु करने का इरादा है। पांच राज्यों में राष्ट्रीय बीज परियोजना की प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिये परिष्करण एककों की स्थापना दूसरे चरण में हैं।

पोर्ट ब्ल्येर हवाई अड्डे पर धावन-पथ में सुधार

8551. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर धावन-पथ में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार को जानकारी है और 68 लाख रुपये की राशि का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हवाई अड्डे पर कोई लौंज नहीं है और बैठने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। रन-वे के सुधार के लिए 33.09 लाख रुपये के प्राक्कलन (एस्टीमेट) को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य पूरा होने वाला है। उक्त 68 लाख रुपए के प्राक्कलन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : टर्मीनल भवन में, जोकि अस्थायी प्रकार का है, तीन ब्लाक हैं, जिनमें से दो का प्रयोग आगमन हॉल तथा प्रस्थान हॉल के रूप में किया जाता है। यात्री लौंज में बैठने की और अधिक व्यवस्था करने के लिए "केन चेयर्स" खरीदने के लिए हाल ही में 9,000 रुपए के प्राक्कलनों को स्वीकृति प्रदान कर दी दी गयी है।

Income Tax outstanding against Cinema Artistes

8552. Shri Bhanu Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax outstanding against the cinema artistes for the years 1975-76 and 1976-77; and

(b) the action being taken to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) and (b) The requisite information is not readily available. Its collection in respect of all the film artistes who are in arrears of income-tax will involve considerable time and labour. Information in respect of film artistes where gross income-tax outstanding in respect of the assessment year 1975-76 or 1976-77 or both as on 31-3-1978 is Rs. 10,000 or more, is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

मंत्रालय की प्रत्येक श्रेणी में भरे गये पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का हिस्सा

8553. **श्री आर०एन० राकेश :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन की सम्पूर्ण अवधि में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में तथा उससे सम्बद्ध तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों एवं सरकारी उपक्रमों, में पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद भरे गये और उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का विशिष्ट रूप से कितना हिस्सा रहा और प्रत्येक श्रेणी के कितने पदों को आरक्षित किया गया तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ख) पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितनी पदोन्नतियां की गई/कितने पदों का दर्जा बढ़ाया और उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Loans given by Nationalised Banks at low rate of interest to MISA detenus

8554. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have announced in the House that MISA political detenus, whose families faced difficulties, will be given loans by the nationalised commercial banks at low rates of interest for their rehabilitation;

(b) whether it is also a fact that instructions to this effect have been issued to banks; and

(c) if so, the names of the nationalised commercial banks in Madhya Pradesh which advanced loans to persons in 1977-78 accordingly indicating the names of the persons given loans ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) Instructions have been issued to the public sector banks that they may extend credit assistance on liberal terms and on a priority basis for economically viable ventures. under any of their existing schemes for neglected sectors, to applicants who suffered detention or imprisonment under MISA or DISIR, for six months or more during the emergency, solely because of their political affiliations or membership of erstwhile banned organisations and who, without bank assistance would not be able to resume economic activities for their livelihood. Whenever a borrower qualifies for assistance at low rate of interest under the DRI scheme, banks would assist him in accordance with the stipulations of the scheme.

(c) Information received from the banks indicates that they are extending assistance under this advice. However, since the assistance is being given in terms of the existing schemes of the banks for small borrowers in the neglected sectors, no separate data are being maintained in regard to the assistance given to the MISA/DISIR detenus.

धनबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्टार-होटल, बार और सिनेमा हाल के मालिकों की पूंजी का स्रोत

8555. **श्री ए०के० राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के अन्दर सामान्य रूप से देश में और विशेष रूप से धनबाद औद्योगिक क्षेत्र स्टार-होटल, बार और सिनेमा हॉल की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि धनबाद के अधिकांश स्थानों में किसी वास्तविक स्त्रोत और आयकर विवरणी के बगैर ही सभी प्रतिष्ठान लेखा बाह्य राशि पर आधारित हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विलास के इन सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों की पूंजी के स्त्रोत के बारे में पूरी जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) होटलों को स्टार पद्धति के आधार पर स्वीकृति देना और उनका वर्गीकरण करना 1973 में समाप्त कर दिया गया था। अलग-अलग समय पर देश में होटलों, शराब-घरों और सिनेमा भवनों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगेगा, जो संभाव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में धनबाद औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से सिनेमा भवन, शराब-घर आदि खोले गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नये कर निर्धारितयों का पता लगाने के लिये, जिनमें होटल, शराब-घर चलाने और फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, आयकर प्राधिकारी सर्वेक्षण कर रहे हैं। जिन मामलों में कर-अपवंचन का संदेह है, उन सभी में यथाअपेक्षित जांच की जा रही है और जहां कहीं उचित पाया गया है वहां अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

मार्च, 1978 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यापार

8556. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1978 में जीवन बीमा निगम के व्यापार को बहुत अधिक धक्का लगा है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। भारत में व्यक्तिगत बीमे के अन्तर्गत निगम द्वारा मार्च, 1978 और मार्च, 1977 में किए गए नए कारबार का तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च, 1977	मार्च, 1978
प्रस्तावित राशि	348.99	339.58*
बीमाकृत राशि	479.20	467.37*

*इन आंकड़ों की अभी जांच होनी बाकी है।

(ख) मार्च, 1977 की तुलना में मार्च, 1978 के दौरान कारबार में जो थोड़ी सी कमी हुई है वह मार्च, 1978 में विकास अधिकारियों की हड़ताल के कारण है।

स्टर्लिंग चाय कम्पनियों द्वारा चाय बागानों की बिक्री

8557. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लिंग चाय कम्पनियों ने अपने बागान बेचने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अनुसार स्टर्लिंग चाय कम्पनियों को अपनी कम्पनियां ऐसी भारतीय कम्पनियों में बदलनी पड़ती हैं जिनमें अनिवासियों के शेयर 74 प्रतिशत से अधिक न हों । यद्यपि चाय सम्पदाओं (टी एस्टेट्स) की सीधी बिक्री के कुछ मामले दृष्टिगोचर होते हैं तथापि स्टर्लिंग चाय कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित भारतीयकरण का सबसे अधिक सामान्य तरीका ऐसी स्टर्लिंग चाय कम्पनियों का समूहीकरण है जो उनकी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए बनाई गई भारतीय कम्पनियों में विलीन हुई हों । उन मामलों में जहां स्टर्लिंग चाय कम्पनियों ने अपनी सम्पदाओं (एस्टेट्स) को बेचने की अनुमति मांगी है, वहां उचित मूल्यांकन के बाद अनुमति दी गई है ।

कच्चे काजू का आयात

8558. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान कच्चे काजू का कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) उसमें से कर्नाटक राज्य को कितनी मात्रा आबंटित की गई ; और

(ग) चालू वर्ष की शेष अवधि में कच्चे काजू का कुल कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) पिछले छः महीनों (अक्तूबर, 1977 से मार्च 1978 तक) के दौरान 19,500 मे० टन कच्चे काजू का आयात किया गया । इसमें से 1,000 मे० टन की मात्रा कर्नाटक स्थित फैक्टरियों को आबंटित की गई ।

वर्ष 1978-79 के लिए भारतीय काजू निगम को आशा है कि वे लगभग 60,000 से 70,000 मे० टन तक कच्चा काजू आयात कर सकेंगे ।

सुपर बाजार का कार्यकरण

8559. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजार कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी ;

(ख) सरकार ने उक्त बाजार में कितनी पूंजी लगाई है ;

(ग) नई दिल्ली और दिल्ली में कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं तथा सरकार का विचार आगामी दो वर्षों में कितनी और शाखाएं खोलने का है ;

(घ) क्या उक्त सुपर बाजार वाणिज्य आधार पर कार्य कर रहा है और गत पांच वर्षों का लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सुपर बाजार के कार्य का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) कोआपरेटिव स्टोर (सुपर बाजार) लि०, नई दिल्ली 25 जून, 1966 को पंजीकृत किया गया था और इसने 15 जुलाई, 1966 से कार्य करना शुरू किया ।

(ख) सरकार ने इस संख्या में 79.24 लाख रु० की राशि अंशपूंजी के रूप में लगायी है, जो 93.30 लाख रु० के बकाया ऋण और 11.81 लाख रु० की आर्थिक सहायता के अलावा है ।

(ग) इस समय दिल्ली और नई दिल्ली के इलाकों में 34 शाखाएं कार्य कर रही हैं । संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराये जाने पर सुपर बाजार के प्रबंधकों का 70 नई शाखाएं और खोलने का विचार है ।

(घ) सुपर बाजार वर्ष 1972-73 से शुद्ध सीमान्त (मार्जिनल) लाभ कमा रहा है और वर्ष 1972-73 और 1973-74, जिनके लेखाओं की लेखा परीक्षा हो चुकी है, के लाभ क्रमशः 0.51 लाख रु० और 10.66 लाख रु० हैं । इसके बाद के वर्षों के लेखाओं की परीक्षा की जा रही है ।

(ङ) सरकार ने हाल ही में सुपर बाजार की प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया है और कोआपरेटिव स्टोर के प्रबंधक बिक्री बढ़ाने, इसके कार्यकरण व व्यापारिक कार्यविधियों को सुव्यवस्थित करने और ऊपरी खर्चों में कमी करने के लिए और कदम उठा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में फरक्का में पर्यटन केन्द्र (कॉम्प्लेक्स)

8560. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में फरक्का में एक पर्यटन केन्द्र (काम्प्लेक्स) स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) साधनों की तंगी के कारण जिससे चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है, पश्चिमी बंगाल में फरक्का में एक पर्यटक कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पुराने कैराविले विमानों का उपयोग

8561. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस कुछ अधिक नये बोइंग 737 विमान प्राप्त करके अपने कैराविले विमान बेड़े को धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन भारतीय कैराविले विमानों का उपयोग "गल्फ" मार्गों पर किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइंस अपने कैराविल विमानों को क्रमशः सेवा से निकालने की योजना बना रही है ।

(ख) ऐसा कैराविल विमानों के परिचालन में अपेक्षाकृत भारी लागत आने तथा इनके फालतू पुर्जों के मिलने में कठिनाइयां होने के कारण किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं । इंडियन एयरलाइंस द्वारा नहीं ।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरियां

8562. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरियां देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : जी नहीं । विद्यमान नियमों के अधीन, ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान काम करते-करते मृत्यु हो जाती है अथवा जिनको अस्वस्थता के आधार पर सेवा से निकाल दिया जाता है और उनका परिवार गरीबी की परिस्थितियों में पाया जाता है, केवल उनके पुत्रों/पुत्रियों और निकट संबंधियों के मामलों पर ही भर्ती की सामान्य कार्यविधि में ढील देकर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है ।

विदेशी मुद्रा की उपलब्ध राशि

8563. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक व्यक्ति और व्यापार को उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे सरकार को किस हद तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में प्रत्येक व्यक्तिगत और व्यापारिक विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की हकदारी की रकम बढ़ा दी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) विदेशी यात्रा योजना के अन्तर्गत दो वर्ष में एक बार की जाने वाली विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की रकम 500 डालर तक बढ़ा दी गई है चाहे यात्रा किसी भी हवाई कम्पनी द्वारा की जाए ।

(2) व्यापारिक यात्राओं आदि के लिए विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

(क) व्यापारिक यात्राएं

	बड़े व्यापारी	छोटे व्यापारी
समूह 'क' और नाइजीरिया और सऊदी अरब . .	*120 अमरीकी डालर	90 अमरीकी डालर
समूह क— पश्चिमी गोलार्ध (वैस्टइंडीज सहित) कुवैत, दुबाई, आबू धाबी, कातार बोमान और बहरीन . . .	100 अमरीकी डालर	75 अमरीकी डालर
समूह ख— ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप, ईरान, जापान, और लीबिया . . .	95 अमरीकी डालर	70 अमरीकी डालर
समूह ग— अन्य देश . .	85 अमरीकी डालर	65 अमरीकी डालर
द्विपक्षीय देश	750 रुपए	550 रुपए

*(विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक 10 दिन तक की अवधि के लिए दी जाएगी)

(ख) सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भत्ता

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए उतनी ही विदेशी मुद्रा दी जाएगी जितनी उपर्युक्त 'क' में निर्दिष्ट छोटे व्यापारियों को व्यापारिक यात्राओं के लिए रखी गई है ।

(ग) मनोरंजन भत्ता

सीनियर एग्जिक्युटिव	500 डालर
जूनियर एग्जिक्युटिव	250 डालर
ट्रैवलिंग सेल्समैन	250 डालर

यह मानदण्ड ब्लैंकिट परमिट होल्डरों के मनोरंजन के मामले में भी लागू होंगे ।

(घ) अल्पावधिक विशेषज्ञता प्रशिक्षण

पहले महीने के लिए	60 डालर प्रति दिन अर्थात् 1800 डालर प्रति मास
दूसरे और उसके बाद के महीनों के लिए अर्थात् कुल 6 महीनों तक	40 डालर प्रति दिन अर्थात् 1200 डालर प्रति मास (5 महीनों के लिए)
जोड़	7800 डालर (1800 और 6000 डालर)

परन्तु छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 750 डालर प्रति मास का समान मानदण्ड लागू होगा ।

(ङ) विदेशी सरकारों के निमंत्रण पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों, विदेशी प्रायोजकों के आतिथ्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/गोष्ठियों में भाग लेने वालों, संस्थागत आतिथ्य पर जाने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों आदि और विदेशी व व्यापारिक सहयोगियों के सम्पूर्ण आतिथ्य पर विदेश जाने वाले व्यापारियों के साथ जाने वाली उनकी पत्नियों का प्रासंगिक व्यय।

पहले 15 दिनों के लिए, 100 डालर उसके बाद 5 डालर प्रतिदिन

(3) विदेशों में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा

उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अनुरक्षण आदि के लिए जो विदेशी मुद्रा दी जाती थी, वह अब बढ़ा दी गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	अमेरिका/कनाडा	ब्रिटेन	अन्य देश
क. अनुरक्षण	4000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष	3000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष	3000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष
ख. प्रारम्भिक उपस्कर भत्ता	300 अमरीकी डालर	200 अमरीकी डालर	250 अमरीकी डालर
ग. सत्र-पूर्व भत्ता . .	165 अमरीकी डालर	120 अमरीकी डालर	120 अमरीकी डालर

इसके अलावा, ट्यूशन फीस के लिए विदेशी मुद्रा विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित वास्तविक राशि के आधार पर दी जाती है ।

(4) सरकार ने संसद सदस्यों की अध्ययन यात्राओं के लिए उपलब्ध समूचे कोटे की राशि भी 18,000 रुपए से बढ़ा कर 27,000 रुपए कर दी है । संसद सदस्यों को अध्ययन यात्राओं के लिए जिन मानदण्डों के अनुसार विदेशी मुद्रा दी जाती है उसमें संशोधन कर दिया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) पहले महीने के लिए . . . 60 डालर प्रति दिन

(ख) दूसरे महीने और उसके बाद कुल मिला कर छह महीनों तक . . . . . 40 डालर प्रतिदिन अर्थात् 1200 डालर प्रतिमास

(ग) छह महीने से अधिक अवधि के लिए 750 डालर प्रतिमास की समान दर से

सदस्य के साथ जाने वाले पति अथवा पत्नी को 25 डालर प्रतिदिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी जाएगी ।

विदेशी मुद्रा की रकम बढ़ाने के मुख्य कारण ये हैं :

(1) विदेशों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करना;

(2) विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना जो परस्पर व्यवस्था के कारण हो रही थी ;

(3) विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचारों को कम, करना ।

(4) व्यापारिक यात्राओं के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना । आशा है कि न्यायोचित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने की शर्तों को उदार बनाने से यात्रा करने वाले लोगों को सहायता मिलेगी और जहां तक इस बात की तसल्ली हो जाए, वहां तक उसे सरकार के लिए सहायक माना जाएगा ।

ट्रैक्टरों पर लगे करों को समाप्त करना

8564. **श्री जी०एम० बनतवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रैक्टरों और कृषि के काम आने वाली मशीनों पर लगे करों को समाप्त करने अथवा कम करने का है जिससे उनके मूल्यों में कमी हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) दिनांक 2 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० 335/77-के०उ०शु० के अन्तर्गत डाबार 12 अश्व शक्ति और इससे कम अश्व शक्ति वाले ट्रेक्टरों को, उन पर लगने वाले समस्त उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है। इसी तरह 18 जून, 1977 की अधिसूचना सं० 177/77-के०उ०शु० के अन्तर्गत, पावर टीलरों को छूट दी गई है।

सरकार, कृषि ट्रैक्टरों को, अश्वशक्ति का ध्यान न रखते हुए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट देने की दरख्वास्त की जांच कर रही है।

सामान्य बीमे के करारों का नवीकरण

8565. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमे के 80 प्रतिशत करार ऐसे होते हैं जिनका नवीकरण एक ही प्रकार के छपे हुए पालिसी फार्मों पर प्रति वर्ष किया जाता है ;

(ख) क्या पालिसी फार्मों और तत्संबद्ध अन्य पत्रों की छपाई पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा निगम का विचार आंशिक मशीनीकरण के लिये मशीनों को खरीदने का विचार है और इस प्रकार वह करोड़ों रुपये खर्च करना चाहता है ;

(घ) यदि हां, तो एक ही प्रकार की शर्तों पर प्रति वर्ष जारी की जाने वाली रूटीन पालिसियां रेडियो लाइसेंस की भांति पुस्तिका के रूप में क्यों नहीं छापी जातीं और उचित मूल्य की बीमा टिकटें चिपकाकर प्रति वर्ष नवीकृत क्यों नहीं की जाती जिससे करोड़ों रुपये के सरकारी धन की बचत हो सके; और

(ङ) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी नहीं, । साधारण बीमे की पालिसियों का नवीकरण हर वर्ष अलग पृष्ठांकन करके किया जाता है, नई पालिसियां जारी करके नहीं।

(ख) हर साल जारी किये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या लगभग 50 लाख बैठती है जिनकी छपाई पर लगभग एक रुपया प्रति दस्तावेज खर्च आता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। इसके अलावा, रेडियो लाइसेंस की तर पुस्तिका के रूप में पालिसियां जारी करना और उनका नवीकरण करना संभव नहीं है क्योंकि हर पालिसी हर ग्राहक और हर साल के संबंध में जोखिम के स्वरूप बीमे की राशियां और संविदा की शर्तें आदि अलग-अलग होती हैं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

खाद्य तेलों के व्यापार को सुनियंत्रित करने का प्रस्ताव

8566. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के भावों में उतार-चढ़ाव को सुनियंत्रित रखने के लिये खाद्य तेलों के व्यापार को लम्बी अवधि के आधार पर नियंत्रित रखने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नियंत्रण की क्रियान्विति के लिये वर्तमान व्यापारी-संगठनों की मंत्रणा की जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) एक बहुत बड़ी उत्पादन-एवं-वितरण प्रणाली को, जिसमें खाद्य तेलों तथा वनस्पति को शामिल करने का भी प्रस्ताव है, अन्तिम रूप दे दिया गया है। और इसे राज्य सरकारों को उनके टिप्पणी के लिये भेजा गया है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों में विद्यमान आधार-ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जायगा।

मैसर्स कोर्स इंडिया द्वारा आय-कर जमा कराया जाना

8567. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोर्स इण्डिया द्वारा अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से वेतन आदि के स्रोत पर काटी गई आयकर की राशि को जमा नहीं कराया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है अथवा क्या कार्यवाही की जा चुकी है ;

(ग) कितनी राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) मैसर्स कोर्स इण्डिया द्वारा वेतनों से स्रोत पर की गई कर की कटौती की अदायगी करने में विलम्ब के कुछ मामले नोटिस में आये हैं। जहां तक वेतनों से भिन्न अदायगियों में से स्रोत पर की गई कटौती का सम्बन्ध है, इस प्रकार के कर को जमा करने में कोई विलम्ब ध्यान में नहीं आया है।

(ख), (ग) और (घ) अर्थदण्ड लगाने के लिये एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221(1) के साथ पठित 201(1) में अपेक्षित है। विलम्ब से की गयीं अदायगियों के कारण ब्याज लगाने के लिये भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

8568. **श्री के०ए० राजन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के बारे में सरकार ने कोई नये प्रस्ताव तैयार किये हैं; और

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) सरकार ने, विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों को नियंत्रित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को अब संशोधित कर दिया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

विवरण

विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों को शासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत

1. वाणिज्य मंत्रालय, विदेशों में संयुक्त उद्यम के लिये भारतीय उद्यमियों की सभी प्रस्थापनाओं को अनुमोदित करने, मानिटर करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिये केन्द्र बिन्दु होगा।

2. विदेशों में संयुक्त उद्यमों के बारे में एक अन्तः मंत्रालय समिति होगी। इस समिति में वाणिज्य, विदेश, वित्त (आर्थिक कार्य विभाग), उद्योग मंत्रालयों, तकनीकी विकास के महानिदेशालय और कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल होगें। समिति की अध्यक्षता वाणिण्ज्य मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव करेंगे।

3. अन्तःमंत्रालय समिति उद्योग अथवा अन्यथा परामर्शी, व्यापार तथा विपणन खनिज पदार्थों का पता लगाने जैसे उद्यमों तथा होटल और रेस्टोरेंट जैसे उद्यमों के बारे में विदेशों में संयंक्त उद्यमों से संबन्धित सभी प्रस्थापनाओं पर विचार करेंगी और उन पर निर्णय करेंगी।

4. वाणिज्य मंत्रालय, इस समिति को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराएगा और इस समिति के समक्ष विदेशों में संयुक्त उद्यमों के संबंध में सभी प्रस्थापनाए रखने की व्यावस्था करेगा और सभी सम्बधों को समति के निर्णयों की सूचना देगा।

5. विदेशों में संयुक्त उद्यमों के संबंध में सभी प्रस्थापनाओं के बारे में इस समिति के विनिश्चय सभी तरह से अन्तिम होंगें। नियंत्रित मदों सहित कच्चे माल के निर्यात के लिये समिति की क्लीयरेन्स अन्तिम समझी जायगी और इन निदेशों का और आगे हवाला अथवा छानबीन के बिना सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पालन किया जायगा। इस प्रयोजनार्थ, सम्बन्धित अभिकरणों या विभागों को विदेशों में संयुक्त उद्यमों सम्बन्धी अन्तः मंत्रालय समिति की बैठक में आमंत्रित किया जायगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं पर विचार किया जायगा जिनसे ऐसे निर्यात शामिल हों। इस समिति द्वारा प्रस्थापना के अनुमोदन में कम्पनी अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत दी जाने वाली क्लीयरेन्स शामिल होगी।

6. संयुक्त उद्यमों संबंधी अन्तः मंत्रालय समिति निम्नोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिये प्रस्थापनाओं पर विचार करेगी।

(क) भारतीय पार्टियों द्वारा सहभागिता उस देश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार होगी जिसमें परियोजना स्थापित की जानी है। स्थानीय पार्टियों, स्थानीय विकास बैंकों तथा, वित्तीय संस्थानों के सहयोग को यथा संभव अधिकाधिक सीमा तक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(ख) भारतीय सहभागिता सामान्यतः संयुक्त उद्यमों के लिये अपेक्षित स्वदेशी संयंत्र तथा मशीनों/उपस्कर के निर्यात के रूप में होनी चाहिए तथापि। प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर समिति द्वारा निम्नोक्त एक अथवा अधिक स्वरूपों में सहभागिता करने पर भी विचार किया जा सकता है :

(1) जानकारी का निर्यात ;

(2) सेवा शुल्क, रायल्टी तथा अन्य भुगतानों का पूंजीकरण;

(3) विदेशों में विदेशी मुद्रा ऋणों को बढ़ाना ;

(4) संयुक्त उद्यम एककों में भाग ले रही भारतीय कम्पनियों द्वारा ऋणों की मंजूरी ;

(ग) सामान्यतः इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिये नकद राशियां भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन पक्के और पात्र मामलों पर गुणावगुण के आधार पर और सहयोग के क्षेत्रों पर विचार करके, ध्यान दिया जायगा। उदाहरणार्थ, परामर्शी तथा अन्य सेवा उद्यमियों के मामलों में नकद राशियां भेजने पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों पर विचार करते समय यह देखा जाना चाहिएं कि इसमें बहुत समय तक काफी मात्रा में पूंजीगत माल तथा सेवाओं के निर्यात की व्यवस्था हो।

(घ) संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कार्मिकों आदि की यात्राओं से संबंधित प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रण रिलीज करने के लिए प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। संयुक्त उद्यम कम्पनी होने के बाद तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा अनुवर्ती दौरों के लिये विदेशी मुद्रा रिलीज करने के बारे में भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी शक्तियों के अन्तर्गत विनिश्चय किया जाएगा। ऐसी विदेशी मुद्रा रिलीजों के प्रयोजनार्थ वाणिज्य मंत्रालय या आर्थिक कार्य विभाग को लिखना आवश्यक नहीं होगा।

(ङ) संयुक्त उद्यम परियोजना में उपयुक्त विषयों/अतिरिक्त इक्विटी के अंशदान करने के लिये की गई प्रार्थनाओं पर परियोजना के विगत कार्य निष्पादन तथा अन्य वित्तीय ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए गुणगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे अंशदान सामान्यतः मशीनों/उपस्कर के निर्यातों के माध्यम से किए जाएंगे लेकिन असाधारण मामलों में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर संघटकों तथा कच्चे माल के निर्यात की भी अनुमति जाए।

(च) निर्यात की जाने वाली मशीनें आदि भारत में बनी हुई होनी चाहिएं। भारतीय पूंजी निवेश के बदले पुरानी अथवा मरम्मत की हुई मशीनों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) पूंजी के बदले निर्यातों पर सामान्य आयात प्रातपूर्ती दी जाएगी जैसी कि पंजीकृत निर्यातकों हेतु समय-समय पर प्रवृत्त आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध है।

(ज) नकद सहायता, अगर अन्यथा देय हों, तो उसकी अनुमति भारतीय इक्विटी के बदले मशीन तथा उपस्कर के निर्यातों के सम्बन्ध में भी होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि उसकी सीमा एफ०ओ०बी० मूल्य के 10 प्रतिशत तक हो।

(झ) औद्योगिक विनिर्माता संयुक्त उद्यमों के लिये योजनाएं तकनीकी रूप से तथा वित्तीय रूप से जीवन क्षम होनी चाहिए और उनके साथ नकद प्रवाह विवरणों तथा लाभ के अनुमानों सहित ब्यौरेवार परियोजना होनी चाहिए। वाणिज्यिक/व्यापारिक/सेवा उद्यमों की योजनाओं के साथ भी इसी प्रकार संभाव्यता अध्ययन तथा अनुमान होने चाहिए।

(ङ) भारतीय सहभागिता सामान्यतः भारत स्थित कारपोरेट के जरिए होनी चाहिए। उनके पास विनिर्माण सम्बन्धी अनुभव तथा तकनीकी सक्षमता का होना आवश्यक है।

(त) परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में निविदा तथा बोली देने के लिये विदेशों में स्थानीय प्रायोजित व्यक्तियों/संगठनों के साथ सहयोग करने की प्रार्थनाओं पर प्रस्तुत की गई निविदाओं, वित्तीय तथा अन्य गारण्टियों की आवश्यकताओं तथा अन्तःप्रवाह के प्राक्कलित पैटर्न के ब्यौरे के आधार पर विचार किया जाएगा।

(थ) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले भारतीय आवेदक को इ आर ए 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत अनुमोदन करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन, इस प्रयोजन के लिये विहित फार्म में किया जायगा। कम्पनी अधिनियम की धारा 372 (क) के अधीन क्लियरेन्स लेने के लिये एक ऐसा ही आवेदन पत्र मुख्य संयुक्त उद्यम के आवेदन पत्र के अनुबन्ध के रूप में भेजा जायगा।

7. विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यमों के लिए प्रस्थापनाएं अनुमोदित करने के अतिरिक्त, अंतः मंत्रालय समिति, ऐसी प्रस्थापनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि तथा कार्य प्रणाली भी तेयार करेगी और विदेशों में संयुक्त उद्यमों के वास्तविक कार्याचालन का मूल्यांकन भी करेगी।

Elimination of Middlemen to avoid increase in Prices

8569. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether due to the role of the middlemen in the whole sale markets of food-grains and other essential commodities, there is an avoidable increase in the prices; and

(b) if so, the measures being taken by Government to eliminate middlemen ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) and (b) The existence of various tiers of distribution add to the cost of distribution of some essential commodities which ultimately get reflected in higher consumer prices at the retail level.

In order to make essential commodities available to consumers at reasonable prices, Government exercise control over a few essential commodities. Commodities like rice, wheat and levy sugar are made available through fair price shops at fixed prices. The operations of national level cooperative organisations such as National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) and National Consumer Cooperative Federation (NCCF) are being enlarged to help in restraining profit margins in certain commodities. The Essential Commodities Act empowers the State Governments to check the activities of hoarders, blackmarketeers and other anti-social elements. Government has also under consideration a proposal to prohibit the sale of essential agricultural commodities including cereals, pulses, oilseeds and edible oils by one wholesaler to another wholesaler at the same market centre and to allow a wholesaler to sell another wholesaler elsewhere not more than once in respect of commodities in which multi-party sales among wholesalers is prevalent under the Essential Commodities Act. State Governments have been requested to give their views on these measures.

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का जलाया जाना

8570. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश में भारी मात्रा में तम्बाकू जलाई जा रही है, क्योंकि खरीददार एकजुट हो गये हैं और उन्होंने कीमत में भारी गिरावट ला दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ उपजकर्त्ताओं ने 30 मार्च, 1978 को गुंटूर में तम्बाकू के छोटे नमूने प्रतीक रूप में जला दिए, जिससे सरकारी अभिकरण के माध्यम से तम्बाकू की खरीद किये जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके।

(ख) सरकार ने भारतीय राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में 10,000 मे० टन वर्जीनिया तम्बाकू खरीदने के लिए पहले ही निर्देश दे दिये हैं। यह मात्रा उस 5,000 मे० टन की मात्रा के अलावा है, जिसे राज्य व्यापार निगम अपनी अनुमानित निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खाते में तथा अपनी जोखिम पर पहले ही खरीद रहा था।

विभिन्न सरकारी विभागों को दी गई राज-सहायता

8571. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में गत पांच वर्षों में विभिन्न मदों के लिए कुल कितनी राजसहायता दी गई; और

(ख) किन किन श्रेणियों के व्यक्तियों और किन किन श्रेणियों के मदों के लिए राजसहायता दी गई थी और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राजसहायता की सूचना केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे के वार्षिक बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। राजसहायता विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दी गई थी तथा उसके लाभ सामान्यतः समूचे देश को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर, खाद्यान्नों की बिक्री से हुई वसूली से ऊपर आर्थिक लागतों के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को दी गई राजसहायता तथा खाद्यान्नों के लिए रेल भाड़े के लिए दी गई राजसहायता खाद्यान्नों के मूल्यों को कम रखने में सहायता करती है तथा उसके लाभ इन चीजों के सभी उपभोक्ताओं को मिलते हैं।

रेफ्रीजरेटरों और डीप फ्रीजरों का निर्यात

8572. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत से रेफ्रीजरेटरों और डीप फ्रीजरों का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक कर-भार के कारण भारतीय रेफ्रीजरेटर फारस की खाड़ी के देशों में अन्य देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं; और

(घ) रेफ्रीजरेटरों पर उत्पादन शुल्क कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत से रेफ्रीजरेटरों का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान विभिन्न प्रकार के रेफ्रीजरेटरों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) रेफ्रीजरेटरों के सफलतापूर्वक निर्यात के लिए यह अत्यावश्यक है कि बड़ा घरेलू बाजार हो ताकि देश के अन्दर होने वाली भारी बिक्री से निर्यात अर्थक्षम हो। यद्यपि निर्यातित रेफ्रीजरेटरों पर कोई उत्पादन शुल्क देय नहीं होता है तथापि अन्तर्निवेशों पर देय उत्पादन शुल्क, शुल्क वापसी के रूप में लौटाये जाते हैं।

घरेलू बाजार को प्रोत्साहन देने के विचार से, विशेषतः लघु उद्योग क्षेत्र में, 1978-79 के लिए बजट-घोषणा के दौरान 100 मीटर से अनधिक क्षमता वाले घरेलू रेफ्रीजरेटरों पर उत्पादन शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

(ख) 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान विभिन्न प्रकार के रेफ्रीजरेटरों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार था :—

मुख्य देश	1975-76		1976-77	
	संख्या	लाख रु०	संख्या	लाख रु०
(क) घरेलू रेफ्रीजरेटर (इलैक्ट्रिक)				
बहरीन	65	0.39	378	4.35
यू०ए०ई०	714	6.02	890	8.02
ईराक	×	×	1013	7.73
कुवैत	×	×	962	8.98
मारीशस	221	1.84	207	2.17
यमन अरब गणराज्य	50	0.40	50	0.52
अन्य देश	18	0.19	316	2.98
योग	1068	8.84	3726	34.75
(ख) रेफ्रीजरेटर सम्पूर्ण				
बहरीन	×	×	60	0.57
यू०ए०ई०	266	1.46	30	0.26
कुवैत	400	3.22	×	×
मारीशस	9	0.18	75	0.68
ओमान	36	0.30	100	0.96
नाइजीरिया	×	×	92	1.97
केतार	×	×	30	0.30
यमन अरब गणराज्य	50	0.40	50	0.44
अन्य	60	0.66	18	0.23
योग :	821	6.22	455	5.41

मुख्य देश	1975-79		1976-77	
	संख्या	लाख रु०	संख्या	लाख रु०
(ग) रेफ्रीजरेटर (एन०ई०एस०)				
इंडोनेशिया	×	×	10	0.12
नाइजीरिया . . .	1	0.02	10	0.27
यमन अरब गणराज्य .	17	0.56	×	×
श्रीलंका	5	0.60	×	×
फिलीपिन्स	621	7.48	×	×
अन्य . .	5	0.05	5	0.09
योग :	649	8.71	25	0.48

आयकर आयुक्त को राजकोट में नियुक्त करना

8573. **श्री विनोदभाई बी० शेठ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के आयुक्त का पद राजकोट मुख्यालय में रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि राजकोट में आयकर आयुक्त की नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण निर्धारितियों को बहुत कठिनाई हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके बहुत शीघ्र भरे जाने की संभावना है।

(ग) इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

Air Service between Delhi and Baroda

85 4. **Shri Amarsinh V. Rathawa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to introduce air service between Delhi and Baroda and if so, the details and if not. the reasons therefor ;

(b) whether it is proposed to provide a stoppage at Baroda for Delhi-Bombay air service; and

(c) whether it is proposed to introduce a Delhi-Ahmedabad and Ahmedabad-Baroda air service and if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) There is no proposal, at present, to introduce a direct air service to Baroda from Delhi. Baroda/ Delhi traffic is served through Bombay like other points in Saurashtra.

(b) No, Si .

(c) Delhi-Ahmedabad direct air service already exists. Baroda being at a very short distance from Ahmedabad, an air service between these two places would be totally uneconomical.

इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया का एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करने से उत्पन्न समस्यायें

8575. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लिए संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किये जाने से प्रबन्ध स्तर पर कुछ समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) क्या इस बारे में 14 अप्रैल, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 4(1-क) के उपबन्ध (क) के अन्तर्गत एक सांझा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सरकार का विचार था कि दोनों कारपोरेशनों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने तथा आधारभूत सुविधाओं का दोनों कारपोरेशनों के अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करने के लिए, एक ही व्यक्ति को दोनों कारपोरेशनों का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। अतः प्रेस में छपी रिपोर्ट पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यवेक्षण पदों में अतिलंघन

8577. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यवेक्षण पदों में अतिलंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों का अतिलंघन हुआ है;

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के प्रति अन्याय के कारण और आधार क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का कर्मचारियों में भविष्य में किसी संघर्ष को टालने की दृष्टि से जूनियर अधिकारियों द्वारा अतिलंघित किये गये वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई आशय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त उद्यम समिति को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

8578. **श्री राम देनी राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उद्यम समिति को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिये समिति के अनुमोदन के लिये पांचवीं लोक सभा भंग होने की तिथि से अर्थात् 18 जनवरी, 1977 से नई सरकार बनने और/अथवा मार्च, 1977 में छठी लोक सभा का गठन होने तक की अवधि में भारी संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है तथा मार्च, 1977 में नई सरकार बनने से पूर्व उन आवेदनपत्रों में से जिन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया उनकी ब्यौरेवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन आवेदनपत्रों में वे आवेदनपत्र भी सम्मिलित थे जिनकी परियोजनाओं को समिति द्वारा पहले अस्वीकार कर दिया गया था;

(घ) क्या सरकार को संयुक्त उद्यम समिति द्वारा कार्यवाही करने के बारे में शिकायतें मिलती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) उल्लिखित अवधि के दौरान 17 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से पांच परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	पार्टी का नाम	संयुक्त उद्यम समिति की निम्नलिखित तिथि को हुई बैठकों में उसके द्वारा अनुमोदित
1.	गरवारे सिंथेटिक्स प्रा०लि०, बम्बई	28-2-1977
2.	भारतीय परिवहन निगम, सिकन्दराबाद	28-2-1977
3.	भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि० नई दिल्ली	28-2-1977
4.	ए एस सी इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स लि० कलकत्ता	28-2-1977
5.	भारतीय सड़क विनिर्माण निगम, नई दिल्ली	28-2-1977

(ग) इस प्रकार का केवल एक आवेदनपत्र था।

(घ) तथा (ङ) हाई-टेंसाइल-रिइन्फोर्समेंट कंक्रीट बार्स के विनिर्माण के लिए इंडोनेशिया में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए मै० ए एस सी इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स को दिये गये अनुमोदन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच करने पर यह पाया कि यह मामला विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करने वाले सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत आता था।

भारतीय मानक संस्था का चिह्न शुल्क

8579. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था अपना चिह्न अंकित करने के लिये लघु क्षेत्र के उद्योगों तथा बड़े उद्योगों के उत्पादों के समान शुल्क लेती है और इससे हाल ही में अपना शुल्क 2500 रु० से बढ़ा कर 3500 रु० करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या छोटे उद्योगों की सहायता करने के सरकार के इरादे को देखते हुए इस बारे में कोई छूट देने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) व (ख) भारतीय मानक संस्था द्वारा लघु स्तर के उद्योगों से अपना चिन्ह अंकित करने के लिए लिया जाने वाला न्यूनतम शुल्क बड़े पैमाने की यूनिटों से लिये जाने वाले शुल्क से 650 रु० कम है। तथापि, दोनों किस्मों की यूनिटों के लिये प्रमाणन चिन्ह अंकित करने सम्बन्धी व्यय एक ही है। हाल ही में, प्रमाण चिन्ह अंकन योजना को चलाने के व्यय में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये कुछ उत्पादों के मामले में चिन्ह अंकित करने का शुल्क 2500 से 3000 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

(ग) इस समय भारतीय मानक संस्था द्वारा इस बारे में लघु स्तर की यूनिटों को और छूट देने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है :

पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फसलों को नुकसान होने के बारे में अनुसंधान

8580. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ओलों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है, परन्तु ओलावृष्टि को रोकने अथवा चक्रवातों के निवारण आदि के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई परीक्षण किये गये हैं अथवा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत में अभी तक ओलावृष्टि को रोकने के बारे में कोई प्रयोग नहीं किए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम परिवर्तन के प्रयोग करने की योजना है जिसमें ओलावृष्टि को रोकना भी सम्मिलित है। चक्रवातों का पता लगाने के लिए अभी तक कोई तरीके नहीं निकाले गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का निर्यात

8581. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विदेशों को सीमेंट का निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट के निर्यात और आयात व्यापार के सन्तुलन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान, सीमेन्ट का निर्यात केवल पहले संपन्न हुई अप्रतिसंहरणीय पुख्ता संविदाओं के आधार पर हुआ था। देश में सीमेंट की भारी कमी के कारण कोई नई संविदा करने की अनुमति नहीं दी गई।

(ख) 1977-78 के दौरान निर्यात 16.45 करोड़ रु० के तथा आयात 16.35 करोड़ रु० मूल्य के रहे।

विदेशी रायफलों के लिए गोली-बारुद का आयात

8582. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे विदेशी रायफलों के लिये गोली-बारूद (कारतूस) का आयात किया जाता है ;

(ख) क्या इस आयात के लिये केवल डीलरों को ही लाइसेंस दिये जाते हैं अथवा अपनी निजी रायफल रखने वालों को भी ऐसे लाइसेंस दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन डीलरों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ऐसे लाइसेंस दिये गये हैं और इस उद्देश्य के लिये प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) फारेन ट्रेड स्टेटिसटिक्स आफ इंडिया में "विदेशी रायफलों के लिये कारतूस" संबंधी मद पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं की जाती । केवल "आखेट तथा खेल-कूद संबंधी कारतूस" वर्गीकृत किया जाता है तथा इसका आयात इन देशों से किया जाता है : आस्ट्रिया, बैल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

(ख) 1977-78 की आयात नीति के संदर्भ में शस्त्र तथा गोला-बारूद के आयात की अनुमति केवल सुस्थापित आयातकों को दी जाती थी तथा अपनी वैयक्तिक रायफलें रखने वाले अलग-अलग व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाती थी। चालू वर्ष (1978-79) की नीति में शस्त्र तथा गोला-बारूद का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत किया गया है।

(ग) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों के विवरण "वीकली बुलेटिन आँफ इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज तथा इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

पैकेज वस्तुओं संबंधी नियमों में बीड़ी निर्माताओं को छूट देना

8583. **श्री नटवर लाल बी० परमार :**

श्री राम कंवर बरेवा :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी निर्माताओं ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पैकेज वस्तुओं संबंधी नियमों के उपबंध से पूरी छूट की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम में यह व्यवस्था है कि :—

(1) फुटकर विक्रय के लिये आशयित प्रत्येक पैकेज पर वस्तु के नाम, विनिर्माता/पैककर्ता के नाम व पते, पैक करने की तारीख, शुद्ध मात्रा तथा मूल्य के बारे में घोषणा होनी चाहिये; और

(2) प्रत्येक पैकेज में रखी गई शुद्ध मात्रा निर्धारित मानक मात्रा में होनी चाहिये ।

विनिर्माताओं का कहना था कि उद्योग के स्वरूप को देखते हुये उनके लिए तारीख तथा मूल्य देना कठिन होगा। इसके अलावा, उन्होंने यह निवेदन भी किया था कि निर्धारित मानक मात्राओं में पैकेज बनाना उन्हें परेशानी में डालना होगा।

(ग) सरकार ने एक ओर प्रतिवेदनों पर तथा दूसरी ओर बीड़ी उपभोक्ताओं, जो आम तौर पर कमजोर वर्गों में से होते हैं, के हितों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद बीड़ी के पैकेजों को तारीख अंकित करने की बाध्यता से छूट देने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग को दस-दस बीड़ियों के और उससे ऊपर उनकी अपनी सुविधानुसार 5-5 के गुणजों में पैक बनाने की अनुमति दे दी गई है। इस उद्योग को अपनी वर्तमान पैकिंग सामग्री के भंडार का उपयोग करने के लिये 3 महीने और दिये गये हैं।

पंजीकृत व्यापारी निर्यातकों और पंजीकृत निर्माता निर्यातकों की संख्या

8584. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को (एक) सिले-सिलाये कपड़ों (दो) इंजीनियरी सामान (तीन) तैयार चमड़ा और चमड़े का सामान के पंजीकृत व्यापारी निर्यातकों और पंजीकृत निर्माता-निर्यातकों की कुल संख्या कितनी है और जब अनिवार्य पंजीकरण की योजना लागू हुई, उस समय तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उनकी संख्या कितनी थी ;

(ख) (एक) सिले-सिलाये कपड़ों (दो) छोटे इंजीनियरी सामान (तीन) चमड़े के सामान के चोटी के 50 व्यापारी निर्यातकों के नाम और पते क्या हैं और गत पांच वर्षों में उनका निर्यात कितना-कितना रहा और प्रत्येक ने किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया ; और

(ग) उन चोटी के 50 निर्माता-निर्यातकों के नाम और पते क्या हैं जो बड़े उद्योग या डी० जी० टी० टी० एकक हैं और (एक) सिले-सिलाये कपड़ों (दो) छोटे इंजीनियरी सामान (तीन) चमड़े के सामान सर्वाधिक निर्यात करने वाले लघु एकक हैं और गत पांच वर्षों में अनेक निर्यात कितना रहा और प्रत्येक ने किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया ?

वाणिज्य, नागरिक तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) सरकार इस प्रकार की जानकारी नहीं रख रही है।

Loans from certain Financial Institutions

8585. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether 5 sugar mills, Jabra, Mahadpur, Sihor, Kailaras Dalho and Dabra of Madhya Pradesh have taken loans during last 3 years from certain financial institutions for making payments to the growers; and

(b) if so, the names of the bank and the financial institutions thereof and amount of loans given to each of them ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) None of the all-India public financial institutions, viz., the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Credit and Investment Corporation of India, the Unit Trust of India and the General Insurance Corporation of India have given loans during last 3 years to sugar mills at Ja bra, Mahadpur, Sihor, Kailaras Dalho and Jabra for making payments to the growers.

Information in respect of Industrial Development Bank of India and the Life Insurance Corporation of India is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

खाद्य तेल का आयात

8586. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 में खाद्य तेल का देश में मांग पूरी करने के लिए आयात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है अर्थात् कितना और किस स्कीम का खाद्य तेल आयात किया जायेगा ;

(ग) किस एजेन्सी के माध्यम से इसका आयात किया जायेगा ;

(घ) किन देशों से इसका आयात किया जायेगा ; और

(ङ) देश में इसे किस प्रकार वितरित किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) जी हां। तेल वर्ष 1977-78 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा आयात की जायेगी, ताकि वे निर्बाध रूप से मिल सकें। वनस्पति उद्योग को देने और राज्य सरकारों को सीधी खपत के लिए आबंटित करने, दोनों ही कार्यों के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सोयाबीन का तेल, रेपसीड का तेल; ताड़ का तेल और पामोलीन आयात किया जायेगा।

(ग) सरकार के लिए खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा। निजी व्यापारी खुले आम लाइसेंस के अन्तर्गत सभी किस्मों के ताड़ के तेल और नारियल के तेल के अलावा सभी खाद्य तेलों/तिलहनों का आयात कर सकते हैं।

(घ) प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमरिका, यूरोप, मलेशिया और इण्डोनेशिया से।

(ङ) निजी आयातकर्ता अपने द्वारा आयात किये जाने वाले तेल खुले बाजार में खुले तौर पर बेचते हैं। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित किये जाने वाले तेल वनस्पति उद्योग को वनस्पति बनाने के लिये

आंवटित किये जाते है और सीधी खपत के लिये आयात किये जाने वाले तेल राज्य सरकारों को उनकी अपनी लाइसेंसशुदा उचित दर की दूकानों के माध्यम से वितरण के लिये आवंटित किये जाते हैं

इण्डियन एयरलाइन्स के उड़ान—कार्यक्रमों में परिवर्तन

8587. **श्री माधव राव सिंधिया**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के 1 अप्रैल 1978 से लागू हुए उड़ानकार्यक्रमों की पद्धति तथा स्वरूप पूरी तरह बदल दिया गया है:

(ख) क्या कार्यक्रम की पुरानी पद्धति तथा स्वरूप में परिवर्तन से इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों का लाभ उठाने वालों के लिए पढ़ना तो दूर उसकी जटिलता का हल निकालना तक मुश्किल हो गया है ;

(ग) यदि हां तो उक्त कार्यक्रम की पद्धति तथा स्वरूप में परिवर्तन किन कारणों से किया गया है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम को पढने में सरल बना कर उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां

(ख) हालांकि सामान्य प्रतिक्रिया अनुकूल ही दिखायी पड़ती है फिर भी कुछ सुझाव आये हैं जिन में पुराने ढांचे को ही अधिक अच्छा बताया गया है।

(ग) यह परिवर्तन प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था जिसका उद्देशय यह था कि समय सारणी को सुगमता से पढ़ा जा सके और प्रचलित वर्गों के अंतर्गत जोड़ा-जोड़ा शहरों के बीच उड़ान समयों को आसानी से देखा जा सके। समय सारणी में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के बीच सीधी सेवाओं का सार भी दिया गया है जिसका कि व्यापक रूप से स्वागत किया गया है ।

(घ) यदि आवश्यक समझा गया तो शीतकालीन समयावलि में इस संबंध में और अधिक सुधार करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

एयर इण्डिया के बोइंग विमान "एम्परर अशोक" की दुर्घटना का जांच प्रतिवेदन

8588. **श्री माधवराव सिंधिया**

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री एयर इंडिया के अधिकारियों के द्वारा विमान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बारे में 3 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1583 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जांच अदालत का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, नहीं। दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

(ग) जांच अदालत के कार्यकाल को 30 जून, 1978 तक बढ़ा दिया गया है।

भारत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत विदेशी बैंक

8589. **श्री नाथू सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए कितने विदेशी बैंकों को प्राधिकृत किया गया था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत विदेशी बैंकों की क्रमशः कितनी शाखायें विदेशी मुद्रा में लेन-देन कर रही थीं; और

(ग) इस समय विदेशों में काम कर रही भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की संख्या कितनी है और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में और तीसरी पंचवर्षीय योगना के अन्त में विदेश स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास यथा उपलब्ध सुचना प्राप्त करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिसम्बर, 1977 के अंत की स्थिति के अनुसार विदेशों में भारतीय बैंकों की पांच मोबाइल एजेंसियों सहित 105 शाखाएं थीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत के तदनुरूप आंकड़े 36 और 58 थे।

मैकनेल एण्ड मैंगनर लिमिटेड की ओर से एफ०ई०आर०ए० के अन्तर्गत विदेशी शेयरों को कम करने का आवेदन-पत्र

8590. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विलियमन टी होल्डिंग्स मू०के० तथा डन्कन मैकनेल ऐण्ड कम्पनी, लिमिटेड, यूनाइटिड किंगडम की ओर से जो मैकनील एण्ड मैनर लिमिटेड, कलकत्ता की विदेशी सह कम्पनियां हैं, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन विदेशी शेयर पूंजी कम करने का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा शेयर कम करने के लिए तथा भारत में चाय बागानों के उन शेयरों को जनता को देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का विस्तृत ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि शेयरों के मूल्य निर्धारण के लिए उनके खास तरीके के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने उन आवेदन पत्रों पर आपत्तियां की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत विलियमसन मेजर (डब्ल्यू०एम०) तथा मैकनील ऐण्ड बेरी (एम०एण्ड की) समूहों से संबंधित उन्नीस स्टर्लिंग चाय कम्पनियों के भारतीयकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख), (ग) और (घ) : भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई भारतीयकरण की योजना के अनुसार, तीन नयी रुपया कम्पनियां अर्थात जार्ज मिलिग्रेमन्सन (असम) लिमिटेड मजूली टी कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड और असम कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड जो इस प्रयोजन के लिए बनाई गई हैं संलग्न विवरण में दिखाई गई उन्नीस स्टर्लिंग टी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों को अपने हाथ में लेंगी। इन तीन नई रुपया कम्पनियों में अनिवासी शैयर धारिता को 74 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा ।

भारत के निवासियों को शेष 26 प्रतिशत शेयर दिए जाने के प्रस्ताव का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. जार्ज विनियमसन (असम) लि० 2. मजूली टी कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड	विशनाथ टी कम्पनी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनी को 16 प्रतिशत तथा जनता को 10 प्रतिशत ।
3. असम कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड	दिमाकुसी टी कम्पनी लिमिटेड नामक एक भारतीय कम्पनी को 16 प्रतिशत और जनता को 10 प्रतिशत ।

2. भारतीयकरण के उपर्युक्त प्रस्ताव सरकार रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

विवरण

स्टर्लिंग चाय कम्पनी का नाम	कम्पनियों की परिसम्पत्ति और दायित्व को अपने हाथ में लेने के उद्देश्य के लिए बनाई गई रुपया कम्पनी का नाम
1	2
1. विलियमसन मेजर एण्ड कम्पनी लि० (डब्ल्यू०एम० ग्रुप) :	
1. बोरेली टी कम्पनी लि०	जार्ज विनियमसन (असम) लि०
2. बारदुबी टी कम्पनी लि०	
3. बारगोंग टी कम्पनी लि०	
4. अटरीखाट टी कम्पनी लि०	
5. टिंगरी टी कम्पनी लि०	
6. रूपाज़लीटी कम्पनी लि०	
7. मियबन्द टी कम्पनी लि०	
8. कूयसोंग टी कम्पनी लि०	

1	2	
9. राजमाई टी कम्पनी लि०		
10. इटाखूली टी कम्पनी लि०		
11. कोरामोर टी कम्पनी लि०	जार्ज विनियमसन (असम) लि०.	मजूली टी कम्पनी इंडिया (लि)
12. बोरोइटी कम्पनी लि०		
13. मजूली टी कपनी लि०		
2. मैकनील एण्ड बेरी लि० (डब्ल्यू० ए० बी० ग्रुप) :		
14. दि असम कम्पनी लि०		
15. असम एस्टेटस लि०		
16. ग्रीनवेड टी कम्पनी लि०	असम कम्पनी (इंडिया) लि०	
17. सलोनाह टी कम्पनी लि०		
18. घनाई टी कम्पनी लि०		
19. अपर असम टी कम्पनी लि०		

चाय कम्पनियों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों का कम मूल्य बताया जाना

8591. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा अरेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि यूनाइटिड किंगडम की स्टर्लिंग कम्पनियों के नियंत्रणधीन भारत में काम कर रहे चाय की कम्पनियों ने वर्ष 1977-78 के दौरान अपनी परिसम्पत्तियों का मूल्य कम बताया और तदुपरान्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उन उपबन्धों की अवहेलना की जिनमें विदेशी शेयरधारिता को कम करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या उन्होंने ऐसे मूल्यांकन प्रतिवेदन भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ व्यवसायी चार्टर्ड एकटेंन्टों के माध्यम से पेश किए हैं तथा अर्हता प्राप्त एवं अधिकृत मूल्यांकन कर्ताओं के माध्यमा से नहीं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा भारत में ऐसी कौन-कौन सी तथा कितनी चाय कम्पनियां हैं जिन्होंने इस तरह से विदेशी शेयरधारिता को कम/अशक्त करने के प्रस्तावयुक्त आवेदन-पत्र पेश किए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसको रोकने एवं परिसम्पत्तियों का सही मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि चोरी छिपे विदेशी-मुद्रा का अपवंचन न हो सके ।

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी, नहीं । कोई भी स्टर्लिंग चाय कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगी क्योंकि इससे विदेशी कंपनी को उसके भारतीय कारबार के अन्तरण के एवज में कम रशि मिलेगी ;

(ख) ऐसी कोई कानूनी अपेक्षा रहीं है कि स्टर्लिंग चाय कम्पनियों के आवेदन पत्रों के समर्थन में अर्हता प्राप्त और अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट साथ लगाई जाएं ।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ;

(घ) स्टर्लिग चाय चम्पनियों के प्रस्तावों की टी बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से जांच की जाती है जो स्टर्लिग चाय कम्पनियों की निवल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखता है। टी बोर्ड की रिपोर्ट पर इसके बाद सरकार मूल्यांकन समूह (ग्रुप) की सहायता से विचार करती है। मूल्यांकन तय करने में इस बात का सुनिश्चिय किया जाता है कि मूल्यांकन के सर्वमान्य सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए और स्टर्लिग चाय कम्पनियों के कारोबार तथा निवल परिसम्पत्तियों का उचित ढंग से मूल्यांकन किया जाए। इसलिए विदेशी मुद्रा अधिनियम के किसी उपबंध की उपेक्षा होने देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भूतपूर्व सैनिकों की एयर पोर्ट आफिसरों के पदों पर नियुक्ति के लिये सूची में अंकित सभी व्यक्तियों की नियुक्ति

8592. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 1975 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में भूतपूर्व सैनिकों की एयरपोर्ट अफिसरों के रूप में भर्ती के बारे में 10 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2381 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैनल की उस सूची में 10 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिनमें पहले नियुक्त नहीं किया गया था तथा अन्य चुने गये उम्मीदवारों को ऐसी सेवाएं देने के लिए भी क्या कार्यवाही की गई है।

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 1977-78 में इन पदों का फिर विज्ञापन दिया तथा पहली सूची के सभी उम्मीदवारों को रोजगार दिये बिना अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा 1977-78 में चयन करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (**श्री पुरुषोत्तम कौशिक**) : (क) विमानन क्षेत्र अधिकारियों के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1-12-75 तथा 2-11-76 को बनाए गए पैनलों में उसमें भूतपूर्व सैनिकों के रूप में दर्शाएं गए 10 उम्मीदवारों के अलावा एक और उम्मीदवार ऐसा था जिसने अपने आवेदन-पत्र में यह उल्लेख नहीं किया था कि वह एक भूतपूर्व सैनिक है हालांकि उसने वायु सेना में अपनी विगत सेवा के बारे में उल्लेख किया था।

(ख) प्राधिकरण ने 1-12-75 को बनाए गए पैनल में से वरिष्ठता के आधार पर दो भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की है। इस पैनल की अवधि एक वर्ष थी, और इसीलिए इस पैनल में से इस समय कोई और नियुक्ति नहीं का जा सकती। 2-11-76 को बनाए गए दूसरे पैनल में आठ भूतपूर्व सैनिकों को विभागीय पदोन्नति के लिए सम्मिलित किया गया था तथा इन सभी 8 व्यक्तियों को विमानक्षेत्र अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। विमानक्षेत्र अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) और (घ) : क्यों कि 2-12-75 को बनाया गया पैनल समाप्त हो गया था, अतः अन्य वर्गों की रिक्तियों के साथ-साथ विमान क्षेत्र अधिकारियों की रिक्तियों को भी भारत अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने विज्ञापित कर दिया । सभी वर्गों के पदों के लिए किए गए सिलैक्शनों के सम्बन्ध में 1977-78 के दौरान हुआ कुल व्यय 58,077.28 रुपये था केवल विमान क्षेत्र अधिकारियों के सलेक्सन पर हुए व्यय को पृथक करना संभव नहीं है ।

अगरतल्ला तथा दिल्ली के बीच विमान सेवा

8593. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता तथा अगरतला के बीच अपर्याप्त विमान सेवा की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मार्ग पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(ग) क्या सरकार अगरतला और दिल्ली के बीच विमान सेवा शुरु करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) कलकत्ता तथा अगरतला के बीच की यातायात आवश्यकताओं को इंडियन एयरलाइंस की समयावलि बनाते समय यथोचित रूप से ध्यान में रखा जाता है। इस समय, इंडियन एयरलाइन्स इस मार्ग पर एक दैनिक बोइंग-737 सेवा का तथा सप्ताह में चार बार एफ०-27 सेवा का परिचालन कर रही है।

(ग) कलकत्ता से होते हुए अगरतला तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उसी दिन के कनैक्शन उपलब्ध हैं।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन के लिये प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक

8594. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे थे और उनकी कुल कितनी शाखायें थी ;

(ख) 1 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार इनमें से कितनी वाणिज्यिक बैंकें विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत थी और उस तारीख तक उनकी कुल कितनी ऐसी शाखायें थी, जो विदेशी मुद्रा में लेन-देन करती थी ;

(ग) विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत बैंकों की कितनी शाखायें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में से प्रत्येक नगर में वस्तुतः कार्य कर रही थी ; और

(घ) विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने वाले विदेशी बैंकों की कितनी शाखायें उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित नगरों में कार्य कर रही थी।

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) 1 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 126 वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे थे। इनके 26994 कार्यालय हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार, 55 वाणिज्यक बैंक, विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत थे। इनमें 12 विदेशी बैंक भी शामिल हैं। यथा उपलब्ध सूचना अनुसार विदेशी मुद्रमें लेन देन करने वाली शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना मंगायी जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए प्राधिकृत बैंकों के नाम तथा विदेशी मुद्रा के लेन-देन करने वालों की संख्या।

बैंक का नाम	विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने वाली शाखाओं की संख्या
1	2
(क) भारतीय बैंक	
1. इलाहाबाद बैंक	71
2. आंध्र बैंक लि०	15
3. बनारस स्टेट बैंक लि०	9
4. बैंक आफ बड़ौदा	84
5. बैंक आफ इंडिया	145
6. बैंक आफ मदुरा लि०	53
7. बैंक आफ महाराष्ट्र	21
8. बैंक आफ कोचिन लि०	62
9. बैंक आफ राजस्थान लि०	4
10. भारत ओवरसीज बैंक लि०	19
11. केनरा बैंक	1024
12. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	93
13. कारपोरेशन बैंक लि०	274
14. देना बैंक	24
15. फेडरल बैंक लि०	277
16. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि०	2
17. इंडियन बैंक	660
18. इंडियन ओवरसीज बैंक	569
19. न्यू बैंक आफ इंडिया लि०	63
20. पंजाब नेशनल बैंक	101
21. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०	15
22. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	20
23. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	17
24. भारतीय स्टेट बैंक	760

1	2
25. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	13
26. स्टेट बैंक आफ मैसूर	290
27. स्टेट बैंक आफ पटियाला	22
28. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	191
29. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	331
30. सिंडिकेट बैंक	59
31. यूनियन बैंक आफ इंडिया	31
32. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	8
33. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	912
34. यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि०	1
35. विजया बैंक लि०	36
36. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०	5
37. व्यास बैंक लि०	13
38. साऊथ इंडियन बैंक लि०	221
39. केथोलिक सिरीयान बैंक लि०	5
40. कर्नाटक बैंक लि०	7
41. यूनाइटेड इन्डस्ट्रीयल बैंक लि०	उ० न०
42. सांगली बैंक लि०	उ० न०
43. नेडूनगाडी बैंक लि०	उ० न०
44. लक्ष्मी विसाल बैंक लि०	उ० न०
	6527

(ख) विदेशी बैंक

1. आलजीमैन बैंक नीदर लैंड एन० वी०	2
2. अमेरिकन एक्सप्रैस इन्ट, बैंकिंग कारपोरेशन	3
3. बैंक आफ अमेरिका एन० टी० एण्ड एस० ए०	4
4. बैंक आफ टोक्यो लि०	3
5. बांको नात्सिओंनाल डी० पेरिस	2
6. ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	1
7. चार्टर्ड बैंक	24
8. सिटी बैंक	6

1	2
9. ग्रिन्डलेज बैंक लि० .	56
10. मर्केन्टाइल बैंक लि०	20
11. मितसुइ बैंक लि०	1
12. सोनाली बैंक	1
जोड़	123

उ० न०—उपलब्ध नहीं

नोट :—कुछ भारतीय बैंकों ने 31 दिसम्बर, 1977 की विदेशी मुद्रा के लेन-देन करने वाली शाखाओं की संख्या के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना नहीं दी है। ऐसे मामलों में, 31 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त सूचना उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित कर ली गई है।

दिल्ली में डाक्टरों तथा वकीलों के आयकर का उचित निर्धारण तथा वसूली

8595. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक्टर अपने रोगियों से तथा वकील अपने मुवक्किलों से बहुत अधिक फीस लेते हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर से बचने के उद्देश्य से न तो डाक्टर ही रोगियों को फीस की रसीद देते हैं और न वकील अपने मुवक्किलों को ;

(ग) यदि हां, तो डाक्टरों तथा वकीलों के पृथक-पृठक सही कर-निर्धारण करने और सही राशि वसूल करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(घ) इन लोगों के लिये आयकर निर्धारण की वर्तमान प्रणाली क्या है ; और

(ङ) दिल्ली में गत तीन वर्षों में डाक्टरों तथा वकीलों से पृथक-पृथक प्रत्येक वर्ष आयकर की कितनी राशि वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) डाक्टर तथा वकील अपनी ही दर-सूची के अनुसार फीस लेते हैं। इन व्यवसायों के व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली फीस के कोई मानक प्रतिमान नहीं होने से यह कहना सम्भव नहीं होता कि डाक्टरों तथा वकीलों द्वारा ली जाने वाली फीस अधिक है अथवा नहीं।

(ख) रसीदें देने के मामले में दिल्ली के डाक्टरों तथा वकीलों द्वारा कोई एक जैसी परिपाटी अपनाई हुई नहीं लगती। कुछ लोग रसीदें देते हैं ; कुछ नहीं देते । जिन मामलों में नियमित हिसाब किताब नहीं रखे जाते, उनमें आयकर की विवरणी अनुमान के आधार पर दाखिल की जाती है।

(ग) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1 अप्रैल, 1976 से आयकर अधिनियम में धारा 44 कक जोड़ी गयी है। इस धारा की उपधारा (1) में यह व्यवस्था है कि किन्हीं निर्दिष्ट व्यवसाय के लोगों के लिए, यह अनिवार्य है कि वह ऐसे बही-खाते तथा अन्य दस्तावेज रखेंगे, जिनके आधार पर आयकर अधिकारी, आयकर अधिनियम, 1961 की व्यवस्था के अनुसार उन लोगों की कुल आय की संगणना कर सके।

इन लोगों में कानून और चिकित्सा व्यवसाय के लोग भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस धारा की उपधारा (3) द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह, व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के लिए यह निर्दिष्ट कर सके कि वे क्या-क्या हिसाब-किताब और दस्तावेज रखेंगे। इस व्यवस्था के अनुसरण में, उक्त बोर्ड ने व्यवसायों के कुछ वर्गों के लिए हिसाब-किताब रखने सम्बन्धी नियमों का मसौदा अधिसूचित किया है, जो दिनांक 12 जनवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या का० आ० 18 (ङ) में देखा जा सकता है। इस अधिसूचना में डाक्टरी तथा कानूनी व्यवसाय भी शामिल किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार करने के बाद नियमों को अन्तिम रूप दिया जायगा। इसके अलावा दिल्ली में डाक्टरों तथा वकीलों के कर निर्धारण के लिए स्पेशल सर्कल बनाये गये हैं।

(घ) डाक्टरों तथा वकीलों के कर का निर्धारण करने के लिए अपनायी गई पद्धति में तथा अन्य मामलों में अपनायी जाने वाली पद्धति में वस्तुतः कोई फर्क नहीं है। यदि कर-निर्धारण का कोई मामला संक्षिप्त रूप से कर-निर्धारण का है, तो उस पर तदनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में आय की विवरणियां बही-खातों के आधार पर दाखिल की जाती हैं, उन में लाभ तथा हानि के विवरण-पत्रों और तुलन-पत्र की जांच करने के बाद का निर्धारण किया जाता है और कुल आय की संगणना, कानून की व्यवस्था के अनुसार कटौतियां आदि देकर की जाती है। यदि कर-निर्धारण का मामला ऐसा है, कि उसमें छानबीन करके कर-निर्धारण किया जाना है, तो उस मामले में लेखा-पुस्तिकाओं की जांच की जाती है। यदि कोई पूंजी-निवेश किया गया है, तो उसके स्रोत की जांच की जाती है। बैंक खातों की छानबीन की जाती है।

(ङ) दिल्ली में डाक्टरों तथा वकीलों से पिछले तीन वर्षों में वसूल हुए कर की रकम इस प्रकार है :—

	डाक्टर	वकील
	(लाख रुपयों में)	
1975-76	31.66	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस वर्ष वकीलों के सम्बन्ध में स्पेशल सर्कल नहीं बनाये गये थे।
1976-77	66.01	25.94
1977-78 . . .	69.19†	53.62

†ये आंकड़े अब तक प्राप्त चालानों पर आधारित हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के मद्रास सर्किल में क्लर्कों की भरती

8596. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में स्टेट बैंक आफ इंडिया के मद्रास सर्किल में क्लर्कों की भरती के लिए परीक्षाएं हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम घोषित किये गये हैं और रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर "हां" में हैं तो कुल रिक्त पदों पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त परीक्षाओं में अनसूचित जाति के किसी अभ्यर्थी का चयन किया गया है और उसे नियुक्त किया गया है ;

(ङ) क्या नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा भरा गया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के अभ्यर्थियों के लिए चयन की शर्तें बहुत कठोर हैं ; और

(छ) यदि उपरोक्त (च) का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अभ्यर्थियों के पक्ष में चयन की शर्तों को शिथिल करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक के मद्रास सर्किल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के राज्य और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र आते हैं । इस सर्किल ने 1976 के दौरान क्लेरीकल कर्मचारियों के लिए कोई भरती परीक्षा नहीं ली है । अलबत्ता, 1977 वर्ष के दौरान पिछले बकाया प्रारक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 15 केन्द्रों में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही 27 बार परीक्षाएं ली थीं जबकि सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 8 बार परीक्षा ली गई थी। इन परीक्षाओं के आधार पर 1977 के दौरान की गई नियुक्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

भरे गये कुल पदों की संख्या :	1626
इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भरे गये पद .	603

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि पिछले बकाया पदों सहित अनुसूचित जातियों के लिए प्रारक्षित सभी रिक्त पदों को 1977 के दौरान भर लिया गया था।

(च) और (छ) लिखित परीक्षा में योग्यता के न्यूनतम मानक में, सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में काफी छूट दी जाती है। इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी पृथक बैठकों में लिया जाता है ताकि उनके निष्पादन के स्तर की तुलना सामान्य उम्मीदवारों से न की जा सके। 1977 के दौरान केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए की गई परीक्षा के साक्षात्कार में जो उम्मीदवार आये उनमें से किसी को अस्वीकार नहीं किया गया था।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का खोला जाना

8597. **श्री गिरिधर गोमांगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में अब तक कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बक खोले गये हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों में बैंकों के उद्देश्य कहां तक पूरे हुए हैं ; और

(ग) क्या मंत्रालय ने उदार संस्थागत वित्तीय सहायता देकर आदिवासियों का उत्थान करने के सम्बन्ध में बैंकों को अनुदेश जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भौगोलिक क्षेत्र का सबसे छोटा एकक जिला है जिसके बारे में शाखा विस्तार, जमाओं और ऋणों विषयक आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं। इसलिए जनजाति उप योजना क्षेत्र में बैंक शाखाओं की संख्या विषयक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बड़े भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें अधिकांश जनजाति क्षेत्र हैं ; बैंक सुविधाओं से वंचित न रह जायें, बैंकों से कहा गया है कि बिना बैंक वाले प्रत्येक सामुदायिक खण्ड में कम से कम एक शाखा खोलें ।

(ख) और (ग) बैंकों को निदेश दिया गया है कि उपेक्षित क्षेत्रों के, छोटे ऋणकर्त्ताओं को विशेष रूप से अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से, अधिक मात्रा में ऋण दें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया है कि लाभप्रद स्वयं-नियोजन के लिए छोटे ऋणकर्त्ताओं को ऋण देने के वास्ते, जिला ऋण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण योजनाएं बनाएं। इन उपायों से जनजाति क्षेत्रों में भी ऋण उपलब्ध कराने में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंक भी विभेदी ब्याज दर योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर समाज के वर्गों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिक अनुपात में ऋण उपलब्ध किया जाये, बैंकों से कहा गया है कि इस योजना के अन्तर्गत उनके ऋण का कम-से-कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाय और ऋण का कम-से-कम 1/3 भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए ।

Merger of Rural Banks with Nationalised Banks

8598. **Shri Ram Kanwar Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether rural banks are proposed to be merged with nationalised banks in order to save them from loss ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : No, Sir.

भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार करने के लिये टेंडर

8599. **श्री प्रद्युमन बल : :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार करने के लिये कोई टेंडर स्वीकार किया गया है;

(ख) धावनपथ बनाने का काम कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर इस धावनपथ को बनाने का काम शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) भुवनेश्वर विमानक्षेत्र के धावनपथ पर पुनः फर्श बिछाने (विस्तार करना नहीं) के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। कार्य का ठेका दे दिया गया है और इसके मार्च, 1979 तक पूरा हो जाने की आशा है। फिलहाल रन-वे का विस्तार करने का कोई प्रभाव नहीं है।

भारत सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों में पर्यटन पर लगाई गई पूंजी

8600. **श्री प्रद्युमन बल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में इस वित्तीय वर्ष सहित गत पांच वर्षों में पर्यटन पर कुल कितनी पूंजी लगाई हैं;

(ख) उन योजनाओं के नाम क्या है जो पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम ने आगामी पांच वर्षों में उड़ीसा में क्रियान्वित करने वाले हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिये कोई बृहद् योजना बनाई गई है या बनाई जा रही है; यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की योजना बनाई जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान किया गया व्यय संलग्न विवरणों में दिया गया है (अनुबन्ध 1 तथा 2)।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार से पर्यटन विकास संबंधी एक "पर्स्पेक्टिव प्लान" भेजने का अनुरोध किया गया था। इसके आधार पर, 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में आरंभ की जाने वाली स्कीमों का निर्धारण योजना को अंतिम रूप प्रदान करने के समय किया जायगा।

भारत पर्यटन विकास निगम ने भुवनेश्वर में अपने यात्री लॉज में विस्तार करने का कार्य आरम्भ कर दिया है जिससे 24 कमरों (48 शय्याओं) की वृद्धि होगी।

उड़ीसा में किसी पर्यटन योजना के लिए विश्व बैंक के पास जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण 1

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पर्यटन विभाग द्वारा लगाई गयी पूंजी को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य का नाम	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79* (प्रस्तावित)
1. आन्ध्र प्रदेश	6,28,000	5,27,000	6,31,000	—	—
2. आसाम	2,93,000	10,56,000	9,22,464	1,03,618	—
3. बिहार	—	6,54,000	—	—	—
4. गुजरात	4,76,935	2,45,332	2,31,046	6,59,000	—
5. हरियाणा	1,79,000	1,000	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	3,94,000	4,40,000	6,64,000	—	2,00,000
7. जम्मू और काश्मीर	26,03,004	24,64,000	24,52,886	19,60,000	32,00,000
8. कर्नाटक	1,07,000	1,45,000	75,000	—	—
9. केरल	6,40,000	5,50,000	5,86,000	20,07,868	18,00,000
10. मध्य प्रदेश	3,48,000	1,49,000	—	4,55,000	—
11. महाराष्ट्र	11,02,000	3,71,000	9,18,223	14,96,670	6,00,000
12. उड़ीसा	1,35,000	—	1,63,308	—	—
13. पंजाब	4,67,000	3,75,000	—	—	—
14. राजस्थान	10,54,000	6,53,601	6,15,121	—	—
15. तमिलनाडु	33,000	—	—	—	—
16. उत्तर प्रदेश	—	—	—	14,40,000	—
17. पश्चिम बंगाल	—	1,38,000	—	60,000	—
योग	84,59,939	73,68,933	72,58,048	81,82,156	58,00,000

*सांस्कृतिक पर्यटन तथा वन्य जीव पर्यटन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1978-79 के दौरान व्यय के राज्य-वार ब्यौरे का अभी निर्धारण किया जाना है। अतः उपर्युक्त विवरण में इन स्कीमों के लिए किए जाने वाले किसी उपबन्ध को नहीं दर्शाया गया है।

विवरण 2

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79** (प्रस्तावित परिव्यय)
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—
2. आसाम	—	—	—	0.06	—
3. बिहार	13.70	36.30	11.26	4.29	—
4. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
5. जम्मू और काश्मीर	1.87	0.16	—	—	0.02
6. कर्नाटक	67.49	39.15	18.60	9.63	35.00
7. केरल	34.87	55.21	3.58	3.58	10.00
8. मध्य प्रदेश	0.76	0.13	—	—	—
9. महाराष्ट्र	14.34	34.20	32.48	5.51	—
10. उड़ीसा	—	0.12	5.88	6.58	10.00
11. राजस्थान	0.28	—	28.87	8.38	45.00
12. तमिलनाडु	1.24	3.89	—	0.19	25.00
13. उत्तर प्रदेश	10.95	16.26	—	—	5.02
14. पश्चिम बंगाल	105.29	46.95	15.53	—	0.02
केन्द्र शासित प्रदेश :					
1. दिल्ली	48.85	52.64	96.72	177.92	88.60
2. चंडीगढ़	—	—	—	—	30.00
3. पांडिचेरी	—	—	—	—	0.02
4. गोवा	—	—	—	—	0.02
अनावंटनीय स्कीम :					
1. यातायात यूनिटों* की स्थापना तथा विस्तार	9.31	18.36	20.45	63.11	16.00
2. अन्य विविध लघु स्कीमें			6.96	14.81	36.50
कुल योग	318.65	303.37	240.33	294.30	301.20

*सिब्बंदी तथा परिवहन यूनिटों के विस्तार के व्यय का संबंध विभिन्न राज्यों से है। इसे सही तौर पर विभिन्न राज्यों को आबंटित नहीं किया जा सकता क्योंकि वाहनों को आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर लगाया तथा हटाया जाता है।

**वर्ष 1977-78 के आंकड़ें अनंतिम हैं और इनकी लेखा-परीक्षा होनी है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग अनुसचिवीय अधिकारी संगठन, पटना कलक्टरी बिहार से प्राप्त अभ्यावेदन

8601. **डा० रामजी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग अनुसचिवीय अधिकारी संगठन पटना से कलक्टरी (बिहार) से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें नई एस० आर० पद्धति (पुनरीक्षण) के कार्यान्वयन के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की गई है; और

(ख) सरकार की इस अभ्यावेदन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) स्व-निकासी कार्यविधि (समीक्षा) समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये, अलग-अलग केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं में कर्मचारियों सम्बन्धी जरूरतों को, इस प्रयोजन के लिए अपनाए गये मानदण्डों को ध्यान में रखकर, अलग-अलग समाहर्तालयों में कार्य के भार के आधार पर अन्तिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन, इसी बीच, ऊपर उल्लिखित अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्तालय, पटना के लिए उप कार्यालय अधीक्षक (स्तर) के दो अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गयी है।

Fall in Tobacco Prices

8602. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the steep fall in tobacco prices recently is likely to cause much loss to the tobacco growers and even may adversely affect its cultivation in future; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and whether any relief is proposed to be given to the farmers in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Because of larger production of tabacco this year, there have been accumulation of unsold stocks with the growers and also a depression in prices. If no remedial measures are taken, such a situation can no doubt have an adverse effect on tobacco cultivation in future.

(b) In order to relieve the situation and considering that virginia tobacco accounts for bulk of our exports of unmanufactured tobacco, the Government have already directed the State Trading Corporation of India to buy 10,000 metric tonnes of virginia tobacco on Government account. This quantity is over and above a quantity of 5,000 metric tonne which the STC were already buying on their own account and risk to meet their estimated export requirements.

कर्नाटक अधारित बैंकों के कार्यकरण में अनियमितताएं

8603. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1978 के बम्बई से प्रकाशित 'आनलुकर' के पृष्ठ 34 पर एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कर्नाटक आधारित बैंकों—दी सिंडीकेट और कारपोरेशन बैंक के कार्यकरण में गम्भीर अनियमितताएं पाई हैं जिसमें यह कथित रहस्योद्घाटन किया गया है कि उनके द्वारा लाखों रुपए व्यर्थ में खर्च किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी हां । सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार देखा है ।

(ख) रिजर्व बैंक इन आरोपों की जांच कर रहा है और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए समुचित सुधार की कार्यवाही करेगा ।

Charges against Bal Yogeshwar

8604. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggling and some other charges were levelled against a religious head named Bal Yogeshwar some years ago;

(b) if so, whether proper enquiry was conducted in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof and the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) to (c) Shri Prem Pal Singh Rawat alias Balyogeshwar arrived by a chartered flight at Palam Airport on 7-11-1972 accompanied by his disciples. Foreign currency, jewellery and watches worth Rs. 2.85 lakhs were found in excess in the personal baggage of Balyogeshwar, Behari Singh, his secretary and Miss Joan Apter, one of Balyogeshwar's disciples. Foreign currency, jewellery and watches were absolutely confiscated and a penalty of Rs. 10,000/ each was imposed on Shri Prem Pal Singh Rawat alias Balyogeshwar and Behari Singh. Shri Balyogeshwar and Behari Singh have preferred appeals to the Central Board of Excise and Customs against the adjudication order, which is pending. The personal penalties imposed have remained unpaid. Certificate action under Section 142 of the Customs Act, 1962 against Shri Prem Pal Singh Rawat and Shri Behari Singh has since been taken for recovery of amount of penalty imposed on each of them.

Shri Behari Singh was also found guilty of violations of certain provisions of the Foreign Exchange Regulation Act and the Directorate of Enforcement had imposed penalties of a total of Rs. 7,07,000/- in three cases. Foreign Exchange involved was ordered to be confiscated. Shri Behari Singh has filed appeals against the above adjudication orders before the Foreign Exchange Regulation Appellate Board, which are pending. In a fourth case of Foreign Exchange Violation Shri Behari Singh is being prosecuted in a New Delhi Court and complaint has been filed in this regard.

Income-Tax cases forwarded by Commissioner of West Bengal for compromise in Income-tax

8605. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of income tax cases of West Bengal and Calcutta under consideration or pending for compromise and write off or reducing the amount for the last 25 years or more indicating the names thereof;

(b) the number of cases forwarded by the Commissioner of Calcutta and West Bengal to Central Government for compromise and write off or reducing the amount, Indicating the details thereof and reaction of the Central Government thereto;

(c) whether Government are aware that the parties against which an amount of income tax of rupees 5 lakhs or more is outstanding in Calcutta and West Bengal have declared themselves insolvent and their work has completely closed and if so, the action proposed to be taken by Central Government in regard thereto; and

(d) the details regarading cases, which are stil pending ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Proposals received from the Commissioners of Income-tax of West Bengal, for write off/scaling down of income-tax demand outstanding for the last 25 years or more in five cases are under consideration in the Central Board of Direct Taxes. The details of these cases are as under :—

Name of assessee	Income-tax demand outstanding
1. Shri V. K. Menon	Rs. 58,63,971
2. M/s. Ramsahaimull More Ltd.	Rs. 31,08,162
3. Shri Gangadas Binani	Rs. 31,83,720
4. Shri S. B. Gopalsingh Chowdhury	Rs. 18,19,232
5. Shri P. C. Chanda	Rs. 1,36,052

(b) and (d) During the financial year 1976-77 and from 1-4-77 to date, 17 cases (including the five mentioned above) were received from the Commissioners of Income-tax of West Bengal, for writing off of irrecoverable tax arrears and/or for their scaling down. The amount of tax arrears involved in these cases ranges between Rs. 1 lakh and Rs. 149 lakhs. In 3 cases, approval for writing off the arrears have been sent to the Commissioners of Income-tax concerned. In 1 case, the Commissioner of Income-tax has been asked to make certain further enquiries and refer the matter to the Board again at may be necessary after the proposal has been procesed by the Zonal Committee (consisting of three Commissioners of Income-tax), according to standing practice. The remaining cases are under examination in the Board's office.

(c) The requisite information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Labour Co-perative Societies

8006. Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of labour cooperative societies in the country and the total number of members thereof;

(b) the value of contracts awarded to these societies in 1975-76 and 1976-77 separately; and

(c) the number of labour cooperative societies in Gujarat indicating the number of members thereof and the value of contracts awarded to them in 1975-76 and 1976-77 ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) There were 8,626 labour contract and construction cooperatives and 1,467 forest labour contract cooperatives during the cooperative year 1976-77 with a membership of 4.7 lakh and 1.70 lakh respectively.

(b) The value of Yorks awarded to these cooperatives was Rs. 40.48 crores during the year 1975-76 and Rs. 52.2 crores during 1976-77.

(c) The position about the number of labour contract societies in Gujarat is at Annexure 'A'.

Statement

	1975-76	1976-77
(i) No. of societies	704	807
(ii) No. of members	1.00 lakh	1.07 lakh
(iii) Value of contracts awarded to these societies	Rs. 10.00 crores	Rs. 12.65 crores

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण

8607. **श्री डी०बी० चन्द्र गौडा:** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रस्तावित योजना की क्रियान्विति के लिए एक पृथक संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने उक्त योजना अपने हाथ में लेने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) इस समय विचाराधीन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की योजना में आधार-ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग करने की परिकल्पना की गई है । इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. इस योजना का उद्देश्य आम खपत की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और बढ़ा हुआ उत्पादन विशेष रूप से कमजोर वर्गों तथा कामगर जनता की समान रूप से और कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराना है । इस नई नीति का मूल उद्देश्य पहले की तरह अल्पकालीन राहत उपायों तथा तदर्थ हल के स्थान पर एक स्थायी प्रणाली का निर्माण करना है । प्रस्तावित प्रणाली द्वारा पिछले असंतुलनों को दूर करने तथा देहाती इलाकों में भी वितरण प्रणाली लागू करने का एक प्रभावी साधन तैयार किया जाना है । इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अंतर्गत अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के अधिकाधिक विस्तार के लिए प्रभावी कार्रवाई करना भी है, ताकि देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया जा सके ।

2. उन कार्यों जिनकी परिकल्पना की गई है और उन कार्यवाही योजनाओं जिनका सुझाव दिया गया है, में उन वस्तुओं का उत्पादन प्राथिमकता के आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके लिए अल्प कालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किये जाने हैं । इस योजना के तैयार करने में वित्तीय बाध्यताओं को भी ध्यान में लिया गया है और नीति यह है कि वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं और योजनाओं-परिव्ययों का अनुकूलतम उपयोग किया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो मजबूत बनाने की नई नीति की अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं :—

—वितरण प्रणाली में पहले से शामिल आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी वितरण करना तथा उसमें और नयी वस्तुएं शामिल करना । इस योजना में प्रारम्भ में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और आम-खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जाती हैं।

—आम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुओं जैसे नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन, नमक, दिया-सलाई, चाय, कापियों, आम औषध व दवाइयों के बारे में सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को राज्य सरकारों के परामर्श से उत्पादन, उपलभ्यता, तथा फूटकर मूल्यों की

परिवीक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना है। संबंधित मंत्रालय कुल मांग का और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का जायजा लेने और उन्हें पूरा करने के उपाय करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिए;

—अनाज, दालों, खाद्य तेलों अथवा तिलहनों, कपास आदि का बफर स्टाक बनाना और अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं का आयात करना;

—भण्डारण, परिवहन तथा वितरण की लागत के क्षेत्रों में औचित्य लाना;

—शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आबंटन तथा उनके मूल्यों के असन्तुलनों को दूर करना;

—निजी तथा सार्वजिनक क्षेत्रों में वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जायेगा। विवरण कार्य के लिए कारगर प्रणालियां विकसित करने और इसके लिए शहरी तथा देहाती दोनों इलाकों में सहकारी समितियों का जाल बिछाने पर बल दिया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

—दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या इस प्रकार बढ़ाना कि 2000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक बिक्री केन्द्र हो जाये।

—विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करके और न्यूनतम बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार करना;

—उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए सतर्कता समितियाँ स्थापित करना, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पर्यवेक्षण तथा सतर्कता रखने और उपभोक्ताओं के हित का बचाव करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हों। केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना जो सम्पूर्ण वितरण के बारे में समन्वय कार्य तथा पर्यवेक्षण करेगी और गतिविधियों पर नजर रखेंगी तथा सरकार को समय-समय पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेंगी।

तम्बाकू विकास बोर्ड द्वारा मुद्रित बालचर का उत्पादकों को जारी किया जाना

8608. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तम्बाकू व्यापारी और एकाधिकारवादी तम्बाकू विकास बोर्ड द्वारा मुद्रित वाउचर उत्पादकों को देने से इन्कार कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने खरीदे हुए तम्बाकू के लिए चैक देने से भी इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या उन्होंने विरोध स्वरूप उत्पादकों से तम्बाकू खरीदना बंद कर दिया है; और

(घ) किसानों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पुर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग) वरजीनिया तम्बाकू के उपजकर्ताओं के लिए नई भुगतान प्रणाली का जो तम्बाकू लीफ वाउचर प्रणाली के नाम से जानी जाती है और जिसे इसी वर्ष तम्बाकू बोर्ड द्वारा लागू किया गया है, शुरू में व्यापारियों ने विरोध किया। चालू मौसम के लिए इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा कतिपय

संशोधन स्वीकार किये जाने के बाद जिस में खरीदारों के लिए यह विकल्प भी शामिल है कि वे चैक अथवा नकद रूप में भुगतान कर सकते हैं, आन्ध्र प्रदेश में वर्जीनियां तम्बाकू का विपणन, कुल मिलाकर वाउचर प्रणाली के अनुसार ही हो रहा है ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू की वर्तमान फसल के विपुल मात्रा में होने के कारण सरकार ने पहले ही भारतीय राज्य व्यापार निगम को निदेश दे दिये हैं कि वह सरकार के लेखे में 10,000 मी० टन वर्जीनिया तम्बाकू खरीद लें ताकि उपजकर्ताओं के लिए स्थिति सुधर जाये। यह मात्रा उस 5,000 मी० टन की मात्रा के अतिरिक्त है, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले ही अपने लेखे तथा जोखिम पर अपनी अनुमानित निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदी जा रही थीं ।

सीनियर इंवेस्टीगेटरों का वेतनमान

8609. **श्री कैलाश प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना आम चेतावनी, बिना शर्त वाले नियुक्ति-पत्रों और सभा को आश्वासनों के बावजूद कुछ सीनियर इनवेस्टीगेटर, जो पहली जुलाई, 1959 के बाद नियुक्त किये गये थे और जो 15 फरवरी, 1960 और 2 अगस्त, 1960 को अपने पदों पर विद्यमान थे संशोधित वेतन-मान से पहले का अपेक्षाकृत अच्छा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, नियमों की उद्घोषणा के बाद कम संशोधित वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त करने पर विवश किये गये थे;

(ख) क्या वेतन आयोग ने 1 जुलाई, 1959 तक नियुक्त हुए कर्मचारियों को विकल्प देने की सिफारिश की थी या सभी विद्यमान कर्मचारियों के लिये सिफारिश की थी;

(ग) क्या 1 जुलाई, 1959 को नियुक्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान से पहले वाले वेतनमान दिया गया हालांकि उस तारीख को केवल संशोधित वेतनमान ही लागू थे; और

(घ) ऐसे कितने कर्मचारी विकल्प देने के अधिकार के अभाव से पीड़ित हैं जो 2 जुलाई, 1959 से 1 अगस्त, 1960 तक नियुक्त/पदोन्नत किये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमान, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1960 के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे तथा 2-8-60 को अधिसूचित किए गए थे । परन्तु दूसरे वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर इन वेतनमानों को 1 जुलाई, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था । इन नियमों के भूतलक्षी प्रवर्तन का प्रभाव यह था कि इन नियमों के अंतर्गत लागू किए गए संशोधित वेतनामन 1-7-59 से प्रभावी हो गए तथा उक्त तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान लागू होने समाप्त हो गए । इस स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अन्वेषकों सहित ऐसे कर्मचारियों को जो 1 जुलाई, 1959 के बाद नियुक्त हुए थे, उन वेतन-मानों को रखने के लिए जो बिल्कुल विद्यमान ही नहीं थे विकल्प देने का प्रश्न नहीं उठता । इसलिए इन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लेने के लिए "विवश करने" का कोई प्रश्न नहीं था ।

(ख) दूसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि "मूल नियम 23 के उपबंधों के अनुसार विद्यमान कर्मचारियों को वर्तमान पारिश्रमिक की दरों को रखने की अनुमति दे दी जाए" । "विद्यमान कर्मचारियों" शब्दों का संदर्भ उन्हीं कर्मचारियों से होगा जो उस तारीख को अर्थात् 1 जुलाई, 1959 को स्थिति में थे जबसे संशोधित वेतनमान लागू किए गए ।

(ग) जो कर्मचारी 1-7-59 को नियुक्त किये गये थे उन्हें विकल्प देने का अधिकार दे दिया गया था क्योंकि वे 1 जुलाई, 1959 को स्थिति में थे ।

(घ) 1 जुलाई, 1959 की निर्णायक तारीख के बाद नियुक्त/पदोन्नत व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह सुनिश्चित किया गया था कि संशोधित वेतनमानों में उनका वेतन विनियमित होने पर यदि उन्हें 2 जुलाई, 1959 से 2 अगस्त, 1960 के बीच किसी रकम की अधिक अदायगी हो जाए तो उसे वसूल नहीं किया जाएगा तथा 2 अगस्त, 1960 से जो भी परिलब्धियां दी गई थी उन्हें भी वैयक्तिक वेतनम की मंजूरी देकर संरक्षण दिया गया था । अतएव, संबंधित कर्मचारियो पर, विकल्प के अधिकार का प्रयोग न किये जाने की वजह से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973

8610. **श्री कैलाश प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, 1 जनवरी, 1973 की पिछली तारीख से लागू हो गए थे और 1 जनवरी, 1973 के बाद लेकिन अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारी नियमों को पिछली तारीख से लागू करने के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे;

(ख) क्या सरकार की यह कार्यवाही संसदीय कार्य विभाग के दिनांक 13 मई, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस० आर० II (8-10) IV/68-सी० बी० में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करना नहीं है;

(ग) 1 जनवरी, 1973 और 13 नवम्बर, 1973 के बीच कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया/पदोन्नत किया गया और विकल्प-अधिकार न देने के कारण कितने कर्मचारियों को नुकसान पहुंच रहा है; और

(घ) उपरोक्त नियम में इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) से (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फल-स्वरूप जारी की गई है । तीसरे वेतन आयोग ने स्वयं ही वेतनमानों और सेवा-निवृत्ति लाभों पर अपनी सिफारिशों के बारे में एक मास के भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने की सिफारिश की थी । संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के कर्मचारी पक्ष के कर्मचारियों के प्रतिनिधि चाहते थे कि इस अवधि को कुछ और महीने आगे बढ़ा दिया जाए । कर्मचारी पक्ष से बातचीत करने के पश्चात्, सरकार ने अन्ततः यह निर्णय लिया कि इन मामलों पर आयोग की सिफारिशों को 1-1-1973 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए अर्थात् आयोग द्वारा सिफारिश किए गए एक महीने के भूतलक्षी प्रभाव के अतिरिक्त केवल और दो महीने का भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए। सरकार द्वारा इन सिफारिशों को और अधिक भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है । तथापि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिन में इन सिफारिशों को एक दिन के लिए भी लागू करने से कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो । अतः केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 के स्पष्टीकारक ज्ञापन तथा उसके बाद समय-समय पर जारी किए गए उसके संशोधनों में इस बाद का उल्लेख किया गया था कि यद्यपि आयोग द्वारा वेतनमानों में संशोधन की सिफारिश 1-3-73 से की गई थी, तथापि सरकार ने, सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुंचाने के लिए संसद कार्य विभाग के दिनांक 13-5-69 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस० आर० II (8-10)/IV/68-सी० बी० में दिए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिफारिशों को 1-1-73 से लागू करने का निर्णय किया था । इस संबंध में यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) नियमावली, 1973 सू नियम 5 के अन्तर्गत 1-1-73 को कार्यरत व्यक्तियों को वेतन के संशोधन-पूर्व वेतनमान बनाए रखने अथवा किसी भी ऐसी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से, जो उनके लिए लाभदायक हो, संशोधित वेतनमान में आने का विकल्प दिया गया है । इसलिए इन व्यक्तियों पर 1-1-73 को उनके द्वारा धारण किए हुए पदों के संबंध में, भूतलक्षी संशोधन किए जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1-11-1973 के बाद नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में इस प्रश्न की जांच कि नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो उन्हें और आगे रियायतों की स्वीकृति देना सरकार के लिए कहां

तक आवश्यक है, विधि मंत्रालय से परामर्श करके अधीनस्थ विधि निर्माण संबंधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर की गई और इस मंत्रालय के 1-6-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 67/II/74-का० कक्ष में आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनमें परिलब्धियों में गिरावट की सुरक्षा, और उनके द्वारा धारित पदों के संशोधित मान निर्धारित करने संबंधी आदेशों के जारी होने की तारीख तक जो अधिक भुगतान हो गए हों उनकी वसूली न करना जैसे और आगे लाभ दिए गए हैं।

उपर्युक्त में 1 जनवरी से 13 नवम्बर, 1973 के बीच नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारी आ जाएंगे। तथापि ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है।

अधीनस्थ विधि निर्माण संबंधी समिति द्वारा भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए गए थे और समिति को उपरोक्त स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था। उस पर विचार करने के पश्चात् समिति ने इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन कर दिया था।

स्टेनलेस स्टील की चादरों की तस्करी रोकने के लिये कदम

8611. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "स्क्रैप" के नाम में प्रति वर्ष औसतन 4 से 5 करोड़ रुपये तक के मूल्य की स्टैनलैस स्टील की चादरों की मद्रास, बम्बई पत्तनों तथा देश क अन्य भागों में तस्करी होती है;

(ख) क्या यह सच है कि गत अक्तूबर मास में 25 टन स्टैनलैस स्टील की चादरें सूरत में आई थीं; और

(ग) क्या गत जून मास में घोषित आयात शुल्क में कमी से स्टैनलैस स्टील की तस्करी रुकी थी और यदि नहीं, तो इस पदार्थ की तस्करी रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ अरसे में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें "कतरनों" के रूप में स्टैनलैस स्टील की चादरों की तस्करी शामिल थी।

(ख) जी, नहीं। लेकिन, अगस्त 1977 में बड़ौच जिले में कान्तियाजल के नजदीक एक जलयान से 15.44 लाख रुपये मूल्य की स्टैनलैस स्टील की चादरें पकड़ी गयी थीं।

(ग) आयात शुल्क में कमी करने से स्टेनलैस स्टील की तस्करी में लाभप्रदता निःसन्देह कम हो जाती। लेकिन, सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि गोदी और अन्य स्थानों पर बराबर निगाह रखी जाती है, सीमाशुल्क निवारक और गुप्त-सूचना तन्त्र को सुदृढ़ और पुनःसंगठित करने की कार्यवाही की है जिससे स्टेनलैस स्टील की चादरों की तस्करी के प्रयासों को निष्फल किया जा सके।

Modernisation of Meteorological Laboratories

8612. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have any propotai to modernise the various meteorological laboratories in the country; and

(b) if so, thefbroad details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushotttm Kaushik) : (a) and (b) Modernisation of meteorological laboratories is a continuous process and efforts consistent with operational needs and availability fof resources continue.

In the Five Year Plan 1978-83, the India Meteorological) Department has plans for :—

(i) Development of operationals' technique for the Rada.' network;

(ii) modernisation of meteorological sensors for radio-sondes used in upper air measurements and for surface observations;

(iii) research and development of instrumentation;

(iv) [modernisation of laboratories for measurement of atmosphericozone, radiation and atmospheric electricity;

(v) obtaining cloud imagery from an Indian Satellite and its application for meteorological purposes; and

(vi) collection of data from self recording stations utilising an Indian sate

Carelessness of employees of Meteorological Laboratories

8613. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Meteorological observatories at various places in the country do not give correct information in regard to weather as a result of which the people have of suffer loss; and

(b) if so, the reasons therefor and action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir. The Meteorological observatories in India record and report observations correctly.

(b) Does not arise.

Loans advanced to various Sugar Mills by Financial Institutions

8614. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to Jabra, Dalouda, Mehadpur Road, Sihor, Kelaras and Dabra Sugar Mills by various financial institutions for making payment to the employees working in the said factories;

(b) whether the workers have been paid their full wages out of the said loans and the amount of unutilised loan in each factory; and

(c) whether there are some sugar mills which have not utilised the loan for the purpose for which it was taken and if so, the amount of unutilised loan which has been utilised for other purposes ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a), (b) and (c) None of the all-India public financial institutions viz., the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, the Unit Trust of India and the General Insurance Corporation of India have given loans to Jabra, Dalouda, Mahadpur Road, Sihor, Kelaras and Dabra Sugar Mills for making payment to the employees working in the said sugar mills.

Information in respect of the Industrial Development Bank of India and the Life Insurance Corporation of India is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

टर्फ अथारिटीज द्वारा ज्ञापन

8615. **श्री माधवराव सिन्धिया** :क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वित्त विधेयक, 1978 के कुछ उपबन्धों के बारे में, जिससे विभिन्न पहलुओं में घुड़ दौड़ पर प्रभाव पड़ रहा है, पांच टर्फ अथारिटीज आफ इंडिया से एक संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टर्फ अथारिटीज की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुलफिकारुल्ला) (क) जी, हां ।

(ख) घुड़-दौड़ आयोजित करने वाले भारत के पांच प्राधिकरणों ने तारीख 14 मार्च, 1978 के अपने अभ्यावेदन में यह कहा है कि वित्त विधेयक, 1978 की, घुड़-दौड़ों में जीती जाने वाली रकमों में से स्त्रोत पर आयकर की कटौती करने से सम्बन्धित खण्ड 21 में निहित प्रस्ताव के अनेक अवांछनीय परिणाम होंगे, जैसे दौड़ क्लबों का बन्द हो जाना, जिनसे घुड़-जनन फार्मों और घुड़-प्रजनन उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा । घुड़-दौड़ से सम्बन्धित बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे; राज्य सरकारों को राजस्व की हानि होगी और बाजी लगाने सम्बन्धी गैर-कानूनी धंधों में वृद्धि होगी ।

उन्होंने यह सुझाव दिया है कि स्त्रोत पर कर की कटौती की दर को 34.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए, और जीती गयी जिस रकम पर स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी है उसे 2,500 रुपये से घटाकर 1,000 रु० कर दिया जाय । स्त्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार जीती गई रकमों की शेष रकम को, आयकर लगाने के प्रयोजनार्थ निर्धारितो की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) सरकार ने, वित्त विधेयक, 1978 के खण्ड 21 में निहित उक्त प्रस्ताव में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा है ।

Employment of local persons in Public Sector Industries

8616. Shri Bairagi Jena : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that in Public Sector Industires like Hindustan Steel Limited, Rourkela and Hindustan Aeronautics Limited, Sunabeda, local people both skilled and unskilled are denied employment opportunity;

(b) what is the percentage of local people employed in each of these organisations; and

(c) what steps Government propose to ensure employment to local people ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) No, Sir.

(b) and (c) According to Government policy the public enterprises in the past were required to make recruitment to lower posts carrying a maximum salary of Rs. 500/- per month only through the employment exchange. This limit has been recently revised to Rs. 800/- per month. Other sources of recruitment can be tapped only if the employment exchanges issued a "non-availability" certificate. This policy is expected to ensure that "local" people get adequate employment opportunities in the enterprises. Government do not maintain statistics relating to the regional origin of employees of the public enterprises.

Demand made by all India Pensioners Association

8617. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the All India Pensioners Association has requested the Government for grant of at least Rs. 150/- as pension to the retired persons;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether it is a fact that 60 per cent pensioners receive less than Rs. 100/- as pension and if so, the action preposed to be taken by Government in the matter keeping in view the difficulties faced by these persons ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) Representations have been received from pensioners individually as well as through various associations that the minimum pension should be increased to Rs. 200. Government have considered the demand, but have not found it possible to accede to it.

(c) Yes, Sir. The pensioners have already been allowed ad-hoc/graded relief from time to time to compensate them for the rise in the cost of living.

Foreign Exchange released to Film Producers

8418. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of film producers who were released foreign exchange for film production during the past three years together with the amount released; and

(b) full details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) The details of names of film producers who were released exchange for film production during the past three years (i.e. 1975-76, 1976-77 and 1977-78) are indicated hereunder :

Name of the film producer	Amount sanctioned/released in foreign exchange	Details
1	2	3
1975-76		
1. M/s. Associated Films & Finance Corporation, Bombay.	$ 34,800	For location shooting of their film "The Great Gambler" in Middle East and European countries.
2. M/s. Delux Productions Motion Picture Producers, Bombay.	$ 4,240	For location shooting of their film "Farz Aur Dosti" in Hongkong.
3. M/s. Shiv Kala Mandir, Bombay.	$ 22,400	For location shooting of their film "Aashiq Hoo Baharon Ka" in Switzerland, U.K., Italy and Spain.
4. M/s. Sarathy International, Bombay.	$ 12,150	For location shooting of their film "Dream Girl" in U.S.A.
5. M/s. Filmart International, Bombay.	$ 10,040	For location shooting of their film "Kashish" in U.S.A.
1976-77		
6. M/s. R. K. Films and Studios, Bombay	£ 12,208	For engaging foreign technicians for their film "Satyam Sivam Sundaram."

1	2	3
1977-78		
7. Shri Sunil Dutt, Producer of Film "Reshma Aur Shera".	$ 30,000	For dubbing the film "Reshma Aur Shera" in English and American accent.
8. M/s. Navketan International (P) Ltd., Bombay.	$ 14,800	For location shooting to their film "Des Pardesh" in U.K.
9. M/s. Devki Chitra, Bombay.	£ 6,000	For engaging foreign technicians for their film "Satranj Ke Khilari".
10. M/s. Udhayam Productions, Madras.	Rs. 2,38,952	For location shooting of their film titled "Production No. 6" in Singapore.
11. M/s. Yash Raj Films, Bombay.	$ 10,000	For engaging foreign technicians for their film "Kaala Pathar".
12. M/s. Navjeevan Films, Bombay.	£ 8,000	For engaging foreign technicians for their film "Ram Balram'.
13. M/s. B. R. Films, Bombay.	$ 9,000	For engaging Foreign technicians for their film "Burning Train".
14. M/s. Sabbu Productions, Madras.	Rs. 37,020	For location shooting of their film titled "Varuvan vidivelan in Singapore, Malaysia and Sri Lanka.

Cost of one time meals in Public Undertakings

8619. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether in several public undertakings under various Ministries one time meal costs even less than a rupee; and

(b) if so, the number of such undertakings and the names of Ministries under which they function ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) The names of some enterprises serving one-time meal costing less than a rupee are given in the Annexure.

Statement

Names of the Undertakings where one time meal costing less than a Rupee is served.

Sl. No.	Name of the Undertaking	Ministry/Department under which the undertaking function
1	2	3
1.	Artificial Limbs Mfg. Corporation of India.	Min. of Defence
2.	Bharat Aluminium Co. Ltd. . .	Deptt. of Mines
3.	Bharat Refractories Ltd. . . .	Min. of Steel & Mines
4.	Bharat Earth Movers Ltd. . . .	Deptt. of Defence Production

1

5. Cement Corporation of India Ltd.	Min of Industry
6. HMT International Ltd. 7. Hindustan Machine Tools Ltd.	Min. of Industry
8. Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd.	Min. of Industry
9. Hindustan Cables Ltd..	Min. of Industry
10. Indian Rare Earths Ltd.	Deptt. of Atomic Energy
11. Indian Airlines	Min. of Tourism & C.A. (Deptt. of Civil Aviation).
12. Instrumentation Ltd.	Deptt. of Ind. Dev.
13. Modern Bakeries (I) Ltd.	Min. of Food & Agriculture.
14. National Small Industries Corporation Ltd.	Deptt. of Ind. Dev.
15. National Textile Corporation (Delhi, Punjab & Rajasthan), Ltd.	Min. of Industry.
16. Richardson & Cruddas (1972) Ltd.	Deptt. of Heavy Industry.
17. Triveni Structurals Ltd.	Min. of Industry
18. Bharat Gold Mines Ltd.	Min. of Steel & Mines.

Retired Officers working in Public Sector Organisations

8620. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of high ranking officers of the Central and State Governments who are working in the public sector organisations after their retirement; and

(b) the salaries being drawn by them ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) According to available information 15 enterprises have reported that they have employed retired Government servants. Their particulars are in the Annexure.

Annexure

Sl. No.	Name of Undertaking	Number of retired Govt. servants employed in Public Enterprises of the Central Government		Scale of pay
1	2	3		4
1.	Artificial Limbs Mfg. Corporation of India.	3	2	Rs. 1300–1700
			1	Rs. 2250–2750
2.	Bokaro Steel Ltd.	1		Rs. 2000
3.	Braithwaite & Co. Ltd.	2	1	Rs. 3000–3500
			1	Rs. 2500–2750
4.	Engineering Projects (I) Ltd.	2	1	Re. 1/-
			1	Rs. 3100
5.	Hindustan Copper Ltd.	5	2	Rs. 2500–3000
			3	Rs. 2000–2500

1	2	3	4
6. Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd.	1		Rs. 1100–1600
7. Instrumentation Ltd. . . .	1		Rs. 1300–1800
8. Mining & Allied Machinery Corpn. Ltd.	1		Rs. 1800–2250
9. National Seeds Corpn. Ltd. . .	1		Rs. 1500–2000
10. National Textile Corporation (Delhi, Punjab & Rajasthan) Ltd.	2		Rs. 2000–2250
11. Neyveli Lignite Corpn. Ltd. .	2	1	Rs. 725–1325
		1	Rs. 900 consolidated
12. National Industrial Dev. Corporation.	3	1	Rs. 1700–2400
		1	Rs. 1300–1950
		1	Rs. 2500
13. Rural Electrification Corpn. Ltd.	2		Rs. 2000–2500
14. State Farms Corpn. of India Limited.	5	3	Rs. 2000–2250
		1	Rs. 1500–1800
		1	Rs. 1800–2000
15. Deptt. of Irrigation	4 Head Office	1	Rs. 2250–2500
	Iraq	1	I.D. 240
	Burma	1	Rs. 4360+1375
	Afghanistan	1	Rs. 3960+1150

विश्व व्यापार में भारत के जूता व्यापार की प्रतिशतता

8621 **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न देशों को अच्छी किस्म के चमड़े की सप्लाई करने के उपरान्त भी विश्व के जूता व्यापार में भारत का भाग 2 प्रतिशत था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय चमड़े के बने जूतों के प्रति जोड़ी 120 रु० से 200 रु० तक विदेशी मूल्य की तुलना में भारत को एक जोड़ी जूते के लिये 20-40 रु० प्राप्त होते हैं; और

(ग) मद्रास के निकट जूतों के भारत-इटली उपक्रम (साउथ ईस्ट फुटवीयर लिमिटेड) के प्रभाव सहित जूता व्यापार का पुनर्गठन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) चमड़ा उद्योग के रूपान्तरण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नीति उपाय समूह के परिणाम स्वरूप पिछले पांच वर्षों में हुए अर्ध तैयार चमड़े के निर्यातों के मुकाबले तैयार चमड़े के विनिर्माण तथा निर्यात में बहुत भारी वृद्धि हुई है । तैयार चमड़े के मुकाबले जूते तथा चमड़े से निर्मित माल के निर्यात में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही और इन मदों के सम्बन्ध में विश्व बाजार में हमारा अंश भी कम है । जुतों के निर्यात 1976-77 में बढ़कर करीब 26 करोड़ रु० के हो गए जबकि 1974-75 में लगभग

16 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे । भारत में निर्यात होने वाले जूतों का बड़ा भाग ऐसा है जिस में निम्न इकाई मूल्य वाले श्रम प्रधान अपेक्षाकृत सैंडल तथा चप्पलें शामिल हैं । बंद जूतों के निर्यात के मामले में इकाई मूल्य प्राप्ति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार प्रकट हुआ है यहां तक कि सुरूचिपूर्ण जूतों के सप्लाई के लिए औसतन-1 100 रु० प्रति जोड़े कीमत के हिसाब से कुछ संविदाएं की गई हैं ।

भारतीय जूता उद्योग की पुनःसंरचना के लिए सरकार ने जूता मशीनरी का आयात सामान्य खुले लाइसेंस के अधीन तथा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के एवज में करके उनकी आयात नीति उदार बना दी है । विपणन के लिए गठबंधन तथा निर्यात प्रयोजनों के लिए विदेशी सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है । अपेक्षाकृत उच्च निर्यात वचन बद्धता वाले ऊंची कीमत के चमड़े के जूतों के विनिर्माण के लिए कुछ आशय पत्र भी जारी किए हैं । मैसर्स साउथ ईस्ट फुटवियर लि०, मद्रास एक ऐसा एकक है जिसे इतालवी सहयोग से ऊंची क्वालिटी के जूतों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है । पता चला है कि परियोजना कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में है ।

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा प्रत्यावर्तित धनराशि

8622. **श्री प्रद्युम्न बल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन किया गया; और

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भेजी गई धनराशि को केन्द्रीय सरकार के खजाने में राजस्व के रूप में जमा करने की कोई योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा बतायें और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा पिछले तीन वर्षों में वास्तव में भेजी गई राशियों के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि चालू नियमों के अन्तर्गत अधिकृत डीलरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को स्वदेश भेजी जाने वाले 10,000 रुपये की या इससे कम की राशियों की सूचना दिया जाना जरूरी नहीं है । फिर भी पिछले तीन वर्षों में स्वदेश भेजी गई राशियों के समूचे आंकड़े नीचे दिये गए हैं :

	(करोड़ रुपए)
1975	1053.76
1976	1514.86
1977	1908.33

उपर्युक्त आंकड़े निर्यात से भिन्न सकल प्राप्तियों के हैं जिनमें सभी किस्म की प्राप्तियां शामिल हैं जैसे हवाई कम्पनियों की प्राप्तियां, जहाजी, कम्पनियों की प्राप्तियां, बीमे की प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, पर्यटन प्राप्तियां आदि । इसके अलावा इनमें "आवक प्रेषणाओं" से संबंधित चार शीर्षों अर्थात् (1) परिवार भरणपोषण, (2) अनिवासियों की बचतें, (3) प्रवासी अन्तरण और (4) मनीआर्डर प्राप्तियों के अन्तर्गत हुई प्राप्तियां भी शामिल हैं ।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशि के किसी भाग को केन्द्रीय सरकार के खजाने में राजस्व के रूप में जमा करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि ऐसी योजना से या तो वे लोग विदेशों से भारत को रकमें भेजने के लिए हतोत्साहित होंगे या फिर अनधिकृत भागों से भेजेंगे ।

Percentage of Products of Industries of States exported every year

8623. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the percentage of the products of the industries of the States exported every year;

(b) the names of those main articles which were exported in 1977-78 and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) whether Government will make any such arrangements under which the articles produced by small industries are also exported ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) and (b) State-wise export statistics are not maintained.

(c) Special incentives are provided by the Government to encourage exports of the products of small scale sector. Export Houses who export products made by the Small Scale units are given greater weightage as compared to their exports of other products. Merchant exporters who export products made by the small scale and cottage industry sector are allowed to import any raw materials and components required for the manufacture of the products exported. Programmes for promoting export capability of the small scale units have been further intensified.

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक

8624. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के वर्तमान चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की पदावधि 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सेवा निवृत्त हो गये हैं या उनकी पदावधि बढ़ाई जा रही है;

(ग) क्या उन पर ऐसे अनेक आरोप हैं कि उन्होंने गलत ढंग से पूंजी निवेश किया और बैंक प्रशासन के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करके अधिकारियों को नियुक्त और पदोन्नत किया; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सेवा की अवधि बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) श्री वी० आर० देसाई का कार्यकाल 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो गया है किन्तु उन्हें सलाह दी गई है कि उनके उत्तराधिकारी का चुनाव होने तक अगले आदेशों तक वे अपने पद पर बने रहें ।

(ग) और (घ) बैंक में ऋण मंजूर करने और पदोन्नतियों/नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं के आरोपों की रिजर्व बैंक जांच कर रहा है ।

कांग्रेस पार्टी के शासन काल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा करों से एकत्र की गई धनराशि

8625. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 फरवरी, 1978 के ब्लिट्ज में पृष्ठ 23 पर "मोर टैक्सेज लैस वैलफेयर" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर गया है और क्या सरकार उस लेख में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है ।

(ख) क्या कांग्रेस शासन के 26 वर्षों में 91,000 करोड़ से भी अधिक राशि करों के रूप में जुटाई गई और इसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपये की राशि लोगों के कल्याण के लिए उपलब्ध हुई है, और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) से (ग) माननीय सदस्य द्वारा जिस लेख का उल्लेख किया गया है उसे सरकार ने 25 फरवरी, 1978 के ब्लिट्ज में देखा है । यह सच है कि 1951-52 से 1976-77 की 26 वर्षों की अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त कर राजस्व 91,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है, किन्तु 'जन कल्याण' की मदों पर किए गए खर्च की राशि उक्त लेख में बताई गई राशि से अधिक है । केवल 'शिक्षा' शीर्ष के अंतर्गत इन 26 वर्षों में 15,156 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय हुआ जबकि इस लेख के अनुसार 'जन कल्याण' जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, आवासन जलपूर्ति, सफाई तथा श्रमिक कल्याण शामिल हैं, पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया है । एक विवरण संलग्न है जिसमें विचाराधीन वर्षों के संबंध में शिक्षा, चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य, श्रम और नियोजन, परिवार कल्याण और आवासन के शीर्षों के अंतर्गत राजस्व खाते में सरकार के द्वारा किया गया खर्च दिखाया गया है । इन वर्षों के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत किए गए पूंजी व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

विनिर्दिष्ट मदों पर (1951-52 से 1976-77) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किया गया खर्च

	(करोड़ रुपए)
(क) राजस्व खाता :	
शिक्षा	15,156
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5,799
श्रम और नियोजन	674
परिवार कल्याण*	326
आवासन*	182
जोड़	22,137
(ख) पूंजी खाता :	
शिक्षा*	54
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य**	472
परिवार कल्याण*	9
आवासन	146
जोड़	681

*ये आंकड़े केवल 1974-75 से 1976-77 तक के वर्षों में किए गए खर्च से संबंधित हैं । इन मदों के संबंध में पहले के वर्षों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

**ये आंकड़े 1960-61 से 1976-77 तक के वर्षों के हैं । इस मद के संबंध में पहले के वर्षों के संबंध में पूंजी खाते के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत को जापान का परियोजना ऋण

8636 **श्री निर्मल चन्द्र जैन :**

श्री राम सेवक हजारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के लिए भारत को जापान के परियोजना ऋणों से संबंधित नोटों के विनिमय का ब्यौरा क्या है और क्या वर्ष 1978-79 के लिए भी ऐसे परियोजना ऋण देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या जापान औद्योगिक विकास सहायता की तुलना में 'मूल मानव आवश्यकताओं' के लिए सहायक पर अधिक बल दे रहा है और "मूल मानव आवश्यकताओं के लिए भारत को कितनी सहायता मिल रही है अथवा निकट भविष्य में मिलने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) 1977-78 में भारत को दिए गए जापानी परियोजना ऋणों के संबंध में जिन पत्रों का आदान-प्रदान किया गया था उन पर दिल्ली में 22 मार्च 1978 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये 9 अरब 70 करोड़ येन (34.64 करोड़ रुपए) की कुल राशि के संबंध में हैं जिसका उपयोग आन्ध्र प्रदेश स्थित नागार्जुनसागर पम्पड स्टोरेज परियोजना की (8 अरब 40 करोड़ येन--30 करोड़ रुपए) तथा महाराष्ट्र स्थित पेथान हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना (1 अरब 30 करोड़ येन--4.64 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा सम्बन्धों आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। जहां तक 1978-79 के लिए भारत को जापान से मिलने वाले परियोजना ऋणों का संबंध है, ऐसे परियोजना ऋणों के संबंध में दाता सरकारों के समक्ष भारत सहायता संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष बातचीत कर लिए जाने के पश्चात्, जब आने वाले वर्ष के लिए प्रत्येक दाता सरकार द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता के स्तर के संबंध में बताया जाता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं। चूंकि इस वर्ष के लिए भारत सहायता संघ की वार्ता जून, 1978 के प्रथम सप्ताह में होनी निश्चित हुई है इसलिए जापान से 1978-79 के लिए मिलने वाले परियोजना ऋणों के संबंध में प्रस्ताव उसके पश्चात् ही तैयार किए जाएंगे।

(ग) भारत को मिलने वाली जापानी परियोजना सहायता सामान्यतः परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। निर्धारित परियोजनाओं के लिए उपस्करों आदि का आयात जापान अथवा विकासोन्मुख देशों के उस समूह से किया जाएगा जिसका उल्लेख जापानी सरकार के द्वारा किया गया हो। ये परियोजनाएं जिनका उद्देश्य "बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं" में सुधार करना होता है, ज्यादातर ग्रामीण विकास, कृषि आदि के क्षेत्रों में होती है जिन पर अधिकतर स्थानीय लागत खर्च करना होता है। अतः ऐसी परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता का क्षेत्र सीमित है, हालांकि जापानी सहायता की रकम का उपयोग उर्वरक परियोजनाओं जैसी (उदाहरण के लिए, भटिण्डा और पानीपत उर्वरक परियोजनाएं जिनके लिए भारत को जापानी सहायता उपलब्ध की गई थी) जिनसे कृषि उत्पादकता का स्तर बढ़ा कर "बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं" भी पूरी की जाती हैं, परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

जापान के साथ पारस्परिक व्यापारिक करार

8627. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान के साथ पारस्परिक करार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : भारत तथा जापान के बीच काफी पहले अर्थात 4-2-1958 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। आर्थिक सहयोग तथा व्यापार विस्तार के क्षेत्रों का पता लगाने के विचार से, सरकारी तौर पर, दोनों देश के बीच जून, 1978 में व्यापार का पुनरीक्षण किये जाने की प्रस्थापना है ।

बैंक आफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन की खयानत

8628. **डा बापू कालदाते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित मैसर्स नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी के साथ सांठ-गांठ करके बैंक आफ महाराष्ट्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक धन की खयानत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंक अधिकारियों की इन गतिविधियों की जांच की है;

(ग) क्या बैंक को कोई हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) : बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि वह मैसर्स नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी, दिल्ली को दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में जांच कर रहा है। आशा है जांच के निष्कर्षों के आधार पर बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा।

(ग) और (घ) : बैंक ने ऋणों की वापसी की मांग की है और अपनी प्राप्य राशि का अधिकांश भाग वसूल कर लिया है। यदि कोई हानि हुई है तो उसकी राशि का पता चलेगा जबकि वसूली के लिए शुरू की गई सभी कार्रवाइयां पूरी हो जायेंगी।

कारपोरेशन बैंक आफ कर्नाटक का निरीक्षण

8629. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री मनोहर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारपोरेशन आफ कर्नाटक के निरीक्षण के दौरान बहुत सी अनियमितताओं का पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और बैंक के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, मंगलोर की 30-6-1975 की स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण से पता चलता है कि जमाकर्ताओं के दावे जब भी देय हों बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि देने की स्थिति में है। रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के, जो एक गोपनीय दस्तावेज है, निष्कर्षों को ध्यान में रखकर यह सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है।

शत्रु-सम्पत्तियों के अनुग्रह पूर्वक मुआवजा

8630. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या शत्रु-सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के लिए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों से प्राप्त आवेदन-पत्र पर कार्यवाही को तेज किया गया है,

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित व्यक्तियों सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या हैं,

(1) जिन्हें मुआवजा दिया गया;

(2) जिनके आवेदन-पत्र, स्वीकृत हुए;

और

(3) जिनके आवेदन पत्र विचाराधीन ।

(ग) क्या एक लाख रुपए से कम की सम्पत्ति के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों की आवेदन पत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अब तक कितने व्यक्तियों को मुआवजा मिल चुका है;

(ङ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये उन व्यक्तियों की नवीनतम संख्या कितनी है जिन्हें अपनी सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजा मिल चुका है; और

(च) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को 31 मार्च, 1978 तक कुल कितनी राशि का मुआवजा दिया जा चुका है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। उन भारतीय राष्ट्रिकों/कंपनियों आदि के अनुग्रही अनुदान के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है जिन की परिसंपत्तियां पाकिस्तान में सितम्बर, 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान तथा बाद में पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी।

(ख) 31-3-1978 को आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) उन आवेदन पत्रों की संख्या जिनके संबंध में अनुग्रही अनुदान मंजूर किये गये हैं :	2,792
(2) उन आवेदन पत्रों की संख्या जो ना मंजूर किये गये हैं	21,522
(3) उन आवेदन पत्रों की संख्या जो विचार के लिए लंबित हैं	32,920

(ग) तथा (घ) जी.हां ।

दावों के उन 2,792 आवेदन पत्रों में से, जिनके लिए अनुग्रह अनुदान मंजूर किया गया है, 1,992 आवेदन पत्र 1 लाख रुपये तथा उससे कम के दावों से संबंधित हैं।

(ङ) भूतपूर्व पाकिस्तान में संपत्तियों से संबंधित दावों के 2070 मामलों में अनुग्रही अनुदान दिया गया है ।

(च) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के दावेदारों को भुगतान की गयी अनुग्रही अनुदान की कुल राशि 18.46 करोड़ रुपये है।

भारत में कार्य कर रही निर्यात फ़र्मों की संख्या

8631. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 17 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3414 के उत्तर में बताए गए मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों की कुल संख्या में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में और 1 जनवरी, 1978 को परम्परागत अथवा गैर-चुनीदा सूची वस्तुओं के निर्यात के आधार पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों की संख्या क्या थी;

(ख) नगद मुआवजा समर्थन योजना के परिवर्तन के प्रथम वर्ष के दौरान और गत वर्ष के दौरान नगद निर्यात राज सहायता प्राप्त करने वाली और भारत से सिलेसिलाए कपड़ों का निर्यात करने वाली फर्मों की कुल संख्या क्या थी; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में (1956) भारत में निर्यात का काम करने वाली फर्मों की अनुमानतः कुल संख्या कितनी थी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जो जानकारी उपलब्ध है, वह एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग) : सरकार के पास इस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रत्नों और जेवरात के निर्यात में वृद्धि करने के उपाय

8632. **श्री राम किशन** :

श्री राम कंवर बेरवा : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुमूल्य पत्थरों, मोतियों और कृत्रिम पत्थरों के भारतीय निर्यातकर्ता भारी आयात शुल्क और सोने के अधिक भारतीय मूल्य के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करना कठिन बातें हैं, और

(ख) रत्नों और जेवरात का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जिन कारणों से परिष्कृत पत्थरों आदि के निर्यातों की वृद्धि में रुकावट पैदा होती उनका सतत रूप से पुनरीक्षण किया जाता रहता है ताकि ऐसी कार्यवाही की जा सके जो आवश्यक समझी जाये ।

(ख) रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में से कुछ निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) अपरिष्कृत हीरों तथा अर्द्ध अपरिष्कृत पत्थरों को आयात शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।

(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत अपरिष्कृत हीरों के आयातों का आंशिक मार्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।

(3) अपरिष्कृत हीरों के आयात तथा उनकी बिक्री के लिए हिन्दुस्तान डाइमंड कम्पनी नाम से एक नई कम्पनी स्थापित की गई है जिसमें भारत सरकार की 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी होगी ।

नई दिल्ली से कलकत्ता होते हुए भुवनेश्वर तक सीधी उड़ान

8633. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में विमान संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिये सितम्बर, 1977 में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) सरकार ने कलकत्ता होते हुये नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक सीधी उड़ान आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या कलकत्ता-टाटानगर-राउरकेला-झरसुगुडा-रायपुर होते हुये भिलाई तक उस क्षेत्र के लोगों को उत्तम संचार सुवधायें उपलब्ध कराने के लिये कोई उड़ान आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) भुवनेश्वर विमान क्षेत्र पर पुनः फर्श बिछाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा इसके मार्च, 1979 तक पूरा हो जाने की आशा है । इंडियन एयरलाइंस पुनः फर्श बिछाने का कार्य पूरा होते ही भुवनेश्वर के लिए एक विमान सेवा चालू करने पर विचार करेगी ।

(घ) जी, नहीं ।

खाद्य तेलों में कमी

8634. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दशक के अन्त तक खाद्य तेल के उत्पादन में 17.56 लाख टन की कमी रहने का अनुमान है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कमी पूरी करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) देश में अगले दशक के अन्त तक खाद्य तेलों की आपूर्ति तथा माँग के बीच के संभावित अन्तर के अनुमान वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा अभी तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित उपाय करने का विचार है :—

(1) आयात।

(2) तिलहनों की अधिक पैदावार देने वाली अल्पावधि किस्मों की खेती करके उत्पादकता बढ़ाना और सिंचित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर उत्पादन भी बढ़ाना, जिसके लिए प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों के अन्तर्गत उपलब्ध संभाव्यताओं का उपयोग किया जाना है।

(3) सूर्यमुखी तथा सोयाबीन जैसे नये तिलहनों और संभवतः ताड़ के तेल के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना।

(4) समर्थन मूल्य निर्धारित करना और उन मूल्यों पर उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करना।

(5) प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और खली, धान की भूसी, बिनौलों तथा वन व वृक्ष मूलक अन्य अपरम्परागत तेलों की संभाव्यता का पूरा लाभ उठाना।

Payment of Income-tax by 45 big firms

8635. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the English "Patriot" dated 22nd March, 1978 under the caption "45 big firms double profit in four years" and if so, the names of those firms and the amount of income-tax paid by them; and

(b) the immediate action taken to ensure that small and rural industries are given encouragement and if action has not been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) The information will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(b) The following provisions have been introduced in the Income-tax Act, 1961 to provide encouragement to rural and small scale industries : *SECTION 80HHA* : This Section was introduced in the Income-tax Act by Finance (No. 2) Act of 1977. Under the provisions of this Section, all categories of taxpayers will be entitled to a deduction equal to 20% of the profits derived by new small scale industrial undertakings set up in any rural area for ten assessment years, provided that they start producing articles after 30-9-1977 and fulfil certain conditions laid down in the Act. The industrial undertaking will be regarded as a small scale industrial undertaking if the aggregate value of the machnery and plant installed as on the last date of the relevant year does not exceed Rs. 10 lakhs.

SECTION 32A(2)(b) : This provision allows deduction of 25% by way of investment allowance in respect of new machinery and plant employed in a small scale industrial undertaking in the year of installation. For the purposes of this section, an industrial undertaking will be regarded as a small industrial undertaking if the aggregate value of the machinery and plant installed on the last date of the relevant year does not exceed Rs. 10 lakhs. This was introduced from 1st April, 1976.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज की दरों में असमानता

8637. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघर की ब्याज की दरों में इस समय कई असमानतायें हैं;

(ख) ब्याज की दरों में असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा डाकखानों में बचत खाते तथा तुलनीय सावधिक जमा खातों पर ब्याज की चालू दरें निम्न प्रकार से हैं :—

जमाओं के वर्ग	ब्याज की दर (प्रतिशत)	
	राष्ट्रीयकृत बैंक	डाकखाना
बचत जमाएं	4½	5
सावधिक जमाएं :		
एक वर्ष	6	7½
दो वर्ष		7½
तीन वर्ष		8
पाँच वर्ष	7½	10

डाकखानों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दरों में अन्तर रखा जाता है जैसे—डाकखाने की जमाओं में मुख्यतः छोटे जमाकर्त्ताओं के खाते होते हैं, जमाकर्त्ताओं को चैक सुविधा प्रदान नहीं की जाती, ब्याज तिमाही दिया जाता है जबकि डाकखाने में ब्याज वार्षिक आधार पर दिया जाता है और बैंक में सावधिक जमाओं वाले जमाकर्ता अपने जमाराशि के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं जबकि डाकखाने में ऐसे खाते रखने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जाती ।

मैसर्स एशियन केबल्स, बम्बई द्वारा लाइसेंस का दुरुपयोग

8638. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**

श्री मनोहर लाल :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री मैसर्स एशियन केबल्स, बम्बई द्वारा लाइसेंस के दुरुपयोग के बारे में 3 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार इस निष्कर्ष पर क्या कार्यवाही करने का है कि मैसर्स एशियन केबल्स, बम्बई ने आयातित मोल्डिंग पोलिथिलीन पाउडर का अवैध रूप से दुरुपयोग किया।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मामले पर पुनर्विचार किया गया था और विधि मंत्रालय की इस सलाह के अनुसार कि रेकार्ड में दिये गये प्रमाण के आधार पर शायद सफलतापूर्वक अभियोग चलाना संभव न हो, इस मामले को समाप्त मान लिया गया है ।

Payment of Income Tax and Central Sales Tax by M/s. Singer Sewing Machine Company

8639. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Central Sales Tax and Income Tax paid by M/s. Singer Sewing Machine Company during the period from 1972 to end of 1977, year-wise and the amount thereof outstanding;

(b) whether it is a fact that this company takes additional amount over and above the prescribed price of the machines from its sale agents which is not entered in any account; and

(c) whether Government propose to enquire into the facts that the price per machine is Rs. 1725/- at present whereas it gets money from the bank indicating the price of the machine as Rs. 2775 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Levy of tax on sales and purchases of goods taking place inside a State is a State subject of taxation under Entry 54 in List II of the Seventh Schedule of the Constitution. The administration of Central Sales Tax levied on inter-State trade under the Central Sales Tax Act, 1956 has also been entrusted by law to the State Governments who collect and retain the proceeds of Central Sales Tax. So the requisite information relating to Central Sales Tax is not available with the Central Government.

The amount of Income-Tax (including interest under section 139(8) of the Income-tax Act amounting to Rs. 4706 and Rs. 41,450 respectively for 1974-75 and 1975-76 and interest of Rs. 20,275/- under section 216 of the Income-tax Act for the year 1974-75) paid by the company during 1972-73 to 1977-78 is as under :—

	Amount paid (in Rs.)
1972-73	22,93,160
1973-74	9,74,243
1974-75	23,92,254
1975-76	48,26,550
1976-77	58,52,708
1977-78	1,20,87,730

No. income-tax was outstanding in this case as on 31-3-1978.

(b) This Ministry has, at present, no information.

(c) The matter is being looked into.

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुआ लाभ और हानि

8640. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पाँच वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल कितना लाभ और हानि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतिम रूप से तैयार किये गये पिछले पाँच वर्षों के लेखे उपलब्ध हैं और उनका प्रकाशित शुद्ध लाभ नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)
1972	1543.83
1973	1847.03
1974	2298.58
1975	2325.51
1976	2732.11

किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देने की सरकार के विचाराधीन योजना

8641. **चौधरी बलवीर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को आसान शर्तों और नाममात्र की ब्याज दर पर ऋण देने की कौनसी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) कृषकों की शर्तों तथा निबन्धनों और ब्याज की दरों में दी गई विभिन्न प्रकार की छूट इस प्रकार हैं :—

(1) वापसी की अवधि

मध्य अवधि के ऋणों की सामान्य अवधि 3 वर्ष है जो उन मामलों में 5 वर्षों तक बढ़ा दी जाती है जिनमें ऋण लेने वाले कृषक की वापसी की क्षमता कम है।

(2) मार्जिन

छोटे/सीमांतिक कृषकों और भूमिहीन मजदूरों के लिए कोई मार्जिन निर्धारित नहीं है।

(3) प्रतिभूति

ऋणकर्त्ता की ऋण से केवल इसलिए वंचित नहीं रखा जाता कि वह भूमि अथवा प्रतिभूति देने की स्थिति में नहीं है । इन मामलों में निजी प्रतिभूति और/अथवा ऋण की सहायता से अधिग्रहीत सम्पत्तियों को ऋण के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा, भूमिहीन मजदूर को कृषि भूमि प्राप्त कर सकने के लिए "सामूहिक गारण्टी" भी पर्याप्त मानी जाती है।

(4) ब्याज की दर

22 जुलाई, 1974 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मध्यावधि ऋण दर विषयक निदेश में व्यवस्था है कि बैंकों द्वारा मध्यवधि ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत हो। यह दर 50,000 रुपये तक के कृषि तत्संबंधी कृषि कार्यकलाप सहित के लिये प्रत्यक्ष ऋणों के ऋणकर्ता के उस मामले पर लागू नहीं होती जिनमें भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटी दी गई है और वह विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत इन प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये ऋणों पर भी लागू नहीं होती। इसके अलावा, प्राथमिक कृषिक ऋण समितियों और कृषक सेवा समितियों के माध्यम से कृषकों को दिये गये ऋण और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त पोषित ऋण भी देने की उक्त न्यूनतम दर के निदेशों से मुक्त हैं। दिसम्बर, 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि निम्नलिखित दर से ब्याज लें :

(क) छोटे सिंचाई कार्यों और भूमि विकास के लिए मंजूर किये गये 3 वर्षों से अन्यून अवधि में परिपक्व होने वाले सावधि ऋणों पर $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक;

(ख) मुर्गीपालन, डेरी, मछली पालन आदि जैसे प्रयोजनों के विविधीकरण के लिए कृषकों को मंजूर किये गये 3 वर्ष से अन्यून अवधि में परिपक्व होने वाले ऋणों पर 11 प्रतिशत से अनधिक;

(ग) छोटे किसानों को मंजूर किये गये 2500 रुपये तक के सब प्रकार के ऋणों पर 11 प्रतिशत से अनधिक। इन ऋणों पर उनकी राशि का 50 प्रतिशत तक, भारतीय रिजर्व बैंक से, बैंक दर पर अर्थात 9 प्रतिशत पर पुनर्वित्त मिल सकेगा।

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बैंक पात्र ऋणकर्त्ताओं को 4 प्रतिशत की न्यून ब्याज दर पर ऋण मंजूर करते हैं।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिये गये ऋणों की बकाया राशि की जून, 1976 और जून, 1977 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	जून, 1976			
	प्रत्यक्ष ऋण		अप्रत्यक्ष ऋण	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
स्टेट बक समूह .	1133934	256.57	155672	89.62
14 राष्ट्रीयकृत बैंक .	1930018	469.76	216482	187.99
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	396432	63.99	10586	23.85
जोड़	3460384	790.32	382740	301.46
	जून 1977			
स्टेट बैंक समूह .	1682213	380.33	247198	116.28
14 राष्ट्रीयकृत बैंक .	2303797	570.37	313051	208.10
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	477160	60.40	30830	25.35
जोड़	4463170	1031.10	591079	349.73

Number of Books in the Library in the Ministry

8642. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total number of books in the Library in his Ministry/Department language-wise;

(b) the amount spent on the purchase of English and Hindi books, separately for the Library during the last two years;

(c) the names of newspapers, magazines etc. purchased for this Library at present and the names of Hindi newspapers and magazines among them; and

(d) whether any scheme has been formulated to increase the number of Hindi books and newspapers, magazines etc. in the Library and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) to (d) There is only one Library in the Department of Civil Supplies and Cooperation. There is no Library in the Department of Commerce but the officers of that Department are served by the "Industry and Commerce Library" which is under the administrative control of the Department of Industrial Development. The

information in so far as the Library of Department of Civil Supplies and Cooperation is concerned, is given in the attached Statement.

Statement

The information in regard to the Library of the Department of Civil Supplies and Cooperation is as under :—

(a) There are 3,407 books in the Library as under :

Assamese	3
Bengali	3
English	2304
Gujarati	3
Hindi	1072
Kannada	3
Marathi	2
Malayalam	3
Oriya	3
Panjabi	3
Tamil	3
Telugu	3
Urdu	2
TOTAL	3,407

(b) The amounts spent on the purchase of English and Hindi books during the last two years are as under :—

	English	Hindi
	Rs.	Rs.
1976-77	9,973.14	1,304.60
1977-78	29,154.18	5,954.10

(c) The following newspapers and magazines are being purchased for the Library at present :

Newspapers

English

1. Economic Times
2. Financial Express
3. Hindi
4. Hindustan Times
5. Indian Express
6. National Herald
7. Patriot
8. Searchlight
9. Statesman
10. Times of India
11. Tribune

Hindi

12. Nav Bharat
13. Hindustan
14. Vir Arjun

Urdu

15. Milap
16. Pratap

Magazines

English

1. Caravan
2. Commerce
3. Consumers Affairs Bulletin
4. Crocer Budget & Grocery Management
5. Consumers Friend
6. Current
7. Eastern Economist
8. Economic Political Weekly
9. The Economist
10. Employment News
11. Eve's Weekly
12. Femina
13. Filmfare
14. Illustrated Weekly
15. Indian Economic Diary
16. Imprint
17. Journal of Industry & Trade
18. Keemat
19. Link
20. Management in Government
21. Newsweek
22. Oil World
23. Psychologist
24. Public Ledger
25. Readers Digest
26. Retailer
27. Review of International Cooperation
28. Seminar
29. Sportsweek
30. Sunday
31. Time
32. Vidura
33. Yojana
34. Youth Times

Hindi

35. Ajkal
36. Blitz
37. Champak
38. Dharmyug
39. Dinman
40. Kadambini
41. Kalyan
42. Madhuri
43. Manorama

44. Mukta
45. Nandan
46. Navneet
47. Niharika
48. Ramni
49. Rojgar Samachar
50. Saptahik Hindustan
51. Sarika
52. Sarita
53. Sushma
54. Udyog Vyapar Patrika
55. Yojna
56. Grihani aur Grihasthi

(d) It is not necessary to formulate a scheme to increase the number of Hindi books and newspapers, magazines etc. in the Library. Adequate number of Hindi books, newspapers and magazines are purchased from time to time.

Publications, Newspapers and Magazines in Hindi

8643. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the publications and newspapers and magazines brought out by the Ministry/Department in 1977;

(b) the number of the publications, newspapers and magazines, out of them, brought out in Hindi also and the reasons for not publishing in Hindi the remaining ones;

(c) whether it is proposed to bring out all such publications and newspapers and magazines in Hindi which are still being brought out in English; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (d) The following four Publications/Magazines were brought out by the Secretariat of the Ministry of Finance in 1977 :—

1. Lok Udyog
2. Economic Survey
3. Economic and Functional Classifications
4. Indian Insurance Year Book, 1973.

All these Publications/Magazines, excepting Lok Udyog, were brought out in English as well as in Hindi. Lok Udyog is a Professional and Technical Journal pertaining to Central Govt. Public Enterprises and the question of bringing out this Journal in Hindi also is under consideration.

Implementation of Official Languages Act, 1963 in the Ministry of Finance

8644. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the provisions of section 3(3) of the rules formulated under the Official Languages Act, 1963 are being fully implemented in this Ministry;

(b) if so, the total number of general orders, circulars, notices, tenders, permits, etc. issued during the last six months of 1977 and the number of those among them which were issued in Hindi alongwith Euglish; and

(c) whether the provisions of the said section are not being fully implemented and if so, the reasons therefor and the steps taken by Government for their implementation ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) Presumably the Hon'ble Member wants information regarding implementation of Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963. The provisions of the Official Languaged Act, 1963 are, by and large, being complied with in the Secretariat of the Ministry of Finance, and out of 3352 general orders, circulars, notices, tenders, permits, etc., issued during the last six months of 1977, 2979 were issued either in Hindi or both in English and Hindi. Efforts are continuously made to ensure compliance with the provisions of the Act.

Hindi knowing employees in the Ministry of Finance

8645. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of sections in the Ministry/Department at present and the number of sections, out of them in which there are more than 80 per cent Hindi knowing employees;

(b) the number of the sections in which noting and drafting is done in Hindi at present and the reasons for not doing so in the remaining sections; and

(c) whether all sections have been given clear orders for doing noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (c) Out of a total number of 268 sections in the Ministry of Finance, in 217 sections there are more than 80% Hindi knowing employees. At present noting and drafting in Hindi is done in 45 sections. The provisions of the Official Languages Act, 1963 and administrative instructions issued thereunder leave the option to an employee to work either in Hindi or in English, according to his choice. The employees are, however, encouraged to use Hindi in their official work.

विश्व पर्यटक यातायात में भारत का अंश

8646. **श्री जनार्दन पुजारी**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व पर्यटक यातायात में भारत का अंश अभी तक एक प्रतिशत से भी कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कोशिक) : (क) : जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग अपने विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से भारत का प्रमुख पर्यटक प्रजनक मार्किटों में "हॉलिडे डेस्टीनेशन" के रूप में प्रचार करता है। पर्यटन महत्व के स्थानों का व्यापक प्रचार फोल्डरों, पोस्टरो जैसे पर्यटक प्रचार साहित्य के वितरण तथा डाक्यूमेंट्री फिल्मों के दर्शन द्वारा, प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों, यात्रा व्यवसाय सम्मेलनों आदि में भाग लेकर, यात्रा एजेंटों तथा यात्रा लेखकों/प्रचारकों द्वारा, रेडियो/दूरदर्शन दलों को भारत आने का निमंत्रण देकर, जो कि वापसी पर इस देश के पर्यटन आकर्षणों का प्रचार करेंगे, किया जाता है। पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए अपनाए जाने वाली नीति पर्यटक यातायात के विकेन्द्रण को भी सुनिश्चित करेंगे जिसके पर्यटक मार्ग सूचियों में, जहाँ तक संभव हो, अधिक से अधिक पर्यटन केन्द्र सम्मिलित हो सकें।

पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए होटल आवास में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसे उद्योगपतियों को जो होटल बनाने में दिलचस्पी रखते हैं कर एवं वित्तीय राहत, आर्थिक सहायता, विदेशी मुद्रा के विमोचन भवन निर्माण सामग्री, टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन इत्यादि के प्राथमिकता के आधार पर आवंटन आदि के रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पेश किये गये "भारत दर्शन" किरायों तथा भारतीय रेल द्वारा दिये गये "इन्डरेल" पासों ने भी भारत के लिए और बड़े परिमाण में पर्यटक यातायात को आकृष्ट किया है।

नई दिल्ली में एक 1250 शय्याओं वाला जनता होटल बनाया जा रहा है जिससे अन्तर्देशीय पर्यटकों के अलावा अनिवासी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये भी आवास व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक मार्किट को एक व्यापक आधार प्राप्त होगा। जनता होटल का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा।

अपने पर्यटक गाड़ियों के बेड़े में वृद्धि/सुधार करने के लिये पर्यटक परिवहन परिचालकों को आसान शर्तों पर ऋण भी दिए जाते हैं।

तिलहनों की कमी के कारण तेल पेरने वाली मिलों का बन्द रहना

8647. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

श्री राज केशर सिंह :

क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अप्रैल, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "15 सिटी आयल क्रशिंग मिल्स आइडल फार वाँट आफ आयलसीड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिय, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस समय तिलहनों की कोई कमी नहीं हैं, और इसलिये इस बारे में कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा, तिलहनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिए मिल मालिक अपनी आवश्यकता निकटवर्ती उत्पादक राज्यों से पूरा कर सकते हैं।

कुछ राज्यों उपक्रमों द्वारा फिजूलखर्ची की शिकायतों के बारे में सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जांच

8648. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1978 के "इंडिया टुडे" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो को कुछ राज्य उपक्रमों द्वारा फिजूलखर्ची की शिकायतों के बारे में जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

(ख) यदि हां तो किन-किन उद्यमों की जांच-पड़ताल की जा रही है उनके विरुद्ध संक्षेप में क्या आरोप है ; और

(ग) इस प्रकार की प्रथाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उपक्रमों विषयक संसदीय समिति के सुझाव के अनुसार सरकारी उद्यम कार्यालय ने विभिन्न सरकारी उद्यमों को पत्र लिखे थे कि वे उपक्रमों के कार्यचालन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना, सरकारी उपक्रमों विषयक संसदीय समिति द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के उत्तर के रूप में भेज दें। सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी उद्यमों से जो सूचना प्राप्त की थी, उसे सरकारी उपक्रमों विषयक संसदीय समिति को भेज दिया था। संसदीय समिति ने प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के बारे में रिपोर्टें लोक सभा में प्रस्तुत कर दी हैं। पहली रिपोर्ट 3-4-78 को पेश की गई है।

(ग) सरकारी उपक्रमों विषयक संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर सरकार तेजी से विचार कर रही है।

प्रथम 45 औद्योगिक गृहों पर आयकर की बकाया राशि

8649. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पहले 45 औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन पर इस समय आयकर की बकाया राशि है और प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है ;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक गृह पर आय-कर की बकाया राशि से सम्बन्धित कितने मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं और ये मुकदमे कब से चल रहे हैं ?

(ग) क्या इन 45 औद्योगिक गृहों से बकाया आयकर वसूल करने के लिये कानून में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) आयकर बकाया सम्बन्धी मुकदमों का तेजी से निपटान किस प्रकार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफिकारउल्ला) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न राज्यों में काम कर रही उचित दर की दुकानें

8650. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय कितनी उचित दर की दुकाने काम कर रही हैं ;

(ख) उक्त दुकानों द्वारा किन-किन वस्तुओं की विक्री की जाती है

(ग) क्या उक्त दुकानों के माध्यम से कुछ और वस्तुओं की बिक्री करने का प्रस्ताव है; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में वर्ष-वार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी उचित दर की दुकाने खोलने और कितने ग्रामों को इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) प्रत्येक राज्य में इस समय कार्य कर रही उचित दर/राशन की दुकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) कुछ राज्यों में उचित दर की दुकानें गेहूं, चावल, लेवी वाली चीनी का वितरण करने के अलावा रेपसीड तेल का वितरण भी कर रही हैं। मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिये अलग से लाइसेंसशुदा दुकानें/एजेन्सियां हैं, जो इन वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग के रूप में करती है।

(ग) एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

(घ) हिमाचल प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी को पहले ही वर्तमान 2960 उचित दर की दुकानों के अंतर्गत ला दिया गया है। इनमें से 2355 दुकानें ग्रामीण इलाकों में है 1500 की जनसंख्या के लिए एक उचित दर की दुकान पहले ही उपलब्ध है। चूंकि उचित दर की दुकानों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी जाती है अतः इस समय नई उचित दर की दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

उचित मूल्य/राशन के दुकानों की संख्यातथा उनके अंन्तर्गत आने वाली जनसंख्या

(15-2-1978 को तैयार किया गया)

राज्य	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	अंतर्गत आने वाली जनसंख्या लाखों में	निम्नलिखित तारीखों को
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश . . .	20,839	435.0	31-1-78
असम	14,165	157.4	31-12-77
बिहार	25,983	604.2	31-1-78
गुजरात .	9,240	325.7	30-11-77
हरियाणा .	4,739	120.0	30-11-77
हिमाचल प्रदेश	2,689	39.2	31-10-77
जम्मू तथा कश्मीर	1,167	41.9	31-8-77
कर्नाटक .	15,004	293.0	31-12-77
केरल .	11,867	226.5	30-9-77
मध्य प्रदेश .	15,795	404.1	31-12-77
महाराष्ट्र .	28,145@	573.7@	30-9-77
मणीपुर .	483	13.5	31-10-77
मेघालय .	1,442	15.0	30-11-77
नागालैंड .	48	1.0	31-7-77
उड़ीसा .	10,684	199.3	31-12-77
पंजाब .	11,798	166.7	31-1-78
राजस्थान .	8,978	286.1	30-11-77
सिक्कम .	12	0.2	31-12-77
तामिलनाडु .	8,576	485.4	31-12-77
त्रिपुरा . .	654	18.0	31-12-77
उत्तर प्रदेश .	24,983	910.9	31-12-77
पश्चिम बंगाल .	17,735£	486.0£	31-12-77
जोड़ (राज्य) . . .	2,35,026	5,802.8	

(@) —इसमें 2046 राशन की दुकानें शामिल हैं, जिनके अतर्गत 79.0 लाख जनसंख्या आती है।

(£) इसमें 2714 राशन की दुकानें शामिल हैं, जिनके अन्तर्गत 95.1 लाख जनसंख्या आती है।

संघशासित क्षेत्र	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	अंतर्गन्त आने वाली जनसंख्या लाखों में	निम्नलिखित तारीखों को
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपों .	178	1.9	30-11-77
अरूणाचल प्रदेश .	110	1.5	31-12-77
चंडीगढ़	143	4.1	31-1-78
देहली .	2,258	53.9	31-1-78
दादर तथा नगर हवेली	26	0.8	31-1-78
गोआ, दमन तथाद्वीव .	393	10.5	31-12-77
लक्षदीप	21	0.4	31-12-77
मिजोरम	238	4.0	31-12-77
पांडिचेरी	176	5.6	31-1-78
जोड़-संघशासित क्षेत्र	3,543	82.7	
जोड़-अखिल भारत	2,38,569	5,885.5	

गांवों में अमीर व्यक्तियों पर कर लगाना

8651. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में गा ों में अमीर व्यक्तियों पर कर लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गांवों में अमीर व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए संसद में कब आवश्यक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : योजना आयोग और वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे कृषि क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक गहनता से विशेषतः ग्रामीण समुदाय के अधिक समृद्ध वर्गों के आर्थिक विकास के लिये अतिरिक्त संसाधनों को जुटाये। चूंकि कृषि आय पर कर लगाना राज्य का विषय है, इसलिये इस संबध में कार्यवाही राज्यों द्वारा की जानी है तथा इसके लिये केन्द्रीय विधान की आवश्यकता नहीं है।

लेखा कार्य को लेखापरीक्षा कार्य से अलग करना

8652. **श्री बालक राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1976 से लेखा कार्य को लेखा परीक्षा कार्य से अलग करने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के परिणाम-स्वरूप लेखा परीक्षा कार्यालयों के अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों से उन्हें

अलग किये गये लेखाकार्यालयों में स्थानान्तरित करने अथवा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के अधीन लेखा परीक्षा कार्यालय में रखने के बारे में उनसे विकल्प नहीं मांगा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में लेखा परीक्षा कार्यालयों के कर्मचारियों को कार्यालय-वार लेखा कार्यालयों में स्थानान्तरित करने के बारे में उनका विकल्प नहीं पूछा गया था, और

(ग) अलग किए गए लेखा कार्यालयों में पदोन्नति के मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन के अनुसार उक्त कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या वैकल्पिक कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एचएम० पटेल) : (क) और (ख) : लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत, राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों का स्थानान्तरण, सघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) अधि नियम, 1976 के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम की धारा 2 (2) के अन्तर्गत गठित सलाहकार समितियों के परामर्श पर किया गया था। इस अधिनियम में) लेखा पक्ष में कर्मचारियों को स्थानान्तरण के लिए, उनसे विकल्प लेने की परिकल्पना नहीं की गई थी परन्तु समितियों के, परामर्श से जिन कर्मचारियों को स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव था उन्हें स्थानान्तरण के प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी अनिच्छा प्रकट करने का अवसर दिया गया था। किन्तु उन मामलों में भी जहां स्थानान्तरण के लिए अनिच्छा प्रकट की गई थी सरकार के पास लोकहित में किसी भी कर्मचारी को स्थानान्तरित करने की शक्ति थी।

(ग) इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि प्रत्येक स्थानान्तरित अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसे पद पर, जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से कम लाभकर नहीं होगा, जिस पद को इस प्रकार के स्थानान्तरण की तारीख से तुरन्त पहले धारण किए हुए था और उसी हैसियत में (चाहे स्थायी हो या स्थानापन्न हो) जिसमें उसने पूर्वोक्त पद को धारण किया हुआ था, नियुक्ति किए जाने का हकदार होगा। कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन पूरी तरह से निभाये जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्थानान्तरण के पश्चात् उनकी सेवा शर्तें और पदोन्नति के अवसर, लेखाओं के विभागीकरण से पूर्व की सेवा शर्तों और पदोन्नति के अवसरों से कम लाभकर न हों। अब तक विभिन्न श्रेणियों में स्थानान्तरित कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियां, उनके मूलकार्यालयों में पदोन्नति के अवसरों की तुलना में अधिक अनुकूल रही है।

रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी समितियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर

8653. **श्री एस०डी० सोमसुन्दरम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक द्वारा अथवा उसके तत्वाधान के अन्तर्गत सहकारी समितियों, बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को कितनी ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है;

(ख) वर्ष 1960 और 1970 में सहकारी समितियों से कितना ब्याज लिया गया;

(ग) अब कितना ब्याज लिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज में कमी करने का है क्योंकि इसका भार छोटे किसानों पर पड़ता है।

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): (क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी समितियों को दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋणों पर 1960 और 1970 के दौरान और इस समय वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें नीचे लिखे अनुसार हैं :—

	1960 के दौरान	1970 के दौरान	चालू	
			फरवरी, 78 के अंत तक	मार्च 78 से प्रभावी
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. अल्पकालिक				
(1) मौसमी परिचालन के वित्त पोषण के लिये	2%	3%	7%	6%
(2) विपणन योग्य फसलों के लिये	2%	3%	12%	विचाराधीन
(3) रासायनिक खादों के वितरण के वित्त पोषण के लिए	कोई लिमिट स्वीकृत नहीं की गई	5%	12%	—तदेव
(4) बुनकरों की समितियों के लिये	2½%	3½%	7½%	6½%
(5) औद्योगिक सहकारिताओं के लिये	कोई लिमिट स्वीकृत नही की गई	3½%	7½%	6½%
2. मध्यकालिक ऋण				
(1) अनुमोदित कृषि प्रयोजन के लिए	नवम्बर, 60 तक 2 प्रतिशत इसके बाद इसे बढ़ाकर 2½ प्रतिशत कर दिया गया।	3½%	7½%	6½%
(2) आकस्मिक ऋणों के परिवर्तन के लिये	2½%	3½%	7½%	8½%
(3) सहकारी परिष्करण समितियों के शेयर खरीदने के लिये	4%	5%	9%	9%

(घ) विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियां अन्तिम ऋणकर्ताओं अर्थात् किसानों से अल्पकालिक कृषि ऋणों पर 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक और मध्यकालिक कृषि ऋणों पर 12 प्रतिशत से 15.25 प्रतिशत तक की दर से ब्याज वसूल कर रही है। 1 मार्च, 1978 से भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सहकारी बैंको को उपलब्ध होने वाली पुनर्वित्त सहायता पर 1 प्रतिशत तक ब्याज की दर में कमी करने के कारण और ब्याज कर के हटाये जाने के कारण तथा जमा राशियों में ब्याज की दरों में सामान्य कमी होने के कारण,

राज्य सहकारी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों में संशोधन करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तिम ऋणकर्ता (किसान) और विशेष रूप से छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम हो जाये। इस बारे में सूचना की प्रतीक्षा है। आशा की जाती है कि सहकारी समितियां किसानों को 11 या 12 प्रतिशत पर ऋण प्रदान कर सकेंगी।

जम्मू और काश्मीर में पर्यटन के विकास पर खर्च की गई राशि

8654. **श्री पी०राजगोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का कितना विकास हुआ; और

(ख) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विमानन ने गुलमर्ग में अपनी शीतकालीन क्रीड़ा परियोजना पर 32.40 लाख रुपये की राशि तथा जम्मू व कश्मीर में पर्यटन महत्व के स्थलों पर पर्यटन प्रचार सामग्री और गुलमर्ग में एक स्की हालिडे के प्रचार पर 1,52,508.40 रुपये खर्च किये ।

होटल विकास ऋण के अंतर्गत दिये गये ऋण

8655. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत 1977-78 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कोई ऋण दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो ये होटल किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में एक होटल परियोजना के लिये होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत 35.00 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया, जोकि अप्रैल, 1977 से पहले स्वीकृत की गयी राशि में से एक अन्य होटल परियोजना के लिये 4.00 लाख रुपये के ऋण की किश्त के वितरण के अलावा थी।

(ख) ये दोनों होटल हैदराबाद में स्थापित किये जा रहे हैं ।

Varieties of Edible Oils used in Vanaspati Industry

8656. Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the percentage and varieties of edible oils used in Vanaspati Industry;

(b) whether the policy adopted in this regard undergoes repeated changes or remains the same;

(c) whether any scheme has been formulated to make available vanaspati at low price and if so, the details thereof; and

(d) the percentage and varieties of imported oils used in vanaspati ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) and (d) The percentage of edible oils used now in the vanaspati industry are as under :

Name of Vegetable Oils		Limit of usage per cent by weight
Imported vegetable oils (Palmoil, Soyabean oil & rapeseed oil)		75
Indigenous	Cottonseed oil	15
	Minor oils like nigerseed oil, rice bran oil, kardiseed oil	5
	Refined sesame oil	5

(b) During the current oil year November 77—October 78, it is the policy to meet 75% of the total requirements of the industry by imported oils. Usage of 5% sesame oil is a must with a view to detecting any adulteration. Regarding the usage of other indigenous oils, the position is periodically reviewed and revisions made as necessary.

(c) A scheme of allocating 75 per cent imported oil coupled with a voluntary price restraint by the industry has been formulated to make available vanaspati at a stable price of Rs. 140 per tin of 16.5 kg. inclusive of the element of excise duty.

ग्राटोमोबाइल टायरों, ट्यूब तथा "फ्लैपों" का निर्यात

8657. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में तथा 1977-78 में ग्रप्रैल, से दिसम्बर तक कुल कितनी मात्रा से ग्राटोमोबाइल टायरों, ट्यूबों तथा "फ्लैपों" का निर्यात किया गया ग्रौर उससे कितनी विदेशी मुद्रा ग्रर्जित की गई; ग्रौर

(ख) ग्राटोमोबाइल टायर, ट्यूब एवं फ्लैप निर्माताग्रों ने निर्यात के संबंध में कितने कारण करार कर रखे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रारिफ बेग) : : (क) 1976-77 तथा ग्रप्रैल-दिसम्बर, 1977-78 के दौरान निर्यात किये गये ग्राटोमोबाइल टायरों, ट्यूबों तथा फ्लैपों की कुल मात्रा तथा ग्रर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	मात्रा (संख्या लाख में)	मूल्य (लाख रुपये)
1976-77		
टायर	5.1	1665.60
ट्यूब	4.3	148.50
फ्लैप .	4.0	72.20
1977-78		
(ग्रप्रैल-दिसम्बर) ग्रनु०		
टायर	उपलब्ध नहीं	1195.00
ट्यूब	उपलब्ध नहीं	105.00
फ्लैप	उपलब्ध नहीं	15.00

(ख) ग्राटोमोबाइल टायरों, ट्यूबों तथा फ्लैप उत्पादकों के लिये वर्ष, 1976-77 तथा 1977-78 के लिये क्रमश: 25.30 करोड़ रु० तथा 25.00 करोड़ रु० की निर्यात वचनबद्धता निश्चित की गई थी ।

पोरबन्दर हवाई अड्डे पर सुविधाएं

8658. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, पोरबन्दर ने 31 दिसम्बर, 1977 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें पोरबन्दर हवाई अड्डे पर लाउंज, कार पार्किंग, सार्वजनिक टैलीफोन बूथ. रेस्तरां, सैनिटरी, वाटर कूलर, फर्नीचर की सुविधायें देने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई और कब तथा अब तक कौन सी मांगें स्वीकार नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) शेष मांगें कब तक स्वीकार की जायेंगी; और

(घ) क्या पोरबन्दर चैम्बर आफ कॉमर्स इंडस्ट्री, पोरबन्दर ने अपनी मांगें 5 मार्च, 1977, 8 नवम्बर, 1977 और 16 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत की थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नये टर्मिनल भवन में एक कार पार्क सहित सभी आकुनिक सुविधाये प्रदान की जायेंगी, और इस पर 1978-79 के दौरान कार्य आरम्भ कर देने का प्रस्ताव है । इस बीच, तुरन्त प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिये, वर्तमान टर्मिनल भवन के साथ वाले हैंगर में एक अस्थायी उपाय के रूप में अतिरिक्त यात्री हैंडलिग क्षेत्रों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इस कार्य के जून 1978 तक शुरू हो जाने तथा 4 महीने के अन्दर-अन्दर पूरा हो जाने की आशा है। इस अस्थायी इमारत में नया फर्नीचर, वाटर कूलर, सैक्योरिटी बूथ, स्नेक बार, टायलट तथा एक पब्लिक कॉल आफिस मुहैया कराने का प्रस्ताव है । पुराने टर्मिनल भवन में बदल देने का भी प्रस्ताव है ।

(घ) पोरबन्दर चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पोरबन्दर अपनी मांगें समय-समय पर भेजता रहा था । पत्रों की आवती भेजी गयी थी तथा चैम्बर को की जानें वाली प्रस्तावित कार्यवाही से भी अवगत कराया गया था । कार्य अब तक शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि पांचवीं योजना में इस कार्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी ।

Impact of Devaluation of Rupee by Nepal on Trade with India

8659. Shri Ram Sewak Hazari : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government of Nepal has devalued its rupee;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the impact thereof on the trade with India.

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) On March 22, 1978 the Nepalese rupee was devalued vis-a-vis the Indian rupee by 4.3% from 139 Nepalese rupees to 145 Nepalese rupees per 100 Indian rupees.

(c) Indian exports to Nepal will now be costlier and Indian imports from Nepal will be cheaper to the extent of the devaluation. However, in view of the marginal devaluation undertaken and the general composition of Indo-Nepalese trade the devaluation is not expected to have any significant impact on the volume of this trade.

भारतीयों द्वारा विदेशों में पंजीकृत कंपनियां

8660. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीयों द्वारा कुल कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं तथा वहां कुल कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं ;

(ख) इन देशों में पूंजी निवेश हेतु देश के बाहर कितना धन भेजा गया है ;

(ग) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान इन कंपनियों से कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(घ) किन एकाधिकारी गृहों ने इन कम्पनियों में अपना धन लगाया है तथा ऐसे प्रत्येक गृह की इनमें कुल राशि कितनी लगी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय भारतीयों द्वारा विदेशों में स्थापित किये गये संयुक्त उद्यमों से है । अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (अनुबन्ध 1)

(ख) विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय पार्टियों द्वारा निवेश सामान्यतया संयंत्र तथा मशीनरी के निर्यात के रूप में और कतिपय मामलों में तकनीकी जानकारी की फीस के पूंजीकरण तथा भेजी गई नकद राशि के रूप में है । बिदेशों में उन संयुक्त उद्यमों में जो उत्पादन कर रहे हैं, अनुमानित भारतीय निवेश लगभग 23 करोड़ रुपये है ।

(ग) पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन संयुक्त उद्यमों से भेजी गई नकद राशियों के रूप में भारत में प्राप्त की गई राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	लाख रुपये में
1974-75	37.2
1975-76	166.5
1976-77	113.0

(घ) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (अनुबन्ध 2)

विवरण 1

(अनुबन्ध 1)

क्रमांक	देश का नाम	स्थापित किये गये संयुक्त उद्यमों की कुल संख्या
1.	अफगानिस्तान	1
2.	कनाडा	2
3.	फिजी	1
4.	फ्रांस	1
5.	हांग कांग	2

क्रमांक	देश का नाम	स्थापित किये गये संयुक्त उद्यमों की कुल संख्या क्रमांक
6.	इंडोनेशिया	7
7.	ईरान	2
8.	कीनिया	6
9.	मलयेशिया	25
10.	मारीशस	6
11.	नाइजीरिया	4
12.	ओमान	2
13.	फिलीपाइन्स	3
14.	सिंगापुर	4
15.	श्रीलंका	3
16.	थाईलैंड	5
17.	उगांडा	1
18.	यू०ए०ई०	4
19.	ब्रिटेन	4
20.	सं०रा०अमेरिका	5
21.	प० जर्मनी	1
	योग	89

विवरण 2

भारत के एकाधिकार प्राप्त घरानों द्वारा विदेशों में स्थापित किये गये संयुक्त उद्यम।

क्रमांक	भारतीय पार्टी का नाम	देश	भारतीय इक्विटी (हजार रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै० बिड़ला जूट मैन्यु० कं० लि० कलकत्ता	उगांडा	2807
2.	मै० बिड़ला ब्रदर्स प्रा०लि०, कलकत्ता	नाइजीरिया	1050
3.	मै० बिड़ला ब्रदर्स प्रा०लि०, कलकत्ता	,,	78
4.	मै० बिड़ला ब्रदर्स प्रा०लि०, कलकत्ता	ब्रिटेन	950
5.	मै० बिड़ला काटन स्पि० एंड वीविंग मिल्स लि० दिल्ली	मलयेशिया	8330
6.	मै० बेरार आयल इंडस्ट्रीज, बम्बई	मलयेशिया	3880
7.	मै० दि सेंच्युरी स्पि० एंड वीविंग कं० लि०, बम्बई	इंडोनेशिया	4437

1	2	3	4
8.	मै० भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली	इंडोनेशिया	6274
9.	मै० बिड़ला ब्रदर्स प्रा०लि०, कलकत्ता	थाईलैंड	1920
10.	मै० ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यू० वीविंग कं० लि० बम्बई	,,	10000
11.	मै० इस्टर्न स्पि० मिल्स लि०, कदमगाचची, पश्चिम बंगाल	फिलीपीन	2640
12.	मै० तुगं भद्रा इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	,,	4080
13.	मै० ओरिएण्ट पेपर मिल्स लि०, कलकत्ता	कीनिया	41288
14.	मै० कोरस (इंडिया) लि०, बम्बई	हांगकांग	270
15.	मै० जे०जी० ग्लास इंडस्ट्रीज लि०, पुणे	मलयेशिया	5640
16.	मै० जगतजीत काटन टैक्सटाइल्स मिल्स लि०, नई दिल्ली	थाईलैंड	7500
17.	मै० टाटा आयल मिल्स लि०, बम्बई	मलयेशिया	15936
18.	मै० टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं० लि०, बम्बई	मलयेशिया	4877
19.	मै० टाटा एक्सपोर्टस लि०, बम्बई	ओमान	800
20.	मै० टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं० लि०, बम्बई	सिंगापुर	1792
21.	मै० जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कलकत्ता	श्रीलंका	490
22.	मै० गोदरेज एंड बायस मैन्यु० कं० प्रा०लि०, बम्बई	मलयेशिया	2938
23.	मै० शाहीबाग एन्टरप्रोन्योर्स प्रा०लि०, अहमदाबाद	इंडोनेशिया	14300
24.	मै० शाहीबाग एन्टरप्रन्योर्स प्रा०लि०, अहमदाबाद	मारिशस	5969
25.	मै० कालिन्दी इन्वैस्टमेंट प्रा० लि०, अहमदाबाद	कीनिया	300
26.	मै० किलोस्कर आयल इंजिन्स लि०, पूना	फिलीपीन	1340
27.	मै० किलोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०, बंगलौर	मलयेशिया	3590
28.	मै० किलोस्कर आयल इंजिन्स लि०, पूना	प० जर्मनी	3800
29.	मै० रैमिन्ड वूलन मिल्स लि०, बम्बई	कीनिया	6615
30.	मै० रैमिन्ड वूलन मिल्स लि०, बम्बई	मारीशस	1320
31.	मै० रैमिन्ड वूलन मिल्स, लि०, बम्बई	इंडोनेशिया	972

दिल्ली में सरकारी होटलों में दुकानदारों की ओर बकाया राशियां

8661. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **पर्यटन और नागरिक विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी होटलों में दुकानदारों की ओर कुल कितनी राशियां बकाया हैं;

(ख) जिन फर्मों की ओर 50,000/- रुपये से अधिक बकाया राशियां हैं उनके नाम क्या हैं;

(ग) ये राशियां कब से बकाया हैं और उनकी बेदखली क्यों नहीं की गई है ?

(घ) ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी बेदखली नहीं की गई है और जो लाइसेंसधारी हैं "किरायेदार" नहीं ;

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत से मामलों में लाइसेंस की दर बढ़ाई नहीं गई है यद्यपि समझौते में उसका उपबन्ध है; और

(च) क्या यह सच है कि कुछ प्रवर अधिकारियों की उसमें सांठगांठ है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 31-3-1978 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दुकानों के लाइसेंसधारियों की ओर 8,82,791/- रुपये की कुल राशि बकाया थी।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :—

लाइसेंसधारी का नाम	बकाया राशि रुपये	संचित बकाया राशि
रिखा फ्लोरिस्ट–होटल जनपथ	1,88,128	मई, 1968 से
रबिना हेयर ड्रैसर्स–लोदी होटल	84,520	जून, 1972 से
लोदी वुडलैंड—लोदी होटल	1,83,184	दिसम्बर, 1976 से
नेचुरल हर्ब्स प्रा०लि०—अशोक होटल	1,27,118	सितम्बर, 1977 से

उपर्युक्त 4 लाइसेंसधारियों में से, रबिना हेयर ड्रैसर्स को बेदखल कर दिया गया है। होटल जनपथ स्थित रिखा फ्लोरिस्ट के मामले में बेदखली की कार्यवाही अदालत में अनिर्णीत पड़ी है। शेष दो लाइसेंसधारियों के मामले में, लाइसेंस करारों के अर्थ-निर्वचन के संबंध में विवाद उठ खड़ा हुआ है और दावा की गयी राशियों के संबंध में झगड़ा है। मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

5 लाख से अधिक राशि के गबन, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग के मामले

†8662. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों में 5 लाख रुपये से अधिक राशि का गबन, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974, 1975 तथा 1976 में 5 लाख से अधिक राशि के गबन, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग के मामलों की कुल राशि कितनी है;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके मामले जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा पुलिस को सौंपे गये;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा पुलिस ने कितने मामलों में अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं और सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(घ) गिरफ्तार किये गये लोगों के नाम क्या हैं;

(ङ) इन लोगों से कितनी राशि वसूल की गई; और

(च) ऐसे मामलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 1974, 1975 तथा 1976 में 5 लाख से अधिक राशि के गबन, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग के मामलों, जिन के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है, की राशि नीचे दी गई है:—

(रुपये लाखों में)

1974	17.24 लाख रुपये
1975	386.17 लाख रुपये
1976	497.75 लाख रुपये

यह आवश्यक नहीं है कि बैंकों को धोखाधड़ी की कुल राशि के बराबर हानि हो । हानि की सही राशि का पता वसूली कार्यवाइयों के पूरा होने पर चलेगा ।

(ख) से (ङ) जहां तक संभव होगा जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(च) सब बैंकों के पास अपनी पुस्तकें हैं, जिन में धोखाधड़ी से सतर्क रहने और बचने के लिए निर्देश दिये हुए हैं तथा उन का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता रहता है । धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में आन्तरिक संरक्षण की विफलताओं के संदर्भ में रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों को व्यापक निर्देश देता है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किये जायें । सरकार ने भी रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह हाल के धोखाधड़ी के मामलों का शीघ्र अध्ययन करे और उन के संदर्भ में धोखाधड़ी में बचने के लिये कारगर उपायों का सुझाव दे ।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर पाये गये कदाचार

8663. **श्री के० प्रधान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों में दिल्ली में उचित दर की दुकानों में कदाचार के, विशेषकर खरीदी गई वस्तुओं के भार में कम होने के अनेक मामले पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के बाट तथा माप प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों और दूसरी दुकानों में प्रयोग में लाये जाने वाले बाटों तथा मापकों की समय-समय पर जांच की जाती है और यदि कोई गड़बड़ी देखी जाती है तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भी लागू राजस्थान बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । पिछले तीन महीनों, अर्थात् जनवरी से मार्च, 1978 के दौरान लगभग 168 निरीक्षणों में से केवल 6 मामले ऐसे पाये गए, जिनमें उचित मूल्य की दुकानों में स्टाम्प रहित बाट तथा तराजू थे । ऐसे मामलों में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई । तथापि, कम माल देने का कोई मामला नहीं पकड़ा गया ।

उपभोक्ताओं की समस्याएं

8664. **श्री के० प्रधानी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये कोई संस्थागत संगठन बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) सरकार उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल के लिये संस्थागत संगठन के हक में है। सरकार इसके लिए उपभोक्ताओं को उनके अपने संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और इन संगठनों को कुछ वित्तीय सहायता भी दे रही है । सरकार इस बात के हक में भी है कि देश में उपभोक्ता आन्दोलन के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिये वर्तमान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन एक अपना राष्ट्रीय संघ बनाये। 27 जनवरी, 1978 को कुछ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्तावित राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के ढांचे और कार्यों का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक संचालन समिति गठित की गई है ।

तम्बाकू नीलामी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में 7 अप्रैल, 1978 को श्री प्रसन्दभाई मेहता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6028 के उत्तर में संशोधन करने के लिये वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ बेग द्वारा 20 अप्रैल, 1978 को लोकसभा पटल पर रखा जानेवाला विवरण।

7 अप्रैल, 1978 को आरांकित प्रश्न सं० 6028 के भाग (घ) के संबंध में दिये गये उत्तर के अंत में निम्नोक्त जोड़ दिया जाये :—

"सरकार ने अब राज्य व्यापार निगम से यह कहने का भी विनिश्चय किया है कि निगम का अपने लेखे पर तथा जोखिम पर, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, जितना तम्बाकू खरीदने का विचार है, उसके अतिरिक्त वह सरकारी लेखे पर 10,000 मी० टन तम्बाकू और खरीदे।"

राज्य व्यापार निगम द्वारा खिरीदी गई तम्बाकू की मात्रा के संबंध में 7 अप्रैल, 1978 को श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6161 के उत्तर में संशोधन के लिये वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ बेग द्वारा 28 अप्रैल, 1978 को लोकसभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

7 अप्रैल, 1978 को आतारांकित प्रश्न सं० 6161 के भाग (क) तथा (ख) के संबंध में दिये गये उत्तर के अंत में निम्नोक्त शामिल किया जाये :—

"सरकार ने अब राज्य व्यापार निगम से यह कहने का भी विनिश्चय किया है कि निगम का अपने लेखे पर तथा जोखिम पर, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, जितना तम्बाकू खरीदने का विचार है, उसके अतिरिक्त वह सरकारी लेखे पर 10,000 मी० टन तम्बाकू और खरीदें । सरकारी लेखे पर की जाने वाली खरीद की अधिप्राप्ति कीमत तम्बाकू की क्वालिटी, प्रचलित बाजार कीमतों तथा न्यूनतम निर्यात कीमतों पर निर्भर होगी।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) आणविक परीक्षण के बाद पोखरन में 1974 में दबाये गये विस्फोटक यन्त्र से खतरे का समाचार

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़): हिमालय में नन्दा देवी पर अति संवेदनशील आणविक उपकरण की स्थापना संबंधी तथा उस पर प्रधान मंत्री के उत्तर से उत्पन्न विवाद को लेकर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस एक किलो भार के उपकरण की तुलना में वर्ष 1974 में पोखरन में गाड़ा गया 7 किलो भार का प्लूटोनियम-239 कहीं अधिक खतरनाक है और उससे उत्पन्न आणविक प्रदूषण के बारे में वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को अधिक चिन्ता है। 18 अप्रैल 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" ने तो यह भी लिखा है कि नन्दा देवी पर गड़ा हुआ उपकरण प्लूटोनियम-238 तो केवल कुछ एक शताब्दियों तक ही खतरनाक रहेगा जबकि पोखरन सहित प्लूटोनियम-239 तो लगभग दो लाख वर्ष तक खतरनाक बना रहेगा। इससे स्पष्ट है कि अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी के इस कार्य की जानकारी भाभा परमाणु अनुसंधान को नहीं थी तथा स्वर्गीय डा० होमी जे० भाभा ने इसके लिये अपनी सहमति नहीं दी होगी तथा न ही उनसे इसके लिये सलाह मांगी गई होगी।

इस विषय पर समाचार पत्रों में हो रही आलोचना को देखते हुए सरकार को चाहिये कि वह संसद तथा देश के लोगों को विश्वास में ले ताकि लोगों को विश्वास हो कि सरकार इन दोनों यंत्रों से उत्पन्न खतरों के प्रति सजग है।

मैं जोरदार अपील करूंगा कि सरकार इस विषय में सभा पटल पर एक श्वेत पत्र रखे जिसमें इनके पूरे इतिहास वर्तमान स्थिति तथा भविष्य के लिये किये गये सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख हो।

धन्यवाद

(दो) तमिलनाडु में "मस्तिष्क ज्वर" के भयंकर प्रकोप का समाचार

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुभेन्द्): श्रीमन्, तमिलनाडु के तुरुनेलवेलि जिले में विशेषकर बच्चों में एक अज्ञात ज्वर के व्यापक रूप से फैलने के समाचार आ रहे हैं तथा गत तीन चार महीनों में उससे अनेक मौतें हो चुकी हैं और इसका पता नहीं चल रहा है कि यह ज्वर कैसे चढ़ता है। यदि इस महामारी को रोकने के लिये आरम्भ से प्रभावी कदम न उठाये गये तो हमें अनेक जिन्दगियों से हाथ धोना पड़ेगा। यह बीमारी सारे भारत में भी फैल सकती है।

केन्द्र सरकार तुरन्त तमिलनाडु सरकार से सम्पर्क स्थापित करे तथा वहां अपने विशेषज्ञ भेजे। इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

(तीन) आप्रवास विभाग के अधिकारियों और उनके एजेन्टों द्वारा बम्बई हवाई अड्डे पर आप्रवासियों को तंग किये जाने का समाचार

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): सैंकड़ों लोग रोजगार के लिये अपने-अपने राज्यों के माध्यम से खाड़ी के देशों में जाने के लिये एयर इंडिया से टिकट लेकर हवाई अड्डों पर पहुंचते हैं परन्तु फिर भी उन्हें प्रत्यावर्तन विभाग के कतिपय अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है जबकि एयर इंडिया तब टिकट जारी करता है जबकि रिजर्व बैंक सभी दस्तावेजों की पूरी जांच करके 'पी' फार्म दे दे। 'मातृभूमि' जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है कि बम्बई हवाई अड्डे पर एक गिरोह है जो इन भ्रष्ट

अधिकारियों से साठ-गांठ करके काम कर रहा है । यात्रियों के पास पासपोर्ट, प्रत्यावर्तन कार्ड, एन० ओ० सी० तथा अन्य दस्तावेज मौजूद होने के बाद भी अधिकारी उनसे जिरह करते हैं तथा उनके जाने में विलंब करते हैं । यात्रियों को परेशान करने के लिए वे तरह-तरह के प्रश्न करते है तथा छोटी-छोटी गलतियां निकाल कर तंग करते हैं । इसी बीच कोई एजेन्ट आ जातें हैं और यात्री के कान में कुछ कहकर मामला सुलझाते हैं और फिर यात्री को उक्त एजेन्ट को काफी पैसा देना पड़ता है । विलंब की सूरत में बुकिंग रद्द हो जाती है और यात्री को काफी हानि होती है ।

फिर प्रत्यावर्तन विभाग ने वेतन आदि के संबंध में कुछ अवांछित प्रतिबंध भी लगा दिये हैं : मोटे तौर पर प्रत्यावर्तन संबंधी नये नियमों तथा प्रतिबंधों ने भी विभाग के अधिकारियों को अधिक भ्रष्ट बना दिया है ।

सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्यवाही करे तथा यात्रियों को इस प्रकार लूटने से बचायो नौकरियों के लिये विदेशों में जाने वाले लोगों पर नियंत्रण करने संबंधी नियमों का समूचे तौर पर पुन-विलोकन किया जाना चाहिये ।

(चार) 27 अप्रैल, 1978 को हुए राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार में संसद सदस्यों की उपेक्षा का समाचार

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : श्रीमन्, कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में संसद सदस्यों की उपेक्षा तथा अनादर किया गया । उन्हें लकड़ी के बैंचों पर बिठाया गया जबकि मंत्रालय के अधिकारी तथा अन्य दर्शकों को केन्द्रीय खण्ड में बिठाया गया ।

सबसे पहली भारतीय संसद में वायु सेना दिवस के अवसर पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें संसद सदस्यों को आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों के पीछे बिठाया गया था । तब तत्कालीन अध्यक्ष श्री मावलंकर ने सभी मंत्रालयों को निदेश दिये थे कि सार्वजनिक समारोहों में संसद सदस्यों को सबसे आगे अलग से स्थान दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय संसद सदस्यों की मर्यादा की रक्षा के लिये सभी मंत्रालय को ऐसे निर्देश जारी करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय श्री नायर की बात का उत्तर देना चाहते हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० आडवानी) : श्रीमन, मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि संसद सदस्यों के प्रति अवमाव दिखाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है और यदि कोई गलती हो गई है तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जायेगा ।

इस मामले में यह हुआ था कि समारोह के स्थान को बदल कर तालकटोरा गार्डन स्थित इण्डोर स्टेडियम कर दिया गया था । पहले यह समारोह विज्ञान भवन में होना था । वहां पर सभी जगह लकड़ी की बैंचों का ही प्रबन्ध था, केन्द्रीय खण्ड में लकड़ी की ही बैंच थीं । बैठने के स्थान केवल पुरस्कार पाने वालों, केन्द्रीय मंत्रियों (व्यवधान) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा कुछ राजनयिकों को दिये गये थे । केन्द्रीय खण्ड में जो स्थान खाली थे वे इसलिये खाली थे कि आमंत्रित लोग आने की सूचना देकर भी नहीं आये थे ।

तथापि हमसे गलती हो सकती है । यदि कोई विशिष्ट गलती हुई है तो निश्चय ही मैं संबंधित व्यक्ति को डाटूंगा । किन्तु जहां तक आवास के आवंटन का प्रश्न है इसका आवंटन उसी आधार पर किया

गया था जो मैंने बताया है । इसके बावजूद संसद सदस्यों को हुई असुविधा के लिये मुझे अत्यंत खेद है ।

(व्यवधान)

(पांच) नियोजकों द्वारा पत्रकारों और गैर-पत्रकार, कर्मचारियों के वेतन बोर्डों की सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने का समाचार

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): महोदय भारत सरकार ने 1935 में दो सांविधिक मजूरी बोर्डों की स्थापना की थी एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये तथा दूसरा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये । मजूरी बोर्डों ने पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये अंतरीम राहत की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था । किन्तु अधिकांश नियोजकों ने उस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया है । कुछ नियोजकों ने सरकारी आदेश की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा 1977 के अंत में इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी और इंण्डियन लेंग्वेज न्यूजपेपर्स एसोसियेशन ने मजूरी बोर्डों से अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिये जिससे मजूरी बोर्डों का कार्य रूक गया तथा उनकी बैठकें होनी बन्द हो गई । इस उद्योग में लगे लगभग 40,000 कर्मचारी इस स्थिति के लिये आंदोलन किया हैं तथा कलकत्ता में एक सम्मेलन किया । इस सम्मेलन में चारों संगठनों ने मिलकर समाचार-पत्र कर्मचारी संगठन को एक राष्ट्रीय कांफेडेरेशन बनाई तथा उसमें अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने का आव्हान किया गया बशर्ते सरकार इस मामले में कोई कदम न उठाये । श्रम मंत्री ने द्विपक्षीय बातचीत करने का सुझाव दिया किन्तु मालिकों ने इसमें सहयोग नहीं दिया । इस स्थिति में सरकार को मंजूरी बोर्ड को यह आदेश देने चाहिये कि नियोजकों द्वारा बहिष्कार करने के बावजूद मजूरी बोर्ड अपना काम जारी रखें ।

सभा पटल पर रखें गयें पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये निगम के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2198/78] ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं जनेवा में अक्टूबर, 1976 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 62 वें (मेरीटाइम) अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2199/78]।

वित्त मंत्रालय में राजस्व मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त

हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2200/78]।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आलोक बेग) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और इसके अधीनस्थ भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और इसके अधीनस्थ भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2201/78]।

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2202/78]।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 15 अप्रैल 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1046 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1047 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्ति-युक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1048 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1049 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) सामान्य बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, बार्धक्य और सेवा निवृत्ति) संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1050 में प्रकाशित हुई थी।
[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2203/78]।

(2) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1978 के भारत के के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 984 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 2204/88]।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 504 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2205/78)।

(4) (एक) अप्रत्यक्षक कराधान जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन (भाग 2) (जनवरी, 1978) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2206/78]।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 108/78-सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति दिनांक 28 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [सभा पटल पर रखता हूं। देखिये संख्या एल० टी० 2207/78]।

श्री ज्योतिर्मयबसु (डयमड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट निदेश दिये थे कि व्याख्यात्मक टिप्पण पहले परिचालित किये जायें किन्तु यह संख्या 4 (दो) के बारे में उन निदेशों का पुनः पालन नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच अब सभा पटल पर रखे गये पत्र सम्बन्धी समिति द्वारा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातिओं के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

कार्यवाही सारांश

श्री राम धन (लालगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की पहली से सैंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 26 अप्रैल, 1978 की अपनी बैठक में पत्तन विधियां (संशोधन) विधेयक, 1977 में लोक सभा द्वारा 23 मार्च, 1978 को किये गये संशोधनों से सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 26 अप्रैल, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 मार्च, 1978 को पास किये गये पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनःसंरचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 1978 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई है।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
79 वां, 80 वां और 82 वां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2 प्रत्यक्ष कर के कर मांगो की बकाया राशियों से सम्बन्धित पैराग्राफ 6 पर 79 वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन संघ सरकार, (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खंड 1, अप्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से सम्बन्धित पैराग्राफ 48, 90 और 94 पर 80 वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण नियोजन के लिए दूत योजना—1972-73 के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा पर 82 वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
20वां प्रतिवेदन और सारांश

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) - ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का सर्वेक्षण- पर 20 वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) प्रक्रिया तथा सामान्य विषयों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने अतिथि गृहों पर फिजूल खर्च पर ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
22वां प्रतिवेदन

श्री राम धन (लालगंज) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) —भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा उनके नियोजन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 22 वां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

माध्यमिक शिक्षक संघ के बारें में याचिका
PETITION IN DEMANDS OF MADHYAMIK SHIKSHAK SANGH

डा० वसंत कुमार पंडित : मैं माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के बारे में श्री एस० मार्टिन और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

वित्त विधेयक, 1978—जारी
FINANCE BILL 1978—Contd.

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salem Pur) 1978—Contd. Sir, now the time has come when this caste struggle must be stopped. It is also a fact that now the caste of a person is decided on the basis of his economic status. So for as one law is concerned, what is material is now one law is implemented and interpreted. Today 90 per cent of persons committing atrocities belong to the law implementing category. It is therefore, necessary for ensuring welfare of the poor and backward persons to give them seats.

I would also like to invite the attention of the House to the fact that bureaucrats are not faithful to the Government. The incident of arrest of ex-Prime Minister by C.B.I. is clear proof of this insference. Similarly Harijans are made instrument to capture seats in election. When elections are over no body bother for the cause of Harijans just like a person who does not bother for the cow after crossing the river by catching hold of her tail. What happened in Banaras ? The statue of Sampoornanand was washed with Gangajal because it was touched by Babuji. This is the mentality of these persons. Who are these persons ? They are the same persons who do not allow the Harijan Governor of Uttar Pradesh to speak in the Assembly. They are the persons who put the houses of Harijans on fire in Deona. But they make much hue and cry for the Welfare of Harijans to achieve their political motives.

So far as the development of agriculture is concerned I am sorry to note that our scientists have made several useful inventions for agriculture purposes but no one is taking advantage of their invention. I suggest that Government should take steps to impart training to the farmers so that they may make use of their inventions.

I also suggest that provision should be made to construct Bhatani Varanasi Railway line and Chhitori Railway Bridge to remove regional imbalances.

Shri Parmanand Govindjiwala (Khadwa) : Sir, our past history shows that Indians always have unflincting faith in democratic values. But now there is every likelihood that this faith of our people in these democratic values is shaken due to certain political and economic reasons. Parliament is the supreme body in our democratic set up. But we see that a person to be elected as members of Parliament must possess certain qualifications. The first qualification of a member of Parliament is that he must be anti-establishment so much so that he must not follow even those norms which have been laid down by himself.

There is a provision of Zero hour. I have observed that during this hour hon. members raise such matters and issues which are baseless. I suggest that hon Members should have full and factual information before raising any matter.

Calling attention is the second example to corroborate this inference. Rules are very specific in this matter that no discussion will be allowed on calling attention motion. But daily observe that long speeches are made on such motions. I request the hon. Members that they should abide by the rules and procedure.

One more example. Under the rules of procedure Members of Parliament are not allowed to have direct conversation with the hon. Speaker in the House. But I have observed hon. Members very often violate this rule. I would like to know whether the people of our country are entitled to see what happens in the House. If they are entitled then the proceedings of the House should be Telecast and broadcast from Television and Radios.

Another danger to the democratic system of our country is regional imbalance. During last 27 years regional imbalance in the field of national development has increased substantially. Our national per Capita in come is Rs. 1005 but there are 9 States in the country where the figures of State per capita income is much low as compared to that of National per Capita income. There is also a wide gap between the figures of National average consumer expenditure and State Consumer expenditure. All India percentage of persons living below poverty line is 62.22 while in the State of Madhya Pradesh the percentage of such persons is 66. Similarly the all India percentage of growth in agricultural Sector is 4.66 while in Madhya Pradesh it is only 0.56.

So far as the irrigation is concerned in 2000 A.D. only 42 per cent of agricultural land will be provided with irrigation facilities while at present only 22 or 23 per cent of land is irrigated land. Madhya Pradesh is far behind even this development.

Similarly there are five states in the Country which are abnormally backward from the industrial point of view. From the Transport point of view certain states are more backward.

I, therefore, suggest that we should fix some targets to remove the regional imbalancees and for that we should change our approach of Planning. Allocation of funds to the State should be made on rational basis keeping in view the backwardness of the State I would also like to refer to the Gadgil Formula in this connection. Giving weightage to different points does not solve any problems. You have mentioned 'Special problem's According to Gadgil formula special problem refers to desert area in a State. This is not proper. It should refer to the total backwardness of any State. Madhya Pradesh is a totally backward area from every point of view. So while alloting central fund ihis point should be taken into consideration. Otherwise justice will not be done to our state

As regards the division of excise duties, the divisible pool should be increased from 20 per cent to 33 per cent; half of it should be given on the basis of population and half on the basis of backwardness. The same formula should apply to the division of additional excise duties. It was said that Octroi and other taxes should be abolished. But the repeal of passenger tax had adversely affected resources of Madhya Pradesh. The matter required to be reconsidered.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर): वित्त मंत्री ने कल एक दो छोटी रियायतों के बारे में घोषणा की है इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वित्त विधेयक का समग्र अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि यह जनता का बजट नहीं है। यह बजट विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तथा निहित स्वार्थ वालों के हित मे है। पहली बार 499 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं। यह वास्तव में बहुत ज्यादा है जबकि इसकी तुलना में केवल 25 करोड़ रुपये के ही प्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं। और रियायतें भी उन्हीं लोगों को दी गई हैं जो कि पैसा दे सकते हैं। उत्पादशुल्क में वृद्धि से मुद्रास्फीति होगी और सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी इससे आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9 प्रतिशत बढ़ा है इस बजट से और सार्वजनिक वितरण के अभाव के कीमतें और बढेंगी। इसलिए मैंने इस बजट को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले बजट की संज्ञा दी है।

सबसे निराशाजनक बात यह है कि बजट में कहीं भी इस बात का उल्लेख तक नहीं किया गया है कि सरकार देश से चोरबाजारी और जमाखोरी को समाप्त करना चाहती है। 1970 में वांचू समिति ने बताया कि देश में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का काला धन है और आज तक तो यह काफी बढ़ गया होगा। जिन चन्द लोगों के हाथ में यह काला धन है वह केवल ऐश ही नहीं उड़ा रहे हैं अपितु वह समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा राष्ट्र विरोधी कार्यों में भी रत हैं। अतः वित्त और संसाधन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कालेधन का पता लगाने के लिए कार्यवाही की जाए और इससे सम्बन्धित सभी भ्रांतियां दूर की जाएं ताकि देश में काला धन न इकट्ठा होने पाए। जो लोग चोरबाजारी के जुर्म के लिए पकड़े जाएं उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। स्वैच्छिक प्रकटन एक ढोंग है इसे खत्म किया जाना चाहिए। यदि सरकार काले धन का पता लगाने में सफल होती है तो इससे घाटे का बजट कम होगा और उत्पादशुल्क भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो कि अब सरकार लगाने जा रही है।

उत्पादशुल्क में सामान्य वृद्धि से मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। बिजली पर कर लगाना अधिकांश लोगों के हित में नहीं होगा और इससे बिजली के उत्पादन और उपयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिजली औद्योगिक और कृषि विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही यह राज्य के संसाधनों का भी अतिक्रमण है इसीलिए तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केन्द्र सरकार से इस शुल्क के बारे में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। राज्य के संसाधनों का अतिक्रमण एक अत्यन्त संवेदनशील मामला है।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का पुनरीक्षण करने का समय आ गया है जिसका यह भी तात्पर्य है कि देश में वर्तमान वित्तीय मामलों का भी पुनरीक्षण किया जाये। जब इस मामले पर सार्वजनिक विवाद हो रहा है, तो यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार को केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों पर चर्चा करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ पहल करनी चाहिए। साथ ही राज्यों तथा राज्य विद्युत उपक्रमों के वित्तीय मामलों और संसाधनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जायें। यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यह तो राष्ट्र के हित का मामला है। राज्यों और केन्द्र के बीच और दरार पैदा नहीं करनी चाहिए।

जहां तक लघु और ग्रामीण उद्योगों का सम्बन्ध है, मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक लघु उद्योगपति ने, जिसने पिछड़े गांवों में छोटे आनुषंगित उद्योग स्थापित किये हैं, बताया है कि नई कराधान प्रणाली से यदि बड़े उद्योगों को फलित करने वाले छोटे और आनुषंगिक एकक क्षेत्रों पर ही कर लगाया

गया तो आनुषंगिक एककों को मजबूर होकर बन्द करना पड़ेगा। इसका यह अर्थ होगा कि उन गांवों और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बेरोजगार करना। इस मामले की विशेष जांच की जानी चाहिए।

'होजरी' उद्योग भी लघु उद्योग है। काफी दीर्घ अवधि से इस उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गत वर्ष ही, हमने अनुरोध किया था कि उन्हें 2 प्रतिशत के सामान्य उत्पाद शुल्क से छूट दी जाये और मद संख्या 68 से भी छूट दी जाये। लेकिन हुआ यह कि विशेषतया इस वर्ष सरकार इस उद्योग पर और अधिक कुठाराघात करने जा रही है। यह याद रखना चाहिए कि होजरी एक ऐसा सामान है जिसे आम लोग प्रयोग में लाते हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करती हूं कि होजरी उद्योग और होजरी के सामान्य उत्पाद शुल्क से छूट दी जाये।

इसी प्रकार पीतल के बर्तन और एल्यूमीनियम के बर्तन निर्माताओं से अपील की गई है कि रद्दी धातु से बनाए गए बर्तनों पर उत्पाद शुल्क की छूट दी जाए, क्योंकि इस उद्योग वाले पहले ही चादरों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। उनकी यह अपील मान ली जानी चाहिए।

केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ही मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि साधारण या सामान्य व्यक्तियों को कम मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुएं मिलने लगें। इसके साथ ही, इससे काले धन और सट्टा बाजार को रोकने में सहायता मिल सकती है। लेकिन अन्तिम उद्देश्य एवं लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि सरकार सूती कपड़ा, चीनी और पटसन जैसे मूल उपभोक्ता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करें और खाद्यान्नों के विक्रय व्यापार को अपने हाथों में लेने के लिए कदम न उठाएं।

Dr. Baldev Parkash (Amritsar) : In the last one year the economic set up of the country had been strengthened in spite of the fact that the employees and workers had been instigated by Congress (I) people to resort to strike etc. The prices of Potato, Onion, Sugar and Oil etc. had gone down. Foodgrains wire today available almost at uniform rates all over the country. Public distribution system had been geared up and food articles had been made available at subsidised rates.

The proposal of the Prime Minister that the law and order problem should be treated as a National Problem and all Political Parties should sit together to find its solution was a welcome step. But it was a matter of regret that it had not even supported by the Congress (I) people. Their programme of staging a demonstration of 5-10 lakh people at the residence of the Prime Minister was indicative of their intention to create chaos and anarchy in the country.

During the last one year inflation had been checked. Expenditure on non-developmental items had not been allowed to increase. Large scale assistance was granted to States which became victims of Natural calamities. Fertilisers were imported in large quantities to increase agricultural production. Compulsory deposits were repaid, bonus was granted and one instalment of D.A. was granted to the Government employees. Thus the performance of the Janta Government during the last one year had been satisfactory.

It was incorrect to say that this year's budget was anti-people or a capitalist budget. On the contrary a new direction had been given to our economy through this budget. More amount had been provided for rural and agricultural development and efforts had been made to reduce the non-Plan revenue expenditure.

As regards employment avenues, he would suggest that they should not be made available to anyone on the basis of his caste. On the contrary the employment opportunities should be made available on economic basis, so that the caste feeling did n o aggravate further.

Excise duty had been increased in the name of development. But there should be limit to it. Efforts should not be made to meet the additional expenditure by raising additional earnings from excise duty only. Some alternatives resources should be sought for it.

Excise duty had been exempted on a turnover upto Rs. 30 lakhs. If the turnover exceded even by a rupee, the concerned firm would have to pay about one and a half lakh rupees as excise duty. It would prove very burdensome to them. Some sort of Slab system should, therefore, be introduced in this regard.

Exemption limit in case of electrical goods had been reduced from Rs. 10 lakhs to Rs. 5 lakhs. The electrical goods manufacturers had some genuine difficulties and this limit should, therefore, be raised again to Rs. 10 lakhs.

Some rates of custom duty as were applicable to big woollen mills had been prescribed for small scale and handloom woollen industries on the imports of wool. At last a relief of 25 per cent in customs duty should be granted to the Small Scale and handloom woollen sector. Some relief in excise duty should also be granted to them.

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded) : While seeking loans from abroad, one of the pleas extended by us was that we had large population of about 65 crores. But when the poor people of the country sought loans from the Government they were asked to furnish guarantees, while they had no means to furnish them. The poor people of the country also paid direct and indirect taxes and, therefore, Government should take some remedial measures to see that they also got loans from Government easily. It was also the responsibility of the Government to see that drinking water facility, housing facility and medical facilities are provided to everyone in the country.

People should not be fooled further in the name of Gandhism and Rama Rajya. Actual help should be extended to the farmers, the labourers and the poor.

Our farmers were producing food for our countrymen by putting hard labour, but there were a large number of incidents in which their wealth were taken away by the thieves and docoits. Proper security arrangements should be made for them.

The condition of Primary schools in rural areas was very bad. Movable and immovable properties of the devsthans and mathans etc. should be utilised for improving the condition of these schools.

Money lenders in ruralkareas had been exploiting the village people since long. Their earnings should be checked and amounts of their unfair earnings should be realised from them for utilisation in rural development.

Employees of education department in Marathwada were getting very low salary, without any dearness allowance. Their pay scales should be revised.

Maharashtra Government had enacted a legislation regarding unemployment Guarantee Scheme and had sent to the Centre for approval. Its approval should be expedited.

Steps should be taken to give enccouragement to the leather and handloom industry.

Railway line should be laid from Nanded to Udgir or Latur. It should be inquired into as to what was the immovable and movable property of the politicians as on 15th August, 1947 and what was it at present. If any property was found to have been acquired through illegal means it should be taken over by Government. A start in this direction should be made from the Members of Parliaments.

Land reforms should be implemented with sincerity and expeditiously.

In our country untouchability came into existence on account of Hinduism and Brahminism. Is Janta Party prepared to end this evil ? We will have to do away with the brahminism then this slur can be removed. Without socialism no problem can be solved.

Lastly, ceiling should be imposed on jobs. A person who has land or business should not be appointed in service. The persons who are economically backward, should be given all facilities. Neo-Buddhists should also be given all facilities.

श्री सरत कार (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

वित्त मंत्री ने एक व्यावहार्य बजट पेश किय है। इससे निर्धन तथा दलित वर्गों का उद्धार होगा। कृषि तथा सिचाई की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और ग्रामीण विकास के लिए अधिक धनराशि का नियतन किया गया है। नई योजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है और नई सफलतायें प्राप्त की गई हैं। मंत्रालयों के प्रतिवदनों को देखने से इन नई उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह कोई प्रचार स्टण्ट नहीं है और न हमारी सरकार इसमें कोई विश्वास ही रखती है। मेरा सुझाव है कि सरकार को जन सम्पर्क के लिए बेहतर तन्त्र बनाना चाहिए ताकि लोगों को सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे मे अच्छी तरह पता चल सके।

मैं वित्त मंत्री की नीति का पूर्णतः समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा उनसे और सरकार से अनुरोध है कि वे उड़ीसा की जनता के लिए कुछ करें, क्योंकि वहां के 75 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

रेलवे के मामले में भी उड़ीसा हमेशा उपेक्षित रहा है। वहां कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। कटक में बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि महानदी डेल्टा परियोजना पर फिर से कार्य शुरू किया जाना चाहिए। क्योंकि तटीय क्षेत्र पानी से भरा पड़ा है। सिचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। विरूपा-गंगती द्वीप सिचाई योजना, महानदी-चित्रोथपला द्वीप सिचाई परियोजना को फिर से चालू किया जाए। हमारे वन संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

हमारे यहां पर्यटन के विकास की भी काफी संभावनायें हैं और इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। कोणार्क से भुवनेश्वर तक सड़क बनाई जाए और सीधी विमान सेवा की व्यवस्था की जाए।

उड़ीसा देश का सबसे सम्पन्न राज्य है, लेकिन वहां के लोग अत्यन्त निर्धन हैं। वित्त मंत्री को उड़ीसा को उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिए, क्योंकि तभी राज्य के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

श्री ईस्माइल हुसैन खां (बरपेटा) : वर्तमान बजट पूंजीवादी, मुनाफाखोरों, चोरबाजारियों, जमाखोरों और बेईमान व्यापारियों के लिए फायदेमन्द है। कांग्रेस के शासन में चोरबाजारियों और जमाखोरों को दण्ड मिलता था, लेकिन अब उन्हें हर प्रकार के दण्ड से छूट मिल गई है।

आसाम में तस्करों की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। राज्य में खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं का अत्यन्त अभाव है। इसकी जांच की जानी चाहिए। आसाम में कुछ बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

आसाम में आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। आदिवासी लोग एक पृथक नया राज्य "उदयाचल" बनाना चाहते हैं और अगर उनकी बात मान ली जाती है, तो एक और वर्ग एक नया राज्य "कमातपुर" के लिए मांग उठा सकता है। देश की अखण्डता की रक्षा के लिए राज्य के विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

अब तक भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र उन लोगों के हाथ में था, जो खेती स्वयं न करके निर्धन खेतिहरों से अपनी जमीन पर खेती कराते थे और स्वयं सारा लाभ ले लेते थे। भूमि सुधार कानूनों का फायदा उठाकर कुछ राजस्व अधिकारियों ने सरकार द्वारा बांटी जाने वाली खास भूमि तथा अधिकतम सीमा के बाद बची अतिरिक्त भूमि के वितरण में मनमानी कार्यवाही की है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक भूमिहीन खेतिहर को भूमि प्राप्त नहीं हुई है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। नदी के कटाव के कारण जो परिवार प्रभावित होते हैं, उनके बारे में एक सामान्य सिद्धांत यह बना हुआ है कि प्रत्येक परिवार को सरकारी कोटे में से 10 बीघा भूमि दी जायेगी, लेकिन बाद में देने के समय उन्हें केवल 9 बीघा भूमि ही दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को केवल 6 बीघा जमीन दी गई। अधिकारियों द्वारा ऐसा भेदभाव किया गया है। यही नहीं, नदी के कटाव के कारण प्रभावित कुछ परिवारों ने जब सरकारी भूमि की शरण ली, तो केवल अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों से वहां की जगह खाली करा ली गई और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां रहने दिया गया। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। हम न्याय चाहते हैं और अल्प संख्यक समुदाय के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को उन अधिकारियों को दण्ड देना चाहिए, जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है।

ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों परिवार बेघरबार हो जाते हैं। इन लोगों के पुनर्वास का कार्य आसाम सरकार की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ है, जिसे वह सहन नहीं कर सकेगी। केंद्रीय सरकार को इस कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

आसाम में कुछ किसानों ने गेहूं की खेती आरम्भ कर दी है; परन्तु जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां सरकार ने नहरों पर काफी धनराशि खर्च की है, लेकिन अभी तक इन नहरों से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

किसानों के कल्याण के लिए सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें साहुकारों से ब्याज की ऊंची दरों पर रुपया उधार न लेना पड़े। आसाम सरकार ने इस बारे में कानून पास किया है, परन्तु केवल 5 प्रतिशत गरीब काश्तकारों को ही इसका लाभ हो रहा है। सभी को नहीं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

आज गेहूं, चीनी तथा सरसों के तेल का उत्पादन मूल्य उसके वर्तमान मूल्य से दुगना है। सरकार को नकदी फसलों की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि नकदी फसलों के ऊंचे मूल्य निर्धारित किये जाते हैं, तो उससे गरीब कृषकों को लाभ हो सकेगा।

आसाम में पटसन के उत्पादकों को भी पटसन का उचित मूल्य नहीं मिलता है। क्योंकि आसाम में कोई पटसन मिल नहीं है, इसलिए सारा लाभ बिचौलिए व्यापारी ही उठा ले जाते हैं। आसाम में पैदा होने वाली पटसन का अधिकांश माल कलकत्ता की मंडी में ही खप जाता है। केन्द्रीय सरकार को आसाम में पटसन की मिल लगानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उसका उचित मूल्य प्राप्त हो।

सरकार को किसानों के लिए नौकरियों की संख्या भी निर्धारित कर देनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक कालेज है जिसका नाम बाजली कालिज है। इस कालिज में वर्ष 1976 में एक घोटाला किया गया था और जब मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया गया, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि अनुदान में इस प्रकार का घोटाला 22 कालिजों द्वारा किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले का पता लगाया गया है और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया है। शिक्षा और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

आसाम एक ऐसा राज्य है, जहां किसानों की विशिष्ट समस्यायें हैं और वहां के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं। उनकी आय का और कोई साधन नहीं है। प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के परिणाम-स्वरूप हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं।

कालेजों में शिक्षा का स्तर काफी गिर चुका है। परीक्षाओं में खुले आम सरासर नकल भी की जाती है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक स्कूल हैं, जिनमें केवल एक ही अध्यापक होता है और अगर वह अध्यापक अनुपस्थित हो तो उस दिन स्कूल बन्द हो जाता है। इसीलिए, प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति तो की ही जानी चाहिए।

Shri Surendra Jha Suman (Darbhanga) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to express my views.

The Janta Government is committed to bring about an improvement in rural economy and accordingly, a rural-oriented budget has been presented. Thus, Govt. have fulfilled the assurances which were given to the people.

India lives in villages and so, it is essential that for the progress and prosperity of the country, top-most priority shoud be given to the improvement of agriculture. 14 per cent of world population lives in India, whereas there is only 2.2 per cent of world's agricultural land. Therefore, barren land should be reclaimed and it should not be divided into uneconomic holdings.

It is a matter of great appreciation that we had achieved the target in the production of wheat, but we have not been able to fulfil our requirements in respect of paddy. We have been able to grow only 6 crore tonnes of paddy as against our requirements of 12-1/2 crores of tonnes. Therefore, more research should be undertaken in this field and due encouragement should be given to paddy-producing regions.

The target for Kosi project was fixed for 16 lakh acres of area, but only 1.5 lakh acres of land is irrigated. Gandak project has not been completed so far. 40 crores hectares metre of water is available as rainy water, but only 6 crores hectares metre of water is utilised. Some scientific ways and means should be evolved in this regard.

From economic point of view, Bihar is 16th State, despite so much natural resources fertile land and labour force. There are 5-1/2 crores of farmers in the country, who have less than one acre of agricultural land and out of them there are 52 lakhs of such farmers in Bihar alone. During the last 15 years, 29 lakhs hectares of land was destroyed, but in Bihar alone 5.8 lakh hectares of land was destroyed. In 1975, property worth approx. 467 crores of rupees was destroyed due to floods, whereas in Bihar alone property worth 226 crores of rupees was destroyed.

There is no industry in Bihar and roads are not in satisfactory condition there. In 1875, first railway line Samastipur-Darbhanga was constructed, but that railway line has not been converted into broad-gauge line.

Darbhanga radio has not been developed fully. Mithila University has not been given grant from U.G.C. Maithili language has not been given recognition constitutionally.

There should be taxation on expenditure than income. More banks should be opened in rural areas. Small scale industries and coltage industries should be given encouragement. Capital should be made available for giving employment to the youth.

डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई

Dr. Sushila Nayar in the Chair

There is acute housing shortage in the country. The problem should be solved through housing socieites, co-operative socieites etc.

Education should be kept in the concurrent list. Libraries should be opened in every village.

Post Office should be opened for every group of 2000 people instead of 4500 at present. Health Centre should be opened in each Panchayat. Janta hotel should be opened for tourists.

We are still living in an age of reservation. According to the spirit of Constitution all the persons should be given equal opportunities and a time-bound programme should be chalked out to do away with the diffrence between the reserved and un-reserved.

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा (बेल्लारी) : सभापति महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि अनेक मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री को भविष्य में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अधिक समय की व्यवस्था करनी चाहिए।

बेल्लारी-होस्पेट क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए हम गत सात वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं। गत वर्ष मन्त्री महोदय ने कुछ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। धातुविज्ञानी इंजीनियरों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। डा० डी०आर० तैयार है। भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और बिजली तथा अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। उक्त क्षेत्र में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के विश्व के सर्वश्रेष्ठ निक्षेप हैं। अब तक हम अयस्क का निर्यात ही करते रहे हैं।

खनिज संसाधनों का महत्व बढ़ाने के लिये इस्पात संयंत्र होना चाहिए। मुझे विश्वास है सरकार इस पर ध्यान देगी।

बड़े दुख की बात है कि विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिये केवल 1 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इस इस्पात संयंत्र पर 1580 करोड़ रुपये लागत आयेगी। लागत की तुलना में 1 करोड़ रुपये की राशि नगण्य है। मेरे विचार में सरकार और मंत्री महोदय इस संयंत्र को आरम्भ करना ही नहीं चाहते।

कृषकों से 9200 एकड़ भूमि संयंत्र के लिये अर्जित की गयी। हम सभी ने कृषकों को सहमत कराया। उनकी रोजी-रोटी भी छिन गई। परन्तु संयंत्र की स्थापना आरम्भ नहीं हुई। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि यदि सरकार संयंत्र स्थापित नहीं कर सकती तो क्या सरकार कृषकों को उनकी भूमि वापस लौटायेगी, ताकि वे गरीब किसान अपनी रोटी-रोजी कमा सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि इस्पात मंत्री राजनीति से प्रेरित हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि पत्तन प्रधान मंगलौर इस्पात संयंत्र पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है। परन्तु मंगलौर सयंत्र को विजयनगर संयंत्र के मूल्य पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। इसके साथ ही मंगलौर संयंत्र के निकट लौह अयस्क भी उपलब्ध नहीं है। अतः सरकार को इसके लिये लौह अयस्क हास्फेट बेल्लारी क्षेत्र से लेना पड़ेगा। 1 टन तैयार माल के लिये 4 टन कच्चे माल की आवश्यकता है जो यहां मंगाने पर महंगा पड़ेगा। सरकार को यदि इस्पात का निर्यात करना है तो उन्हें विजयनगर से निर्यात की योजना बनानी चाहिए।

अनवरत योजना में विजारों इस्पात संयंत्र के लिये 195 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है और विजयनगर के लिये 5 करोड़ रुपये की राशि। ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है। विजयनगर संयंत्र पर जो कार्य चल रहा है, वहां जितने इंजीनियर आदि नियुक्त है वे सब बेकार बैठे समय काट रहे हैं।

तम्पी अवशेष पर्यटन केन्द्र के विकास के लिये भी धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संदूर ताल्लुक में रामगढ़ नामक एक पर्वतीय स्टेशन है। किन्तु इसका समुचित विकास नहीं

किया गया है। निकट भविष्य में यह छोटा सा पहाड़ एक स्वास्थवर्धक स्थल के रुप विकसित हो सकता है। कर्णाटक में अब तक कोई नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है। कुटीर से हरिहर तथा हुबली से थरका तक दो देल लाइनों के बिछाने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये।

विक्रय कर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह आयकर का सबसे बड़ा स्त्रोत है। बिजली पर दो प्रतिशत उत्पाद शुल्क भी समाप्त किया जाना चाहिये। वाणिज्यिक बैंक गांवों के कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों को ऋण नहीं दे रहे हैं। उन्हें कहां जाना चाहिए कि वे इन लोगों को ऋण दें।

श्री नरेन्द्र पीनाथवानी (जूनागढ) : यह बड़ी गम्भीर बात है कि इस बजट में 1000 करोड़ रुपये की राशि को पूरा करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक तरह यह कर का सबसे बुरा रूप है क्योंकि इसके लिये कोई प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने तीन उपायों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास एकत्रित सोने का कुछ भाग प्रयोग में लाया जायेगा। सरकार ने योजना बना ली है कि वह सोना बेचेगी। इस नीति की घोषणा करने के लिए वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं।

दूसरा यह उपाय सोचा गया है कि आयात नीति का उदार बनाकर विदेशी मुद्रा को प्रयोग में लाया जाये। अब कुछ वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। यह सच है कि गत वर्ष विदेशी मुद्रा भण्डार से 800 करोड़ रुपये निकालने का प्रस्ताव था और उसका उपयोग नहीं किया गया। परन्तु अब हमारे सामने एक विधेयक है जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसे वित्तीय संस्थानों तथा बैंक का पुनर्वित्त-पोषण करे यदि मशीनरी का आयात स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय रूप से नहीं किया जा रहा हो। अब जबकि यह एक तथ्य है कि मशीनरी स्थापित की जा रही है तथा अवसर प्रदान किये जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा भण्डार से इस वर्ष राशि निकाली जायेगी तथा इस अन्तर को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जायेगा।

तीसरी बात ऋण पर कड़े नियंत्रण की है। इसका भी खासतौर से जिक्र किया गया है। पिछले वर्ष भी बजट में 950 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। इसके बावजूद भी तथा मुद्रास्फीति के कई कारणों के बावजूद भी वित्त मंत्री महोदय ने ऐसी व्यवस्था की कि थोक मूल्य का स्तर वही रहा और सरकार सप्लाई तथा वितरण की नीति को बनाये रखने का श्रेय पा गई क्योंकि उसने ऋण पर नियंत्रण की नीति अपनाई थी। अब इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस अन्तर को पूरा करने के लिए काफी राशि उपलब्ध होगी।

अब यदि यह विशाल राशि की आपूर्ति नहीं हो सकी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं कि इसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो। यह तो कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करता है। उस दिन कृषि मंत्री ने बताया था कि इस वर्ष 1250 लाख टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा। इस प्रकार घाटे के बजट का व्यवस्था वित्त मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी के सभी परिवर्तनों तथा उतार चढ़ावों को देखते हुए ही की है।

स्वर्ण का विक्रय करने की नीति की आलोचना की गई है कि घाटे के अन्तर को पूरा करने के लिए 30 वर्षों से संचित किए गये सोने को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं। इससे तो तस्करी रुकेगी। कहा गया है कि क्योंकि सोने में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य गिर रहे हैं अतः सोना बेचने से भारतीय सोने के मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में अन्तर को कम नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर अमरीका भी अपने डॉलर की कीमत बढ़ाने के लिए सोना बेचने की नीति अपना रहा है। इससे संभव है कि हमारी इस नीति का हमें निकट भविष्य में अपेक्षित लाभ न हो। अतः हमें इस संबंध में संचय की

नीति बरतनी चाहिए। तथापि इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भाव हमारी वर्तमान स्वर्णनीति के फलस्वरूप तस्करी रोकने तथा देश में फालतू धनराशि को कम करने में सहायता मिलती है तो इसके लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाकर उसे निर्भीकता पूर्वक तथा उत्साहपूर्वक लागू किया जाये ।

अन्त में मैं एक दो बातें और कहूंगा। उत्पाद शुल्क के मामले में मंत्री को उपभोक्ता वस्तुओं जैसे मामले घटिया किस्म की चाय, बीड़ी, मिट्टी का तेल आदि पर कुछ राहत देनी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय श्री गट्टानी के इस संशोधन पर अवश्य विचार करें कि नमक से उत्पाद शुल्क से पूरी छूट मिलनी चाहिए तथा हमेशा के लिए यह छूट मिल जानी चाहिए। इस का भावनात्मक महत्व भी है। अतः मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करें।

इन शब्दों के साथ में वित्त विधेयक का समर्थन करता है ।

Shri Mritunjay Prasad Verma (Siwan) : Madam Chairman, should I think that I am speaking for tomorrow since I am not going to get time today ?

Mr. Chairman : You may speak first one sentence to start and then sit down.

Shri Mritunjay Prasad Verma : I want to draw his attention to his own creation, The Life Insurance Corporation.

सभापति महोदया : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

18 वां प्रतिवेदन

Mr. Chairman : Now we take up Private Member's business. Shri Krishnachand Halder.

श्री कृष्ण चन्द्र हलदार (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन से जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE.SETTING UP OF NETAJI ACADEMY

सभापति महोदया : अब सभा श्री समरगुहा द्वारा 14 अप्रैल, 1978 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर सदस्यों द्वारा पेश किये गये संशोधनों सहित आगे विचार करेगी :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि अविभाजित भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने और हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की सैद्धांतिक संकल्पना उजागर करने में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वचन और कर्म से किये गये—मौलिक योगदान को देशभक्तिपूर्ण मान्यता प्रदान करने हेतु, सरकार 'नेताजी राष्ट्रीय अकादमी' के नाम से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक अखिल भारतीय महत्व के संस्थान की स्थापना करे जिसमें उन विषयों के विशिष्ट एवं उच्च अध्ययन की व्यवस्था हो जिनमें नेताजी की गहन रुचि थी, जैसे (i) उच्च सैन्य शास्त्र,

(ii) भारतीय राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से संगत आधुनिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विचार धाराएं (iii) भारतीय राष्ट्रीय आयोजना की संकल्पना (iv) भारतीय राष्ट्रीय एकता का स्वरूप और समस्यायें, (v) भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आन्दोलनों का इतिहास और (vi) विश्व के लोगों में मैत्री और सदभावना स्थापित करने में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का योगदान ।"

सर्वश्री चित्र बसु, श्री रामजी सिंह, ए० सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा श्री दबे अनुपस्थित हैं।

श्री अमर राम प्रधान !

श्री अमर राम प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदया, मैं नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना हेतु लाये गये संकल्प के लिए श्री समर गुहा को हार्दिक बधाई देता हूं।

यह एक मन गढंत कहानी है कि नेताजी की 18 अगस्त, 1945 में ताइहोकू में मृत्यु हो गई थी। परन्तु न जाने क्यों श्री जवाहर लाल नेहरू तथा उनकी पुत्री की सरकारें यह सिद्ध करना चाहती थीं कि नेताजी एक विमान दुर्घटना में मारे गये। कारण मात्र इतना था कि श्री नेहरू हीन भावना के शिकार थे। यही कारण है कि नेताजी के नाम का उल्लेख कालपात्र में नहीं किया गया था जिसमें भारत की स्वाधीनता का कथित इतिहास संकलित था। भारत को स्वाधीनता के आन्दोलन का इतिहास लिखते समय डा० राकेश मजुमदार को छुट्टी पर भेजा गया तथा नेहरू अनुयायी डा० ताराचन्द को यह कर्य सौंपा गया और अब बाद में कालपात्र का आलेख लिखने के लिए डा० गोपाल को कहा गया ।

अब जबकि नेहरू खानदान का शासन समाप्त हो चुका है तो समय आ गया है कि हम नेताजी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। हमें जानना चाहिए कि नेताजी क्या थे उनके बारे में हमारी आगामी पीढ़ियों को भी अवगत कराया जाना चाहिए कि नेताजी के क्या आदर्श थे। मनुष्य अपने विचारों तथा कृत्यों के बल पर सदैव जिन्दा रहता है इसी प्रकार नेताजी भी अमर हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता । उन्होंने कहा था कि कौन जानता है कि हममें कौन भारत को स्वतंत्र देखने के लिए जीवित रहेगा परन्तु हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हम भारत को आजाद करने के लिए अपने प्राण न्योछावर करेंगे । नेताजी ने 4 जुलाई, 1944 को कहा था "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।" स्वतंत्रता के बारे में उनका कहना था कि केवल राजनैतिक मुक्ति ही आजादी नहीं है बल्कि उसमें सम्पत्ति का समान वितरण जातिवाद की समाप्ति तथा धार्मिक सहिष्णुता का होना भी जरूरी है । राष्ट्रवाद के बारे में वे कहते थे कि हमारा राष्ट्रवाद संकुचित, स्वार्थपूर्ण तथा आक्रामक नहीं है। इसका मूलमंत्र मानव जाति का महानतम आदर्श 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम' है।

भारत के भविष्य के बारे में उनका अनुमान था कि ब्रिटिश शासन के पश्चात् भारत में पूंजीवाद का खतरा आयेगा इसे भी ब्रिटिश शासन के साथ ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

नेताजी ने ही सर्व प्रथम योजना समिति बनाई थी जबकि वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेताजी ने कहा था कि समाज के उत्थान में बाधा बनने वाली सम्पत्ति की विषमताओं को सबके पहले समाप्त किया जाना चाहिए ।

हम अपनी भाषा की समस्या को गत 30-35 वर्षों में भी हल नहीं कर पाये। इस बारे में नेताजी ने कहा था कि राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा रोमन लिपि में लिखी गई हिन्दुस्तानी भाषा को सरकारी राष्ट्रीय भाषा बनाया जायेगा । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हिन्दुस्तानी ही हमारी राष्ट्रीय सरकारी भाषा होगी कोई विदेशी भाषा नहीं। यह विचार उन्होंने कमाल अतातुर्क से लिया था।

टर्की में उर्दू को रोमन लिपि में राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। अतः इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। जापान, पूर्व तथा पश्चिम जर्मनी, अमरीका, इंग्लैण्ड आदि अनेक देशों में नेताजी पर अनुसंधान कार्य हो रहा है, परन्तु भारत में हमने गत तीन वर्षों में भी कुछ नहीं किया। अब राजनैतिक स्थिति बदली है तो हमें नेताजी पर कुछ काम करना चाहिए यह कार्य कठिन जरूर है परन्तु देशभक्तों के लिए रोचक भी है। जय हिन्द !

Choudhury Balbir Singh (Hoshiarpur) : I happen to recollect an urdu poet's couplet said in prase of Netaji. It means as under :

He set out towards his goals,

determine, though a lonly man;

The masses, with their heart and soul,

lowed his as a caravan.

In fact Netaji was a great personality. He never cared what others did or say, he was only to see that his aim is achieved. And for that he took every risk to his life. He went abroad to further his compaign. He organised Azad Hind Fauj with an astonishing short time. In that course he resolved the Sikh-Hindu-Muslim controveries also. There was no controversy of language either before him. He translated our national anthem from Bengali to Hindustani. That anthem was adopted by Azad Hind Fauj.

Netaji brought about complete unity and amity among all people of different castes, regions and languages.

Mahatma Gandhi's convention was that Netaji was not dead and therefore he forbade people from observing his "Shradh". He never behaved that Netaji had died in the said plan crash. Enquiries by various foreign Governments also indirectly prove that Netaji had not been killed in the crash otherwise why should they go into that aspect. Frankly speaking he was the victim of total neglect on the part of we Indians, all these 30 years. His portrait has been installed in the Parliament House only very recently and that too when Janta Govt. came in.

I, therefore, from the very core of my honour congratulate Shri Samar Guh from moving this resolution asking for Netaji National Academy where various sorts of training and education could be imparted for the betterment of our economic, social and military fronts.

श्री पवित्र मोहन प्रधान (दवेगढ़) : सभापति महोदया, कुछ भी हो, यह बात सिद्ध हो चुकी है कि नेताजी भारत के अद्वितीय नेता थे। मेरे विचार में यदि नेताजी ने कांग्रेस न छोड़ी होती, भेष बदलकर भारत छोड़कर विदेश न जाते और आजाद हिन्द फौज की स्थापना न करते तो भारत को इतनी आसानी से आजादी न मिलती और यदि मिल भी जाती तो वह इस रूप में न होती जिस रूप में हमें मिली हुई है। बल्कि इसका कोई और ही रूप होता। हमें उनके बलिदान की स्मृति में कोई न कोई संस्थान बनाना चाहिए। मैंने भारत से सूचना एकत्र करके वर्मा जाकर नेताजी को देने का काम किया था। वह इस बात का पता लगाना चाहते थे कि यदि वह अपनी आजाद हिन्द फौज से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करें तो क्या कांग्रेस जन और भारत की आम जनता उनका समर्थन करेगी या नहीं उन्होंने लोगों की इस प्रकार संगठित किया था कि ब्रिटिश सरकार और उनके सहयोगी देश भयभीत हो उठे थे और उन्होंने भारत को शीघ्रता से और सम्पूर्ण आजादी दे दी। अतः मुझे आशा है कि भारत सरकार उनकी स्मृति में अवश्य ही कोई संस्थान स्थापित करेगी।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : I would like to submit that only two wars have been fought for attaining freedom, one of these was the war of Haldighati. It was a decisive war for the aim was either to achieve freedom or die. In the same manner Subhash Chandra Bose had worked with complete devotion for the achievement of freedom. He made the supreme sacrifice. He did not care for defeat or victory. Dr. Ram Manohar Lohia wrote in "Bharat Vibhajan ke Apradhi" that he was sorry to say that he could not understand Netaji when he was alive. Netaji was a symbol of Nationality, equality and independence. There is controversy whether Netaji is alive or not. I think he is like sun and if he is alive nobody can stop him from coming to India and guide us. If he is alive, every effort should be made to bring him in India and if he is no more in the world, it is the sacred duty of Indian citizens to give him due honour.

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्री समर गुहा ने प्रस्तुत संकल्प में नेताजी राष्ट्रीय अकादमी द्वारा 6 बातों का अध्ययन किये जाने का सुझाव दिया है, मैं उनमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं अर्थात आधुनिक विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सभी देश अपने नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। वास्तव में आजादी के बाद हमारी आजादी की लड़ाई में नेताजी के योगदान के महत्व को कम करने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं। हमें आशा है कि जनता सरकार राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में की गई गलतियों को दूर करेगी। नेताजी ने आजाद हिन्द फौज की इत्तिफाक ऐतमाद, कुर्बानी के तीन नारे देकर राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। यदि हम उनके उदाहरणों का अनुकरण करते तो भारत में राष्ट्रीय एकता की कोई समस्या न होती । इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह प्रो० समर गुह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

प्रो० शिब्बत लाल सक्सेना (महाराजगंज) : यह शर्म की बात है कि श्री समर गुह को यह संकल्प प्रस्तुत करना पड़ा। वस्तुतः सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह स्वयं नेताजी के सम्बन्ध में एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा सरकार नेताजी के विरुद्ध थे। अतः किसी भी पिछली सरकार ने नेताजी के सम्बन्ध में कोई शानदार स्मारक बनाने के बारे में विचार नहीं किया। श्री समर गुह ने जो सुझाव दिया है वह बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे विचार में नेताजी के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी भारतीय भाग ले सकें। दश को नेताजी पर बहुत गर्व है और इसलिए मेरा विचार है कि सरकार को नेताजी के सम्बन्ध में यथेष्ट स्मारक बनाने पर अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded): I am very happy to note that a suggestion has been given to set up a memorial for Netaji who made superme sacrifice for the sake of freedom of this country. I support this Resolution on behalf of Kisan Mazdoor Party. There should be no opposition since it is a noble task. It is quite essential to have such a Memorial for Netaji. The Foreign Governments have done great injustice to him but our country has also done the same thing We should preach his ideology if. We have to preserve our precious freedom and create harmony among different communities. I request that Government should agree to the Resolution brought forward by Shri Samar Guha.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्तुत संकल्प की भावना के साथ पूर्णतया सहमत हूं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा केवल भारत की आजादी के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के दलित लोगों की आजादी के लिए दिये गये महान योगदान के बारे में दो राय नहीं हो सकती। नेताजी हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। इतना ही नहीं बल्कि वह विश्व के सभी प्रमुख क्रांतिकाकारियों में से एक थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी नेताजी के साथ मिलकर काम करते रहे हैं और मैं उनके निकट सम्पर्क में रहा हूं। मैं इस संकल्प की भावना के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु सरकार की ओर से इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। उनको पता है कि संविधान में सातवीं अनुसूची की संघीय सूची के मद 62, 63, 64 और 67 के अधीन अखिल भारतीय महत्व के संस्थान संसद् द्वारा कानून पास किये जाने पर ही स्थापित किये जा सकते हैं। यह एक तकनीकी एवं संवैधानिक पहलू है। अतः यह काम इस प्रकार के संकल्प मात्र से नहीं चल सकता ।

समस्त राष्ट्र नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का आदर करता है और निश्चय ही सरकार राष्ट्र की ओर से इस प्रकार की अकादमी स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी। परन्तु यदि यह जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई तो यह एक सरकारी संस्थान बन जायेगा और सरकार बदलने के साथ उसकी व्यवस्था में भी परिवर्तन होने की संभावना बनी रहेगी। यदि इस प्रकार का संस्थान जनता द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है तब सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। अतः श्री समरगुह को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

इस समय कलकत्ता में 'नेताजी रिसर्च ब्यूरो' नामक एक संस्थान पहले से ही विद्यमान है। मुझे पता है कि इस संस्थान ने इस महान क्रांतिकारी की स्मृति को बनाये रखने के लिए अपनी योजना के अनुसार काफी काम किया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के उद्देश्यों में सुभाष चन्द्र बोस के जीवन कार्यकलाप और शिक्षा के बारे में अध्ययन और अनुसंधान, सभी आनुषंगिक दस्तावेज, पांडुलिपियां आदि एकत्र करना और उनको सुरक्षित रखना शामिल है। वहां पर बहुमूल्य पांडुलिपियां, सूचियां तथा अन्य कागजात सुरक्षित रखे हुए हैं। कुछ मामलों में माइक्रो फिल्म, चित्र आदि भी तैयार किये गये हैं और वे इस सामग्री को अन्य संस्थाओं को भी सप्लाई करते हैं। प्रो० दिलीप चक्रवर्ती ने 'अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों' का उल्लेख किया था। यह भी इस संस्थान के कार्यक्षेत्र में आता है। इस प्रकार अन्य विषय भी इस संस्थान के उद्देश्यों के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः बजाए कोई नया संस्थान स्थापित करने के हमें इसी संस्थान को सरकार से उचित सहायता दिला कर सुदृढ़ बनाना चाहिए। इस संस्था ने सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है ताकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की एकत्रित सभी रचनाओं को प्रकाशित किया जा सके और इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस संस्थान ने दिल्ली में भी एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि भारत की राजधानी में नेताजी की रचनाओं को प्रमुख स्थान दिया जाय और विदेशी दूतावासों के माध्यम से अन्य देशों का और देश के अन्य राज्यों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जा सके। यदि उपरोक्त संस्थान कोई रचनात्मक प्रस्ताव सरकार को भेजती है तो इसकी सहायता करना कोई कठिन काम नहीं है। मेरे पास जानकारी के अनुसार इस संस्थान को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत पहले भी 4.5 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। अतः प्रो० समर गुह को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई सरकारी संस्थान बनाना ठीक रहेगा और क्या इस प्रकार के संस्थान द्वारा उस काम को दोबारा करने की कोई आवश्यकता है।

प्रायः यह देखा गया है कि जिन नेताओं की स्मृति में अधिक संख्या में संस्थान बना दिये जाते हैं, बाद में उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती। इसका परिणाम यह होता है कि जिस प्रयोजन के लिए वे बनाये जाते हैं वह सिद्ध नहीं हो पाता। यदि नेताजी रिसर्च ब्यूरो अपना एक केन्द्र नई दिल्ली में खोलता है तो हम निश्चय ही उनके द्वारा भेजे गये किसी भी अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक एवं उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

जहां तक सैनिक विज्ञान के अद्यतन अध्ययन के प्रश्न का सम्बन्ध है, भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में इस प्रकार अध्ययन की व्यवस्था है। कुछ माननीय सदस्यों ने नेशनल डिफेन्स अकादमी का नाम बदलकर नेताजी नेशनल डिफेन्स अकादमी रखने का सुझाव दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में विचार किया था परन्तु इस अकादमी के नाम के साथ सम्बन्ध परम्परागत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदलना वांछनीय नहीं समझा गया।

फिर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के विषय में अनुसंधान करने के लिए हमारी अनेक बड़ी परियोजनाएं हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ मिलकर काम कर रही है और इन्होंने तत्संबंधी अनेक पुस्तक, कागजात और पर्चे एकत्र किये हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जायेगा।

पटियाला में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इस्टीट्यूट आफ स्पोर्टस, जिसकी एक शाखा बंगलोर में भी है हर दृष्टि से खेलकूद का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है। यद्यपि मैं प्रस्तुत प्रस्ताव की भावनाओं से सहमत हूं फिर भी श्री समर गुह से अनुरोध करूंगा कि वह उसको कार्यरूप देने में आने वाली संवैधानिक और राजनैतिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस विषय पर पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय : पूर्व इसके कि मैं श्री समर गुह को उत्तर देने के लिए कहूं, स्वास्थ्य मंत्री सभा की अनुमति से एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं उनको वक्तव्य देने के लिए कहने लगा हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

दिल्ली में मेडिकल कालेजों के छात्रों की मांगों के बारे में वक्तव्य।

STATEMENT RE : DEMANDS OF MEDICAL STUDENTS OF DELHI

The Minister of Health and Family Planning (Shri Raj Narain) : Mr. Chairman, Sir. Hon'ble Members are aware that from 7th April 1978 onwards, the students of the Medical Colleges in Delhi are on strike. From that day onwards, they have also been offering dharna outside my house. I had asked the Secretary of the Ministry to meet the representatives of the students and examine sympathetically the demands that they were putting forward. The Health Secretary and senior officers of the Ministry met the representatives of the students, but despite their best efforts, they found that the students were adamant in their attitude. Thereafter, I also met some representatives of the students a number of times, but from their attitude, it appared that they were not willing to have any settlement unless every single one of their demands was conceded. Various reports have been coming out in the newspapers about these demands and it has been said that the resident doctors of the Delhi Hospitals will also go on a two-day sympathetic strike from 1st May 1978. I want to tell the Hon'ble members what these demands are, and to what extent we are willing to accommodate them. Our view point has been that, whatever demands are reasonable, they may be accepted, but some of the demands are of such a nature that, to accept them would be to damage and distort the whole system of medical education in this country.

(1) The students want that the stipend for interns should be raised from Rs. 350 to Rs. 500 per month. They are perhaps asking for this because recently Punjab and Haryana have Increased the stipend to Rs. 450 p.m., while Uttar Pradesh has made it Rs. 400 p.m. I also feel that the stipend may be incrased up to Rs. 450 p.m., and I am confident that I shall be able to get this through. But it will be possible to give effect to this only when the students and their strike and resume their studies.

It is necessary to mention in this connection that earlier, the interns were getting only Rs. 225 p.m. which was later increased to Rs. 275 p.m. After the strike of the junior doctors in 1974, the stipend for interns was raised to Rs. 350 p.m. Hon'ble Members may like to keep in mind that in many States, particularly the States in the South, the interns do not get any amount whatever as stipend. Even so fas I have just said, I am ready to increase the amount of stipend for interns although it has to be kept in mind that they are only students and are not in any way government servants.

(2) The second demand is that, during the period of internship, there should be provision for sick leave and leave without pay. I am in sympathy with this demand and we have written to the Medical Council of India in this connection. Some arrangement will certainly be made to accommodate this demand.

(3) The students say, "House Job should be considered a basic right of all medical graduates". It is not possible for us to accept this demand. Every medical student has to do one year of internship in which practical training is given to him and which forms part of the course of studies for the M.B.B.S. It is not necessary that every medical graduate should become a house surgeon. House Surgeoncy or First-Year Junior Residency, as it is called now, is only obligatory for those who want to do postgraduate studies. In

India, every year about 12,000 medical graduates pass out from the colleges. It is just not possible that every one of them should be made a post-graduate, nor does this country require anything like this number of post-graduates. Apart from this, after the strike of the junior doctors in 1974, it was settled that the posts of First-Year Junior Residents would be based only on the needs of the hospitals. Therefore, it is out of the question that, in order to enable every medical graduate to become a House Surgeon, so many additional posts of House Surgeons should be created. I might also mentions here that I have appointed a committee consisting of eminent medical experts under the chairmanship of the Director General of Health Services. This committee will go into the whole question and give recommendations as to whether there is a need to have both internship and First-Year Junior Residentship (House Surgeoncy) or not, and if there is a need, to suggest how both of these should be dovetailed.

(4) One demand is that in the L.N. Jayaprakash Narayan and G.B. Pant Hospitals, there should be as many posts of House Surgeons as were given last year. What happened last year was that, during the period of emergency, the then Delhi Administration, without consulting anybody, in an incorrect manner, greatly increased the number of posts of House Surgeons. The Government of India had made it very clear that this would not be allowed to occur in future. Even so, this year, seeing the expanding needs of the hospitals, we have agreed to the addition of 13 First-Year Junior Residents. I am told that the Delhi Administration has somehow or the other given house jobs to all the medical graduates who passed out this year.

(5) One demand is that the house jobs in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital should be reserved for graduates of the Lady Hardinge Medical College. Here it is necessary to mention that in Maulana Azad Medical College, Lady Hardinge Medical College and the University College of Medical Sciences, the posts of First-Year Junior Residents are reserved for the graduates of these colleges, although I do not think that this is a very desirable arrangement. It is only in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital that we can give an opportunity to graduates from other parts of the country to come in as Junior Residents. I feel that, even now, the House Jobs in this hospital should be filled only on the basis of merit on an all-India pattern.

(6) One of their demands is that, in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, one-third of the postgraduate seats should be kept reserved for graduates from the Institute. The All India Institute of Medical Sciences is an all-India institution and the effort is always to select the most meritorious medical graduates in the country. This is an all-India Institute and not just a Delhi Institute. It is necessary that any medical graduate in the country should have the opportunity of getting admission there on the basis of merit alone.

I should mention here that the M.B.B.S. and the Postgraduate Courses are altogether different. It does not follow that because a person comes in as an undergraduate into the A.I.I.M.S., he should, as a matter of right, demand a postgraduate seat in this institution. Our effort is to see that at least 25% of the post-graduate seats go to graduates of the Institute, but it would be altogether wrong if some of the seats arefdesignated and kept reserved solely for them.

(7) Another demand is that all the post-graduate seats under the Delhi University should be reserved for the graduates of the Maulana Azad and Lady Hardinge Medical Colleges and the University College of Medical Sciences, and no one should be allowed to come from outside. This is an illustration of growing regionalism, which is a matter of regret. Delhi is the Capital of the whole country, and Delhi University is a federal university. Students of other States should also be able to get at least some of the seats here, especially those students whose guardians have to stay in Delhi on official duty or in the public interest, like the Hon'ble Members of the House themselves. It might also be mentioned that the post-graduate seats of Delhi University are filled by the University itself, and the Health Ministry is in no way concerned with these admissions.

(8) Problems of the University College of Medical Sciences :—This college was opened in Delhi in 1971. Because it had no hospital facilities readily available, it was decided that until such time as a suitable location could be found for it, Safdarjang Hospital would

provide facilities for teaching in clinical subjects. This practice is still continuing and the newly-built Emergency Block of the hospital has been given free of charge to the college, as a result of which the hospital is having to face many difficulties and the patients are having to suffer many inconveniences. The University College is run by the Delhi University whereas the Safdarjang Hospital is a Central Government Hospital which looks after the needs not only of the general public but also of the C.G.H.S. beneficiaries.

In 1972 and 1975, this matter came up before the Cabinet on two occasions, and the Cabinet decided that the Medical College and its attached hospital would be put up in Shahdara. The whole plan for the Shahdara complex is now ready and it has been cleared by the Expenditure Finance Committee. The project is now in its last stages, and as soon as the Cabinet gives its approval, the work of building construction will be taken up in Shahdara. At that time, the running of both the College and the Hospital will be taken over by the Delhi Administration who have expressed their willingness to do so. I believe that this is the proper arrangement for this college and it is not advisable to keep on chopping and changing it. However, until such time as the buildings in Shahdara are ready, the present system will continue, and Safdarjang Hospital will continue to provide the facilities for clinical teaching.

There is no doubt that, at the moment, the college and the students have to face quite a number of inconveniences. It is primarily for the Delhi University to remove the shortcomings. All the same, the Government of India is giving every possible assistance, and I am taking a personal interest in the matter. For instance, in view of the lack of library facilities, I have made arrangements for these students to avail of the National Medical Library. Buildings for the Canteen and the Lecture Hall are under construction. There is of course the difficulty on account of lack of hostel facilities. I had requested the Works & Housing Minister to kindly make some accommodation available where we might open a hostel, but unfortunately, he has not been able to do so, and has expressed his difficulties in the matter. Whatever help the Government of India can give, we shall certainly continue to render so that, during this interim period, the difficulties of the students are reduced to the extent possible. My Ministry has also written to the Delhi University that until such time as sufficient facilities can be made available, the intake of fresh admissions should be reduced to the number for which facilities are available.

(9) Another demand is that the medical students should be given representation on the decision-making bodies of their colleges. I have no objection to this and I am ready to advise the colleges that they may associate student-representatives on their Staff Councils.

Hon'ble Members will see that in this manner whatever are the reasonable demands of the students, we are trying our best to fulfil them, even though some of their demands do not concern the Health Ministry directly. Some of their demands are of such a nature which it will just be not correct for us to accept and which will damage the fabric of medical education in the country. The expenditure will also increase to an extent which it will be difficult to bear, and in some States, where similar facilities are not available, a demand for them is sure to come up. Such States will also bring pressure that the Central Government should share the increased expenditure brought about as a reflection of its action. I am sorry to say that even after doing all this, the students and interns are continuing in their obstinacy and are trying to bring pressure on the Government. Notices have been received from the Resident Doctors that from the 1st of May 1978, they will be observing a 2-day sympathetic strike. To attempt to force Government to accept unreasonable demands by means of a strike is altogether wrong and we have no alternative except to face any situation that may arise. My great regret is that, as a result of the proposed strike by Resident Doctors, the general public will be put to great inconvenience and harassment for no fault of their own. I would appeal to my Hon'ble colleagues in the House that they may also use their good offices to persuade the students and interns that since their reasonable demands are being accepted, they should end their strike and resume their studies. Government can only accept demands after looking to their reasonableness and not for fear of force or threat. By force and threat, problems only get further entangled and they are never resolved.

Resolution Re : Setting up of Netaji National Academy.

Mr. Chairman : Time taken away by the hon. Health Minister from the time allotted to the Private Members should be so adjusted that Private Members business may get full time. House will agree to it, I hope. Do you agree ? Is any one opposed to it ?

Some hon-Members : No objection.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 26 और 28 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के बारे में व्यवस्था है तथा उसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिनके अन्तर्गत इस नियम में कोई ढील दी जा सके तथा मंत्री महोदय से इतना बड़ा वक्तव्य देने की अनुमति दी जा सके। व्यवस्था का दूसरा प्रश्न मंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में है। मैंने सोचा था कि मंत्री महोदय नियम 372 के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे है तथा हड़ताल समाप्त करने के बारे में कोई अच्छी सूचना सभा को देने वाले हैं। किन्तु मैडीकल के छात्रों की हड़ताल जारी है तथा सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में सफल नहीं रही। मंत्री महोदय इतना बड़ा वक्तव्य पढ़कर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए निर्धारित समय से व्यर्थ ही बरबाद किया है। मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य के ऐसा नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय: आप जानते हैं कि किसी मंत्री को सभा में वक्तव्य देने का अधिकार है। जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों ने कार्य के बीच वक्तव्य देने का प्रश्न है तो इसके लिए सभा ने अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी थी क्योंकि यदि मंत्री महोदय पहले प्रेस के समक्ष वक्तव्य देते तो सदन का नाराज होना स्वाभाविक था। अतः मंत्री महोदय पहले सदन को यह सूचना देना चाहते थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि मंत्री महोदय का वक्तव्य बड़ा था किन्तु उन्होंने जो अतिरिक्त समय लिया है वह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए बढ़ा दिया जायेगा।

श्री सौगत राय: जब आपने मंत्री महोदय के मामले में यह रियायत दी हैं तो मुझे भी इस संकल्प पर बोलने के लिए थोड़ा सा समय देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : ठीक है। आप भी अपनी बात कह दें।

श्री सौगत राय : मैं श्री समर गुहा द्वारा प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करता हूं। उन्होंने एक व्यापक संकल्प प्रस्तुत किया है तथा सुझाव किया है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर एक अकादमी स्थापित की जाये। नेताजी की दो विशेषताएं प्रमुख थीं। वह महान नेता थे तथा आजाद हिन्द फौज के कमांडर थे। दूसरे वह आर्थिक और राजनीतिक मामलों के महान विचारक थे। कांग्रेस के सभापति पद से दिए गए उनके विभिन्न भाषणों तथा योजना आयोग की स्थापना से इन तथ्यों का स्पष्ट पता चलता है। किन्तु उनके विचारों और उनके स्वप्नों को अभी तक पूरी तरह से व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है। आजाद हिंद फौज वास्तव में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी। उसमें देश के सभी भागों और सभी धर्मों के व्यक्ति थे। आजाद हिन्द फौज की स्थापना विदेश में हुई थी जिससे वह देश को आजाद कराने का प्रयत्न कर रहे थे।

नेताजी ने आजाद हिंद फौज को तीन नारे दिये थे और वे थे 'इत्तिफाक, एतमाद और कुर्बानी।' वे नारे न हिन्दी में थे और न बंगाली में अपितु ये नारे अल्प संख्यकों की भाषा में थे जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता ही था।

मंत्री महोदय ने नेताजी राष्ट्रीय अकादमी न बनाये जाने और नेताजी रिसर्च ब्यूरो से राष्ट्रीय अकादमी का रूप न दिये जाने के जो कारण बताये हैं उनमें कोई सार नहीं है। यह कहना सच नहीं है कि देश में किसी विशेष कार्यों के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। दिल्ली में जवाहर लाल

नेहरू विश्वविद्यालय है जिसमें विज्ञान और मानव विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । शिमला और कलकत्ता में भी इसी प्रकार के संस्थान हैं। मैं इस संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें नेताजी को उचित समान दिये जाने की मांग की गई है । शिक्षा मंत्री का वक्तव्य नितान्त निराशाजनक है तथा उन्होंने अपने विभाग के नौकरशाहों की ही बात मानकर ऐसा वक्तव्य दिया है। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इण्डियन मिलिटरी अकादमी का नाम बदलकर नेताजी मिलिटरी अकादमी न करने के कोई न कोई कारण ढूंढ ही लिये हैं।

जवाहर लाल नेहरू का मैं आदर करता हूं उनके विचारों का आदर करता हूं। किन्तु मैं यह भी मानता हूं उनके पूरे परिवार से देश ने उतना सम्मान दिया है जितने का वह हकदार नहीं। किन्तु हमने नेताजी को क्या दिया ? स्वयं नेताजी के मकान में स्थापित अनुसंधान ब्यूरो को सरकार ने केवल 4 लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान दिया । इस अकादमी की स्थापना का उद्देश्य यह है कि नेताजी ने जिन विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि ली थी उन विषयों की शिक्षा दी जाये। किन्तु मंत्री महोदय का उत्तर नितान्त असंतोषजनक है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेताजी के बारे में बहुत गलत फहमियां रहीं। दुनिया उतके एक पक्ष को ही जानती है कि वह एक सैनिक थे तथा उनको महात्मा गांधी के साथ राजनीतिक दृष्टि से मतभेद था। किन्तु वास्तव में वह एक पूर्ण व्यक्ति थे तथा विचार और कार्य की दृष्टि से वह सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी थे। अतः यदि नेताजी के नाम पर एक अकादमी स्थापित की जाये तो इससे उनका सम्मान नहीं वरन देश का ही सम्मान होगा ।

Shri H.L. Patwary (Mangaldai): I rise to support the resolution moved by Shri Samar Guha. India has always been a country of vivid idiologies and philosophies. In India Vashnavites and Shakts both have right to follow their own faith. We admire the songs of Meera but at the same time we admire the brave acts of Rani Jhansi. Similarly we have full faith in the Gandhian philosophy of non-violance and at the same time we recognise the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose in achieving independance.

It is a matter of grave concern that the people and the Government of India do not recognise gallants belonging to eastern region of the country as valiants of India. Lachif Burfacane of Assam and Rana Pratap of Rajasthan were heros of equal status but Government have always ignored Lachit. Same is the case with Netaji Subhash Chandra Bose. We have not paid due respect to him.

I would like to suggest that Government should try to understand the political and social system of our country. If we do not recognise the contribution of Netaji the history of freedom struggle of India will remain incomplete.

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं । इस संकल्प के माध्यम से मैंने जनता की इच्छा की ओर सदन का ध्यान दिलाया है । इस संकल्प का सभी ने एकमत होना समर्थन किया है । पहले भी मैंने एक विधेयक के रूप में इस संकल्प को प्रस्तुत किया था तथा सभी ने इसका समर्थन किया था । किन्तु मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह नितान्त असंतोषजनक है । मुझे प्रतीत होता है मंत्री महोदय का मानसिक विकास रुक गया है । अच्छा होता यदि वह नेताजी के बचपन का उल्लेख न करते। मुझे यह भी अनुमान था कि वह यही उत्तर देंगे कि नेताजी के नाम पर दो संस्थानों की स्थापना की क्या आवश्यकता है क्योंकि मुझे ज्ञात है उन्होंने नेताजी रिसर्च ब्यूरो का दौरा किया था । मंत्री महोदय को ज्ञात होना चाहिये कि मैं इस ब्यूरो का स्थाई सदस्य हूं। उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिये कि यह समर गुह ही था जिसने इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी इस बात के लिये लड़ाई लड़ी थी । किन्तु समर गुह नेताजी के पैर की धूल है । यह संकल्प भारतीय जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है मैं कुछ नहीं हूं।

आजाद हिन्द फौज के सेनानियों को पेंशन नहीं दी जाती थी। मैंने यह मामला उठाया तथा सरकार को उन्हें पेंशन देनी पड़ी । इस मामले में मंत्री महोदय ने कई संवैधानिक कठिनाइयों का हवाला दिया है । वह संवैधानिक कठिनाइयों का सहारा लेकर इस दिशा में कोई काम नहीं करना चाहते । मुझे अत्यन्त खेद है कि मंत्री महोदय नेताजी के योगदान के बारे में नितान्त अनभिज्ञ हैं। उनका कहना है कि संकल्प की भावनाओं से वह सहमत हैं । इस प्रकार के कथन से वह नेताजी की उपलब्धियों का निराकरण करना चाहते हैं । मैं कुछ कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूं किन्तु मैं विवश हूं । नेहरू के मामले में संवैधानिक कठिनाइयां क्यों उत्पन्न नहीं हुई । जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 50 से अधिक संस्थान हैं । क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी ? क्या मैं यह नहीं जानता कि ऐसा स्थान स्थापित करने के लिये विधेयक लाना पड़ता है ? यह सरकार का काम है कि नेताजी के नाम पर अकादमी स्थापित करने के लिये विधेयक लाया जाये । मैंने तो इस संकल्प के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयत्न किया है ।

आज की स्थिति यह है कि हमारी राष्ट्रिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों का विघटन हो रहा है । विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयत्न किया है किन्तु राष्ट्रीय चरित्र का अभाव होता जा रहा है । देश में ऐसी भावना भरने वाला कोई नहीं है जो राष्ट्र के लिये सर्वस्व निछावर करने की प्रेरणा दे । ऐसे महान व्यक्ति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ही थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो विश्व में कभी-कभी ही पैदा होते हैं ।

यह बिल्कुल सही कहा गया है कि यदि गांधी जी स्वपन थे तो नेताजी उपलब्धि थे। मैं गांधी जी का बहुत आदर करता हूं किन्तु मैं यह भी मानता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम श्रेणी के महान नेता दो ही थे गांधी जी और नेताजी । शेष नेताओं का स्थान दूसरा है । जहां तक जवाहरलाल नेहरु का प्रश्न है वह गांधी जी के समर्थक थे इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। किन्तु नेताजी गांधीजी की विचारधारा से सहमत नहीं हुये तथा उन्होंने अपना मार्ग अपनाया तथा क्रांतिकारी आदर्श प्रस्तुत किया ।

यह सच है कि गांधीजी ने राजनीति में नैतिक मूल्यों को स्थान दिया था । हमें उनके उस आदर्श को अवश्य निभाना होगा । किन्तु साथ ही भावी भारत के जिस स्वरूप की कल्पना नेता जी ने की थी उसे भी हमें प्राप्त करना होगा । नेताजी का स्वपन था कि भारत महान बने तथा विश्व के लिये आदर्श बने । हमें यह स्वप्न भी साकार करना होगा ।

नेताजी ने 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था । उसमें उन्होंने कहा था कि भारत को विश्व के सामाजिक राजनीतिक विकास की दिशा में अगला चरण बढ़ाना होगा। वास्तव में नेताजी क्रांतिकारी आदर्शवाद के प्रतीक हैं । उन्होंने एक परम्परा डाली है ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में नेताजी ही एक ऐसे व्यक्ति हुये जो शौर्य के प्रतीक बन गये। उनकी स्मृति में एक ऐसी शिक्षा संस्था स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिसमें विकसित सैनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाये ।

जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो स्टालिन को अपने अनेक सेनाध्यक्षों में से जनरल सुवरोव को आगे लाना पड़ा ताकि रूसी सेना के मन में एक नये उत्साह तथा वीरता की भावना का सृजन किया जा सके । राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सामने रखकर राष्ट्रीय सेना बनाई गई थी। ऐसा भारत के सिवा कही अन्यत्र नहीं हुआ है । रूसी सेना का गठन ट्रोटस की अध्यक्षता वाली सैनिक समिति द्वारा किया गया था इसी प्रकार माओ-त्से-तंग ने अपनी क्रांतिकारी सेना का निर्माण किया था। परन्तु आपने

भारत की पूर्वी सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले आजाद हिन्द फौज के 26,000 सैनिकों के लिये क्या किया ? आज आप राष्ट्रीय एकता की बातें करते हैं जबकि नेताजी की सेना एक ऐसी क्रांतिकारी सेना थी जो धूल से बनी और जिसमें पेशावर से चटगांव, काश्मीर से कन्या कुमारी तक के तथा हर क्षेत्र के असाधारण शौर्य और उत्साह वाले व्यक्ति थे। नेताजी के अधिकांश महत्वपूर्ण अधिकारी उस क्षेत्र के थे जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है। लै० कर्नल एम० जैड किमानी, बदरुद्दीन, आई० के० कियानी सब पेशावर के थे। अनेक लोग पंजाब, केरल तथा भारत के विभिन्न भागों के थे। वह सेना समाप्त कर दी गई। उनमें से किसी को भी भारतीय सेना में वापस नहीं लिया गया। उनमें से अनेक तो मात्र ड्राइवर ही बनकर रह गये, कुछ बैरे बन गये और कुछ कारखानों में भर्ती हो गये। यह प्रारब्ध हुआ भारत को स्वतंत्र कराने वाली सेना का। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि ये तीस वर्ष केवल नेताजी के साथ ही नहीं बल्कि भारत की क्रांति की परम्पराओं के प्रति गद्दारी के वर्ष थे, उनके प्रति विश्वासघात के वर्ष रहे। यही कारण है कि मैं नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना का अनुरोध कर रहा हूं। आप बताते रहते हैं कि देहरादून सैनिक अकादमी का नाम नेताजी अकादमी क्यों नहीं रखा जा सका है। इसका मात्र कारण यह है कि 30 वर्षों से नेताजी को भारतीय जनता के मस्तिष्क से ओझल रखे जाने का प्रयास होता रहा था।

मैं श्री चन्द्र पर भी आरोप लगाता हूं कि उन्होंने भी नौकरशाही पूर्ण तथा सामाजवादी औचिलक नीति की हिमायत की थी। वह जानते हैं कि जवाहर लाल नेहरू ने माऊंटबेटन के कहने पर आजाद हिद फौज को प्रतिबंधित किया था तथा उसके सैनिकों को सेना में नहीं लिया था। माउन्टबेटन ने स्वयं ही यह बात कही है कि उन्होंने भी नेहरू को उक्त सलाह दी थी तथा श्री नेहरू ने ऐसा ही किया था।

व्यवधान

सभापति महोदय : आप कृपया विषय पर बोलिए साठे साहेब आप बैठे जाईये। वह नहीं मान रहे हैं। साठे साहेब आपके शब्द कार्यवाही में शामिल नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि आपको बोलने के लिये नहीं कहा गया गया—

व्यवधान

श्री समर गुह : इसीलिए मैं चाहता हूं कि नेताजी के नाम पर आधुनिक सैनिक विज्ञान का अध्ययन हो इससे हममें अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी।

श्री नेहरू के कार्यकाल में सैनिक बैरकों में नेताजी के मित्र टांकने पर रोक लगा दी गई थी। और हमारे मंत्री महोदय उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : सभी तो नहीं।

श्री समर गुह : हां सभी तो नहीं। इसीलिये मैं कहता हूं कि नेताजी का नाम जुड़ने से भारतीय सेना के भविष्य का निर्माण करने वाले हमारे अधिकारियों तथा सैनिकों को हमसे प्रेरणा मिलेगी।

1930 में नेताजी को कुछ लोग "न्यू-फासिस्ट" कहते तो कुछ "आर्क-नेशनलिस्ट" तथा कुछ उन्हें "चौवानिस्ट" कहकर पुकारते थे। परन्तु नेताजी की विचारधारा इन सबसे बिल्कुल भिन्न थी। वह कहा करते थे कि उनका विश्वास समाजवाद में है तथा इससे भारत का ही नहीं सारे विश्व का उद्धार होगा। परन्तु वह चेतावनी देते थे कि कोई एक ही समग्रवादी सिद्धान्त अथवा दर्शन भी किसी विचारधारा का मार्गदर्शक नहीं बनना चाहिये।

नेताजी किसी भी विचारधारा के विरोध करने का लक्ष्य रखने से सहमत नहीं बल्कि वह चाहते थे कि सभी विचारधाराओं के समय स्थान, संस्कृति, इतिहास तथा आवश्यकता के अनुसार अध्ययन तथा

***रिकार्ड नहीं किया गया।

मनन करना चाहिये । वह अपने समाजवाद को भारतीय समाजवाद कहते थे। वह विभिन्न विचार-धाराओं का अध्ययन करने तथा उनमें से अच्छी अच्छी बातें लेने के हामी थे।

प्रस्तावित संस्थान में विभिन्न समाजवादिताओं विचारधाराओं राजनैतिक दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये और फिर भारत के जीवन के संदर्भ में अपनी नया राष्ट्रीय दर्शन तथा राष्ट्रीय विचारधारा का स्वरूप तैयार किया जाये।

राष्ट्रीय आयोजन के बारे में इस सरकार तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा न जाने कितना साहित्य प्रकाशित तथा वितरित किया गया है । परन्तु क्या कभी किसी ने यह बात भी कही कि नेताजी ही भारतीय आयोजन के प्रवर्तक थे ? क्या कभी किसी ने कहा कि नेताजी ने ही महात्मा गांधी को भी नाखुश करने का जोखिम उठाया था ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय आयोजन के विरुद्ध थे नेताजी ने ही हरिपुरा कांग्रेस में सबसे पहले राष्ट्रीय आयोजन तथा राष्ट्रीय योजना आयोग का विचार पेश किया था।

भूतपूर्व राष्ट्रपति ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब उन्होंने नेताजी को सुझाव दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको ही राष्ट्रीय योजना आयोग का पहला चेयरमैन बनना चाहिये तो नेताजी ने श्री गिरि को मूर्ख बताते हुए कहा था कि यदि नेताजी चेयरमैन बन गये तो गांधी जी इस आयोग को ही तुरन्त भंग करवा देंगे। श्री नेहरू उस समय लन्दन में थे ।

नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय आयोजन के विचार को पनपने के उपायों की खोज के लिये केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी सैल स्थापित किये थे । 1944 में, टोकियों में एक भाषण में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आयोजन के भविष्य के बारे में विस्तृत ब्यौरा किया था।

अतः इस प्रस्तावित राष्ट्रीय अकादमी में आयोजन को भी एक विषय के रूप में अध्ययनार्थ रखा जाना चाहिये।

गांधी जी के प्रति मेरे दिल में बहुत सम्मान है । परन्तु राष्ट्रीय एकता तथा एकात्मकता का कार्य सबसे पहले नेताजी ने ही किया था। उन्होंने ही भारतीय लोगों को जाति, समुदाय, धर्म, तथा क्षेत्र के बंधन तोड़कर राष्ट्रीय एकता के सूत्र के बांधा था। जैसा कि मैंने पहले कहा उनकी सेना में 30 प्रति शत उच्च-अधिकारी मुसलमान थे, कितने ही ईसाई तथा सिक्ख थे । उनके सामने जाति-पाति का कोई महत्व नहीं था । अनेक क्षेत्रों की महिलायें भी थीं। उनको रानी झांसी मन्दिर नामक एक ब्रिगडे भी थे। सभी जातियों के लोग एक साथ एक ही प्रकार का भोजन करते थे । उन दिनों हिन्दु मुसलमानों, सिक्खों तथा ईसाइयों के लिये भी खुले रहते थे । इसी प्रकार गुरुद्वारे तथा गिरजाघर भी अन्य धर्मों के लोगों के लिये खुले रहते थे । इस रूप में यह एक सामाजिक सांस्कृति क्रांति भी थी । जब आजाद हिन्द फौज भारत में आई तब हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सभी धर्मों के धार्मिक पाठ हुए थे। यह एक अत्यन्त परवंत्र दृश्य था।

नेताजी एक अत्यन्त धार्मिक तथा अध्यात्मवादी व्यक्ति थे। अपने छोटे से थैले में वह सदैव ही, चाहे वह किसी भी स्थान पर कहीं भी क्यों न रहे हों, एक गीता, एक चण्डी तथा एक रुद्राक्षमाला रखते थे वह स्वामी विवेकानन्द के अनुयायी थे । वस्तुतः नेताजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय एकात्मकता को असली रूप दिया था।

नेताजी बचपन से यह अनुभव करते थे कि उनका जन्म कोई उद्देश्य लेकर हुआ है और उन्हें वह उद्देश्य पूरा करना है ।

भारत ने अनेक उतार चढ़ाव देखें हैं लेकिन वैदिक युग से आधुनिक भारत के जमाने तक यहां गंगा की भांति जीवन की एक मुख्य धारा रही है, उसी ढ़ग से, एक स्वर से वही मधुर संगीत गूंजता रहा है । विश्व में भारत की महान तथा महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसी कारण कहा जाता है कि यदि हम स्वयं को पहचानना चाहते हैं तो भारत के इतिहास और संस्कृति से परिचित होना आवश्यक है ।

शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र को मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यहां बात यह जानना मात्र नहीं कि स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का क्या और कितना योगदान रहा उन्होंने तो और भी बहुत

बड़े उद्देश्य को लेकर क्रांति का आह्वान किया था । आज अकारण ही भारत में एक रिक्तता आ गई है और जरूरत है कि आदर्श क्रांतिकारी व्यक्तित्व को हम पूर्ण सम्मान दें। यह आदर्श क्रांतिकारी व्यक्तित्व हमें केवल नेताजी में ही मिल सकता है । वर्तमान तथा भविष्य की युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सकती है । यदि मंत्री जी इस भावना को स्वीकार कर लें तो मैं संकल्प भी वापस लेने को तैयार हूं अन्यथा नहीं ।

कुछ सदस्य खड़े हुए ।

सभापति महोदया : कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे जाईये । मैंने मंत्री महोदय को बोलने के लिये कहा है ।

श्री वसन्त साठे । मैं एक आधारभूत मुद्दे के बारे में पूछना चाहता हूं ।

सभापित महोदया : कृपया बैठ जाईये । मैंने मंत्री महोदय को पुकारा है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द) : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस संकल्प की भावना को तो समर्थन करते हैं । परन्तु श्री समर गुह एक सुझाव के स्वरूप को क्रियान्वित करने में कठिनाईयां हैं ।

सभापति महोदया : आप कृपया विधान के संबन्ध में ही बोलिये ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द : इसके स्वरूप के बारे में तो विस्तार से विचार करना पड़ेगा । मैं माननीय सदस्य श्री समर गुह से फोन पर भी बात कर चुका हूं।

श्री समर गुह : यह एक सीधा सा प्रश्न है । आप नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के विचार को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं । **व्यवधान**

श्री वसन्त साठे : आप एक जीवित आदमी के नाम किसी संस्थान से कैसे जोड़ सकते हैं ।

सभापति महोदया : साठे साहेब मैंने आपको नहीं पुकारा है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द : गिरि इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज नामक संस्थान हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है । तथापि मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि नेताजी के कृत्यों तथा योगदान के बारे में सरकार भरपूर विचार करेगी परन्तु किस रूप में। इस पर मैं बातचीत करूंगा । अब तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री समर गुहा : संकल्प तो स्पष्ट हैं। यदि मंत्री महोदय नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के विचार को स्वीकार करते हैं तो———

श्री बीजू पटनायक : रक्षा अकादमी के मामले में ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री समर गुह : इस में शैक्षिक अध्ययन भी हो सकता है।

सभापति महोदया : इस संबन्ध में दो संशोधन आये हैं जिनमें एक श्री बी०पी० मण्डल का हैं तथा इसे सभा में मतदान के लिये रखा जाता है ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

the amendment was put and Negatived

Shri Hukamdeo Narayan Yadav : I withdraw my amendment.

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया

the amendment was by leave, withdrawn

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि अविभाजित भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने और हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की सैद्धांतिक संकल्पना उजागर करने में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वचन और कर्म से किये गये महान योगदान को देशवासियों द्वारा प्रदान करने हेतु, सरकार 'नेताजी राष्ट्रीय अकादमी' के नाम से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक

अखिल भारतीय महत्व के संस्थान की स्थापना करे जिसमें उन विषयों के विशिष्ट एवं उच्च अध्ययन की व्यवस्था हो जिनमें नेताजी की गहन रूचि थी, जैसे (i) उच्च सैन्य शास्त्र (ii) भारतीय राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

सभापति महोदया: सभा में गणपूर्ति तो हैं परन्तु मशीनी खराबी के कारण कुछ मत रिकार्ड नहीं हुए हैं । मतों को जोड़ा जा रहा है ।

अन्तिम निर्णय इस प्रकार है :

पक्ष में 25 Ayes 25

विपक्ष में 34 Noes 34

प्रस्तावत अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived

विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : ABOLITION OF LEGISLATIVE COUNCILS

सभापति महोदया : अब हम श्री रामजी लाल सुमन का संकल्प विचारार्थ लेते हैं ।

Shri Ramji Lal Suman (Ferozabad) : I move the following resolution :

"This House is of the opinion that the upper Houses (Legislative Councils) in the States have not served any useful purpose and in the process of legislation they are proving to be cumbersome and avoidably expensive and, therefore, the constitution should be suitably amended to abolish them as soon as possible."

In the Round Table conference of 1931 Mahatma Gandhi had contemplated a Govt. with a universal legislature. So the idea of the Second House of Legislature was an out come of British ideology. Even the founder of the constitutions had said that Legislative Councils were being introduced in the States only as an experimental measure and they could be abolished if they failed to fulfil any useful purpose. When the Constitution was enforced in 1950, article 168 had provided for establishment Lagislative Council in six states. But still, out of 22 States, it was only 7 states that Legislative Council are functioning.

It is a matter of discrimination that some categories of people have been given special right of voting for electing members of Legislative Councils. We have thus adopted double citizenship as in the U.S.A. It is against our ideal and principle of establishment of equalitarian and uniform society in this country. It would be termed as a backdoor for the entry of such defeated and frustrated politicians into the political field as could not be absorved anywhere else. As a matter of fact, these Legislative Councils have not been able to fulfil in the least the purpose for which they were established.

Further, the debates in the Legislative Councils are nothing more than mere repititions of what had been said in the Legislative Assemblies. Therefore to confirms what has been said in the Legislative Assembly is only one-point programme of the Legislative Councils.

It is said that intellectuals and literaries would be brought in these councils. But one would find that such people do not come there. Therefore, the contention and purpose for which these councils were established has not been fulfilled in the least. It has been found that only the favourites of a particular party or the Govt. found seats in the Legislative Councils, who are neither experts in the filed of literatures or art, nor in any other field. They are simply the favourites of big leaders who are in power.

Further, it is also an important matter to be taken into consideration that a huge expenditure to the tune of crores of rupees is being incurred on the pay and allowances as well as other facilities and amenities to the members of these Legislative Councils. Here is absolutely no propriety in incurring such a heavy expenditure. It appears that a process

is still being continued in this manner to accommodate and adjust some corrupt politicians. An expendituere of crores of rupees is being incurred on the Legislative Councils functioning at present in seven States of the country which can easily be utilised foi providing work to unemployed people, and for amelioration of the condition of the weaker sections of the community.

I appeal to the hon. Members to realise that on one hand we are faced with utter poverty, unemployment and other handicaps all become of paucity of resources. As on the other hand we are gladly incurring so much of this wasteful expenditure of tee meaningless and useless lagislative council.

I, therefore, appeal to you accept my resolution and let us get rid of this useless duplication of work.

सभापति महोदय : श्रीमान पटवारी, क्या आप बैठेंगे ? मैं नामों की सूची के अनुसार सदस्यों को बुलाऊंगा इस संकल्प के लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आपको पांच मिनट दिए जाते हैं।

Shri H.L. Patwari (Mangaldoi) : I support the motion. All the states in the country do not have Upper House and there is no uniformity in this respect. So far teachers of primary schools are concerned, they have no right to vote. A deputation of Primary schools teachers had met Smt. Indira Gandhi and demanded that they should be given right to vote.

Regarding the propriety of Upper Houses. I would request the hon Law Minister to appoint a committee to examine the usefulness of this Chamber. This Upper House has no use in our republic. That is why a number of states do not have this chamber.

In Lohia visualised four pillars state. He stressed that power should be delegated to the level of village Panchayats then only Centre can be strong. For this necessary amendment can be made in the Constitution. If we are able to fiulfill the aspirations of people living in villages then only we can establish a proletarian society.

The Government should strive to make the republic strong. But in the name of republic despotism should not be brought. We should be careful inthis respect. Village Panchayat, should be established in every village. so that we may bring proletarian society.

डा० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे याद है श्री हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में दूसरे सदन का विरोध किया था। दूसरा सदन अनेक राज्यों में कार्यरत है। विधि मंत्री को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि दूसरे सदन ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली में क्या योगदान किया है। मेरे विचार में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न राज्यों में दूसरे सदन ने अपना कोई योगदान नहीं किया है। विधान परिषदें काफी सीमा तक उन व्यक्तियों का आश्रम स्थल होती हैं जो राजनीतिक रूप से अस्वीकृत हो जाते हैं। वर्ष 1969 में बंगाल विधान मंडल ने विधान परिषद् समाप्त करने का अनुरोध किया था और यह समाप्त कर दी गई थी।

Shri Ugra Sen (Deoria) : We have passed such resolution in Uttar Pradesh also.

श्री दिलीप चक्रवर्ती : केन्द्रीय सरकार और संसद की ओर से भी पहल होनी चाहिए ताकि यह व्यवस्था, जो निरर्थक है, समाप्त की जा सके। माननीय सदस्य श्री सुमन ने ठीक कहा है कि यह व्यवस्था बोझिल और खर्चीली है। इस बात को सब मानते हैं कि हमारा जैसा निर्धन देश सभी राज्यों में दूसरे सदन की व्यवस्था का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी संसदीय लोकतंत्र पर अपने विचार प्रकट करते हुए दूसरे सदन के अस्तित्व को निरर्थक बताया था। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : I support the motion.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् शोक सभा शनिवार 29 अप्रैल, 1978/9 वैसाख, 1900 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday the 29th April, 1978/ Vaisakha 9, 1900 (Saka).

MGIPRRND—18 LSS/78—IV(N/s)—21-10-78—210